केवल विभागीय प्रयोग हेतु

उत्तर प्रदेश पुलिस

कल्याण हस्तपुस्तिका

2017

(द्वितीय संस्करण)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

सर्वाधिकार

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय

इलाहाबाद

संस्करण : 2017

मुद्रक

आयुष कम्प्यूटर एण्ड प्रिंटर्स

टैगोर टाऊन, इलाहाबाद

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
फोन नं. 0522-2206104
फैक्स नं.-2206120
सीयूजी नं. : 9454400101
ई-मेल :police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक : जनवरी 4, 2017

संदेश

पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अत्यन्त दुरूह एवं विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का सम्पादन करना होता है। सम्बन्धित कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी चिन्ता के करता रहे इसके लिए सरकार एवं विभाग द्वारा इन कार्मिकों एवं उनके परिवार के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। पूर्व में प्रकाशित ''उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका अंक-2012'' पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अत्यधिक उपयोगी रहा, किन्तु 2012 से अब तक इन कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में अनेकों नियम, नियमावलियां एवं शासनादेश निर्गत हो चुके हैं इसलिये ''उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका 2012'' को अद्यावधिक किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसके लिये उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका का वर्तमान अंक 2017 (द्वितीय संस्करण) निर्गत किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण ''उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका'' के वर्तमान अंक-2017 से पुलिस विभाग हेतु प्रचलित कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित अद्यावधिक जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होंगे।

मैं ''उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका अंक-2017'' (द्वितीय संस्करण) की सफलता की कामना करता हूँ।

4.1.17.

(जावीद अहमद)

बी0पी0 जोगदण्ड

आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
1, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद
दूरभाष : 0532-2423650
दिनांक : जनवरी 4, 2017

उ0प्र0 पुलिस विभाग की कल्याण हस्त पुस्तिका का प्रकाशन वर्ष-2012 में हुआ था। वर्ष-2012 से अब तक पुलिस विभाग की कल्याणकारी योजनाओं में अब तक अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं। यहाँ तक कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसके कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/पेंशन में भी महत्वपूर्ण संशोधन हो चुके हैं। इन्हीं कारणों के दृष्टिगत उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका के 2012 अंक को संशोधित करने की अत्यधिक आवश्यकता परिलक्षित हुयी और वर्तमान अंक जनवरी 2017 प्रस्तुत किया जा रहा है।

2- इस पुस्तक के वर्तमान अंक 2017 में पूर्व में प्रकाशित 2012 अंक के समस्त विषयों को अद्यतन किया गया है तथा शासन एवं विभागीय महत्वपूर्ण शासनादेशों/सर्कुलरों को परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया है।

3- उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका का वर्तमान अंक जनवरी 2017 को अद्यतन करने में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री जावीद अहमद, आई0पी0एस0 की प्रेरणा एवं मार्ग-दर्शन से ही इस अंक का प्रकाशन सम्भव हो सका है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होता रहा है जिसके लिए मैं उन सभी का आभारी हूँ।

4- अन्त में इस पुस्तक के लिए विषय वस्तु के संकलन तथा उसके प्रकाशन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी विशेषकर श्री ज्ञान सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक भी सराहना एवं धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके सहयोग के बिना यह महत्वपूर्ण कार्य सम्भव नहीं था।

मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि वर्तमान 'उ0प्र0 पुलिस कल्याण हस्त पुस्तिका' उ0प्र0 पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उ0प्र0 पुलिस विभाग में प्रचलित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में लाभप्रद होगी।

(बी0पी0 जोगदण्ड)

<u>Disclaimer / आवश्यक सूचना</u>

प्रस्तुत संकलन **<u>''उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण हस्त-पुस्तिका-2017''</u>** में वर्णित भाषा नियमों का अविकल उद्धरण नहीं है, अपितु इसमें विषय वस्तु को कार्यालयों में प्रयोग हेतु संकलित, सरलीकृत एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का एक मात्र प्रयास है।

इस पुस्तिका का उपयोग मात्र मार्ग-दर्शन हेतु किया जाना चाहिए। किसी बिन्दु विशेष पर संशय, विवाद अथवा निर्वचन (Interpretation) की स्थिति में सम्बन्धित नियमावलियों, हस्त पुस्तिकाओं एवं शासनादेशों को मूलरूप में उद्धृत/सन्दर्भित किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

कल्याणकारी योजनाओं सम्बन्धी
हस्त पुस्तिका

भाग-1 शासकीय कल्याणकारी योजनाएं/सुविधाएं 13-34

(I) एस.ए.एफ.
(II) कल्याण निधि
(III) शिक्षा निधि
(IV) अनुग्रह धनराशि
(V) अनुकम्पा कोष से आर्थिक सहायता
(VI) पुलिस मेमोरियल फण्ड
(VII) आउट ऑफ टर्न प्रमोशन
(VIII) मृतक आश्रित सेवा योजना

भाग-2 स्वैच्छिक कल्याणकारी योजनाएं/सुविधाएं 35-42

(I) जीवन रक्षक निधि
(II) उ0प्र0 शिक्षा कोष
(III) उ0प्र0 खेल-कूद विकास कोष
(IV) जीवन बीमा योजना
(V) पुलिस बेनीफिट फण्ड
(VI) उ0प्र0 पुलिस वेलफेयर फण्ड
(VII) पुलिस बेनीवोलेन्ट फण्ड (मैचिंग ग्राण्ट)

भाग-3 पेंशनरी व सेवा सुविधाएं 43-52

(I) पेंशन
(II) ग्रेच्युटी

(III) राशिकरण
(VI) सामूहिक बीमा
(V) जी0पी0एफ0 से सम्बद्ध बीमा
(VI) सेवानिवृत्त / मृत्यु लाभ कार्ड
(VII) जी0पी0एफ0 से अग्रिम
(VIII) सेवानिवृत्त के उपरान्त नकदीकरण
(IX) अवकाश यात्रा सुविधा

भाग-4 सेवा सम्बन्धी अन्य शासकीय सुविधाएं 53-66
(I) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति
(II) उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज कल्याण संस्थान
(III) विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता
(IV) वैयक्तिक वेतन
(V) परिवार नियोजन से सम्बन्धित अन्य नियमों का सारांश
(VI) अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता का भुगतान
(VII) पदकों के साथ अनुमन्य धनराशि
(VIII) पी.एस.पी.
(IX) सेवानिवृत्त/सेवा के दौरान मृत कर्मियों को देय भुगतान का विवरण
(X) मृतक आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित निर्देश

परिशिष्ट

(I)	सुख सुविधा निधि	परिशिष्ट-1 एवं 1.1	67-70
(II)	कल्याण निधि	परिशिष्ट-2	71-72
(III)	शिक्षा निधि	परिशिष्ट-3 से 3.2 तक	73-86
(IV)	अनुग्रह धनराशि	परिशिष्ट-4 से 4.12 तक	87-118
(V)	अनुकम्पा निधि	परिशिष्ट-5 से 5.6 तक	119-137
(VI)	पुलिस मेमोरियल फण्ड	परिशिष्ट-6	138-141
(VII)	आउट आफ टर्न प्रमोशन	परिशिष्ट-7 से 7.2 तक	142-147
(VIII)	मृतक आश्रित नियमावली	परिशिष्ट-8 से 8.4 तक	148-170
(IX)	उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि	परिशिष्ट-9 से 9.5 तक	171-201

(X)	उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष	परिशिष्ट-10 से 10.2 तक	202-230
(XI)	उत्तर प्रदेश पुलिस खेल-कूद विकास कोष	परिशिष्ट-11 से 11.3 तक	231-242
(XII)	पुलिस बेनीफिट फण्ड	परिशिष्ट-12	243-244
(XIII)	उत्तर प्रदेश पुलिस वेलफेयर फण्ड	परिशिष्ट-13	245-248
(XIV)	पुलिस बेनीवोलेन्ट फण्ड	परिशिष्ट-14 एवं 14.1 तक	249-250
(XV)	पेंशन नियमावली	परिशिष्ट-15 से 15.13 तक	251-310
(XVI)	सामूहिक बीमा योजना	परिशिष्ट-16 से 16.2 तक	311-321
(XVII)	सेवानिवृत्ति/मृत लाभ कार्ड	परिशिष्ट-17	322-325
(XVIII)	जी0पी0एफ0 से सम्बद्ध बीमा योजना	परिशिष्ट-18	326-328
(XIX)	जी0पी0एफ0 से अग्रिम	परिशिष्ट-19 से 19.4 तक	329-342
(XX)	अवकाश यात्रा सुविधा	परिशिष्ट-20 से 20.2 तक	343-355
(XXI)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	परिशिष्ट-21 से 21.4 तक	356-411
(XXII)	उ0प्र0पुलिस आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान	परिशिष्ट-22 से 22.3 तक	412-427
(XXIII)	विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता	परिशिष्ट-23 से 23.2 तक	428-436
(XXIV)	परिवार नियोजन वैयक्तिक वेतन	परिशिष्ट-24 से 24.9 तक	437-457
(XXV)	अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता	परिशिष्ट-25 से 25.5 तक	458-476
(XXVI)	पुलिस पदक के साथ मिलने वाले भत्ते	परिशिष्ट-26 एवं 26.1	477-480
(XXVII)	पुलिस सैलेरी पैकेज	परिशिष्ट-27 एवं 27.1	481-485
(XXVIII)	सेवानिवृत्त/सेवा के दौरान मृत कर्मियों को मिलने वाले भुगतानों का विवरण	परिशिष्ट-28	486
(XXIX)	पुलिस विभाग में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश	परिशिष्ट-29	487-528

<u>भाग-1</u>

शासकीय कल्याणकारी योजनायें/सुविधायें

1. सुख-सुविधा निधि (S.A.F.)

इस निधि में शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष धनराशि का बजट में प्रावधान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 3 करोड़ का प्रावधान है। शासन द्वारा दी जाने वाली इस निधि का पुलिस मुख्यालय स्तर से समस्त जिला/इकाई/मुख्यालयों को आवंटित कर दिया जाता है। इस निधि से धन अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के कल्याण हेतु व्यय किया जाता है अथवा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या : 6597/8-7-265/81, दिनांक : लखनऊ : 7 फरवरी 1983 **(परिशिष्ट-1)** द्वारा इस निधि से व्यय किये जाने का निर्देश दिये गये है। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या : डीजी-एसएएफ-2005, दिनांक : 09.06.2005 **(परिशिष्ट-1.1)** के अनुसार निम्न मद निर्धारित किये गये हैं :-

1. मनोरंजन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकायें, पुस्तकें, रेडियो, ट्रान्जिस्टर तथा टेलीविजन इत्यादि का क्रय एवं रख-रखाव।
2. उचित मामलों में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु कपड़ों की व्यवस्था।
3. बच्चों के खेल मैदान (चिल्ड्रेन पार्क), मनोरंजन कक्षों एवं क्लब में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु खेलकूद के सामान का प्रबन्ध।
4. बीमारी तथा अचानक आपातकाल में आर्थिक सहायता दिया जाना जैसे :-

    (1) अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी का दाह-संस्कार, जिसका एकाएक देहान्त हो जाता है और वह खर्च के लिए कुछ नहीं छोड़ जाता है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके घर भेजने हेतु सबसे कम श्रेणी का रेल/बस का किराया।

    (2) अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी की बाढ़, आग इत्यादि में उसकी सम्पत्ति की हुई क्षति की प्रतिपूर्ति।

    (3) पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की लम्बी बीमारी, मृत्यु अथवा दंगों के दौरान या किसी अन्य स्थिति में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी करते समय, घायल अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को उचित आर्थिक सहायता दिया जाना।

    (4) हाईस्कूल तक शिक्षा पाने वाले बच्चों हेतु उचित मामलों में पुस्तकों का प्रबन्ध।

(5) गंभीर बीमारी या दुर्घटना या अस्पताल से मुक्त होने के बाद चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर निर्धारित सीमा तक विशेष खुराक (स्पेशल डाइट) की व्यवस्था।

5. पुलिस कल्याण केन्द्र हेतु सिलाई की मशीन का खरीदा जाना।

6. गर्भवती स्त्रियों हेतु दाइयों (मिडवाइफ) का रखा जाना।

7. पुलिस कल्याण केन्द्रों में रखने हेतु दवाइयों का क्रय जो कल्याण केन्द्र के डाक्टरों की संस्तुति पर पुलिस कर्मचारियों की स्त्रियों तथा बच्चों को देय हो।

8. पुलिस कल्याण केन्द्र में कार्य करने वाले अंशकालिक डाक्टरों तथा दाइयों को मानदेय का भुगतान।

9. अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के परिवारों हेतु बुनाई, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि सिखाने के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा बच्चों के स्कूल हेतु अध्यापकों का रखा जाना।

इस सुविधा निधि से जिले/इकाइयों के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के आवेदन पर उनके प्रभारी की संस्तुति प्राप्त होने पर अपने विवेकानुसार समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

2. कल्याण निधि

इस निधि में शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष धनराशि का बजट में प्रावधान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 4 करोड़ का बजट प्राविधान है। इस निधि का उपयोग शासनादेश संख्या : 6427/आठ-7-187/80, दिनांक : 12.01.1983 **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवारों हेतु निम्नलिखित कल्याणकारी कार्यक्रमों पर किया जाता है तथा निम्नवत् आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है :-

(1) अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के लिए भवनों जैसे- छात्रावास, प्रसूतिगृह, मनोरंजन गृह, जिम्नेजियम हाल, पुलिस क्लब, बच्चों के लिए पार्क आदि के भवनों का निर्माण, सुधार, उनमें बिजली पानी की व्यवस्था, साज-सज्जा, उपकरण तथा रख-रखाव आदि।

(2) अपंग/विकलांग अथवा मानसिक रोग से ग्रस्त, विकलांग सेवारत पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता।

(3) सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की मृत्यु की दशा में जहाँ पर उनके परिवार की दशा अत्यन्त दयनीय हो, अन्तिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता।

(4) सेवारत/सेवानिवृत्त अराजपत्रित पुलिस/अग्निशमन कर्मियों के मेधावी बच्चों की शिक्षा। (मेडिकल, प्राविधिक, मैनेजीरियल/व्यावसायिक)

इस निधि से विभिन्न कल्याणकारी कार्यो के लिए पुलिस अधीक्षक/इकाई प्रभारी द्वारा प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजे जाते है जिस पर **अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय** द्वारा निर्णय लेकर आवश्यक धनराशि आवंटित की जाती है। आर्थिक सहायता के लिए कर्मचारी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजना होता है। इन पर **अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय** द्वारा मामलें की औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस कर्मियों को आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

* पुलिस मुख्यालय से निर्गत की गई प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि का उपभोग अन्य किसी मद में कदापि न किया जाय। इसके लिए उत्तरदायी जिले/इकाई के प्रभारी अधिकारी स्वयं होंगे।
* उन्हीं मदों पर धनराशि की माँग की जाय जो सामूहिक कल्याणकारी कार्य हो।

3. उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि

उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि नियमावली **(परिशिष्ट-3)** के अनुसार उ0प्र0 पुलिस विभाग में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक स्तर के राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अध्ययनरत मेधावी बच्चों को उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि से आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृति/एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस निधि में शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष रु. 30.00 लाख का बजट में प्रावधान किया जाता है। इस निधि से पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को एक मुश्त छात्रवृत्ति ''उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि की नियमावली'' के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्ष 2006 से केवल निम्न पाठ्यक्रमों/व्यवसायों में अध्ययनरत एवं निम्नानुसार अंकित अर्हताएं एवं शर्ते पूर्ण करने वाले छात्रों/छात्राओं हेतु ही छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय ''उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि की नियमावली'' के अनुसार गठित कमेटी द्वारा लिया गया हैः-

(1) चिकित्सा व्यवसाय/पाठ्यक्रम :-

1. A.I.I.M.S. में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से चयनित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
2. C.B.S.E. की प्रतियोगात्मक परीक्षा से चयनित देश के किसी भी मेडिकल संस्थान में M.B.B.S. (स्नातक) में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
3. उ0प्र0 व अन्य राज्य सरकारों के राजकीय मेडिकल कालेज में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से M.B.B.S. में चयनित अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
4. B.H.U./A.M.U./S.G.P.G.I., LKW/PGI चण्डीगढ़/आर्म्ड फोर्स मेडिकल कालेज पुर्ण में M.B.B.S. (स्नातक) में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

5. उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में चयनित / अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ जिन्होंने उक्त पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता, इण्टरमीडिएट परीक्षा में, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद बोर्ड से उत्तीर्ण, सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम 60% अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 55% अंक, C.B.S.E./I.C.S.E. बोर्ड से उत्तीर्ण सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम अंक 70% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ने न्यूनतम अंक 60% अर्जित किये हो।

(2) इन्जीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी व्यवसाय/पाठ्यक्रम

1. I.I.T. द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में इन्जीनियरिंग/प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएँ। चयनित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

2. C.B.S.E. की प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में इन्जीनियरिंग/प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाए छात्र/छात्राएँ।

3. राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में इन्जीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत वे छात्र/छात्राएँ जिन्होंने उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट परीक्षा में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद बोर्ड से उत्तीर्ण की हो। इनमें से वही पात्र होंगे जिन्होंने निम्न अंक अर्जित किये होः- सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 60% अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 55% अंक तथा C.B.S.E./I.C.S.E. बोर्ड से उत्तीर्ण सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 70% अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी न्यूनतम 60% अंक अर्जित किये हो।

4. उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएँ।

5. मेधावी बच्चों को एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का कार्य विगत वर्षों में रेडियों मुख्यालय लखनऊ में किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2008-09 से शिक्षा निधि का रख-रखाव रेडियो मुख्यालय के स्थान पर पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से किया जा रहा है।

4. अनुग्रह धनराशि

शासनादेश संख्या : 4805पी/ आठ-6-1739/77, दिनांक : 05-12-1977

(परिशिष्ट-4) के द्वारा डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रति रोधियों से मुठमेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोंटो के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाय, के आश्रितों को रु. 5,000/- तथा उन्हीं परिस्थितियों जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हो जाय उन्हें रु. 2,500/- आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।

उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए कार्यरत समस्त सरकारी सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अथवा विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय मृत हो जाने पर उनके आश्रितों को शासनादेश संख्या-सा-3-1340/दस/88-916-88 दिनांक : 19.08.88 **(परिशिष्ट-4.1)** में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को क्रमशः रु. 50000/- रु. 40000/- रु. 30000/- रु. 20000/- प्रदान की गयी।

उ 0प्र0 शासन द्वारा अनुग्रह धनराशि से सम्बन्धित संशोधन समय-समय पर जारी किये गये है, जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	**शासनादेश संख्या**	**सरकारी सेवक के घायल/मृत्यु की परिस्थितियाँ एवं देय धनराशि**	**पुलिस विभाग के अन्तर्गत घायल/मृत्यु की परिस्थितियाँ एवं देय धनराशि**
1.	शासनादेश संख्याः 4805पी/आठ -6-1739/77, दिनांकः 05-12-1977 **(परिशिष्ट-4)**		डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रति रोधियों से मुठभेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोटों के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाय के आश्रितों को रु. 5,000/- तथा उन्हीं परिस्थितियों जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हो जाय, उन्हें रु. 2,500/- आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2.	शासनादेश संख्या : सा-3-1340-दस-88-916-88, दिनांक : 19-8-88 **(परिशिष्ट 4.1)**	**विशेष जोखिम की निम्न-लिखित परिस्थितियाँ :** (1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय (2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय (3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय (4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय। (5) दैवी आपदाओं जैसे-बाढ़ भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा- आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय। **(6) सक्रिय सेवा करते समय, उदाहरणतः-** (1) ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में। (2) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु। (3) लेबिल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु। (4) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।	-

		प्रथम श्रेणी - 50,000/- द्वितीय श्रेणी - 40,000/- तृतीय श्रेणी - 30,000/- चतुर्थ श्रेणी - 20,000/- घायल कर्मी (समस्त श्रेणी) 5,000/-	
3.	शासनादेश संख्या : 4466 पी/आठ-6-88-1721/88, दिनांक : 29-12-88 **(परिशिष्ट-4.2)**	-	सरकारी ड्यिूटी के समय कर्तव्य पालन के समय गम्भीर रूप से घायल 5,000/-
4.	शासनादेश संख्या 3239पी/छः-पु0-6-90-1744/90, दिनांक : 06-02-1991 **(परिशिष्ट-4.3)**		**विशेष जोखिम** पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी के पुलिस कर्मियों के परिवार को श्रेणीः- प्रथम श्रेणी- 1,00,000/- द्वितीय श्रेणी- 80,000/- तृतीय श्रेणी- 60,000/- चतुर्थ श्रेणी- 40,000/- सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक :19-8-1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
5.	शासनादेश संख्याः 4343पी/ छः-पु-6	-	**विशेष जोखिम** पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी के पुलिस कर्मियों के परिवार को

	-99-1188/99 दिनांक : 03-12 -1999 **(परिशिष्ट- 4.4)**		प्रथम श्रेणी-2,00,000/- द्वितीय श्रेणी - 1,60,000/- तृतीय श्रेणी - 1,20,000/- चतुर्थ श्रेणी - 80,000/- सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक : 19-8-1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
6.	शासनादेश संख्या : 2624पी/छः-पु-6-2000-1198/99, दिनांक : 29-11-2000 **(परिशिष्ट- 4.5)**	-	**विशेष जोखिम** पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस कर्मियों के परिवार को रु. 2,50,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक : 19-8-1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
7.	शासनादेश संख्या : 3382पी/ छः-पु-6-2001-1198/99, दिनांक : 09-11-2001 **(परिशिष्ट- 4.6)**	-	**विशेष जोखिम** पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी प्रथम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस कर्मियों के परिवार को रु. 5,00,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक : 19-8-1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।

8.	शासनादेश संख्या : 3382पी/ छः-पु-6-2001-1198/99, दिनांक : 05-12-2005 **(परिशिष्ट-4.7)**	-	**विशेष जोखिम** पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस कर्मियों के परिवार को रु. 10,00,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक : 19-8-1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
9.	शासनादेश संख्या : 3669पी/ छः-पु-6-05-1198/99, दिनांक : 06-12-2005 **(परिशिष्ट-4.8)**	-	नक्सली आतंक में मारे गये समस्त श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित परिवार को रु. 10,00,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक : 19-8-1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
10.	शासनादेश संख्या : सा-3-1287/ दस-2010, दिनांक : 28-7-2010 (दिनांकः 1-1-2006 से प्रभावी)	शासनादेश संख्याः सा-3-1340-दस-88-916-88, दिनांक : 19-8-88 को इस सीमा तक संशोधित किया गया हैः- (क) यदि कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो रु. 10,00,000/-	

	(परिशिष्ट-4.9)	(ख) कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु तो रु. 10,00,000/- (ग) देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 15,00,000/- (घ) अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर रु. 15,00,000/-	
11.	12/ए-अनुग्रह धनराशि-2003 (परिपत्र) दिनांक : 20.1.2003 **(परिशिष्ट-4.10)**	-	कर्तव्यपालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि व घायल कर्मी को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में त्वरित, सुस्पष्ट एवं पूर्ण प्रस्ताव भेजने विषयक।
12.	शासनादेश संख्या : 588पी/ छः-पु0-6-12-1198/99 दिनांक :	-	शासनादेश संख्या : सा-3-1287/ दस-2010, दिनांकः 28-7-2010 को इस सीमा तक संशोधित किया गया हैः- (क) यदि कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो

	22-6-2012 (दिनांक : 1-1-2006 से प्रभावी) **(परिशिष्ट- 4.11)**		रु. 10,00,000/- (ख) कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु तो रु0 10,00,000/- (ग) देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रु. 15,00,000/- (घ) अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर रु. 15,00,000/-
13.	शासनादेश सीएम-134 पी/छः- पु0- 6-14-100 (9)/14, दिनांक : 10-9-2014 दिनांक : 22-8-2014 से प्रभावी) **(परिशिष्ट- 4.12)**		(क) यदि कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो रु. 20,00,000/- (ख) कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप हुई मुत्यु तो रु0 20,00,000/- (ग) देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रु. 20,00,000/-

			(घ) अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/ दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर रु. 20,00,000/- (ङ) उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्धसैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/ आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाय तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनका कर्तव्यपालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाय, उनके आश्रितों को भी अनुग्रह धनराशि रु. 20,00,000/- दिनांक 22.08.2014 से स्वीकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या : 12/ए-अनुग्रह धनराशि-2003, दिनांक : 20.01.2003 (परिशिष्ट-4.10) (तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय द्वारा जारी) द्वारा विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति (मृत्यु) के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य परिशिष्ट किये जाये :-

* अधिकारी/कर्मचारी की रवानगी की पुष्टि में जी.डी. की नकल रपट एवं रवानगी के दिनांक की पूरी जी.डी. (प्रारम्भ से अन्त तक) की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।
* यदि अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त सूचना पर घटनास्थल पर पहुँचता है, तो नियंत्रण कक्ष की उस दिन की लाग बुक की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां, जिससे अधिकारी/कर्मचारी के घटनास्थल के लिए रवाना होने एवं घटनास्थल पर होने की पुष्टि होती हो।
* घटना स्थल से वापस आये कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गयी वापसी रिपोर्ट, जिसमें घटना का तस्करा हो, की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।
* प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।
* पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।
* शव-परीक्षण रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।
* वरि0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण, जिनमें स्पष्ट रूप से घटनाक्रम (sequence of events) का उल्लेख किया गया हो एवं उनकी स्पष्ट संस्तुति।
* ऐसे प्रकरणों में, जिनमें गोपनीयता बनाये रखने के लिए न तो, नियंत्रण कक्ष को सूचना/लोकेशन दी गई हो और न तत्परता से मौके पर पहुँचने के लिए रवानगी की औपचारिकता ही निभाई गयी हो, तो वापसी का तस्करा ही पर्याप्त होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की संस्तुति में ये परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

सक्रिय सेवा के समय मृत्यु के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जायें :-

- अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय ड्यूटी पर होने का प्रमाण-पत्र। ड्यूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जी.डी., उपस्थिति रजिस्टर तथा ड्यूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणों की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।
- सक्रिय सेवा के दौरान अन्य कारणों से हुई मृत्यु के मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र, जिसमें मृत्यु के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, की एवं पंचायतनामा की प्रमाणित तीन-तीन पठनीय छायाप्रतियाँ।
- अधिकारी/कर्मचारी की रवानगी की पुष्टि में रवानगी की जी.डी. की नकल रपट एवं रवानगी के दिनांक की पूरी जी.डी. (प्रारम्भ से अन्त तक) की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।

- यदि शव-परीक्षण कराया गया हो, तथा शव-परीक्षण रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।
- यदि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है एवं विसरा सुरक्षित नहीं है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना का जी.डी. में उल्लेख किया गया है तो जी.डी. की ओर यदि इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच करके जाँच रिपोर्ट प्रेषित की गयी हो तो जाँच आख्या की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।
- पंचायतनामा की प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ और यदि शव-परीक्षण किया गया है तो शव-परीक्षण की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।
- मृत्यु की परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण।

कर्तव्य पालन के दौरान घायल होने के प्रकरणों में निम्नलिखित अभिलेख प्रेषित करें :-

- अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय ड्यूटी पर होने का प्रमाण-पत्र। ड्यूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जी.डी., उपस्थिति रजिस्टर तथा ड्यूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणों की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।
- इंजरी रिपोर्ट की तीन पठनीय प्रमाणित छायाप्रतियाँ।
- यदि घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना अंकित की गयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना का जी.डी. में उल्लेख किया गया है तो जी.डी. की और यदि इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच करके जाँच रिपोर्ट प्रेषित की गयी हो तो जाँच आख्या की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ। यदि प्रथम सूचना दर्ज हुई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।

5. उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता

शासन द्वारा सेवाकाल के दौरान उ0प्र0 शासन के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शर्त यह है कि मृतक द्वारा एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई हो तथा दावा 5 वर्ष के अन्दर किया गया हो।

शासनादेश संख्या : बी-3-3046/दस-98-4(1)86-अनु0निधि0, दिनांक : 18.10.2001 **(परिशिष्ट-5.3)** द्वारा मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के दो गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर मूल वेतन के 10 गुने के बराबर धनराशि न्यूनतम रुपया 25000.00 तथा अधिकतम रु. 100000.00 के अन्तर्गत देय होगी।

शासनादेश संख्या -1-2016/बी-3-1443/दस-2016-20(14)/15 अनु0 निधि0 दिनांक 15 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार भुगतान E-Paymant के माध्यम से

करने हेतु प्रार्थना पत्र भाग-1 के क्रमाक-12 पर बैंक तथा शाखा का नाम खाता संख्या तथा IFSC Code उपलब्ध कराया जाय तथा पासबुक की छाया प्रति संलग्न की जायं। (परिशिष्ट 5.4)

6. पुलिस मेमोरियल फण्ड से छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना

यह योजना इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित है। परिपत्र संख्याः c1/Police(L)/2011(1)-2291-2345, दिनांकः 18.08.2011 **(परिशिष्ट-6)** द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति प्राप्त हुये अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के अध्ययनरत बच्चों को वर्ष में एक बार एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों को निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	**श्रेणा**	**छात्रवृत्ति**
1	व्यावसायिक पाठयक्रम (जैसे- एम0बी0बी0एस0, बी0ई0, बी0टेक0, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 आदि)	रु. 15,000.00
2	अन्य सामान्य संस्थाए, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (जैसे- एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम0, बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 इत्यादि)	रु. 5,000.00 प्रतिवर्ष

इस छात्रवृत्ति हेतु इन्टेलीजेन्स व्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पुलिस कर्मियों के बच्चों के छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसे आवेदक द्वारा पूर्ण करके संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पद धारक के अधिकारी की संस्तुति सहित मृत्यु का कारण व घटना का संक्षिप्त विवरण दर्शाये हुए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय को विलम्बतम् दिनांक 31 अगस्त तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये जाने होते हैं।

7. अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को 'आउट ऑफ टर्न' एक रैंक प्रोन्नति प्रदान किया जाना

उ0प्र0 पुलिस के ऐसे आरक्षी/मु0आरक्षी/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर, जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उसकी गिरफ्तारी में अदम्य साहस या शौर्य प्रदर्शित किया है, या अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो, तो शासनादेश संख्या-665 (1) छः-पु-1-24/93 दिनांक 03.02.1994 **(परिशिष्ट-7)** के अनुसार 'आउट ऑफ टर्न' एक रैंक प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश के ऐसे पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर, जिन्होंने अदम्य साहस एवं शौर्य का प्रदर्शन किया है, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति शासनादेश संख्या-**665/छः-पु0-1-24/93** दिनांक 03.02.1994 **(परिशिष्ट-7.1)** के अन्तर्गत प्रदान किये जाने का प्रावधान था किन्तु शासनादेश संख्या 901/6-पु0-1

500(8)/14 दिनांक 07 जून 2014 (परिशिष्ट भाग-2-7.1) द्वारा आउट आफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर कतिपय प्रतिबन्धो के अन्तर्गत साहसिक कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर मा0 मुख्य मंत्री का प्रशस्ति पत्र एवं उसके साथ रु. 25000/- का नगद पुरस्कार दिया जायेगा तथा उच्चकोटि के साहसिक कार्य करने पर पदक के साथ रु. 1000/- प्रतिमाह का मासिक भत्ता भी दिया जायेगा। **(परिशिष्ट-7.2)**

8. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश :-

अधिसूचना एवं शासनादेश संख्या : 6/12-1973, नियुक्ति-(4) दिनांक 07.10.1974 **(परिशिष्ट-8)** द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए मृतक आश्रित भर्ती नियमावली-1974 प्रख्यापित की गयी है जिसमें समय-2 पर कतिपय संशोधन भी किये गये है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने और मृत सरकारी सेवक का पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोहित न हो इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के समान नियमो को शिथित करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुर्क्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है।

मृतक सरकारी सेवक के कुटुम्ब के निम्नांकित सदस्य सेवायोजन के पात्र माने गये हैं :-

1. पति या पत्नी
2. पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां
4. मृत सरकारी सेवक पर पूर्णतः निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता (यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था)
5. यदि उपर्युक्त में से कोई न हो या शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय तो सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र एवं अविवाहित पौत्रिया भी कुटुम्ब की परिभाषा में आयेंगे (8वां संशोधन)

उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या : 146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/2007 दिनांक 24.01.2008 (परिशिष्ट-8.1) द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक बेहतर प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

शासनादेश संख्या : 6/12/73-कार्मिक-2/2001 दिनांक 12.10.2001 में (छठां संशोधन) नियमावली-2001 के तहत मृतक आश्रितों के आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपदों से पुलिस मुख्यालय को प्राप्त होते हैं तथा जॉचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं साक्षात्कार लिया जाता है तथा सफल होने पर उन्हें चयनित कर लिया जाता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए वर्तमान में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2अ- मृतक आश्रितों के सेवायोजन का प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध दिशा-निर्देश

(1) मृतक आश्रितों के सेवायोजन का प्रस्ताव उ0प्र0 मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(2) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र लिया जाये जिसमें दिनांक व हस्ताक्षर अंकित होगा। साथ ही सक्षम अधिकारी का पृष्ठांकन अवश्य अंकित होगा जिससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित द्वारा संवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र पाँच वर्ष के अन्दर ही दिया गया है अथवा बाद में।

(3) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितों के जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। सभी सत्यापन आख्या प्रस्ताव के साथ मूल रूप में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेंगी, जिसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई के पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थाई अभिलेख होगा।

(4) यदि किसी मामले में एक से अधिक सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते है तो सक्षम अधिकारी उ0प्र0 मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-7 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन करके प्रस्ताव तैयार करायेंगे।

(5) पुलिस मुख्यालय भेजे जाने वाले मृतक आश्रितों का सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव

की चेक लिस्ट (प्रारूप-36) बिन्दुओं की होगी जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट सूचना अंकित करने के उपरान्त चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं के समक्ष भेजे जाने वाले प्रपत्रों का संलग्नक के रूप में उल्लेख किया जायेगा।

(6) मृतक सरकारी सेवक से सम्बन्धित सभी सूचनाएं उसके सेवा अभिलेख में अंकित तथ्यों के आधार पर अंकित की जायेगी। जन्मतिथि/भर्ती तिथि एवं मृत्यु की तिथि के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में क्रमशः सेवाअभिलेख के प्रथम पृष्ठ एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(7) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब की सूची के सम्बन्ध में पेन्शन भाग-2 की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(8) उ0प्र0 मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन सेवायोजन का लाभ दिये जाने को सम्बन्ध में मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थाई निवास (यदि कोई हो) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जाँच कराई जायेगी जिसमें चेक लिस्ट के प्रारूप के बिन्दु सं0-18 के अनुरूप स्पष्ट आख्या प्राप्त की जायेगी। जाँच आख्या प्रस्ताव के साथ मूल रूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(9) सेवायोजन हेतु मृतक कर्मचारी की पत्नी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है। प्रारूप-''क'' में शपथी से फोटोग्राफयुक्त शपथ पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(10) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य समस्त वयस्क सदस्यों का इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहते हैं। प्रारूप-''ख'' में शपथी के फोटोग्राफयुक्त शपथ पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(11) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से प्रारूप ''ग'' में फोटोग्राफयुक्त शपथ पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(12) उ0प्र0 मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है, से सम्बन्धित प्रारूप ''घ'' भरकर प्रेषित किया जायेगा।

(13) मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन उसके अस्थाई व स्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय से कराया जायेगा जिसे मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन प्रपत्र पर मृतक आश्रित अभ्यर्थी की फोटो चस्पा होगी जिसे सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा किस व्यक्ति का

सत्यापन किया गया है।

(14) दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक का न हो, मूलरूप से प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(15) मृतक आश्रित के पासपोर्ट साइज के फोटो प्रस्ताव के प्रस्तर-30 के समक्ष चस्पा किया जायेगा एवं दो फोटो अलग से सादे कागज पर चस्पा की जायेगी जिस पर मृतक आश्रित का विवरण अंकित किया जायेगा जिसके सम्बन्धित **कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जायेगा।**

(16) मृतक आश्रित की नाप जोख सादे कागज पर की जायेगी। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा नाप जोख स्वयं की जायेगी और अपने हाथ से नाम अंकित किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र मृतक आश्रित का फोटो चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम, पदनाम की मुहर एवं दिनांक अंकित की जायेगी। प्रमाण पत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(17) मृतक आश्रित का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण उ0प्र0 मेडिकल मैनुअल में निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा। यदि किसी पद पर नाप जोख की आवश्यकता होगी तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाप जोख तथा वजन भी अंकित किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र पर आश्रित का फोटो चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र पर नाम, पदनाम की मुहर एवं दिनांक अंकित की जायेगी। प्रमाण पत्र पर किसी प्रकार की कटिंग एवं ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(18) **उ0प्र0 मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा कि प्रस्तावित मृतक आश्रित के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली सभी सूचनाओं का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाएं एवं प्रपत्र पूर्णतया सत्य हैं एवं प्रकरण का पुलिस कार्यालय में रखे मृतक आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक स्थाई रजिस्टर में क्रमांक पर अंकित कर दिया गया है।**

(19) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 एवं संशोधित 1993 एवं 2006 के अन्तर्गत तैयार किये गये **प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों र कर्यालयाध्यक्ष का पद नाम अंकित होगा तथा स्वयं कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा ही भेजा जायेगा।**

(20) **मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद/इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के द्वारा नामित**

अधिकारी ही लेकर जायेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी लायेंगे कि इन्हें सेवायोजन के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राधिकार पत्र में भेजे जाने वाले प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुँहर अवश्य लायेंगे जिससे उनसे सेवायोजन के सत्यापन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके, अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(21) पी0ए0सी0 वाहिनियों के मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव दो प्रतियों में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा क्योंकि प्रस्ताव अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु पी0ए0सी0 मुख्यालय को भेजा जाता है तथा इसकी प्रति पुलिस मुख्यालय में रखी जायेगी।

(22) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से राजपत्रित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय में आयेंगे।

(23) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी के सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थाई रूप से रखा जायेगा, जिसे कभी भी नष्ट नहीं किया जायेगा। ये स्थाई अभिलेख होगा।

(24) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पर अधिकारी का नाम व पद नाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

2बी- पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश के उपरान्त मृतक आश्रितों की नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व :-

(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा ''बारकोड'' युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा । कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी ''बारकोड'' एवं फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूल रूप में प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(2) **कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के पक्ष में सेवायोजन हेतु पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वयं आश्रित का साक्षात्कार लेगे तथा पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त कि वह वास्तव में मृतक आश्रित है तथा सब प्रकार से शासकीय सेवा हेतु अर्ह है। इसके सेवायोजन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, तभी उसे सेवायोजित करने की कार्यवाही करेंगे।**

(3) मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ पत्र लेंगे जिसमें उसका फोटो चस्पा होगा, जिसमें स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम, मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी

सदस्य द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ पत्र की एक प्रति आश्रित की सेवायोजन पत्रावली पर रखा जायेगा। दूसरी प्रति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रमाणित करते हुए मृतक आश्रित के नियुक्ति आदेश की प्रति सहित कार्यालयाध्यक्ष प्रधान अपने स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा इसे पुलिस मुख्यालय अग्रसारित करेंगे।

(4) मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख फुलस्केप पेपर पर निर्धारित प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि विगत वर्षों से कतिपय मृतक आश्रितों के फर्जी सेवायोजन के मामले प्रकाश में आने के फलस्वरूप शासन ने शासनादेश संख्या : 146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/2007 दिनांक : 20.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये है। अतः एस0आई0(एम0) तथा उप निरीक्षक के दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश पुलिस मुख्यालय स्तर से नहीं निर्गत किये जायेंगे। यह आदेश भविष्य में सम्बन्धित जनपद/इकाई के पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश के निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

(6) किसी भी मृतक आश्रित को सर्वप्रथम उसी जनपद/इकाई में नियुक्ति प्रदान की जायेगी जिस जनपद/इकाई से आश्रित के पिता/पति की मृत्यु हुई हो। किन्तु यदि आश्रित महिला है और उसे कान्स0 के पद पर नियुक्त किया जाना है तो उसकी नियुक्ति सम्बन्धित वाहिनी/इकाई के जनपदों में ही की जायेगी, क्योंकि पी0ए0सी0 वाहिनियों में महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा इकाई में महिला आरक्षी को किट नहीं प्रदान की जाती है।

(7) मृतक आश्रित के सेवायोजन के उपरान्त उसे कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक उसे वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि किसी स्तर से उसका स्थानान्तरण हो जाता है तो सम्बन्धित जनपद/इकाई से उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो तो इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रेषित कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिया जाये।

मृतक आश्रित के समय सीमा में छूट प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को नवीन शासनादेश दिनांक 28.07.2006 के अनुरूप निम्नलिखित अभिलेखों सहित पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा :-

(1) 20 बिन्दुओं की सम्पूर्ण सूचना निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में (जिसमें कार्यालय प्रमुख द्वारा सभी पृष्ठों पर नाम/पदनाम की मुहर सहित हस्ताक्षर हो)

(2) मृतक की पत्नी द्वारा सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) मृतक के पुत्र द्वारा बालिग होने पर सेवायोजन हेतु सर्वप्रथम दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(4) मृत्यु के पाँच वर्ष के अन्दर कुटुम्ब के अन्य सदस्यों द्वारा सेवायोजन प्राप्त न किये जाने का औचित्य आवश्यक अभिलेख/सबूत।

(5) मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण जिसमें मृत्यु के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो तीन प्रतियों में जिसमें पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं नाम/पदनाम की मुहर अंकित हो।

(6) मृतक के परिवार के सदस्यों की आय का श्रोत एवं धनराशि का विवरण (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र)

(7) आवेदक के घर के पते पर राजपत्रित अधिकारी से कराई गयी। जाँच आख्या की प्रति, जिसमें सभी आश्रितों का विवरण, नाम, उम्र, आय के स्रोत/ धनराशि, विवाहित/अविवाहित, आवेदक को सेवायोजन दिलाये जाने का कारण, मृतक की पत्नी द्वारा सेवायोजन न लिया जाने का औचित्यपूर्ण कारण इत्यादि का विस्तृत विवरण अंकित होना आवश्यक है।

(8) मृतक की पत्नी के पक्ष में जारी किया गया पेंशन भुगतानादेश की पठनीय प्रमाणित प्रतिलिपि।

(9) मृतक कर्मचारी की जन्मतिथि/भर्ती तिथि/मृत्यु तिथि।

*****

भाग-2

स्वैच्छिक कल्याणकारी योजनायें/सुविधायें

1. उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.1997 **(परिशिष्ट-9)** को अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों की रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में हुयी बैठक के कार्यवृत्त में निर्णय लिया गया कि फिलहाल पी.ए.सी. की भाँति जनपदों में भी इस हेतु प्राइवेट फण्ड स्थापित कर दिया जाय।

उक्त कार्यवृत्त के अनुपालन में पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कतिपय गम्भीर बीमारियों तथा दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की अवस्था में उच्चस्तरीय उपचार हेतु अग्रिम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''**उ0प्र0 पुलिस जीवन रक्षक निधि**'' की स्थापना जुलाई 1997 में परिपत्र संख्या : 23/जीरनि-97 दिनांक 24.07.1997 **(परिशिष्ट-9.1)** द्वारा की गई। इस निधि का उद्देश्य सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज पर व्यय होने वाले धन की एक मुश्त आवश्यकता को पूरा करना एवं ऐसे व्यय के लिये आर्थिक अनुदान देना है, जिसकी प्रतिपूर्ति चिकित परिचर्या नियमों के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमन्य है।

जीवन रक्षक निधि का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.07.2002 को कराया गया है, जिसका नवीनीकरण पुनः दिनांक 30.07.2012 से हुआ है, जो आगामी पाँच वर्ष के लिये प्रभावी है। उक्त फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में नवीनीकरण संख्या : 1170 एवं फाइल संख्या : एएल-14765 है।

इस निधि की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं धन की निरन्तरता बनाये रखने हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति की गोष्ठी दिनांक 28.04.2004 को की गई जिसमें 1997 से निर्गत वर्तमान नियमावली को संशोधित करते हुये ''**जीवन रक्षक निधि ऋण योजना**'' के नाम से नयी नियमावाली अनुमोदित की गयी जो दिनांक 10.05.2004 **(परिशिष्ट-9.2)** से प्रभावी हुई। इसी सम्बन्ध में दिनांक : 10.12.2009 को पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि ''**जीवन रक्षक निधि**'' की नियमावली के अनुसार अभी तक केवल सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनके पति/पत्नी को ही उपचार हेतु जीवन रक्षक निधि से अग्रिम दिया जाता रहा है, किन्तु अब तक उनके आश्रित अवयस्क पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो/अविवाहित पुत्री को भी प्रचलित मासिक अंशदान रु. 05/- पर ही इस योजना में दिनांक 08.01.2010 से सम्मिलित कर लिया गया है,

परन्तु एक ही परिवार को एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए अग्रिम प्राप्त होगा, उसके चुकता होने पर ही यदि आवश्यकता हुई तो वह परिवार नया अग्रिम प्राप्त कर सकता है''।

संशोधन	पूर्व में प्रचलित व्यवस्था	वर्तमान व्यवस्था	संलग्नक
प्रथम दिनांकः 30.6.05	जीवन रक्षक निधि कि नियमावली के अनुसार अभी तक केवल अशंदायी कर्मियों को ही इसका लाभ अनुमन्य था।	जीवन रक्षक निधि की नियमावली में संशोधित करते हुए अशंदायी कर्मी के अतिरिक्त उनकी पत्नी/पति को भी सम्लित कर लिया गया है।	परिशिष्ट-9.3
द्वितीय दिनांकः 9.12.2010	जीवन रक्षक निधि कि नियमावली के अनुसार अभी तक केवल अशंदायी कर्मियों के अतिरिक्त पत्नी/पति को ही इसका लाभ अनुमन्य था।	जीवन रक्षक निधि की नियमावली में संशोधित करते हुए अशंदायी कर्मीके अतिरिक्त अवयस्क पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को भी सम्मिलत कर लिया गया है।	परिशिष्ट-9.4
तृतीय दिनांक : 08.2.2010	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 2.00 लाख एवं विशेष परिस्थिति में रु0 1.00 लाख अर्थात् कुल रु0 3.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम की धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 3.00 लाख एवं विशेष परिस्थितियों पुनः माँग किय जाने पर रु0 2.00 लाख अर्थात् कुल रु0 5.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	परिशिष्ट-9.5

2. उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.1997 **(परिशिष्ट-9)** को अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों की रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में हुयी बैठक के कार्यवृत्त में निर्णय लिया गया कि लखनऊ एवं कतिपय पी.ए.सी. वाहिनियों में खोले गये स्कूलों की भाँति प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाये।

उक्त कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के आधार पर जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों से स्वेच्छा से प्राप्त अंशदान रु. 10.00 प्रति कर्मी प्रतिमाह से जुलाई 1997 से प्राप्त करने हेतु परिपत्र संख्या : 23/पुमास्कूल-97 दिनांक 24.07.1997 **(परिशिष्ट-10** द्वारा स्थापित किया गया है। इस कोष को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस बल के कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराई जायें। इस कोष को चलाने हेतु एक नियमावली बनी है, जिसके अनुसार कार्यवाही होती है। साथ ही इस कोष से पुलिस माडर्न

स्कूलों को स्थापित करना व चलाना है, जिसके लिये अलग से नियमावली है **(परिशिष्ट-10.1)**।

उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में रजिस्ट्रेशन दिनांकः 08.08.1997 को कराया गया है, जिसका नवीनीकरण दिनांक 08.08.2007 से हुआ है, जो आगामी पाँच वर्ष के लिये प्रभावी है। उक्त फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में नवीनीकरण संख्या : 334-2008-2009 एवं फाइल संख्या : 1-120342 है।

(क) इस कोष के संचालन हेतु निम्न मुख्य पदाधिकारी हैं :-

(1)	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	**पदेन अध्यक्ष**
(2)	अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी उत्तर प्रदेश लखनऊ।	**पदेन उपाध्यक्ष**
(3)	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, मख्यालय, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।	**पदेन सदस्य**
(4)	पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	**पदेन सचिव**
(5)	पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।	**पदेन कोषाध्यक्ष**
(6)	पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	**पदेन सदस्य**

(ख) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्णयोपरान्त **(कार्यवृत्त दिनांक 24.07.2010 द्वारा परिशिष्ट-10.2)** पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष का स्थानान्तरण करते हुये पी.ए.सी. मुख्यालय लखनऊ में एक समेकित केन्द्रीय कोष की स्थापना की गयी है तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर उक्त कोष से सम्बन्धित समस्त धनराशि का खाता एवं अभिलेख पीएसी मुख्यालय स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

(ग) पीएसी मुख्यालय के आदेश संख्या : पीएसी-तीन-657-2010/63 दिनांक 06.01.2011 से रु. 10/- प्रति व्यक्ति से प्रतिमाह कटौती किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार कटौती की जा रही है। वर्तमान में शिक्षाकोष के अभिलेखानुसार रु. 1,01,97,220/- (एक करोड़ एक लाख सत्तानबे हजार दो सौ बीस मात्र) उपलब्ध है।

(घ) शिक्षाकोष में उपलब्ध धनराशि से पुलिस मार्डन स्कूल में मरम्मत कार्य, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य उपकरणों पर होने वाले व्यय, स्थानीय प्रबन्ध समिति द्वारा वहन किया जाता है, जो निर्धारित वित्ती सीमा के अधीन होता है। विशेष परिस्थितियों में इन खर्चो का वहन स्कूल आय से न कर पाने की दशा में स्थानीय प्रबन्ध समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर अन्तिम रूप से निर्णय केन्द्रीय निदेशक मण्डल

द्वारा गोष्ठी में लिया जाता है।

3. उत्तर प्रदेश खेल-कूद विकास कोष

दिनांक 07.01.1998 **(परिशिष्ट-11)** को पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड की आम सभा में हुई चर्चा में निर्णयोपरान्त जीवन रक्षक निधि एवं शिक्षा कोष की तरह ही पुलिस विभाग में खेल व खिलाड़ियों के विकास हेतु ''उत्तर प्रदेश पुलिस खेलकूद विकास कोष'' की स्थापना अर्धशा. पत्र संख्या : बीस-खेलकूद विकास-98 दिनांक 29.10.1998 **(परिशिष्ट-11.1)** द्वारा की गई जिसमें प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्रतिमाह रु. 1.00 का स्वैच्छिक अंशदान दिया जाता है। प्राप्त धनराशि इस कोष में निम्न स्तर पर रखी जायेगी :-

(अ)	जिला/वाहिनी/इकाई स्तर पर	30 प्रतिशत
(ब)	जोनल स्तर पर	30 प्रतिशत
(स)	उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद स्तर पर	40 प्रतिशत

उक्त संबंध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2009 को उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-08 की आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से प्रतिमाह रुपया 01 के ऐच्छिक अंशदान की कटौती को रु. 01 से बढ़ाकर रु. 1.50 किया जाता है। इसके साथ ही साथ अंशदान में जमा धनराशि को भी निम्न प्रतिशत के अनुसार भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मध्य जोन, लखनऊ द्वारा परिपत्र दिनांक 11.08.2009 निर्गत गया है :-

(अ)	जिला/वाहिनी/इकाई स्तर पर	30 प्रतिशत
(ब)	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र स्पोर्ट्स समिति को	20 प्रतिशत
(स)	सचिव, उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड	50 प्रतिशत

किन-किन मदों में व्यय होगा

इकाई प्रभारी व अध्यक्ष जोनल स्पोर्ट्स समिति एवं सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के स्तर पर एकत्रित धनराशि का व्यय केवल निम्नलिखित तीन मदों में ही व्यय किया जायेगा :-

1. खिलाड़ियों को किट, खेल उपकरण एवं सामान अथवा उससे सम्बन्धित साज-सज्जा उपलब्ध कराने हेतु।
2. खिलाड़ियों को विशेष आहार प्रदान करने हेतु।
3. खेल मैदान के रख-रखाव हेतु।

इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में ''उत्तर प्रदेश पुलिस खेलकूद विकास कोष'' में एकत्रित धनराशि को किसी भी स्तर पर अन्य किसी भी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4. जीवन बीमा योजना

1. उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में वर्ष 1992 से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याणार्थ प्रत्येक वर्ष दुर्घटना बीमा योजना चलायी जा रही है। विगत वर्षों में प्रत्येक कर्मी से न्यूनतम रु. 57/- व अधिकतम रु. 142/- तक की प्रीमियम धनराशि लेकर उन्हें बीमित किया गया था, जिस पर बीमा कम्पनी द्वारा कर्मी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उनके लाभार्थी को न्यूनतम रु. 1,00,000/- व अधिकतम रु. 2,05,000/- की धनराशि भुगतान किया जाता रहा है। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं मृत कर्मियों को आश्रित परिवारों को लाभ अनुमन्य था, जिसकी मृत्यु दुर्घटना में होती थी। साधारण मृत्यु की दशा में उक्त योजना से स्व0 कर्मी के आश्रित को किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं थी।

2. उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लगभग **650 से 700 कर्मियों की** मृत्यु प्रतिवर्ष होती है, जिसमें औसतन **170-200 कर्मचारी/अधिकारी** की मृत्यु दुर्घटना से होती है और हमारे यहाँ वर्ष 1992 से प्रचलित दुर्घटना बीमा योजना में मात्र दुर्घटना में मृत पुलिस कर्मी के परिवारजनों को ही बीमा का लाभ होता है परन्तु वास्तविकता यह है कि दुर्घटना में होने वाली मृत्यु से कहीं ज्यादा मृत्यु अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हो रही है। औसतन एक वर्ष में सेवा काल में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या से लगभग तीन गुना से भी ज्यादा हैं दुर्घटना मृत्यु से इतर अन्य प्रकार की मृत्यु में आश्रित परिवार को उक्त योजना का कोई लाभ नहीं मिलता था।

3. पुलिस विभाग के दुर्घटना में मृत पुलिसकर्मियों के साथ-साथ साधारण मृत्यु में भी आश्रित परिवार को बीमा धनराशि से लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। सभी स्थिति में (साधारण/दुर्घटना) मृत कर्मियों के आश्रित परिवार को बीमा धनराशि प्रदान किये जाने के संबंध में की गई पहल पर भारतीय जीवन बीमा निगम के सौजन्य से जीवन बीमा योजना विगत वर्ष 01.11.07 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत रु. 350/- प्रति कर्मी की प्रीमियम धनराशि पर सभी प्रकार की मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवार को रु. 1.00 लाख व दुर्घटना में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवार को रु. 2.00 लाख का दोहरा बीमा कवर प्राप्त हो रहा था।

4. उक्त योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम को काफी हानि हुई, जिस पर बीमा कम्पनी ने रु. 350/- प्रति कर्मी की प्रीमियम की धनराशि पर जीवन बीमा योजना चलाने में बीमा कम्पनी द्वारा असहमति व्यक्त की गई। चूँकि प्रश्नगत जीवन बीमा योजना पुलिस विभाग के कर्मियों के लिये अत्यन्त ही लाभकारी सिद्ध हुई है तथा इस योजना के अन्तर्गत उन सभी स्व.कर्मियों के आश्रित परिवार को लाभ मिल रहा है, जो अब तक बीमित होने के उपरान्त भी साधारण मृत्यु की स्थिति में बीमा धनराशि से वंचित हो जाते थे।

5. अतः उक्त स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम से विचार-विमर्श के उपरान्त रु. 320/- प्रति कर्मी प्रीमियम की धनराशि पर साधारण/दुर्घटना दोनों ही स्थिति में बीमा दावा की धनराशि रु. 1.00 लाख पर, प्रश्नगत योजना को कर्मियें के हित को देखते हुये दिनांक 01.11.09 से एक वर्ष के लिये लागू किया गया, जिसकी अवधि समाप्त होने पर दिनांक 01.11.10 व दिनांक 01.11.11 से पुनः उक्त योजना का एक-एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किया गया है।

6. दिनांक 15 जनवरी 2017 से पुलिस कमियों के कल्याणार्थ प्रचलित जीवन बीमा योजना की स्वैच्छिक प्रीमियम की धनराशि रु. 413/- प्रतिकर्मी की दर से निर्धारित की गयी है।

7. उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.11.07 से प्रचलित जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो में बीमित कर्मियों एवं मृत कर्मियों के सापेक्ष अनुमन्य बीमा दावों की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

योजना	बीमित कर्मियों की संख्या	बीमा कम्पनी को हस्तगत कराई गई प्रीमियम की धनराशि	मृत कर्मियों के दावों की धनराशि	मृत कर्मियों की संख्या
01.11.2007	130654	4,57,28,900	5,41,00,000	421
01.11.2008	133747	4,68,11,450	5,67,00,000	447
01.11.2009	142156	4,54,89,920	4,86,00,000	486
01.11.2010	131751	4,21,60,320	4,03,00,000	403
01.11.2011	145432	4,65,38,240	4,35,00,000	435
01.11.2012	130688	4,18,20,160	4,10,00,000	410
15.01.2014	115708	4,94,07,316	3,59,00,000	359
15.01.2015	109528	4,67,68,456	3,71,00,000	371
15.01.16	115954	4,77,73,048	1,64,00,000	164

5. पुलिस बेनिफिट फण्ड (P.B.F.)

पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक की सदस्यता के अधीन वर्ष 1950 में पुलिस बेनिफिट फण्ड की स्थापना की गई थी। जैसा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत "बुकलेट आन फण्ड्स इन यू.पी.पुलिस वर्ष 1985" में उल्लिखित है पुलिस विभाग के निम्नलिखित पदधारकों से सेवा में भर्ती के समय केवल एक बार अंशदान लिया जाता है और सेवा अवधि में मृत्यु होने पर परिपत्र संख्या : अर्धशासकीय पत्र संख्या : 23/पीबीएफ-97 दिनांक 21.05.1997 (**परिशिष्ट-12**) के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार अनुमन्य धनराशि मृतक के आश्रित को भुगतान किया जाता है :-

क्रमांक	पदधारक	अंशदान एक बार	अनुमन्य धनराशि
1.	राजपत्रित अधिकारी	400.00	8000.00
2.	उपनिरीक्षक/निरीक्षक	200.00	6000.00
3.	आरक्षी/मुख्य आरक्षी	100.00	4000.00
4.	चतुर्थ श्रेणी	40.00	3000.00

पुलिस बेनीफिट फण्ड में समस्त कर्मियों से निर्धारित दर से अंशदान काटकर अभिदान की रसीदें सम्बन्धित कर्मियों के चरित्रपंजी/सेवा पुस्तिका में चस्पा किये जाने के आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जा चुके है।

निर्गत निर्देशों के अनुसार पुलिस बेनीफिट फण्ड के लाभार्थी को अनुमन्य आर्थिक सहायता की राशि जनपदों/इकाईयों द्वारा किसी निजी फण्ड से भुगतान कर दी जाती है और पुलिस बेनिफिट फण्ड से आर्थिक सहायता दिलाये जाने के लिये सूचनायें निर्धारित प्रारूप में अंशदान की रसीद के साथ पुलिस मुख्यालय को भेजी जाती है। उक्त पत्रादि प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता अवमुक्त की जाती है।

पुलिस बेनिफिट फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन रजिस्ट्रेशन दिनांक 29.07.02 को कराया गया है, जिसका पुनः नवीनीकरण दिनांक 29.07.2012 से हुआ है, जो आगामी पाँच वर्ष के लिये प्रभावी है। उक्त फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में नवीनीकरण संख्या : 1174 एवं फाइल संख्या एएल-14754 है।

वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त उक्त फण्ड को समाप्त कर दिया गया है।

6. उ0प्र0 पुलिस वेलफेयर फण्ड

इस निधि में शासन द्वारा वर्ष 1967 में रुपया 10 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी। इस निधि को ''कारपस फण्ड'' के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा हजरतगंज, लखनऊ के शेफ कस्टडी में जमा किया गया है। इससे अर्जित ब्याज की धनराशि से अध्यक्ष (पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0) महोदय के निर्देशानुसार गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर वर्ष 2009 में लिये गये निर्णयों के अनुसार मृतक आश्रितों की पुत्रियों के शादी/विवाह एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कर्मटी द्वारा विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र इस फण्ड की गोष्ठी में न सम्मिलित किया जाए, जिसका आहरण/भुगतान स्थानीय स्तर पर रु. 2,00,000/- कार्यालयाध्यक्ष तथा रु. 5,00,000/- विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति से स्वीकृत किये जाने का नियमानुसार प्राविधान किया गया है। इस निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में अपने नियुक्ति के जिले/ईकाई के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से विशेष कार्याधिकारी, कल्याण, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को भेजना होता है। इन प्रार्थना पत्रों पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा आर्थिक सहायता एक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। विशेष कार्याधिकारी, कल्याण, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 16.12.2016 को रु0 61,94,444.491/- की धनराशि बैक खाते में जमा है।

7. पुलिस बेनीवोलन्ट फण्ड (मैचिंग ग्रान्ट)

शासनादेश संख्या : 4590/आठ-7-327/75, दिनांक : 31.03.1975 **(परिशिष्ट-14)** द्वारा पुलिस/पीएसी कर्मचारियों द्वारा सुख सुविधा हेतु चन्दे के रूप में एकत्रित की गयी धनराशि के सापेक्ष रु0 12,75,000/- व्यय किये जोने का प्रावधान किया गया।

शासनादेश संख्या : 4695/आठ-7-327/73, दिनांक : 08.11.1977 **(परिशिष्ट-14.1)** द्वारा शासन द्वारा स्वीकृति अनुदान का 10 प्रतिशत पुलिस/पीएसी कर्मचारियों के खेल-कूद की व्यवस्था हेतु व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

समस्त कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने जनपदों/इकाई में स्वेच्छा से एक निर्धारित अंशदान कल्याणकारी निधि को जिलों/इकाईयों के कर्मचारियों को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जनपद/इकाई को उनके द्वारा संकलित निधि का आनुपातिक धनराशि पुलिस बेनीवोलेन्ट फण्ड (मैचिंग ग्राण्ट) वार्षिक अनुदान के रूप में दी जाती है। यह धनराशि पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण में रहती है, जिसका उपयोग सुख-सुविधा निधि की तरह किया जाता है।

*****

भाग-3

पेंशनरी एवं सेवा सुविधायें

1. पेंशन

दिनांक 06.08.1985 **(परिशिष्ट-15)** के उपरान्त पेंशन प्रकरणों के निस्तारण (श्रेणी-1 के अधिकारियो को छोड़कर) का कार्य पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निम्न प्रकार की पेंशन स्वीकृत की जाती है :-

(I) अधिवर्षता पेंशन : प्रत्येक सरकारी सेवक जिसने अधिवर्षता आयु पूरी कर ली है सेवानिवृत्त किया जाता है। वर्तमान समय में सभी श्रेणी के सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है।

(II) सेवानिवृत्ति पेंशन : उपरोक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पेंशन दो प्रकार की होती है :-

(अ) ऐंच्छिक सेवानिवृत्ति

(ब) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(अ) ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कम से कम 20 वर्ष की अर्हकारी सरकारी सेवा पूरी कर ली हो अथवा 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, स्वेच्छा से नियुक्त अधिकारी को 3 माह पूर्व नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। ऐसे सरकारी सेवकों को 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण कर लेने पर औसत परिलब्धियों/अन्तिम आहरित वेतन जो लाभप्रद हो, के आधे के बराबर पेन्शन का लाभ दिया जा सकता है।

(ब) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

प्रत्येक सरकारी सेवक जिसने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तथा लगातार दुश्चरित्र लेख होने पर स्क्रेनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर नियुक्त अधिकारी द्वारा तीन माह का नोटिस देकर या उसके बदले तीन माह का वेतन भत्ते देकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(III) पारिवारिक पेंशन

सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। साधारण पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत हैं :-

शासनादेश संख्या - 38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 **(परिशिष्ट-15.1)** के द्वारा पारिवारिक पारिवारिक पेंशन की गणना अंकित

वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु. 9000/- प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 50% तक सीमित होगी। यह व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से लागू की गयी है।

बढ़ी दर से पारिवारिक पेंशन : शासनादेश संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक : 08.12.08 **(परिशिष्ट-15.1)** तथा शासनादेश संख्या 38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 के अनुसार मृत्यु की दशा में परिवार को अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए नियमों के तहत प्रथम दस वर्ष अथवा सरकारी सेवक की 67 वर्ष तक की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पहले होता है, सेवाकाल में मृत्यु के दौरान कर्मचारी के मूल वेतन का आधा दिया जाता है।

(IV) अशक्तता पेंशन

सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर-441 एवं 447 ए एवं 447 बी **(परिशिष्ट-15.2)** के अन्तर्गत सरकारी सेवक जो किन्ही कारणों के सरकारी सेवा करने में अक्षम हो जाता है, जिसे चिकित्सा परिषद द्वारा सरकारी कार्य करने के लिए अक्षम घोषित कर दिया जाता है, उसे आशक्तता पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

(V) असाधारण पेंशन

पुलिस कर्मियों को यह पेंशन शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है। असाधारण पेंशन नियमावली 1961 एवं संशोधित नियमावली 1975 के प्राविधानों के तहत सरकारी कार्य के सम्पादन के दौरान मुठभेड़ में मारे गये एवं सेरीब्रल थ्राम्बोसिस तथा हृदय रोग से मृत्यु होने की दशा में शासनादेश संख्या : 6929पी/आठ-1000 (17) 65, दिनांक : 23.01.1980 **(परिशिष्ट-15.3)** में निहित निदेशानुसार सम्बन्धित सेवक के परिवार को असाधारण पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इसमें मृतक के परिवार को पेंशन के रूप में मृत्यु के दिनांक को मृतक कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन एवं उस पर देय महँगाई भत्ता उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त होने तक दिया जाता है। तत्पश्चात् साधारण पारिवारिक पेंशन दी जाती है। असाधारण पेंशन प्रकरण में उपादान परिलब्धियों का आठ गुना दिया जाता है।

संशोधित शासनादेश संख्या-सा-3-1340/दस-88-916/88 दिनांक 19.08.88 **(परिशिष्ट-15.4)** के द्वारा यह पेंशन निम्न कारणों से भी देय है :-

1. **विशेष जोखिम का कार्य करते समय मरना/घायल होना**

   (अ) डकैतों/बदमाशों से मुठभेड़

   (ब) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष

   (स) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़

   (द) हिंसात्मक भीड़ को तितर-बितर करना तथा नियंत्रण करना।

2. **दैवी आपदाओं जैसे-**

(अ) भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय।

(ब) आपातकालीन आग बुझाते समय।

(स) जीवन रक्षा करते समय।

3. **सक्रिय सेवा करते समय**

(अ) ट्रैफिक ड्यूटी

(ब) मोटर गाड़ी चलाते समय पहिया फिसलने के कारण।

(स) रेलवे क्रासिंग पर बिना रोशनी के रेल गाड़ी से टकराने पर।

(द) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी के बन्दूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से।

उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर असाधारण पेंशन देय होती है :-

(क) डाकुओं/अपराधियों/विदेशी शत्रु/उग्रवादियों/नक्सलियों आदि के आक्रमण/लड़ाई के कारण मृत्यु।

(ख) आक्रोशित जनता द्वारा आक्रमण के कारण मृत्यु

(ग) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण/प्रदर्शन से गुजरने के दौरान दुर्घटना से मृत्यु।

(घ) प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़/भूकंप/भूस्खलन/बर्फीले तूफान आदि अथवा मानवजनित दुर्घटनाओं जैसे- रेल दुर्घटनाओं, टैंकर विस्फोट आदि के बचाव एवं राहत कार्यो के दौरान मृत्यु।

(ङ) किसी भी क्षेत्र में आग बुझाने अथवा आग बुझाने में सहायता करने के दौरान मृत्यु।

(च) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आक्रमण के कारण मृत्यु ।

(छ) कैदी अनुरक्षा के दौरान आक्रमण के कारण मृत्यु।

असाधारण पेंशन प्रकरण चेक लिस्ट

1. मृत्यु के परिस्थितियों का विवरण जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/इकाई प्रभारी के स्वयं के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित और उसमें असाधारा पेंशन की संस्तुति उनके द्वारा की गयी हो। उसमें स्पष्ट रूप से कर्मचारी की रवानगी का दिनांक एवं जी0डी0 संख्या का उल्लेख अवश्य किया गया हो।
2. कर्मचारी की रवानगी की पुष्टि में रवानगी के दिनांक की सम्पूर्ण मूल जी0डी0 (रपट नम्बर एक से अन्त तक) की प्रमाणित छाया प्रति। अधिकतर मूल जी0डी0 में कर्मचारी का नाम अंकित नहीं होता है, जिसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अमुक

कर्मचारी ड्यूटी पर रवाना किया गया था अथवा नहीं। अतः मूल जी0डी0 प्रेषित की जाये।

3. मृत्यु का प्रमाण-पत्र
4. यदि कर्मचारी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है, तो चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण-पत्र जिसमें कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।
5. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट/पंचायत नामा की प्रमाणित पठनीय छाया प्रति।
6. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है तो पुलिस अधीक्षक अथवा राजपत्रित अधिकारी प्रमाणित करें कि किसी प्रकार मोटर वाहन एक्ट का उल्लंघन मृतक कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है।
7. फार्म-22 सी.एस.आर।
8. एफ.आई.आर. की प्रमाणित छायाप्रति।
9. बन्ध पत्र (Indemnity Bond)

(VI) इन्जरी पेंशन

शासनादेश संख्या : सा--1340/दस-88-916-88, दिनांक : 19.8.1988 **(परिशिष्ट-15.4)** द्वारा सरकारी कार्य सम्पादन के दौरान यदि किसी कर्मचारी का अंग-भंग हो जाता है, तो कर्मचारी, को उसके सेवाकाल में ही शासन द्वारा इन्जरी पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। यह पेंशन भी शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2. **उपादन का भुगतान (ग्रैच्युटी)** उपादान तीन प्रकार का होता है :-

1. **सेवानिवृत्त उपदान :-** यह सरकारी सेवक की कम से कम पाँच वर्ष की सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होन पर, उसके द्वारा की गयी सेवा के प्रत्येक छमाही के लिए अन्तिम परिलब्धि के चौथाई के बराबर की धनराशि देय होती है जो अन्तिम परिलब्धि के साढ़े सोलह गुना से अधिक नहीं होगी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार उपादान धनराशि रुपये बीस लाख से अधिक नहीं होगी।
2. **सेवा उपादान :-** यह उन सरकारी सेवकों को देय होती है जो दस वर्ष से कम की सेवा करके सेवानिवृत्त होते हैं। यह सेवा की प्रत्येक छमाही के लिए अन्तिम परिलब्धि के आधे के बराबर की धनराशि देय होती है।
3. **मृत्यु उपादान :-** सरकारी सेवक की सेवाकल में मृत्यु होने पर उसके परिवार को निम्नानुसार मृत्यु उपादान देय होता है :-

(क) एक वर्ष से कम की सेवा पर मृत्यु होने पर	अन्तिम परिलब्धि का दो गुना।
(ख) एक वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम की सेवा पर मृत्यु होने पर	अन्तिम परिलब्धि का छः गुना।

(ग) पाँच वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम की सेवा पर मृत्यु होने पर	अन्तिम परिलब्धि का बारह गुना।
(घ) बीस वर्ष से अधिक की सेवा पर मृत्यु होने पर	प्रत्येक छमाही के लिए अन्तिम परिलब्धि का आधा अधिकतम तैतींस गुना।

नोटः उत्पादन हेतु परिलब्धी का तात्पर्य मूल वेतन तथा उस पर तत्समय अनुमन्य महंगाई भत्ते के योग से है।

3. पेंशनर को राशिकरण की सुविधा

प्रत्येक सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्त होता है, उसे अपनी पेंशन के अधिकतम 1/3 भाग तक राशिकरण कराये जाने की सुविधा प्राप्त थी, जिसे शासनादेश संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97 दिनांक 08.12.2008 **(परिशिष्ट-15.1)** एवं शासनादेश संख्या 38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। अब पेंशन के 40 प्रतिशत तक की धनराशि राशिकरण हेतु अनुमन्य होगी। राशिकरण कराये जाने के पश्चात भी महँगाई भत्ता व राहत पूर्ण पेंशन पर दिया जायेगा।

4. (अ) आसाधारण गजट संख्या : सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003. दिनांकः 28.03.2005 **(परिशिष्ट-15.6)** एवं सा-3-469/दस-2005-201 (9)-03, दिनांक : 07.04.2005 द्वारा दिनांक : 01.04.2005 या उसके पश्चात् सेवा में आने वाले अधिकारियो/ कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है।

(ब) शासनादेश संख्या : 3676पी/छः-पु-6-10-100(32)/2004, दिनांक : 20.10.2010 **(परिशिष्ट-15.7)** के अनुसार दिनांक : 01.04.2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद पुलिस कर्मियों की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान होने पर उनके आश्रितों को उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961) प्रथम संशोधन 1975 **(परिशिष्ट-15.8)** के प्रावधानों के अनुसार असाधारण पेंशन की सुविधा अनुमन्य होगी।

उपार्जित अवकाश का नकदीकरण

प्रत्येक कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 31 दिवस का उपार्जित अवकाश देय होता है।

(1)	जनवरी से जून तक-	16 दिवस
(2)	जुलाई से दिसम्बर तक-	15 दिवस
	कुल योग-	31 दिवस

शासनादेश संख्या सा-4-393/दस-99-200/88, दिनांक : 01.07.1999

(परिशिष्ट-15.9) के अनुसार प्रत्येक राज्य कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्त के समय उनके द्वारा अर्जित उपार्जित अवकाश जो देय हो उसके अधिकतम 300 दिवस का नकदीकरण अनुमन्य है।

4. सामूहिक बीमा योजना (G.I.S.)

सामूहिक बीमा योजना विभाग में एक मार्च 1974 से प्रारम्भ की गयी है जिसके अभिदान की धनराशि समय-समय पर निम्नवत है :-

(अ) पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए (धनराशि रुपये में)

कब से	**कब तक**	**कुल अभिदान**	**बचत निधि**	**बीमा निधि**	**बीमा आच्छादन की धनराशि**
1-3-1974	28-2-1977	5	3.33	1.67	5000
1-3-1977	29-2-1980	10	7.13	2.87	12000
1-3-1980	28-2-1990	15	10.33	4.67	25000
1-3-1990	30-6-1993	30	21	9	30000

(ब) पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों के लिए :-

कब से	**कब तक**	**कुल अभिदान**	**बचत निधि**	**बीमा निधि**	**बीमा आच्छादन की धनराशि**
1-3-1976	29-2-1980	10	7.13	2.87	12000
1-3-1980	28-2-1985	40	27.50	12.50	50000

(स) पुलिस विभाग के समूह ख के अधिकारियों के लिए :-

कब से	**कब तक**	**कुल अभिदान**	**बचत निधि**	**बीमा निधि**	**बीमा आच्छादन की धनराशि**
1-3-1985	28-2-1990	40	27.50	12.50	40000
1-3-1990	30-6-1993	60	42.00	18.00	60000

(द) पुलिस विभाग के समूह क के अधिकारियों के लिए :-

कब से	**कब तक**	**कुल अभिदान**	**बचत निधि**	**बीमा निधि**	**बीमा आच्छादन की धनराशि**
1-3-1985	28-2-1990	80	55.00	25.00	80000
1-3-1990	30-6-1993	120	84.00	36.00	120000

उक्त योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा मृत अधि0/कर्मचारियों के आश्रितों को कर्मचारी के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती से एक हजार गुना धनराशि का भुगतान किया जाता है। शासनादेश संख्या : एसई 2314/दस-2008-बीमा-19/2002, दिनांक : 08.12.2008 **(परिशिष्ट-16)** द्वारा दिनांक : 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना मं अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामुहिक बीमा अच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरे लागू की गयी है :-

क्रमांक	**पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन**	**मासिक अभिदान की दर (रु.)**	**बचत निधि (रु.)**	**बीमा निधि (रु.)**	**बीमा आच्छादन की धनराशि (रु.)**
1	रु. 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000
2	रु. 2801 से रु. 5400 तक	200	60	140	2,00,000
3	रु. 2800 तक	100	30	70	1,00,000

5. सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड

सेवानिवृत्त कर्मी/मृत कर्मी के आश्रित को सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या : 12/ए-से0नि0/मृत्यु लाभ कार्ड-2011, दिनांक : जून 25,2011 **(परिशिष्ट-17)** द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है जो निम्नवत् हैं :-

(1) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड की दो प्रतियाँ बनायी जाये। एक प्रति सम्बन्धित कर्मी/आश्रित को पालीथीन के कवर में रखकर हस्तगत करायी जाय, तथा एक प्रति उसकी पत्रावली पर रखी जाय।

(2) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड पर सभी सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।

(3) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड निर्गत करने की तिथि अंकित करते हुए पुलिस अधीक्षक/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अवश्य किये जाये।

(4) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड को जारी होने के उपरान्त समय-समय पर अध्यावधिक करते हुए अन्तिम कालम में दिनांक सहित सूक्ष्म हस्ताक्षर अवश्य किये जाये।

(5) सेवानिवृत्त कर्मी/मृत कर्मी के आश्रित को जो लाभ अनुमन्य नहीं हो उन बिन्दुओं के सामने स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि उक्त लाभ अनुमन्य नहीं है ताकि भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न न हो।

(6) यथाआवश्यक यदि अन्य कोई लाभ तत्समय देय हो तो उसे भी कार्ड में बिन्दु संख्या 15, 16, 17, 18 इत्यादि पर स्पष्ट रूप में अंकित किया जाय।

6. जी0पी0एफ0 से सम्बद्ध बीमा (Linked Insurance Scheme)

शासनादेश संख्या-सा-4-152/दस-94-501-75, दिनांक 25 अप्रैल, 1994 **(परिशिष्ट-18)** द्वारा भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर उनके परिवार के लिए अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से भविष्य निधि में जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिक्ंड इन्श्योरेन्स स्कीम) है जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियम दिये बीमा अनुरूप लाभ मिल सकेगा।

सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान के हकदार व्यक्ति को तुरन्त वितरित किये जाने की वितरण अधिकारी व्यवस्था करेगा।

1. मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो :- (चतुर्थ वेतन आयोग के वेतन के अनुसार समतुल्यता ली जाती है)
   - (क) तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में जिसके वेतन का अधिकतम रु. 4000.00 से अधिक न हो- रु. 12000.00
   - (ख) जिसका वेतन का अधिकतम रु. 2900.00 या उससे अधिक किन्तु रु. 4000.00 से कम हो- रु. 7500.00
   - (ग) जिसके वेतनमान का अधिकतम रु. 1151.00 किन्तु 2900.00 से कम हो- रु. 4500.00
   - (घ) जिसका वेतन अधिकतम रु. 1151.00 से कम हो- रु. 3000.00
2. इस योजना के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि रु. 30000.00 से अधिक न होगी।
3. अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4. औसत अतिशेष उस मास जिसमें मृत्यु हुई हो के पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा।

7. जी0पी0एफ0 से अग्रिम

सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को उसके जी0पी0एफ0 खातें में जमा धनराशि के अन्तर्गत उसके समय-समय पर आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप जी0पी0एफ0 नियमावली 1985 **(परिशिष्ट-19)** के अधीन निम्नलिखित अस्थाई/स्थाई अग्रिम स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम के मुख्य दो खण्ड है :-

(1) अस्थाई अग्रिम -जी0पी0एफ0 नियमावली, 1985 के नियम-13 के अन्तर्गत देय है।

(2) स्थाई अग्रिम अथवा अन्तिम निष्कासन (प्रत्याहरण)- जी0पी0एफ0 नियमावली 1985 के नियम-16 के अन्तर्गत देय है।

(1) अस्थाई अग्रिम- जी0पी0एफ0 नियमावली 13(1), (2), (3), (4), (5), (6), व (7) में उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते हुए किसी अभिदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से अस्थाई अग्रिम दिया जा सकता है। विशेष कारणों के सिवाय अभिदाता के तीन मास के वेतन अथवा उसके खाते में जमा राशि के आधे, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक देय नहीं होगा। कोई भी अक्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक स्वीकृति प्राधिकारी को समाधान न हो जाय कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ उसको न्यायोचित ठहराती हैं कि उसका व्यय उल्लिखित उद्देश्यों पर न कि अन्यथा किया जायेगा।

(2) स्थाई अग्रिम (अंतिम निष्कासन)- उक्त नियमावली के नियम-17 (एक) के अनुसार अभिदाता के जमा खातें में विद्यमान धनराशि से नियम 16 (एक) के खण्ड (क), (ग), (घ), व (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय प्रत्याहरित कोई धनराशि साधारणतया खाते में जमा धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (अ) ऐसे उद्देश्य जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (ब) निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुए, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के इतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है। यह अग्रिम 15 वर्ष व 20 की सेवा पूर्ण करने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है।

8. अवकाश यात्रा सुविधा (एल0टी0सी0)

शासनादेश संख्या-सा-4-62/दस-96-604-82 दिनांक 18.03.1996 **(परिशिष्ट-20)** में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को सेवाकाल के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के संबंध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

* यह सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कलेण्डर वर्ष के आधार पर प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा अवधि में एक बार अनुमन्य होगी। इस प्रकार 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवावधि में प्रथम बार 11 से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी बार 21 से 30 वर्ष की सेवा अवधि में तीसरी बार 30 वर्ष से अधिक की सेवा होने की स्थिति में चौथी बार अनुमन्य होगी।
* परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों को एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा अनुमन्य है।
* यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार

सदस्यों तक ही सीमित रहेगी।

* इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिवस उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।
* यदि पति पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हैं, तो यह सुविधा किसी एक को ग्राहय होगी।
* अग्रिम की अधिकतम धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए, व्यय की अनुमानित धनराशि का 4/5 भाग (80%) तक सीमित होगी।
* सरकारी सेवक द्वारा यात्रा करने के पूर्व अपने नियंत्रक अधिकारी को उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
* इस सुविधा के अंतर्गत गंतव्य स्थान की घोषणा पहले से ही की जानी चाहिए।
* यह सुविधा न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी।

शासनादेश संख्या-1/जी-2-39/दस-2014/604-82 टी.सी. दिनांक 27 मई 2014 द्वारा राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा हेतु वायुमान से आने-जाने की अनुमति प्रदान की गयी है परन्तु इसके एवज में उन्हें वह रेल किराया अनुमन्य होगा जो किसी कर्मी को वर्तमान व्यवस्था के आधार पर रेल किराये के रूप में अनुमन्य है।

*****

भाग-4

सेवा संबंधी अन्य शासकीय सुविधायें

1. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

1.1 शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना संख्या : 2275/5-6-11-1082/87, दिनांक : 20 सितम्बर, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 **(परिशिष्ट-21)** प्रख्यापित की गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या : बारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2011 दिनांक : अक्टूबर 8, 2011, द्वारा नियमावली मय निर्देशों के समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0, को भेजी गयी है।

1.2 नियमावली के नियम-20 द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकार कार्यालयाध्यक्ष रु. 1.00 लाख तक, विभागाध्यक्ष रु. 2.50 लाख तक, सरकार का प्रशासकीय विभाग रु. 5.00 लाख तथा रु. 5.00 लाख से अधिक के दावे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग को प्रदान किये गये हैं।

1.3 नियमावली के संलग्नक-'क' में अंकित प्रोफार्मा में समस्त कर्मियो को ''हेल्थ कार्ड'' प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराया जाना है, ताकि समस्त कर्मियों द्वारा राजकीय चिकित्सालय में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा प्राप्त की जा सके। ''हेल्थ कार्ड'' में जहाँ फोटो चिपकानी है तथा कार्यालय की मोहर लगानी है वहाँ पर मोहर इस प्रकार लगाई जाए, कि मोहर का कुछ हिस्सा फोटो पर भी आए। ''हेल्थ कार्ड'' राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित कराये जा रहे हैं, शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराये जाएगें। ''हेल्थ कार्ड'' के प्रथम पृष्ठ पर कार्यालयाध्यक्ष के सूक्ष्म हस्ताक्षर किये जाए तथा द्वितीय पृष्ठ पर यथा स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर होंगे। कार्ड का नमूना संलग्न है।

1.4 नियमावली के नियम-15 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत 75 प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाये तथा नियमावली के संलग्नक-''घ'' में अंकित प्रारूप के अनुसार अग्रिम का रजिस्टर तैयार कराकर प्रत्येक प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये तथा प्रत्येक माह इसकी समीक्षा राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाये।

1.5 नियमावली के नियम-7(क) में अन्तः चिकित्सा हेतु वेतनमान के अनुसार कर्मी को अनुमन्य वार्ड।

1.6 नियम-16 में दावा प्रस्तुत करने की अवधि उपचार समाप्ति के 3 माह के अन्दर निर्धारित की गयी है।

1.7 नियम-18 में दावे के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण।

1.8 नियम-19 में दावे के तकनीकी परीक्षण हेतु विस्तृत विवरण अंकित किये गये है। **चिकित्सा दावों का सक्षम अधिकारी से तकनीकी परीक्षण कार्यालयाध्यक्ष स्तर से कराया जाएगा। इससे कर्मियों को सम्मेलन में अवगत करा दिया जाए।**

1.9 **प्राइवेट अथवा विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में (प्रदेश के अन्दर व बाहर) उपचार की दशा में किसी प्रकार की अनियमितता न हो इसके लिए नियम 13 का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।**

1.10 नियमावली में निहित नियमों का अनुपालन करते हुए चिकित्सा अग्रिम उदारता पूर्वक स्वीकृत किये जायें। जिन प्रकरणों में जीवन रक्षा निधि से पूर्व में ही कोई अग्रिम स्वीकृत किया गया है तो स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम से प्रथमतः जीवन रक्षा निधि का समायोजन कर लिया जाए।

1.11 नियमावली में निहित निर्देशों/नियमों के अनुसार चिकित्सा दावों का निस्तारण शीघ्र करके चिकित्सा अग्रिम का नियमानुसार समायोजन कर लिया जाये। चिकित्सा दावों का निस्तारण समय से सुनिश्चित कराना कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

1.12- स्वीकृतकर्ता अधिकारी हेतु चेकलिस्ट :-

(I) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर उपचार अवधि अंकित है अथवा नहीं?

(II) क्या दावा कालबाधित है? यदि हाँ तो स्वीकृति हेतु भेजने का औचित्य/कारण?

(III) समस्त बिल/वाउचर की मूल प्रति सम्बन्धित चिकित्सक से सत्यापित है अथवा नहीं?

(IV) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में रोग का नाम, रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है अथवा नहीं?

(V) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में अंकित उपचार अवधि के अनुसार ही बिल/वाउचर संलग्न है अथवा नहीं?

(VI) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है अथवा नहीं?

(VII) प्रतिहस्ताक्षकर्ता अधिकारी द्वारा देय धनराशि अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर अंकित है अथवा नहीं? यदि हाँ तो कितनी?

(VIII) लाभार्थी द्वारा कोई अग्रिम लिया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ तो नियमानुसार समायोजन की कार्यवाही की जाए।

(IX) पेंशनर के मामले में सेवानिवृत्त की तिथि, पी0पी0ओ0 नम्बर, कोषागार का नाम अंकित है अथवा नहीं?

1.13 विशेष :-

(I) निजी चिकित्सक/चिकित्सालयों के उपचारी चिकित्सक से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उपचार तात्कालिक/आपात कालीन स्थिति में किया गया है।

(II) सक्षम तकनीकी परीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निजी उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की संस्तुति।

(III) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कराये गये निजी उपचार से संतुष्ट होने पर निजी उपचार पर व्यय धनराशि के प्रतिपूर्ति की संस्तुति करेंगे, ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली का दुरुपयोग न हो सके।

(IV) ऐसे उपचार हेतु कर्मी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथासमय शीघ्र, किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनाँक से 30 दिनों के भीतर सूचित किये जाना अनिवार्य होगा।

(V) इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि नियम-16 के प्रस्तर-2 में अंकित अंतरंग उपचार और बहिरंग उपचार से सम्बन्धित संलग्नक-'ङ' एवं 'च' चिकित्सा परिचर्या (नियमावली)-2011 में संलग्न नहीं किये गये हैं, अतः दावा पूर्व से प्रचलित अंतरंग उपचार हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्र 'बी' व बहिरंग रोग उपचार हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्र 'ए' ही में भरकर दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

(VI) निजी चिकित्सक/चिकित्सालयों में तभी उपचार कराया जाए जब उक्त उपचार सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो तथा सरकारी चिकित्सालय के सक्षम चिकित्सक द्वारा निजी चिकित्सालय में उपचार कराये जाने हेतु सन्दर्भित किया गया है।

(VII) समस्त कार्यालयाध्यक्षों का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके स्तर से स्वीकृत होने वाले उपचार से सम्बन्धित दावों में उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। कार्यालयाध्यक्ष का यह भी उत्तर दायित्व होगा कि पुलिस मुख्यालय को अग्रसारित किये जाने वाले चिकित्सा दावों में भी उपरोक्तानुसार भली-भाँति परीक्षण करके अपेक्षित सूचना/प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। सूचना/प्रमाण-पत्र के अभाव में अपूर्ण चिकित्सा दावों को पुलिस मुख्यालय को अग्रसारित न किया जाए।

(VIII) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 के नियम- 3,4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22 तथा परिशष्टि 'ग' में संशोधन किया गया है जो (परिशिष्ट) में दिया गया है। इसमें मुख्यतः

1- नियम-20 में संशोधन कर कार्यालयाध्यक्ष को रुपये दो लाख, विभागाध्यक्ष को रुपये पाँच लाख तथा प्रशासकीय विभाग को रुपये दस लाख एवं दस लाख से अधिक के दावों को वित्त विभाग केक पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार के प्रशासकीय विभाग को स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

2- नियम-3 में संशोधन कर परिवार की परिभाषा स्पष्ट की गयी है।

3- नियम-15 के उप नियम ड व झ को संशोधित करते हुये किसी रोग के निरन्तर उपचार की दशा में परिचायक चिकित्सक की सलाह और संस्तुति पर विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है।

4- नियमावली में विद्यमान परिशिष्ट-ग को संशोधित कर दिया गया है।

(IX) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के नियम-3, 6, 10, 11 तथा नियम-15 को संशोधित किया गया है। इसके साथ ही परिशिष्ट 'क' में 'स्वास्थ्य कार्ड' के स्थान पर ''स्वास्थ्य-पत्र'' किया गया है तथा परिशिष्ट-ङ एवं परिशिष्ट-च जोड़ा गया है। (परिशिष्ट-21.3)

2. उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा (जारी पुस्तक) **(परिशिष्ट-22)** आर्थिक सहायता प्रदेश में कानून व्यवस्था के रख-रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैवी आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों/आतंकवाद की घटनाओं में वीरगति प्राप्त हुए/स्थाई रूप से अपंग हुये मामलों में पुलिस/पीएसी कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो, के कल्याण हेतु संचालित योजनायें निम्नवत् है :-

1. अनुग्रह अनुदान।
2. जीवन निर्वाह भत्ता हेतु आर्थिक सहायता।
3. लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता। (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम में हो)
4. वार्षिक शिक्षा अनुदान।
5. चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति की सुविधा।

(अ) अनुग्रह अनुदान :

(1) वीरगति को प्राप्त मामले में

क्र0 सं0		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24.04.95 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 25.04.95 से 31.03.98 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 01.04.98 से 31.12.03 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 01.01.04 से 12.11.09 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 13.11.09 से 03.11.2011 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 04.11.2011 से 14.06.2012 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 15.06.2012 से 18.07.2013 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 19.07.2013 से व उसके बाद के मामलों में (रु.)
1	कमीशण्ड आफिसर	5000/-	50,000/-	75,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-	3,00,000/-	4,00,000/-	6,00,000/-
2	जूनियर कमीशण्ड आफिसर	3000/-	30,000/-	45,000/-	90,000/-	2,50,000/-	3,00,000/-	4,00,000/-	6,00,000/-
3	अन्य श्रेणी	2000/-	20,000/-	45,000/-	90,000/-	2,50,000/-	3,00,000/-	4,00,000/-	6,00,000/-

(2) स्थायी रूप से अपंग घोषित मामले में

क्र0 सं0		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24.04.95 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 25.04.95 से 31.03.98 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 01.04.98 से 31.12.03 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 01.01.04 से 12.11.09 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 13.11.09 से 03.11.2011 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 04.11.2011 से 14.06.2012 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 15.06.2012 से 18.07.2013 तक के मामलों में (रु.)	दिनांक : 19.07.2013 से व उसके बाद के मामलों में (रु.)
1	कमीशण्ड आफिसर	2000/-	20,000/-	30,000/-	60,000/-	1,00,000/-	1,50,000/-	1,75,000/-	3,00,000/-
2	जूनियर कमीशण्ड आफिसर	1500/-	15,000/-	22,000/-	45,000/-	1,00,000/-	1,50,000/-	1,75,000/-	3,00,000/-
3	अन्य श्रेणी	1000/-	10,000/-	22,500/-	45,000/-	1,00,000/-	1,50,000/-	1,75,000/-	3,00,000/-

नोट :- उपर्युक्तानुसार प्रबन्ध द्वारा दिनांक : 13.11.2009 एवं उसके पश्चात् वीरगति को प्राप्त हुये अधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की धनराशि रु0 2,50,000/- समान रूप से तथा स्थायी रूप से अपंग घोषित अधिकारियों/कर्मियों का धनराशि रु0 1,00,000/- समान रूप से दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) जीवन निर्वाह हेतु :-

क्र. सं0		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24.04.95 तक के मामलों में (रू.)	दिनांक : 25.04.95 से 31.12.03 तक के मामलों में (रू.)	दिनांक : 01.01.04 से 12.11.09 उसके बाद मामलों में (रू.)	दिनांक : 13.1109 व उसके बाद मामलों में (रू.)
1.	एक मुश्त एक बार हवलदार रैक तक के मामलों में ही सहायता प्रदान की जाती है।	1,000/-	5,000/-	10,000/-	20,000/-

नोट : यह सहायता केवल उन्हीं मामलों में प्रदान की जायेगी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वास्तव में जीवन-यापन करना कठिन हो गया हो।

(स) लड़कियों के विवाह हेतु :-

क्र. सं0		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24.04.95 तक के मामलों में	दिनांक : 25.04.95 से 31.12.03 तक के मामलों में	दिनांक : 01.01.04 से 12.11.09 तक के मामलों में	दिनांक : 13.1109 से 03.11.11 तक के मामलों में	दिनांक : 04.11.11 से 14.06.12 तक के मामलों में	दिनांक : 15.06.12 से 18.07.13 तक के मामलों में	दिनांक : 19.07.13 से व उसके बाद के मामलों में
1.	(जिनकी के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु हो) यह सहायता हवलदार रैंक तक के मामलों में ही प्रदान की जाती हैं। सिपाही, लान्सनायक, नायक एवं हवलदार एवं पुलिस पी.ए.सी. के समतुल्य रैंक।	**1,500/-**	**15,000/-**	**30,000/-**	**60,000/-**	**1,00,000/-**	**1,00,000/-**	**1,50,000/-**

नोट : विवाह हेतु केवल वे ही प्रार्थना-पत्र भेजे जायें जिसमें विवाह की तिथि 13.11.2009 या उसके पश्चात की हो। इन मामलों में केवल 13.11.2009 से लागू दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित मामलों में नकद रूप में भुगतान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों के रूप में किया जायेगा। प्रार्थी को तद्नुसार निर्धारित प्रार्थना-पत्र में अपना विकल्प अंकित करना होगा। यह सहायता हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक तक के मामलों में ही अनुमन्य है।

(द) विशेष चिकित्सा हेतु :-

जैसे- कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिक की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।

(ग) वार्षिक शिक्षा अनुदान

संस्थान द्वारा उक्त योजना के लाभभोगियों के आश्रितों (भाई, बच्चे, बहन, मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे, जो उन प र पूर्णतया आश्रित हों) को सामान्य शिक्षा हेतु 22 वर्ष की आयु तक एवं प्राविधिक शिक्षा/मैनेजिरियल/व्यवसायिक/कृषि पाठ्यक्रम हेतु 25 वर्ष आयु तक के आश्रितों को वार्षिक शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले/इकाई के माध्यम से पुलिस/पीएसी मुख्यालय को संस्थान को प्रेषित करने हेतु भेजे जाते हैं। प्रार्थना पत्र वर्ष में 31 अक्टूबर तक संस्थान को पहुँच जाना चाहिए।

उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा दिनांक : 18.05.2015 द्वारा निम्नानुसार सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है :-

1.	9 से 10 तक	4800/-
2.	11 से 12 तक	6000/-
3.	बी0ए0/बी0काम0/बी0टी0सी0 (ए0जी0)/बी0एड0/एल0एल0बी0/ बी0एस0सी0 (लिब)/एल0टी0/एम0ए0 तथा एम0काम0	8400/-
4.	एम0एस0सी0/एल0एल0एम0/एम0एस0सी0 (ए0जी0) एम0एस0डब्लू0/एम0एड0 तथा एम0बी0ए0	9600/-
5.	पी0एच0डी0, एल0एल0डी0 तथा एम0फिल0 (शोध कार्य में दी जाने वाली आर्थिक सहायता अब मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी)	60,000/-
6.	कोचिंग के लिए (प्रतियोगात्मक परीक्षा/उच्च शिक्षा) मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी	4000/-

प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यावसायिक शिक्षा :-

1.	आई0टी0आई0 सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल से नीचे या बराबर हो।	9600/-
2.	सर्टीफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिए न्यून्तम योग्यता हाईस्कूल के ऊपर या उसके समकक्ष हो।	12000/-
3.	डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे-बी0बी0एम0सी0/बी0डी0एस0/बी0यू0एम0एस/ बी0ए0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0।	18000/-
4.	बी0टेक0, एम0टेक0 तथा एम0बी0बी0एम0	30,000/-
5.	कम्प्यूटर शिक्षा हेतु डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रानिक (भारत सरकार) या किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में एक वर्ष या उससे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रति प्रतिक्षार्थी को आर्थिक सहायता अनुमन्य।	20000/-

(ङ) संस्थान के लाभभोगियों एवं अनेक आश्रितों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा देना

संस्थान द्वारा केवल विशेष चिकित्सा जैसे :- कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु केवल सेना के हवलदार रैंक तथा पुलिस एवं पीएसी बल के सम्बन्धित समतुल्य रैंक तक के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों को किसी सरकारी अस्पताल, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज, जिन्हें भी मामले संदर्भित किये जायें, वहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सक की संस्तुति पर अनुमानित व्यय के 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

उल्लेखनीय है कि संस्थान द्वारा परिचालित उपरोक्त योजनाओं के लाभभोगियों के जो भी दावा प्रपत्र इस मुख्यालय को भेजे जायें, वे निर्धारित प्रपत्र में ही भेजे जायें तथा लाभभोगियों के दावा प्रपत्र को निम्नांकित चेक लिस्ट के अनुसार ही जाँच कर भेजे जायें :-

(क) उत्तर प्रदेश आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के अन्तर्गत अनुग्रह धनराशि हेतु आवेदन पत्र के लिये :-

(अ) मृत घोषित मामलों में :-

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र
2. मृत घोषित किये जाने का डाक्टरी सर्टीफिकेट
3. पार्ट-II आदेश की प्रति पर सक्षम अधिकारी की संस्तुति/मुहर सहित।

(ब) स्थाई रूप से अपंग मामलों में (सेवानिवृत्त होने की दशा में)

1. स्थाई रूप से अपंग घोषित किये जाने का मेडिकल प्रमाण-पत्र
2. संबंधित रिकार्ड्स आफिस के द्वारा स्थायी रूप से अपंग घोषित किये जाने का प्रमाण-पत्र, जिसमें अपंगता का प्रतिशत एवं संबंधित सैन्य कर्मी की सेवानिवृत्ति होने की तिथि अंकित हो।

(ख) जीवन निर्वाह भत्ता हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र।
2. संस्थान तथा अन्य श्रोतों से अब तक प्राप्त की गयी आर्थिक सहायता का वर्षवार विवरण।
3. आश्रितों की संख्या, आयु सहित।

(ग) वार्षिक शिक्षा अनुदान

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र।
2. विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा।
3. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. शैक्षिक संस्था की प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट संलग्न की जाये।

(घ) शादी हेतु सहायता के लिए आवेदन पत्र

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र
2. आश्रिता जिसकी शादी होनी है, का जन्म प्रमाण पत्र
3. विवाह की सम्भावित तिथि
4. अन्य श्रोतों से इस सम्बन्ध में प्राप्त सहायता का विवरण यदि कोई मिला हो।

3. विकलांग कर्मचारियों के लिये वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता

शासनादेश संख्या 916/65-1-2000 दिनांक 19.06.2008 **(परिशिष्ट-23.1)** के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 137/65-1-2008-380/96, दिनांक : 12.05.2008 **(परिशिष्ट-23)** द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने से होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों में पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किया जाता है :-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर (रु. प्रतिमाह)
1	रु. 3049.00 तक	300.00
2	रु. 3050.00 से 5999.00 तक	400.00
3	रु. 6000.00 से अधिक	500.00

* उक्त वाहन भत्ते को ''वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता'' नाम से जाना जाएगा।

शासनादेश संख्या 1326/65-1-2014-380/96 दिनांक 13 नवम्बर 2014 द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2014 से वाहन भत्ते की प्रतिपूर्ति दर निम्नवत है :-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	दि0 01 नवम्बर 2014 से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की संशोधित दर (रुपये प्रतिमाह)
1.	रु0 1800 तक	450.00
2.	रु0 1900 से 2800 तक	600.00
3.	रु0 4200 से अधिक	750.00

4. परिवार नियोजन वैयक्तिक वेतन

चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-प.क. 4601/16-11-79-9/155/79 दिनांक 23.02.1980 **(परिशिष्ट-24.4)** ऐसे सरकारी सेवकों जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा है, कतिपय शर्तो के अधीन प्रोत्साहन के रूप में एक वेतन वृद्धि के बराबर धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिनांक 01.01.1979 से स्वीकृत की गयी तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1982/दस-46 (एम) 1982, दिनांक 02.05.1982 के अनुसार उपरोक्त वैयक्तिक वेतन को दिनांक 11.12.2008 **(परिशिष्ट-24)** के स्वीकृत नये वेतनमानों (वेतन बैण्ड) के आधार पर देने के आदेश जारी किये गये है।

क्र0 सं0	दिनांक : 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमान	दिनांक : 01-01-2006 से लागू वेतन बैण्ड	सादश्य ग्रेड पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
1	2550-55-2660-60-3200	4440-7440	1300	210
2	2610-60-3150-65-3540	4440-7440	1400	
3	2650-65-3300-70-4000	4440-7440	1650	
4	2750-70-3800-75-4400	5200-20200	1800	

5	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900	
6	3200-85-4900	5200-20200	2000	
7	4000-100-6000	5200-20200	2400	
8	4250-100-5150-125-6400	5200-20200	2800	
9	4500-125-7000	5200-20200	2800	250
10	4500-125-7250	5200-20200	2800	
11	5000-150-8000	9300-34800	4200	
12	5500-175-9000	9300-34800	4200	400
13	6500-200-10500	9300-34800	4200	
14	7450-225-11500	9300-34800	4600	450
15	7500-250-12000	9300-34800	4800	500
16	800-275-13500	9300-34800	5400	550
17	8550-275-14600	15600-39100	5400	
18	10000-325-15200	15600-39100	6600	650
19	10650-325-15850	15600-39100	6600	
20	12000-375-16500	15600-39100	7600	750
21	14300-400-18300	15600-39100	8700	800
22	16400-450-20000	37400-67000	8900	900
23	18400-500-22400	37400-67000	10000	1000

* परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 3258/16-11-85-9 (7) 85 दिनांक 05.07.1985 के द्वारा वैयक्तिक वेतन स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया गया है :-

(1) जिन्होंने 40 वर्ष की आयु के पूर्व अपना परिवार दो बच्चों तक सीमित रखा हो और अपना या अपनी पत्नी की नसबंदी करा ली हो।

(2) अथवा 40 वर्ष से अधिक के ऐसे कर्मचारी जिनके परिवार दो बच्चों तक सीमित हों और सबसे छोटे बच्चें की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो।

(3) शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-3148/दस-46 (एम)/82, दिनांक 16.10.1982 **(परिशिष्ट-24.1)** के अनुसार उक्त वैयक्तिक वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि तक मिलता रहेगा।

(4) शासनादेश संख्या-जी-2-1985/दस-2008-339/2008 दिनांक 11.12.2008 **(परिशिष्ट-24)** में यह सुविधा प्रदान की गयी की उपरोक्त स्वीकृत व्यैक्तिक वेतन का बढ़ाकर समकक्ष पद हेतु पुनरीक्षित वेतनमान जो 1 दिसम्बर 2008 से वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।

5. परिवार नियोजन से सम्बन्धित नियमों का सारांश

सरकारी सेवकों के अन्दर परिवार नियोजन की भावना जागृत करने हेतु तथा उसके प्रोत्साहन

हेतु निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की गयी है :-

* गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार, मोटर साईकिल तथा स्कूटर अग्रिम आदि की स्वीकृति में अन्य सरकारी सेवकों की अपेक्षा उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने परिवार नियोजन करा लिया है।
* नसबन्दी ऑपरेशन कराने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
* महिला कर्मचारियों को लूप लगवाने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।
* एक बार ऑपरेशन बिगड़ जाने पर दूसरी बार ऑपरेशन कराने हेतु भी विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

प्रसूति अवकाश

* महिला कर्मचारियों को गर्भपात कराने हेतु प्रत्येक बार 6 सप्ताह का पूरे वेतन पर विशेष प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। ऐसा अवकाश उनको अब सेवा काल में असीमित बार मिल सकता है किन्तु इसके लिए राजकीय महिला चिकित्सालय की मुख्य अधीक्षिका का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
* उपरोक्त प्रसूति अवकाश के मध्य दो वर्ष के अन्दर होने की शर्त भी लागू नहीं होगी। (विज्ञप्ति संख्या सा-4-484/दस, दिनांक 03.05.1990)

  उत्तर प्रदेश राज्य की महिला सरकारी सेवकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन अधिकतम 180 दिन तक का प्रसूति अवकाश तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश, अनुमन्य है।

6. अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्तास का भुगतान

शासनादेश संख्या 2826/छः-पु-1-11-151/09, दिनांक 20.10.2011 **(परिशिष्ट-25)** द्वारा क्रमशः निरीक्षक से सहायक उपनिरीक्षक तक तथा हे0कां0/कान्स0 एवं चतुर्थ श्रेणी को निम्नवत दर से वर्दी भत्ता/वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य है :-

पद नाम	**प्रारम्भिक वर्दी भत्ता**	**नवीनीकरण भत्ता**	**धुलाई/अनुरक्षण भत्ता**
निरीक्षक/उप निरीक्षक संवर्ग के अराजपत्रित अधिकारी	6000-00	6000-00 प्रत्येक पाँच वर्ष पर)	150-00 प्रतिमाह
हेड कान्स0/कान्स0 संवर्ग के कर्मचारी	4800-00	1800-00 (प्रतिवर्ष)	150-00 प्रतिमाह
समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4000-00	1200-00 (प्रतिवर्ष)	12-00 प्रतिमाह

शासनादेश संख्या 13/2016/1450/6-पु0-एक-16-151/2003 टीसी-1, दिनांक 09 अगस्त 2016 **(परिशिष्ट-26)** द्वारा क्रमशः निरीक्षक से सहायक उपनिरीक्षक तक तथा

हे0कां0/कान्स0 एवं चतुर्थ श्रेणी को निम्नवत दर से वर्दी भत्ता/वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य है :-

पद नाम	**प्रारम्भिक वर्दी भत्ता**	**नवीनीकरण भत्ता**	**धुलाई/अनुरक्षण भत्ता**
निरीक्षक/उप निरीक्षक संवर्ग के अराजपत्रित अधिकारी	7500-00	7500-00 प्रत्येक पाँच वर्ष पर)	188-00 प्रतिमाह
हेड कान्स0/कान्स0 संवर्ग के कर्मचारी	6000-00	2250-00 (प्रतिवर्ष)	188-00 प्रतिमाह
समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5000-00	1500-00 (प्रतिवर्ष)	156-00 प्रतिमाह

प्रत्येक वर्ष में जिन कर्मचारियों को वर्दी भत्ता की धनराशि देय हो अथवा पूर्व वर्षो में किन्हीं कारणों से भुगतान न किया गया हो, उनके अनुदान हेतु मांग-पत्र अलग-अलग प्रारूप में संकलित करके माह जुलाई तक के देय कर्मियों का मांग-पत्र 15 अगस्त तक तथा माह दिसम्बर तक के देय कर्मियों का मांग-पत्र 15 जनवरी तक अवश्य पुलिस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना होता है। मांग-पत्र भेजते समय कृपया इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी अराजपत्रित अधिकारी को देय मूल वर्दी भत्ता की गणना निम्न प्रकार करें :-

(क)	सीधी भर्ती के उप निरीक्षक ना0पु0	प्रशिक्षणोपरान्त एक वर्ष 7 माह पश्चात्
(ख)	रैंकर उपनिरीक्षक ना0पु0 जो पीटीसी मुरादाबाद में प्रतिशक्षण प्राप्त कर चुके है।	7 माह पश्चात्
(ग)	पैरा 191 आफिस मैनुअल के अन्तर्गत प्रोन्नति पाये हुये उपनिरीक्षक जो उपनिरीक्षक पद पर लगातार आफिसियेट कर चुके है।	7 माह पश्चात्
(घ)	लिपिकीय शाखा में अनुमोदित अभ्यर्थियों जो ए0एस0आई0 (एम) के पद पर लगातार आफिसियेट कर चुके है।	7 माह पश्चात्

7 माह पश्चात् मूल वर्दी भत्ता के अतिरिक्त समस्त अराजपत्रित अधिकारियों को प्रति 05 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण वर्दी भत्ता देय होगा। कृपया इस तथ्य को ध्यान में रखकर वर्दी भत्ता की माँग वर्ष में दो बार प्रथम, 31 अगस्त तथा द्वितीय, 10 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप में पुलिस मुख्यालय अवश्य भेजें। वर्दी भत्ता की माँग टुकड़ों में नहीं की जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर यदि आप की माँग पुलिस मुख्यालय को नहीं प्राप्त हुई तो यह समझा जाता है कि आपकी माँग शून्य है तथा बाद में कोई भी धनराशि वर्दी भत्ता के अन्तर्गत आवंटित नहीं की जायेगी।

एल0आई0यू0 शाखा में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों का माँग-पत्र अभिसूचना विभाग उ0प्र0, लखनऊ को विलम्बतम् 31 अगस्त तक अवश्य भेज दी जाय।

फायर सर्विस में नियुक्त एफ0एस0ओ0/एफ0एस0एस0ओ0 के विषय में भी निर्धारित प्रारूप में सूचना अलग से संदर्भ किया जायेगा।

निलम्बित अधिकारियों के लिए वर्दी भत्ता की माँग नहीं की जायेगी। इसके लिए अलग से संदर्भ किया जायेगा।

यदि कोई अराजपत्रित अधिकारी वर्दी नवीनीकरण भत्ता के डेढ़ वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला हो अथवा उक्त भत्ता की देय तिथि को सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश पर हो तो उसे वर्दी भत्ता देय नहीं है।

माँग-पत्र भेजते समय बड़ी सावधानी से सेवाभिलेख की छानबीन के उपरान्त ही माँग-पत्र कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से पुलिस मुख्यालय भेजा जायेगा तथा अन्त में इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अंकित किया जाय कि माँग-पत्र में अंकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित देय तिथि से वास्तविक रूप से देय है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। माँग-पत्र में उक्त प्रमाण-पत्र अंकित न होने की दशा में माँग-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. पुलिस पदक के साथ मिलने वाले भत्ते

पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक के साथ मिलने वाले अर्थिक भत्ता को संशोधित करते हुये भारत सरकार द्वारा संस्तुत पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के राजपत्रित व अरापजत्रित श्रेणी के पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 1142 पी/छः-पु-6-09-500 (56)/98 दिनांक 2 जुलाई, 2009 **(संलग्नक-26)** से निम्नांकित बढ़ी दरों पर पदक भत्ते का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1.	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रु. 1500/- प्रतिमाह
2.	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार	रु. 1500/- प्रतिमाह
3.	वीरता हेतु पुलिस पदक	रु. 900/- प्रतिमाह
4.	वीरता हेतु पुलिस पदक का बार	रु. 900/- प्रतिमाह

शासनादेशसंख्या 1933पी / छः-पु0-छः-13-500 (56)/98 दिनांक 22 मई 2014 **(परिशिष्ट-27)** द्वारा दिनांक 13 मई 2013 से इन पदकों में निम्नवत संशोधन किया गयाः-

1.	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रु. 3000/- प्रतिमाह
2.	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार	रु. 3000/- प्रतिमाह
3.	वीरता हेतु पुलिस पदक	रु. 2000/- प्रतिमाह
4.	वीरता हेतु पुलिस पदक का बार	रु. 2000/- प्रतिमाह

परिशिष्ट - 1

संख्या : 6597/8-7-265/81

प्रेषक,

श्री एस0एल0स0 कुमय्या,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 दिनांक : लखनऊ : 7 फरवरी 1983

विषय :- पुलिस सुख-सुविधा निधि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के अ0शा0 पत्र संख्या : 12/-315-81, दिनांक 15-12-1982 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीराज्यपाल पुलिस सुख-सुविधा के अन्तर्गत व्यय की वर्तमान अनुमोदित मदों में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) इस निधि के प्राविधान से शासन द्वारा अनुमोदित सुख-सुविधा की मदों के लिए आर्थिक सहायता पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-घ के कर्मचारियों को सम्मिलित करके) को अनुमन्य होगी।

(2) सुख-सुविधा को वर्तमान मद संख्या (डी) में बीमारी के पश्चात् कर्त्तव्यपालन के दौरान हुई घटना से मृत्यु या हानि शब्दों को जोड़ दिया जाए।

(3) वर्तमान मद संख्या (डी) (वी) में पुस्तकों शब्द के आगे ''लेखन सामग्री'' शब्द बढ़ा दिया जाए तथा शब्द ''हाईस्कूल तक'' हटा दिया जाए।

(4) वर्तमान मद संख्या (एल) में शब्द सिलाई मशीन के आगे ''बुनाई तथा कड़ाई के उपकरण/मशीन'' शब्द जोड़ दिये जाए।

(5) मद संख्या (के) अर्थात् स्थानीय निकायों द्वारा पुलिस कान्स0/हेड कान्स0 पर लगाये गये विभव एवं सम्पत्ति कर का भुगतान के मद को हटा दिया जाए।

(6) वर्तमान अनुमोदित मदों के सूची में निम्नलिखित नया मद (एल) बड़ा दिया जाए :-

''पुलिस लाइनों, पी0ए0सी0 वाहिनियों तथा अन्य इकाईयों में कन्टीनों की सुविधा।

2. पुलिस कर्मचारियों के सुख-सुविधा निधि का वर्तमान बजट प्राविधान अपर्याप्त तथा उसे तुरन्त बढ़ाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः श्री राज्यपाल इस प्रयोजन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख मात्र) का अग्रिम लेकर व्यय की स्वीकृति प्रदान करते है। अग्रिम की उक्त धनराशि प्रतिनियुक्त अनुपूरक अनुदान के माध्यम से यथासमय कर ली जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अधिनस्थ कर्मचारियों के सुख-सुविधा की उच्चतम प्राथमिकता के मदों पर किया जायेगा।

3. उपर्युक्त व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि के नाम डाला जायेगा और अन्तः लेखाशीर्षक'' 255-पुलिस-आयोजनेत्तर-झ-पुलिस कर्मचारी वर्ग का कल्याण-(1) पुलिस कर्मचारियों की सुख-सुविधा-अन्य व्यय तथा 260 अग्नि सुरक्षा तथा उसपर नियन्त्रण-क-सुरक्षा तथा नियंत्रण (1) मुख्य अन्य व्यय-(1) कर्मचारियों की सुविधा'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
ह0
(एस0एल0एस0 कुमय्या)
सयुंक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या : ई-12-सी-एफ-181/10-1993

पप्रतिलिपि महालेखाकार, उ0पप्र0 इलाहाबाद को प्रेषित :-

भवदीय,
ह0/अ0
(एस0एल0एस0 कुमय्या)
सयुंक्त सचिव

संख्या : 6597 (1)/8-7-265/81 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. वित्त (ई-12)-अनुभाग।
2. वित्त (बजट) अनुभाग-2।

आज्ञा से,
ह0/अ0
(एस0एल0एस0 कुमय्या)
सयुंक्त सचिव

<u>परिशिष्ट - 1.1</u>

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ-1

संख्या : डीजी-परिपत्र-एसएएफ-2005 दिनांक : जून 9, 2005

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

समस्त काय्रालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय :- राज्य सुख-सुविधा निधि शीर्षक के अन्तर्गत नीति/प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।

राज्य सुख सुविधा निधि से प्रतिवर्ष पुलिस की विभिन्न इकाईयों को काफी धन आवंटित किया जाता है जिसका उद्देश्य विभाग में स्थायी रूप से मनोरंजन एवं सुख-सुविधा हेतु विभिन्न उपकरण/साज-सज्जा के सामानों का क्रय किया जाना है, जिससे सामूहिक रूप से कर्मचारियों द्वारा मनोरंजन एवं सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। परन्तु यह देखने में आया है कि अधिकांश इकाईयों में राज्य सुख-सुविधा निधि की धनराशि उपरोक्त मदों में व्यय न करके आरक्षियों एवं अन्य कर्मचारियों को व्यक्तिगतरूप से धन स्वीकृत करके उक्त धनराशि का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिकाशं कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अधिकारियों के कार्यालय/पेशी में तैनात होते हैं। इससे इस सुविधा का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। उपरोक्त प्रक्रिया अत्यन्त आपत्तिजनक है।

2. राज्य सुख-सुविधा निधि में आवंटित धनराशि से व्यय न करने के संबंध में शासनादेश 6597/आठ-7-265/81, दिनांक 07-02-1983 के द्वारा मदें निर्धारित की गई हैं। इनमें मुख्यतः निम्न मदों पर व्यय अधिकृत किया गया है :-

(i) मनोरंजन कक्ष हेतु समाचार-पत्र, पुस्तिकायें, पुस्तकें, रेडियो, ट्रांजिस्टर सेट तथा टेलीविजन रेडियों।

(ii) उचित मामले में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु कपड़ों की व्यवस्था।

(iii) बच्चों के खेल के मैदान (चिल्ड्रेन पार्क) मनोरंजन कक्षों एवं क्लब में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु खेलकूद के सामान का प्रबन्ध।

(iv) बीमारी तथा अचानक आपत्तिकाल में पुलिस कर्मियों एवं उसके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाना। जैसे- दाह संस्कार हेतु, बाढ़/आग इत्यादि में उसकी सम्पत्ति हुई क्षति, लम्बी बीमारी, मृत अथवा दंगों के दौरान घायल होने पर।

(v) पुलिस कल्याण केन्द्र में डाक्टरों की संस्तुति के अनुसार दवाईयों का क्रय।

(vi) अंशकालिक डाक्टरों/दाईयों के आनरेरिया का भुगतान।

(vii) पुलिस कर्मचारियों के परिवारों हेतु बुनाई, सिलाई, कढ़ाई सिखाने के लिये अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा बच्चों के स्कूलों हेतु अध्यापकों के आनरेरिया भुगतान पर किया जाना चाहिए।

3. उपरोक्त धनराशि के व्यय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) यह ध्यान रखा जाय कि राज्य सुविधा निधि से उपरोक्त सभी मदों में आवश्यकतानुसार/समुचित रूप से व्यय किया जाय। विशेष रूप से थाने पर अखबार मंगाया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

(2) अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को बीमारी अथवा अन्य कारणों से आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाय कि इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को स्वीकृत धनराशि कुल अनुदान के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सुख-सुविधा निधि शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि उक्त निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाय तथा वर्ष 2006-07 के आगणन तैयार करने में उक्त नीति का ही आधार बनाया जाय।

4. उक्त आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर

(यशपाल सिंह)

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

लखनऊ।

परिशिष्ट - 2

संख्या : 6427/आठ-7-187/80

प्रेषक,

श्री एस0एल0एस0 कुमय्या,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।

गृह (पुलिस अनुभाग-7 दिनांक : लखनऊ : 12 जनवरी 1983

विषय :- उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण निधि पर अर्जित व्याज की धनराशि का पुलिस कल्याण की योजनाओं पर व्यय हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के अ0शा0 पत्र संख्या : 12-7-81, दिनांक 17-12-1982 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीराज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 1982-83 में संलग्न नियमावली में उल्लिखित पुलिस कल्याण की मदों पर रु. 61,80,000/- (रु. एकसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक ''255 पुलिस आयोजनेत्तर-झ-पुलिस कर्मचारियों का कल्याण (7) पुलिस कल्याण की योजनाओं पर व्यय'' के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-12/110/10-83, दिनांक 18 जनवरी 1983 के द्वारा प्राप्त उसकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

ह0/एस0एल0एस0 कुमय्या

सयुंक्त सचिव,

संख्या : 6427 (1)/आठ-7 तद् दिनांक

प्रतिलिपि संलग्न नियमावली के साथ निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12

भवदीय,

ह0/एस0एल0एस0 कुमय्या

सयुंक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण निधि पर अर्जित व्याज की धनराशि के उपयोग से संबंधित नियमावली :-

उत्तर प्रदेश कल्याण निधि पर अर्जित व्याज की धनराशि का उपयोग पुलिस कल्याण की योजनाओं/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिए व्याज की धनराशि के समतुल्य धनराशि का प्राविधान राजस्व शीर्षक :- 255-पुलिस :- के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. विधान मण्डल द्वारा बजट पारित किये जाने के पश्चात पुलिस कल्याण की योजनाओं मदों के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि निम्नलिखित कल्याणकारी कार्यक्रम पर व्यय हेतु पुलिस महानिरीक्षक के निस्तारण पर रख दी जायेगी।

(1) अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के भवनों जैसे- हास्टल, प्रसूतिगृह, मनोरंजन गुह, जिम्नास्टिक, पुलिस क्लब, बच्चों के लिए हास्टल, बच्चों के लिए पार्क आदि भवनों का निर्माण, सुधार, उनमें बिजली पानी की व्यवस्था, साज-सज्जा उपकरण तथा रख-रखाव आदि।

(2) अपंग/मानसिक रोग से ग्रस्त, विकलांग सेवारत पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता।

(3) सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के मृत्यु की दशा में जहाँ पर उनके परिवार की दशा अत्यन्त दयनीय हो, अंतिम संस्कार के लए आर्थिक सहायता।

(4) सेवारत/सेवानिवृत्त अराजपत्रित पुलिस/अग्नि कर्मियों के मेधावी बच्चों की शिक्षा।

ह0/

एस0एल0एस0 कुमय्या

सयुंक्त सचिव,

परिशिष्ट - 3

Funds in U.P. Police
U.P. Police Education Fund

The U.P. Police Education Fund was created in the financial year 1966-67 vide G.O. No. 5423/VIII-E, dated January 24, 1967 with which a su of Rs. 3,10,00 was received from Government as first instalment and later on a sum of Rs. 5,00,000 was received on March 30, 1967 vide G.O. No. 179/VIII-E-523/67, dated March 28, 1967. A Corpus of Rs. 8,10,000 has been kept as fixed deposit in the State Bank of India, Lucknow. Besides, Govt. have also started giving a recurring annual grant of Rs. 1.2 lacs from the financial year 1982-83. The main purpose of this fund is to give better education to the children of serving non-Gazetted Government servant enrolled under the Police Act of 1861. In the year 1983, Government also decided to give scholarships and lump-sum grant to the meritorious children of non-IPS Gazeted Officers of Police Department.

2. The yearwise figures of financial help given from this fund are as follows :

Year	Number of Beneficiaries	Total amount sanctioned for Scholarship lump-sum grant
1966-67	94	16,725
1967-68	162	29,800
1968-69	142	62,000
1969-70	171	65,726
1970-71	118	57,874
1971-72	141	53,270
1972-73	162	28,272
1973-74	162	57,288
1974-75	137	65,400
1975-76	153	66,650
1976-77	143	67,215
1977-78	239	1,00,080
1978-79	255	73,275

1979-80	256	76,161
1980-81	268	79,634
1981-82	231	67,371
1982-83	309	1,64,940
1983--84	406	2,20,750
1984-85	378	2,21,480

3. The latest criteria of eligibility for financial help are as given in the guidelines. The scale of benefit fixed for the year 1984-85 is also enclosed.

4. The Managing Committee of the U.P. Police Education Fund consists of the following officers :-

(a) The Director General of Police, U.P.	Chairman
(b) The Inspector General of Police, PAC U.P.	Member
(c) The Inspector General of Police, Lucknow Zone, Lucknow.	Member
(d) The Dy. Inspector General of Police, Housing and Welfare, U.P. Allahabad.	Member
(e) The Dy. Inspector Genl. of Police, C.B., CID	Member
(f) The Dy. Inspector Genl. of Police, PAC HQ, U.P.	Member
(g) The Dy. Inspector Genl. of Police, Int., U.P.	Member Secretary-cum-Treasurer

4. The applications for scholarship/lump sum grant are invited every yer by December 31 in the prescribed proforma The annual meeting of the fund is generally held in the month of February and the applications are put up in the meeting for consideration. The sanctioned amount is disbursed through the Districts/Units concerned.

5. The accounts are audited regularly by the Audit Party of the U.P. Police Headquarters.

Guidelines for Award of Scholarships/Grants

Medical/Engg/Technical/Professional Courses

1. If a student has obtained admission in the 1st year of the Course by a

competitive examination, then scholarship will be given to him irrespective of marks obtained by him in the last academic examination.

2. If a student has acquired admission in the 1st year of the Course by any method other than competitive examination the scholarship will be given to him if the got 59.6 per cent marks or more in the last qualifying examination. If marks are 50 per cent or more but less than 59.6 per cent, he will be eligible for lump sum aid.

3. For subsequent years of the course, the student would be eligible for scholarship or lump sum aid irrespective of the marks obtained by him in previous year's professional examination. However, if a student was getting lump sum aid, but secures 59.6 percent marks or more in the professional examination, he will be eligible for scholarship.

4. Post Graduate Diploma Courses in Computer Technology organised by the Engineering University will be considered as an Engineering Course.

5. Two years I.Sc. engineering course will be treated at par with 1st year and 2nd year of B.E. Course.

For Academic Courses (Non-Professional Type)

1. Students getting 59.6 percent marks or more will get scholarship in Inter Science, B.Sc. and Post Graduation course in Arts and Commerce including M.Phil, MBA, M.Ed., etc.

2. Students getting 59.6 percent marks or more, in Inter Arts and B.A./B.Com. will get lump sum aid.

3. Students applying for scholarship for IInd year Intermediate course, marks of Inter Ist year will not be considered, but marks of High School examination will be considered as Inter Ist year is a home examination. Uttar Madhyamik examination course conducted by Sanskrit University, Varanasi will be treatted as equivalent to Inter Course.

4. If a student has passed any Diploma or any other special course and thereafter joins B.A./B.Sc. of M.A./M.Sc. course, the marks of Diploma/special course will not be considered for scholarship lump sum aid, but the marks of the qualifying examination (i.e. the last examination necessary for admission) will be considered.

For Non-IPS G.O.s

From 1983 onwards, non-IPS Gazetted Officers are eligible for this help subject to the condition-total help to Gazetted Officers will not exceed Rs. 30,000 p.a. Criteria for help will be the same as above.

For Class IV Employees

Sons/Daughters of Class IV employees, securing 55% marks would be eligible for help.

Rates of Scholarsship/Lamp sum aid granted during Session 1984-85

	Scholarship Rs.	Lump sum aid Rs.
1. Graduate level Engg/ Medical Technology/Vet. Science	100 p.m.	350 p.a.
2. Post Graduate level courses in Medical and Surgery.	100 p.m.	--
3. Post Graduate courses in Engg. Technology and Vet. Science.	100 p.m.	--
4. Diploma and post Diploma courses in Engg./Technology.	50 p.m.	250 p.a.
5. Professional courses like B.Ed./B.Lib.Se.	50 p.m.	300 p.a.
6. Post Graduate courses	50 p.m.	--
7. B.Sc.	50 p.m.	--
8. B.A./B.Com./LLB	--	300 p.a.
9. Inter Science	40 p.m.	--
10. Inter Arts	--	200 p.a.

Note :- The rates of financial help are not fixed but are decided by the Committee every year in the annual meeting depending upon the amount available for help and the number of applications.

Rules of the "Committee of Management, Uttar Pradesh Police Education Fund" created in accordance with G.O. No. 5423/VII-E, dated January 24, 1967.

U.P. Police Education Fund Rules, 1966

1. **Name-** The name of the fund will be "The Uttar Pradesh Police Education Fund".

2. **Definition-** In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) 'Committees' means the committee of management constituted under Rule 61; and

(b) 'Government' means the Government of Uttar Pradesh.

3. **Object -**(i) The fund will be used only for the purpose of giving better education to the children of serving non-gazetted police personnel (officers and ranks) including members of the ministerial staff enrolled under the Police Act, 1961.

(ii) The object referred to above will be furthered by--

(a) Award of suitable scholarships to meritorious students;

(b) Sanction of lump sum grants for books and educational loans in exceptionally deserving cases;

(c) Meeting such other expenditure for educational purposes (except running of hostels and schools and undertaking of educational excursions and trips, holding of educational rallies and conferences and bringing out of books, magazines and periodicals) as may be considered necessary by the Committee.

4. **Finances-** The fund will be constituted by credit to it of an *ad hoc* grant of Rs. 8,10,000 from the Government of Uttar Pradesh.

(ii) Further grants and donations, if any, from Government; and grants and donations from non-Government agencies and individuals made to the Fund. The grants and donations from non-government agencies and individuals will, however, be accepted only with Government's approval.

(iii) All grants and donations accorded to the Fund shall be kept with the State Bank of India, Lucknow and invested either in Government securities or in fixed deposit with the State Bank or in both as the Managing Committee may decide.

(iv) The expenditure from the Fund shall be confined to the income accruning from interest earned on the deposit in the Fund including interest on Government Securities and the corpus of the fund shall always be maintained intact.

5. **Accounts-**

(i) The accounts of the Fund shall be opened at the State Bank of India, Lucknow in the name of "The Committee of Management, Uttar Pradesh Police Education Fund" and operated jointly by the Chairman and the Treasurer.

(ii) The accounts shall be audited every year by a Chartered Accountant or a Gazetted Officer specially nominated by Chairman for this purpose. It shall however, be always open to the Government of Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India, to have the accounts audited by any officer who may be authorised by them/him in this behalf.

6. **Management :**

(i) The management of the fund shall vest in the Committee consisting of the Chairman and the following members who will function in ex-office capacities :

1.	Director General of Police, U.P.	-Chairman
2.	Deputy Inspector General of Police, Criminal and Investigation Department, U.P.	-Member
3.	Deputy Inspector General of Police, Intelligence Department, U.P.	-Member
4.	Deputy Inspector General of Police, Pradeshik Armed Constabulry, U.P.	-Member
5.	State Radio Officer, U.P.	-Member and Secretary-cum-Treasurer.

(ii) The Committee shall ensure that accounts of the fund are maintained properly, all moneys are kept safely and invested properly and that they are utilised for the object for which the fund has been created.

(iii) The Committee shall--

(a) decide all matters connected with policy,

(b) sanction scholarships and grants,

(c) scrutinise the accounts, and

(d) pass the budget.

(iv) The Secretary-cum-Treasurer shall be the Chief Executive Officer of the fund and-

(a) Carry out the day to day business connected with the fund;

(b) cause the accounts to be maintained and audited;

(c) exercise countrol over the staff employed for the fund.

(v) The secretary-cum-Treasurer shall send a copy of the annual statement accounts, duly audited, together with a copy of the Audit Report to Government in the Home (police) Department.

7. **Meeting-**

(i) *Annual General Meeting*- The Committee shall meet at least once every year in July or August and the following business shall be transacted in the Annual General Meeting :-

(a) passing of Annual Report and Audited Accounts for the year ending 31st March;

(b) passing of the Budget for the ensuring year;

(c) Award of scholarships, grants and loans, etc. :

(d) Any other business considered necessary for furthering the object of the fund.

(ii) *Extraordinary Meeting of the Committee;* may be called by the Secretary with the concurrence of the Chairman for transacting urgent business.

(iii) *Quorum*- The quorum necessary for the transaction of any business in a meeting shall be three members including the person presiding.

(iv) *President of meeting*- The Director General of Police and in his absence, the senior most member, shall preside in the meeting of the Committee.

(v) *Scholarships*- (1) Scholarships shall be awarded on the basis of merit alone after giving due oppotunity to all eligible candidates to apply for the same.

(2) The scholarships shall be awarded on such terms and conditions as the committee may, from time to time, prescribe.

(3) The scholarship shall be terminated if the awardee fails to make satisfactory progress or his conduct is unsatisfactory or his father is dismissed from service.

(4) The authority to select the course for which scholarships shall be awarded, to determine the number of scholarships and the tenure of each one of them, to award the scholarships

to select individuals shall vest absolutely in the Committee.

(vi) *Loans*-Properly secured educational loans may be given to specially deserving candidates at such rates of interest as the Committee may, from time to time, decide, In each such case two reliable sureties for the full amount of the loan shall be furnished.

*****

APPLICATION FORM

For Scholarship or lump-sum grant from the U.P. Police Education Fund

1. Name of the Applicant :
   Bank—
   Emoluments Total—
   Posting—
   Address—
2. Name of Student :
   Date of Birth of Student—
   Age on First July (in year)—
3. Relationship to the applicant :
4. Last Examination Passed : in the year :
   (a) Naem of the last Institution attended
   (b) Marks obtained................ out of............Percentage
   (c) Division—
   (d) Position—
   (e) Awards, Scholarship, *etc* received during study—
5. Course of study for which Scholarship is applied for :
   (a) Class in which admission has been taken
   (b) Institution of study—
   (c) Whether recognized—
   (d) Duration of study—
   (e) Whether duly admitted—
   (f) Subjects offered—
   (g) In case of Medical/Technical/Professional Course, whether admission to the 1st year of the Course was through Competitive Examination?
6. Amount spent or to be spent on study :
   (a) Admission fees—
   (b) Books—
   (c) Stationery & Instruments—
   (d) Monthly fees—
7. Amount of Scholarship/Lump-sum Aid desired :

CERTIFICATE

I have attached the following documents :—

(i) Copy of Marks Sheet of last examination passed duly attested by the HEAD OF OFFICE under whom I am serving.

(ii) Character Certificate of my son/daughter from the Head of the Educational Institution in which he/she is studying.

(iii) If joined, Medical, Technical or Professional Course as a result of Competitive Examination, a Certificate to this effect from the Principal of the Institution of study.

I declare that I will abide by the rules framed for the award of Scholarship and that I will inform the Secretary-cum-Treasurer promptly if my son/daughter receives any other Scholarship of Financial Assistance from any other source during the pendency of this Scholarship.

Signature of Student *Signature of Applicant.*

*****

FORWARDING NOTE BY THE HEAD OF OFFICE

1. The applicant is enrolled under the Police Act/Fire Service Act (in cases of Police & Fire Service personnel) or he is a Class IV employee of Police Department, U.P. The applicant is working under me. He is the father of .... who is wholly dependent on him.

2. I have satisfied myself that all the conditions prescribed under the Rules for the grant of Scholarship/Lump-sum Grant are fulfilled by the applicant.

3. I have checked up that all the required Certificates have been attached with the application and all columns of the applicantion form have been filled in correctly.

Signature of the
Forwarding Officer
with Seal of Designation.

<u>परिशिष्ट - 3.1</u>

उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि से छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम, पदनाम...
   (बैज नं0 यदि कोई हो)
2. नियुक्ति स्थान...
3. छात्र का नाम...
4. आवेदक से सम्बन्ध...
5. आवेदक की जाति..
6. शिक्षारत पाठयक्रम/व्यवसाय का नाम, अवधि तथा अन्य विवरण :-
   (अ) पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम...
   (ब) पाठ्यक्रम/व्यवसाय की कुल अवधि..
   (स) संस्था का नाम जिसमें अध्ययनरत हैं..
   (द) संस्था, किस संस्थान से मान्यता प्राप्त है/सम्बद्ध है.......................................
   (य) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का वर्ष (सत्र)...
   (र) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का माध्यम..
   (प्रतियोगात्मक परीक्षा/मेरिट/प्रबन्धन कोटा/पेड सीट आदि में से जिसके द्वारा प्रवेश हुआ हो, वह लिखा जाय)
   (ल) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम.....................................
   (व) वर्तमान शिक्षा सत्र में पाठ्यक्रम/व्यवसाय के किस वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत है
   (1) वर्ष.................... (2) सेमेस्टर.......................
   (श) गत शिक्षा सत्र (2004-05) में उत्तीर्ण परीक्षा नाम/परिणाम..........................
7. पाठ्यक्रम/व्यवसाय में अध्ययन पर व्यय की गयी/की जाने वाली धनराशि का विवरण :-
   (अ) प्रवेश शुल्क.....................................
   (ब) पुस्तक व्यय.....................................
   (स) स्टेशनरी एवं उपकरणों पर व्यय..............
   (द) मासिक शिक्षण शुल्क...........................
8. माँगी गयी छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान की धनराशि......................

9. संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र :-

(अ) चालू शिक्षा सत्र 2005-06 में अध्ययनरत रहने का निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र

(ब) गत शिक्षा सत्र में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र।

10. बैंक ड्राफ्ट जिस प्राधिकारी के नाम भेजा जाना है..

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु उपबन्धित नियमों के पालन हेतु बाध्य हूँ तथा उसका पूर्णतया पालन करूँगा/करूँगी और ऐसी स्थिति में इस छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु आवेदन के लम्बित रहने के दौरान यदि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा किसी अन्य संस्था में छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है अथवा उसे प्राप्त होती है तो मैं सचिव एवं कोषाध्यक्ष, उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि को तत्काल इसकी सूचना दूँगा/दूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि से उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु परिपत्र में दिये गये निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है जिसके अनुसार मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री समस्त वांछित अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करता/करती है। इस सम्बन्ध में मैंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत समस्त वांछित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर) (आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)

(रैंक व बैज नं. सहित)

अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति

1. आवेदक/आवेदिका पुलिस एक्ट, पी.ए.सी. एक्ट, फायर सर्विस एक्ट (पुलिस, पी.ए.सी.) व फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो लागू न हो उसे काट दें) के अन्तर्गत भर्ती है अथवा वह पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है। आवेदक/आवेदिका मेरे अधीन कार्यरत है तथा वह... का/की पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक है जो कि पूर्णरूप से उसके ऊपर आश्रित है।
2. मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ कि आवेदक/आवेदिका उ.प्र. पुलिस छात्र निधि से छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु सभी शर्तो का पालन कर रहा है तथा उसने उसका अंकन आवेदन पत्र में कर दिया है।
3. मैंने जाँच लिया है कि आवेदक/आवेदिका ने आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है तथा आवेदन पत्र ठीक-ठाक व पूर्ण रूप से भरा हुआ है।
4. छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान के रूप में जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाय वह आवेदक/आवेदिका को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से........................... के नामे (आहरण/वितरण

अधिकारी का नाम) भेजी आय।

दिनांक : अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय मुहर सहित)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र............................... इस संस्था... (संस्था का अथवा प्रबन्धन, जिसमें अध्ययनरत हो) वर्ष............................ से अध्ययनरत हैं।

इनका इस संस्था में प्रवेश.. संस्था द्वारा संचालित (संस्था का नाम लिखा जाय) प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा/मेरिट अथवा प्रबन्धन कोटा के अन्तर्गत पेड/अनपेड सीट पर हुआ है। पिछले सत्र .... में इन्होंने................................ पाठ्यक्रम की .... सेमेस्टर/ वर्ष की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। यह संस्था (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद इत्यादि)........ ....से मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध है। यह पाठ्यक्रम/व्यवसाय .... वर्षीय है।

संस्था के अभिलेखों के अनुसार इनका चाल-चलन संतोषजनक है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

कुलसचिव/सचिव/प्रधानाचार्य

या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर मय सील व मुहार

नोट : जो लागू न हों उसे काट दें / अथवा न लिखें।

<u>परिशिष्ट - 3.2</u>

चेक लिस्ट
वित्तीय वर्ष 20.....-20.....

क्र0 सं0	छात्र/पिता का नाम/नियुक्ति स्थान	जाति	इण्टर की बोर्ड			उच्च शिक्षा का विवरण			चेक लिस्ट/संलग्नक						अभियुक्ति	प्राप्ति का दिनांक
			बोर्ड	प्राप्तांक	प्रतिशत	कोर्स का नाम	चयन परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	अग्रसारण अधिकारी/पद	आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में	प्रमाण-पत्र (प्राधिकृति अधि0)	बोनाफाईड प्रमाण-पत्र	कक्षा-12 की प्रमाणित मार्क शीट	गत सत्र की उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण-पत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

परिशिष्ट - 4

संख्या : 4805पी/आठ-6-1739/77

प्रेषक,

श्री राधेश्याम माथुर,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद/लखनऊ।

गृह (पुलिस अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 5 दिसम्बर, 1977

विषय :- कर्त्तव्यपाल के दौरान मारे गये/घायल पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान समय में पुलिस के कठिन कर्तव्यों व दायित्वों को देखते हुए शासन यह अनुभव करता है कि जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कर्तव्यपालन के दौरान आक्रमण का शिकार होने के परिणाम स्वरूप मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं उनके परिवार को शासन द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाय, ताकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी यह महसूस करें कि शासन उनके एवं उनके परिवारों के हितों के प्रति जागरूक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से मुठभेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोटों के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाय, के आश्रितों को 5,000/- रुपये की आर्थिक सहायता तथा उन्हीं परिस्थितियों में जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हो जाय उन्हें 2,500/- रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता की स्वीकृति शासन द्वारा ही दी जायेगी।

2. इस सम्बंध में होने वाला व्यय मैदानी क्षेत्रों के सम्बंध में लेखाशीर्षक ''255-पुलिस-आयोजनेत्तर-च-जिला पुलिस (1) जिला पुलिस मुख्य-16-अन्य व्यय'' तथा पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बंध में लेखाशीर्षक 299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र-पर्वतीय क्षेत्र-क-निदेशन तथा प्रशासन (6)

पुलिस-2-जिला पुलिस (मुख्य)-15-अन्य व्यय'' से वहन किया जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 : ई-12/दस-3184, दिनांक : 17 नवम्बर, 1977 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
राधेश्याम माथुर
अनु सचिव

संख्या : 4805पी/आठ-6-1739/77, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. गृह (पुलिस) अनुभाग-3/4/7/8
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

आज्ञा से
ह0/-
राधेश्याम माथुर
अनु सचिव

परिशिष्ट - 4.1

संख्या : सा-3-1340-दस-88-916-88

प्रेषक,

श्री बी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 1988

विषय :- विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हुए विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। समय की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम भरे कार्यों का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैं :-

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय

(2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय

(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय

(4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय।

(5) दैवी आपदाओं जैसे- बाढ़, भूस्खलन, हिम स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा-आग-बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।

(6) सक्रिय सेवा करते समय, उदाहरणतः

(1) ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में।

(2) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु।

(3) लेबिल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु।

(4) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।

2. उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवकों द्वारा पूरी लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यों का सम्पादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यों से निपटने में सरकारी सेवकों का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यों के लिए उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता में समुचित वृद्धि किये जाने के लिए निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- कर्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में बनाये रखने के योग्य न रह जायें और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहें तो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवकों को भी वही पेंशन दी जावेगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है। 100 प्रतिशत अक्षमता के लिए मेडिकल बोर्ड की संस्तुति और प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

2- सरकारी सेवकों की विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल III-एक के अन्तर्गत तात्कालिक वर्ग 1, 2, 3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु., 40,000 रु., 30,000 रु. एवं 20,000 रु. अनुग्रह धनराशि के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम रु. 41,000 व अधिकतम रु. 1,05,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा।

श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि के भुगतान करने के लिए विभागाध्यक्ष प्राधिकृत किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

3- कर्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी केवल पुलिसजनों के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या : 4805पी/अ/आठ-6-1739/77 दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 में रु. 2,500 की आर्थिक

सहायता देने की व्यवस्था है। अब उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रु. 5,000 (पाँच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी, जिसे भुगतान करने का अधिकार प्रशासनीय विभाग को होगा, किन्तु जो प्रशासकीय विभाग उचित समझे बिना वित्त विभागों की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते हैं परन्तु इसकी सूचना उन्हें वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/सम्बन्धित वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग को भी देनी होगी।

4- उपर्युक्त सुविधायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से देय होंगी।

5- उक्त मद संख्या 2 (2) व 2 (3) में स्वीकृत सुविधाओं के लिये आवश्यक प्राविधान सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने आय-व्ययक में करायेंगे। मद संख्या 2 (1) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के संगत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
ह0/-
(वी0के0 सक्सेना)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 3239 पी/छः-पु-6-90-1744/90, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।

4- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/23/88-सी0 (एक्स), दिनांक 3 अगस्त 1988 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,
ह0/-
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव।

परिशिष्ट - 4.2

संख्या : 4466पी/आठ-6/-88-1721/88

प्रेषक,

एस0पी0 वरधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 1988

विषय :- कर्तव्यपाल के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 : चार-2081-87 दिनांक : 29 नवम्बर 1988 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी तक गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या : 4005पी/आठः-6-1739/77, दिनांक : 05-12-1977 में सरकारी ड्यिूटी के समय कर्तव्यपाल के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले पुलिस जनों को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में रु. 2500/- रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। प्रश्नगत प्रकरण में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : सा-3-1340-दस-88-916-88, दिनांक : 19-8-88 के द्वारा गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्यपाल के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को रु. 5,000/- (पाँच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दिये जोन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- अतएव शासन द्वारा गृह विभाग के अधीन कार्यरत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो सरकारी ड्यिूटी के समय कर्तव्यपालन के समय गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं, को रुपये 5,000/- (पाँच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता के रूप में तत्काल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु (विभागाध्यक्ष) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को

प्राधिकृत किया जाता है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

ह0/-

एस0पी0 वरधान

संयुक्त सचिव

<u>संख्या : 4466पी/आठ-6:-88-1721/88, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक

4- समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

5- वित्त (व्ययक-नियंत्रण) अनुभाग-12

6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

7- गृह सचिव शाखा के समस्त अनुभाग

भवदीय,

ह0/-

एस0पी0 वरधान

संयुक्त सचिव

<u>परिशिष्ट - 4.3</u>

संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90

प्रेषक,

पी0 के0 शर्मा,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उ0 प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 6 फरवरी 1991

विषय :- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बन्धित विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : सा-3-1340/10-88-916-88 दिनांक 19 अगस्त, 1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अक्षम को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की गुरुतर समस्या से निपटने में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते समय प्राणों की आहूति तक देनी पड़ती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि, जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3 एवं 4 के सरकारी कर्मियों के लिये क्रमशः रुपये 50,000/-, 40,000/-, 30,000/- एवं 20,000/- है, को दो गुना किये जाने अर्थात

क्रमशः 1,00,000/-, 80,000/-, 60,000/- एवं रु. 40,000/- किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार केवल पुलिस कर्मियों के मामले में उ0प्र0 सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली के अन्तर्गत देय उपादान एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम 61,000/- रु. व अधिकतम 1,50,000 रु. मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा।

2- उक्त बढ़ी हुई दर पर अनुग्रह धनराशि केवल उन पुलिस कर्मियों के परिवारों को अनुमन्य होगी, जो पुलिस कर्मी विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौयशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति (मृत्यु) को प्राप्त होंगे। ऐसे अवसर/परिस्थितियों निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय

(2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय

(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय

(4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय।

(5) दैवी आपदाओं जैसे-बाढ़, भूस्खलन, हिम-स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा-आग-बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।

3- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर-1 (6) में उल्लिखित सक्रिय सेवा करते समय/विशेष जोखिम की परिस्थिति में मृत होने पर वित्त विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश में निर्धारित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश में प्रदत्त सुविधा से लाभान्वित न होने वाले पुलिस कर्मियों पर पुरानी दर पर यथावत लागू रहेगी।

4- दोगुनी दर पर एतद्द्वारा स्वीकृत यह अनुग्रह धनराशि मुख्य सचिव को अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मामले में अंतिम निर्णय ले लिये जाने के उपरान्त ही स्वीकार की जायेगी। इस समिति के सदस्यों में गृह सचिव, वित्त सचिव तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 होंगे।

5- एतद्द्वारा स्वीकृत सुविधा इस आदेश के जारी होने की तिथि को या इसके पश्चात घटित घटनाओं के सम्बन्ध में ही देय होगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : सा-3-49/दस-1991 दिनांक 2-2-91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

(पी0के0 शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

5- गृह (पुलिस) अनुभाग-1/7

भवदीय,
ह0/-
(पी0के0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - 4.4

संख्या : 4343पी/छः-पु-6-99-1198/99

प्रेषक,

श्री रुद्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक : 3 दिसम्बर 1999

विषय :- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90, दिनांक : 06-02-1991 तथा शासनादेश संख्या : 3566पी/छः-पु-6-93-1154/93, दिनांक : 15-01-1994 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बंधित विशेष जोखिम पूर्ण कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु होने जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0सा-3-1340/ 10-88-916-88 दिनांक 19 अगस्त, 1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अक्षम को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की गुरूतर समस्या से निपटने में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते समय प्राणों की आहूति तक देनी पड़ती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक : 6 फरवरी

1991 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि, जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3 एवं 4 के सरकारी कर्मियों के लिए क्रमशः रु. 1,00,000/- रु. 80,000/- रु. 60,000/- एवं रु. 40,000/- को दो गुना किए जाने अर्थात क्रमशः रु. 2,00,000/- रु., 1,60,000/- रु., 1,20,000/- एवं रु. 80,000/- की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा उसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। शेष शर्तें उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या : जी-3-1127/दस-99, दिनांक : 25-11-1999 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव

संख्या : 4343 (1) पी/छः-पु0-6-99, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

5- वित्त (व्ययक-नियंत्रण) अनुभाग-12

6- गुह (पुलिस) अनुभाग-1, 4, 7 व 12

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/-
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव।

<u>परिशिष्ट - 4.5</u>

संख्या : 2624पी/छः-पु-6-2000-1198/99

प्रेषक,

श्री रुद्र कुमार गुप्ता,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 29 नवम्बर, 2000

विषय :- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90, दिनांक : 06-02-1991 तथा शासनादेश संख्या : 3566पी/छः-पु-6-93-1154/93, दिनांक : 15-01-1994 एवं शासनादेश संख्या : 4343पी/छः-पु-6-99-1998/99, दिनांक : 03-12-1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक : 03, दिसम्बर 1999 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि जो वर्तमान में वर्ग 1/2/3/4- कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए क्रमशः रु. 2,00,000/- (दो लाख) रु. 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार मात्र) रु. 1,20,000/- (एक लाख बस हजार मात्र) एवं रु. 80,000/- (अस्सी हजार मात्र) अनुमन्य है के स्थान पर मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को चार श्रेणियों में विभाजित करने के बजाय एक ही श्रेणी में मानते हुए अर्थात बिना श्रेणी भेदभाव के उन्हें प्रदान की जाने वाली अनुग्रह धनराशि रु. 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : सा-3/1122/दस-2000, दिनांक : 24-11-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव

संख्या : 2624पी/छः-पु0-6-2000, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- अपर पुलिस समहानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (पाँच प्रतियों में)।

5- वित्त (आयव्ययक) अनुभाग-2

6- वित्त (व्ययक-नियंत्रण) अनुभाग-12

7- गृह (पुलिस) अनुभाग-1, 27 व 12

8- गृह (पुलिस) सेवायें- अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/-
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव

परिशिष्ट - 4.6

संख्या : 3382पी/छः-पु-6-2001-1198/99

प्रेषक,

श्री रुद्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 9 नवम्बर, 2001

विषय :- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90, दिनांक : 06-02-1991 तथा शासनादेश संख्या : 3566पी/छः-पु-6-93-1154/93, दिनांक : 15-01-1994 एवं शासनादेश संख्या : 4343पी/छः-पु-6-99-1998/99, दिनांक : 03-12-1999 एवं संख्या : 2624पी/छः-पु0-6-2000-1198/999 दिनांक : 29 नवम्बर 2000 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक : 29 नवम्बर 2000 द्वारा अनुमन्य रु. 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) को बढ़ाकर रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : सा-3/1762/दस-2001, दिनांक : 08, नवम्बर, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव

संख्या : 3382पी/छः-पु0-6-2001, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- अपर पुलिस समहानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (पाँच प्रतियों में)।

5- वित्त (आयव्ययक) अनुभाग-2

6- वित्त (व्ययक-नियंत्रण) अनुभाग-12

7- गृह (पुलिस) अनुभाग-1, 2,7 व 12

8- गृह (पुलिस) सेवायें- अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/-
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव

परिशिष्ट - 4.7

संख्या : 3382पी/छः-पु-6-2001-1198/99

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 5 दिसम्बर, 2005

विषय :- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90, दिनांक : 06-02-1991 तथा शासनादेश संख्या : 3566पी/छः-पु-6-93-1154/93, दिनांक : 15-01-1994 एवं शासनादेश संख्या : 4343पी/छः-पु-6-99-1998/99, दिनांक : 03-12-1999 एवं संख्या : 2624पी/छः-पु0-6-2000-1198/999 दिनांक : 29 नवम्बर 2000 तथा शासनादेश संख्या : 3382पी/छः-पु0-6-2001/1198/99, दिनांक : 9-11-2001 के अनुक्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवार को उक्त शासनादेश दिनांक : 9 नवम्बर 2001 द्वारा अनुमन्य रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख मात्र) को बढ़ाकर रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि दिनांक : 21 अक्टूबर 2005 से उक्त तिथि के पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : सा-3/1182/दस-2005, दिनांक : 05, दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
हस्ताक्षर
कमल सक्सेना,
विशेष सचिव

संख्या : 3590पी/छः-पु0-6-05, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- अपर पुलिस समहानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (पाँच प्रतियों में)।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

6- वित्त (व्ययक-नियंत्रण) अनुभाग-12

7- गृह (पुलिस) अनुभाग-1, 2,7/10

8- गृह (पुलिस) सेवायें- अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/-
कमल सक्सेना,
विशेष सचिव

परिशिष्ट - 4.8

संख्या : 3639पी/छः-पु-6-05-1198/99

प्रेषक,

कमल सक्सेना,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 6 दिसम्बर, 2005

विषय :- नक्सल प्रभावित जनपदों में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने के फलस्वरूप, अनुग्रह धनराशि की आर्थिक सहायता दिए जाने की सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : बारह/ए-अनु0धन0-2004 दिनांक : 8 जुलाई, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को शासनादेश संख्या : 3590पी/छः-पु0-6-05-1198/99, दिनांक : 5 दिसम्बर 2005 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख मात्र) नक्सली आतंक में मारे गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित परिवार को भी दी देय होगी।

भवदीय,

ह0/-

कमल सक्सेना,

विशेष सचिव

संख्या : 3669(1)पी/छः-पु0-6-05, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

4- अपर पुलिस समहानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

7- गृह (पुलिस) अनुभाग-1, 2,7/10

8- गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0/-

कमल सक्सेना,

विशेष सचिव

<u>परिशिष्ट - 4.9</u>

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या : सा-3-1287/दस-2010
लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2010
<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय सरकारी सेवकों की मृत्यु पर उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम-10 सपठित शासनादेश संख्या : सा-3-1340-दस-88-910-88, दिनांक : 19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर-2 में वर्ग 1,2,3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिए क्रमशः रु. 50,000/- रु. 40,000/- रु. 30,000/- एवं रु. 20,000/- दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

2- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1-1-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या : सा-3-1508/दस-2008, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-9 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुग्रह धनराशि की दरें निम्नानुसार संशोधित की जा चुकी है।

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुघर्टना में मृत्यु हो जाती है।	रुपया 10,00 लाख
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गति विधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु।	10,00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/ अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15,00 लाख
(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊंचाइयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर।	15,00 लाख

उक्त कार्यालय-ज्ञाप में यह व्यवस्था भी की गयी है कि संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3. तद्नुसार शासनादेश दिनांक 19-8-88 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

ह0/-

अनूप मिश्र

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या : सा-3-1287/दस-2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0 सचिवालय।

4- समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक, कोषागार उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- समस्त कोषागार, उ0पप्र0।

आज्ञा से

ह0/-

(नील रतन कुमार)

<u>परिशिष्ट - 4.10</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

संख्या : 12/ए-अनुग्रह धनराशि-2003 दिनांक : जनवरी 20, 2003

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

विषय :- कर्तव्यपालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि व घायल कर्मी को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में त्वरित, सुस्पष्ट एवं पूर्ण प्रस्ताव भेजने विषयक।

महोदय,

पुलिस मुख्यालय में प्राप्त अनुग्रह धनराशि के प्रकरणों की समीक्षा करने पर यह पाया गया किः-

(i) अनुग्रह धनराशि कितनी तथा किस प्रकार के मामलों में देय है एवं इस सम्बंध में क्या-क्या शासनादेश हैं की पूर्ण जानकारी सम्भवतः प्रकरण अग्रसारित करने वाले अधिकारियों को नहीं है।

(ii) वीरता प्रदर्शित करने वाले मामलों में भी वर्ष-1988 के शासनादेश के अनुरूप संस्तुति कर दी जाती है, जो कि ठीक नहीं है।

(iii) जो भी प्रकरण पुलिस मुख्यालय भेजे जाते हैं उनके साथ आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहते हैं, जिनसे प्रकरण को बल मिल सकें।

(1) मृत्यु की परिस्थितियों को विवरण (citation) स्पष्ट एवं to the point नहीं रहता है

(1) प्रकरण विलम्ब से अग्रसारित किये जाते हैं।

2- आपको अवगत कराना है कि विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण शासनादेश संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90 दिनांक : 6-2-1991 के अनुरूप प्रेषित किये जाने हैं, न कि शासनादेश संख्या : सा-3-1340/दस-88-916/88 दिनांक 19-8-1988 के अनुसार।

3- ऐसे प्रकरणों के सम्बंध में शासनादेश संख्या : सा-3-1340/दस-88-916/88 दिनांक 19-8-1988 के क्रम निम्नलिखित शासनादेश समय-समय पर निर्गत हुए है :-

1- शासनादेश संख्याः3239पी/छ;पु-6-90-1744/90, दिनांकः06-02-1991

2- शासनादेश संख्याः4343पी/छः-पु-6-99-1998/99, दिनांकः03-12-1999

3- शासनादेश संख्याः2624पी/छः-पु06-2000-1198/999, दिनांकः29-11-2000

4- शासनादेश संख्याः3382पी/छः-पु0-6-2001/1198/99, दिनांकः9-11-2001

4- शासनादेश संख्या : 3239पी/छः-पु-6-90-1744/90, दिनांक : 06-02-1991 में उन पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह धनराशि अनुमन्य की गयी है, जो पुलिस कमी विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति (मृत्यु) को प्राप्त होंगे। इस शासनादेश में ऐसे अवसर/परिस्थितियाँ निम्नानुसार निर्धारित की गयी है-

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय।

(2) आंतकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय।

(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय।

(4) हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करना एवं तितर वितर करते समय।

(5) दैवी आपदाओं जैसे बाढ़-भू-स्खलन, हिम स्खलन, भूकम्म इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।

5- तदुपरान्त शासनादेश संख्या : 4343पी/छः-पु-6-99-1998/99, दिनांक : 03-12-1999, शासनादेश संख्या : 2624पी/छः-पु0-6-2000-1198/999, दिनांक : 29-11-2000, शासनादेश संख्या : 3382पी/छः-पु0-6-2001/1198/99, दिनांक : 9-11-2001 में विभिन्न श्रेणियों में अनुमन्य राशियों में वृद्धि की गयी है। उक्त शासनादेशों के अनुसार घटना के दिनांक एवं वर्ष के अनुसार निम्नानुसार धनराशि देय होगी :-

श्रेणी	दि0 06-02-91 से 2-12-99 के मध्य की घटना GO32 39-P/CHHA-PU-6-90-1744/90, dt 6-2-91	दि0 03-12-99 से 28-11-2000 के मध्य की घटना GO4343-P/CHHA-PU-6-99-1198/99, dt 3-12-99	दि0 29-11-2000 से 8-11-01 के मध्य की घटना GO2624-P/CHHA-PU-6-2000-1198/99, dt 29-11-2000	दि0 09-11-01 के बाद की घटना GO33 82-P/CHHA-PU-6-2001/1198/99, dt 9-11-01
श्रेणी-1	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-	5,00,000/-
श्रेणी-2	80,000/-	1,60,000/-	2,50,000/-	5,00,000/-
श्रेणी-3	60,000/-	1,20,000/-	2,50,000/-	5,00,000/-
श्रेणी-4	40,000/-	80,000/-	2,50,000/-	5,00,000/-

6- सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु अथवा कर्तव्य पालन के दौरान घायल होनेके प्रकरणों में अनुग्रह धनराशि, शासनादेश संख्या : सा-3-1340/दस-88-916/88 दिनांक 19-8-1988 के अनुरूप देय होगी, जिसमें सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु के निम्नलिखित उदाहरण दिये गये हैं :-

(1) ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में।

(2) मोटरगाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु।

(3) लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु।

(4) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।

7- इस शासनादेश के अनुरूप सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु तथा कर्तव्यपालन के दौरान घायल होने की स्थिति में अनुग्रह धनराशि निम्नानुसार अनुमन्य की गयी है :-

श्रेणी	सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु की स्थिति में अनुमन्य धनराशि	कर्तव्य पालन के दौरान घायल होने की स्थिति में अनुमन्य अनुग्रह धनराशि
श्रेणी-1	50,000/-	5,000/-
श्रेणी-2	40,000/-	5,000/-
श्रेणी-3	30,000/-	5,000/-
श्रेणी-4	20,000/-	5,000/-

8- विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति (मृत्यु) के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य संलग्न किये जाये :-

a. अधिकारी/कर्मचारी की रवानगी पुष्टि में रवानगी की जीडी की नकल रपट एवं रवानगी के दिनांक की पूरी जीडी (प्रारम्भ से अन्त तक) की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

b. यदि अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त सूचना पर घटनास्थल पर पहुँचता है तो नियंत्रण कक्ष की उस दिन की लाग बुक की तीन की तीन प्रमाणित पठनीय तीन छाया प्रतियां, ताकि अधिकारी/कर्मचारी के घटनास्थल के लिए रवाना होने एवं घटनास्थल पर होने की पुष्टि होती है।

c. घटना से वापस आये कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गयी वापसी रिपोर्ट, जिसमें घटना का तस्करा हो, की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

d. प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।

e. पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

f. शव-परीक्षण की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

g. वरि0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण, जिसमें स्पष्ट रूप से घटनाक्रम (Sequence of events) का उल्लेख किया गया हो एवं उनकी स्पष्ट संस्तुति।

h. ऐसे प्रकरणों में जिनमें गोपनीयता बनाये रखने के लिए न तो नियंत्रण कक्ष को सूचना/लोकेशन दिये गये हों और तत्परता से मौके पर पहुँचने के लिए रवानगी की औपचारिकता न निभाई गई हो, तो वापसी का तस्करा ही पर्याप्त होगा। वरि0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की संस्तुति में ये परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

9- सक्रिय सेवा समय मृत्यु के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जायं :-

1- अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय डियूटी पर होने का प्रमाण-पत्र। डियूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जीडी उपस्थिति रजिस्टर तथा डियूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धीरणों की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।

2- सक्रिय सेवा के दौरान अन्य कारणों से हुई मृत्यु के मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र, जिसमें मृत्यु के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, की, एवं पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।

3- यदि शव-परीक्षण कराया गया हो, तथा शव-परीक्षण रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।

4- यदि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है एवं विसरा सुरक्षित नहीं है तो विसरा की तीन प्रमाणित छायाप्रतियाँ।

5- यदि घटना के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना में जीडी का उल्लेख किया गया है, तो जीडी की और यदि इस सम्बंध में प्रारम्भिक जाँच करके जाँच रिर्पोट प्रेषित की गयी है तो जाँच आख्या की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।

6- पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां और यदि शव परीक्षण किया गया है तो शव-परीक्षण की पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

7- मृत्यु की परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण।

10- कर्तव्य पालन के दौरान घायल होने के प्रकरणों में उक्त के अतिरिक्त तथा :

1- अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय डियूटी पर होने का प्रमाण-पत्र। डियूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जीडी, उपस्थिति रजिस्टर तथा डियूटी

रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणों की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।

2- इंजरी रिपोर्ट की तीन पठनीय प्रमाणित छाया प्रतियाँ।

3- यदि घटना के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना का जीडी में उल्लेख किया गया है तो जीडी की और यदि इस संबंध में प्रारम्भिक जाँच करके जाँच रिर्पोट प्रेषित की गयी है तो जाँच आख्या की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।

4- यदि प्रथम सूचना दर्ज हुई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।

11- आप सहमत होंगे कि मृतक के आश्रितों को भरण पोषण हेतु तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में यह अनुग्रह धनराशि दी जाती है, अतः यह नितांत आवश्यक है कि इस प्रकार के प्ररणों में कोई विलम्ब न हो एवं पुलिस कर्मियों का अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये मनोबल बना रहे। अतः निर्देशित किया जाता है कि पुलिस कर्मियों की उक्त परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि के प्रस्ताव पुलिस कर्मी की मृत्यु की तिथि 15 दिन के अन्दर अभी आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/सेक्टर की संस्तुति सहित पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया जाय, ताकि अनुग्रह धनराशि शीघ्र स्वीकृत करायी जा सके। प्रस्ताव पूर्ण होने चाहिए। अधूरे प्रस्ताव प्रेषित करने से अनावश्यक पत्राचार तथा विलम्ब होता है, जो कदापि उचित नहीं है।

ह0/-
(जी0 एल0 शर्मा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।

2- विभाग-4/20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

<u>परिशिष्ट - 4.11</u>

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या 588 पी/छः-पु0-6-12-1198/99
लखनऊ : दिनांक : 22 जून, 2012

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनदेश संख्या 3590 पी/छः-पु-6-05-1198/99, दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को रु0 10,00,000/- (रु0 दस लाख मात्र) की अनुग्रह धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

2- उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1287/दस-2010 दिनांक 28-7-2010 में निहित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को भी देय होगी :-

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुघर्टना में मृत्यु हो जाती है	रु0 10,00,000/-
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रु0 10,00,000/-
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी यदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रु0 15,00,000/-
(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊचाइयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	रु0 15,00,000/-

3- उक्त शासनादेश दिनांक 5-12-2005 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शर्तें यथावत रहेंगी

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा-3-392/दस-2012, दिनांक 01, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सचिव, गृह विभाग

परिशिष्ट - 4.12

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या सीएम-134 पी/छः-पु0-6-14-100 (9)/14
लखनऊ : दिनांक : 10 सितम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनदेश संख्या 588 पी/छः-पु-6-6-12-1198/99, दिनांक 22-6-2012 में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित घटनाओं में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अनुग्रह धनराशि अनुमन्य है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22-4-2012 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि मृतक के आश्रितों को दिनांक 22-8-2014 से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं. 1	घटना 2	पूर्व में अनुमन्य धनराशि 3	वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि 4
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में मृत्यु हो जाती है	रु0 10,00,000/-	रु0 20,00,000/-
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/ अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रु0 10,00,000/-	रु0 20,00,000/-
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/अथवा लड़ाकू /आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रु0 15,00,000/-	रु0 20,00,000/-

(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊँचाइयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	रु0 15,00,000/-	रु0 20,00,000/-

3- उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्धसैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/ आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाय तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनका कर्तव्यपालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाय, उनके आश्रितों को भी उपरोक्त ताकलका के स्तम्भ-4 में अंकित अनुग्रह धनराशि दिनांक 22.08.2014 से स्वीकृत किये जाने का भी एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है।

4- यह आदेश दिनांक 22-8-2014 से प्रभावी होगा।

5- उक्त शासनादेश दिनांक 22-6-2012 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(राजीव अग्रवाल)
सचिव।

संख्या सीएम-134 (1) पी/छः-पु0-6-14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
हस्ताक्षर अपठनीय
(के0 एल0 वर्मा)
अनु सचिव

परिशिष्ट - 5

संख्या : बी-3-7178/दस-96-4-(1)86-अनु0निधि0

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रकाश वैरिया,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 1997

विषय :- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने को निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्याः बी-3-540/दस-96-4-(1) 86-अनु0निधि0, दिनांक : 14 जून, 1996, जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता विषयक संशोधित नियमवली तथा निर्धारित प्रार्थना-पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

अतः नियमावली तथा प्रार्थना-पत्र के प्रारूप की एक प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे सम्बंधित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा नियमानुसार पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को ही निर्धारित प्रार्थना पत्र के प्रारूप में अपेक्षित सूचनाओं के साथ अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या/संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के विचारर्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

ह0/-

प्रेम प्रकाश वैरिया,

विशेष सचिव

संख्या : बी-3-7178/दस-96-4-(1) 86-अनु0निधि0, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।

5- राज्यपाल सचिवालय।

6- निबन्धक, उच्च न्यायालय उ0प्र0, इलाहाबाद

आज्ञा से
ह0/-
प्रेम प्रकाश वैरिया,
विशेष सचिव

परिशिष्ट - 5.1

संख्या : बी-3-3046/दस-98-4-(1)86-अनु0निधि0

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 1 सितम्बर, 1998

विषय :- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने को निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्याः बी-3-3046/दस-98-4-(1) 86-अनु0निधि0, दिनांक : 20-03-1997, के साथ प्रेषित की गयी उ0प्र0 अनुकम्पा निधि नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त नियमावली के नियम-7 यथा स्थान पर निम्नलिखित अंश जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करे हैं :-

''दिनांक : 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर दिनांक : 1 जनवरी 1996 के बाद मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूरू वेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूल वेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी।''

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावित होगा।

4- उ0प्र0 अनुकम्पा निधि नियमावली को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

के0 सी0 मिश्र,

विशेष सचिव

<u>संख्या : बी-3-3046/दस-98-4-(1) 86-अनु0निधि0, तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकर, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकर, प्रथम/द्वितीय (आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4- विधान सभा सचिवालय।

5- विधान परिषद सचिवालय।

6- राज्यपाल सचिवालय।

7- निबन्धक, उच्च न्यायालय उ0प्र0, इलाहाबाद

आज्ञा से

ह0/-

प्रेम प्रकाश वैरिया,

विशेष सचिव

परिशिष्ट - 5.2

संख्या : बी-3-3065/दस-2000-4-(1)86-अनु0निधि0

प्रेषक,

डा0 ब्रज मोहन जोशी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 30 अगस्त, 2000

विषय :- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने को निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्याः बी-3-3046/दस-98-4-(1) 86-अनु0निधि0, दिनांक : 20-03-1997 जिसमे सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता विषयक संशोधित नियमावली तथा निर्धारित प्रार्थना-पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। अतः नियमावली की संशोधित प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे सम्बंधित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या/संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के विचारार्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

डा0 ब्रज मोहन जोशी,

सचिव

संख्या : बी-3-3046/दस-98-4-(1) 86-अनु0निधि0, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकर, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकर, प्रथम/द्वितीय (आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4- विधान सभा सचिवालय।

5- विधान परिषद सचिवालय।

6- राज्यपाल सचिवालय।

7- निबन्धक, उच्च न्यायालय उ0प्र0, इलाहाबाद

आज्ञा से

ह0/-

के0 सी0 मिश्र,

विशेष सचिव

परिशिष्ट - 5.3

संख्या : बी-3-3790/दस-2001-4-(1)86-अनु0निधि0

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2001

विषय :- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्याः बी-3-3065/दस-2000-4-(1) 86-अनु0निधि0, दिनांक : 30 अगस्त, 2000 का कृपया संदर्भ लें जिसके द्वारा नियमावली की संशोधित प्रति प्रेषित की गई थी।

उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तार-7 की पंक्ति ''किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषितक की न्यूनतम राशि 20,000/- रुपये तथा अधिकतम राशि 75,000/- रुपये होगी। के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाय :-

''किसी एक व्यक्ति के मामले में देय अनुतोष की न्यूनतम राशि 25,000/- रुपये तथा अधिकतम राशि 1,00,000/- रुपये होगी।''

3- शासनादेश दिनांक 30 8, 2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,

ह0/-

डा0 बी0एम0 जोशी,

सचिव।

संख्या : बी-3-3046/दस-98-4-(1) 86-अनु0निधि0, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4- विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय।

5- राज्यपाल सचिवालय।

6- निबन्धक, उच्च न्यायालय उ0प्र0, इलाहाबाद

आज्ञा से
ह0/-
शिव नन्द गिरि,
विशेष सचिव

परिशिष्ट - 5.4

संख्या : बी-3-1648/दस-2011-20-(14)11-अनु0निधि0

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई 2011

विषय :- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : बी-3-3065/दस-2001-4-(1) 86-अनु0 निधि0 दिनांक : 30 अगस्त, 2000 द्वारा परिचालित की गई उ0प्र0 अनुकम्पा निधि नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर 2 एवं प्रस्तर-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान प्रस्तर	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर**
प्रस्तर-2 निधि की वार्षिक अनुदान अधिकतम धनराशि रु. 80,00,000/- लाख रुपये तक होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।	**प्रस्तर-2** निधि की वार्षिक अनुदान अधिकतम धनराशि रु. 1,00,000/- लाख रुपये तक होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपयुक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।
प्रस्तर-7 किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रु. 25000 रुपये तथा अधिकतम राशि रु. 1,00,000 होगी। ठीक-ठीक राशि में सभी मामलों में	**प्रस्तर-7** किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रु. 25000 तथा अधिकतम राशि रु. 1,00,000 रुपये होगी। ठीक-ठीक राशि में सभी मामलों में

परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारण तया दिनांक 1 जनवरी 1996 से पूर्व के प्रकरणों में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेन के पाँच गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 25 माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी 1996 के बाद के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के आधार पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूलवेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रेषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि के नियमानुसार अनुमन्य सहायता राशि में से उतनी धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनमें सामान्यता निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।	परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारण दिनांक 1 जनवरी 1996 से लागू वेतनमान (पुराना वेतनमान) के आधार पर मृतक के समय के मूलवेतन (महँगाई वेतन को छोड़कर) के दो गुने के बराबर, दो आश्रित बराबर और इसी प्रकार 05 आश्रित होने पर उक्त मूलवेतन के10 गुने के बराबर धनराशि तथा दिनांक : 1-1-2006 के बाद के प्रकरण में दिनांक : 1-1-2006 में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक की मृत्यु के समय वेतन बैण्ड में वेतन के दो गुने के बराबर, दो आश्रित होने पर वेतन बैण्ड में वेतन के 4 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर वेतन बैण्ड में वेतन बैण्ड में वेतन के दस गुने के बराबर धनराशि निर्धारित करते हुए उपर्युक्त निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन मे से ग्रेड वेतन को घटाकर होगा। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि के नियमानुसार अनुमन्य सहायता राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

3- उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- जिन मामलों में पूर्व में उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली से आर्थिक सहायता स्वीकृत

की जा चुकी है उन्हें इस आदेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/-
बी0एम0 जोशी,
सचिव।

संख्या : बी-3-1648/दस-2011-20-(14) 11-अनु.निधि, तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय।
5- राज्यपाल सचिवालय।
6- महानिबन्धक, मा.उच्च न्यायालय उ0प्र0, इलाहाबाद।

परिशिष्ट - 5.5

संख्या - 1/2016/बी-3-1443/दस-2016-20(14)/15-अनु0निधि0

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,

सचिव वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर 2016

विषय :- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-3-3065/दस-2000-4(1)/86 अनु0नि0, दिनांक 30-08-2000 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली की प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को प्रेषित की गयी थी। शासनादेश संख्या-बी-3790/दस-2001-4(1)86-अनु0नि0, दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 द्वारा किसी एक व्यक्ति के मामले में आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रुपये 20,000 से बढ़ाकर रुपये 25,000 तथा अधिकतम धनराशि रुपये 75,000 से बढ़ाकर रुपये 1,00,000 की गयी। शासनादेश संख्या-बी-3-1648/दस-2011-20(14) 11-अनु0नि0, दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा निधि से वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि रुपये 80 लाख से बढ़ाकर रुपये 01 करोड़ की गयी।

2- उक्त नियमावली में लाभार्थियों को देय आनुतोषिक का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था थी। शासन के संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आये, जिनमें बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक बनने में विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हुआ तथा उनमें नाम, धनराशि आदि की त्रुटि के साथ-साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या तो डाक की देरी के कारण लाभार्थियों को विलम्ब से प्राप्त होने अथवा खो जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुयीं। इन समस्याओं के निराकरण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आनुतोषिक का भुगतान लाभार्थियों को ई-पेमेण्ट के माध्यम से किया जाये।

3- शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 एवं शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा किये गये संशोधनों एवं "ई-पेमेण्ट" के माध्यम से भुगतान हेतु नियमावली के प्रस्तर-8 में आवश्यक निर्देशों का समावेश करते हुए नियमावली संशोधित कर दी गयी है जो इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

4- अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रसारित करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदन पत्र के भाग-1 के क्रमांक-12 पर लाभार्थियों के बैंक खाते में संबंधित सूचना अंकित है तथा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न है एवं कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त विवरण को सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत रूप से जाँच लिया गया है। लाभार्थी के बैंक खाते में संबंधित सूचना त्रुटिपूर्ण होने की दशा में यदि भुगतान किसी अपात्र व्यक्ति को हो जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष इसके लिए उत्तरदायी होंगे और उनसे धनराशि की वसूली कर पात्र लाभार्थी/लाभार्थियों को भुगतान कराया जायेगा।

भवदीय,
(मुकेश मित्तल)
सचिव।

संख्या-1/2016/बी-3-1443(1)/दस-2016-20(14)/15 अनु0निधि0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (लेखा/आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।

4- राज्यपाल सचिवालय।

5- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
(आलोक दीक्षित)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली

अनुकम्पा निधि का उद्देश उत्तर प्रदेश के राजस्व के वेतन वाले राज्य कर्मचारियों के उन परिवारों करना है जो ऐसे व्यक्ति की, जिस पर वे पालन पोषण के लिए निर्भर थे, असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं।

टिप्पणी :- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द परिवार में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बंधियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे जो मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे- पत्नी, पति, वैध संतान, सौतेली संतान, पिता और माता। संतान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। अविवाहित पुत्री तथा बेरोजगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25 वर्ष रहेगी। पत्नी को छोड़कर पति अथवा संतान के सेवायोजन की स्थिति में वे (पति/संतान) आश्रित नहीं माने जायेंगे। अतः उनके द्वारा आवेदन करने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- निधि की वार्षिक अनुदान अधिकतम धनराशि 80 लाख रुपये तक होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपयुक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।

3- सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए ''उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति'' नामक एक समिति नियुक्त की है। प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होगे तथा चार सदस्य और होंगे जिसमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव होगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव तथा उसे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा।

4- जब तक अन्यथा कार्यवाही की न्यायोचित ठहाराने वाली आपवादिक परिस्थितियां न हो तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नहीं करेगी जिनमें :-

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष के पश्चात दिया गया हो।

5- मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके अधीन मृत कर्मचारी अन्तिम समय तक कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रार्थना-पत्र भाग-2 में अपेक्षित सूचना सावधानी पूर्वक भरकर प्रार्थना-पत्र को शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी सम्बंधित अभिलेख तथा प्रार्थना-पत्र के भाग-3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे

तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

6- (1) समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और आवश्यकतानुसार समय-समय पर किसी एक मामले में कई बैठकें बुलाई जा सकती है।

(2) समिति नियम-7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से आनुतोषिक प्रदान किये जाने के सम्बंध में प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करेगी।

7- किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 25,000 रुपये तथा अधिकतम राशि 1,00,000 रुपये होगी। ठीक-ठीक राशि में सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 1 जनवरी 1996 से पूर्व के प्रकरणों में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 5 गुने के बराबर और अधिकतम5 आश्रित होने पर 25 माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी 1996 के बाद के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूलवेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि के नियमानुसार अनुमन्य सहायता राशि में से अपनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8- सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियाँ पर विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को उसके बैंक खाते में वित्त विभाग द्वारा सीधे ई-पेमेण्ट के माध्यम से कराया जायेगा। ई-पेमेण्ट हेतु बैंक तथा शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC Code की सूचना लाभार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के भाग-1 में यथास्थान उपलब्ध करायी जायेगी तथा इनका सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र, प्रार्थना पत्र के भाग-2 के क्रमांक-15 पर दिया जायेगा। माह के अन्दर यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्बंधित लाभार्थी से पावती रसीद प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लाभार्थी को धन उपलब्ध कराकर पावती रसीद को वित्त विभाग को समय से न उपलब्ध करा पाने के कारणों की जानकारी प्राप्त करके बिलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कार्यालयाध्यक्ष से वांछित पावती रसीद यथाशीघ्र प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें।

9- अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक द्वारा तथा

शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10- निधि से स्वीकृत किये जाने वाली आनुतोषितक की विनियात्मक शर्तें निम्नलिखित हैं :-

(1) अन्य बातों के रहते हुए ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए, जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन पा रहे हों।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु र्कव्यपालन करते हुए होती है और जिन्हें अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान दूसरे विभागीय नियमों/आदेशों में है, के मामले में इस निधि से सामान्यतया सहायता नहीं दी जायेगी।

(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामले तक सीमित रहते है।

(4) ऐसी मृत्यु जो कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावन रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की माँग बलवती हो जाती है।

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए अनेक वर्षो तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पेंशन नहीं प्राप्त कर पाये हैं।

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले पर जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, निधि से सहायता देने के लिए विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के भीतर मृत्यु हो जाये और व अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो। परन्तु अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेगे। उदाहरणार्थ ऐसी परिस्थितियों में जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के आयोग्य करार दे दिया गया हो और वह उसके बाद ही मर गया हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो।

(7) इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायं जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाय।

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय।

(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा।

परिशिष्ट - 5.6

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा कोष से अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप
भाग-1 आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

1. मृत सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद नाम :-...
2. कार्यालय का पता जहाँ मृत्यु के समय वह कार्यरत था :-...
3. मृत्यु का कारण :-...
4. मृत्यु की तारीख :-..
5. आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से सम्बन्ध :-..
6. निवास स्थान का पूरा पता :-...
   (क) स्थाई :-...
   (ख) पत्र व्यवहार का पता :-...
7. आवेदक का पहचान चिन्ह :-...
8. आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा परिवार की आर्थिक स्थिति :-.............
   ....
9. मृतक द्वारा छोड़ी गयी चल/अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय :-............
   ....
10. मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/स्थिति.
    ....
11. उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि :-.....................................
12. भुगतान का स्थान :-
    (क) लाभार्थी का नाम -
    (ख) बैंक तथा शाखा का नाम -
    (ग) खाता संख्या -
    (घ) IFSC Code -

    नोट :- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।
13. मृतक कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरण :-

क्रमांक	नाम	आय	मृतक कर्मचारी से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			

14- यदि पुत्र या पुत्रियाँ अध्ययनरत हो तो उनके विवरण :-

क्रमांक	नाम	आय	मृतक कर्मचारी से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			

दिनांक..................सन् आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं..............................पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री स्व. श्री/श्रीमती............... .... यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि जो विवरण ऊपर दिये गये है, मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे मेरी स्थाई अथवा अस्थाई सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक....................... *आवेदक के हस्ताक्षर*

भाग-2

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

1. मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम..
2. मृत्यु के समय का वेतन...
3. सेवा की अवधि.........................वर्ष............माह..............दिन................
4. स्थाई अथवा अस्थाई...
5. मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि-अंशदायी (कन्ट्रीब्यूटरी) में जमा वास्तविक अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति..

6. मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स) स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति...........................

7. मृतक के परिवार को प्रस्तावित/स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की धनराशि तथा उनके भुगतान की स्थिति......................................

8. मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक की वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति.......................................

9. मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण से प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसमें भुगतान की स्थिति...

10. मृतक के परिवार के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य धनराशि का भुगतान की स्थिति......................................

11. मृतक के परिवार की यदि किसी वैभागिक परोपकारी कोष से सहायता स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत होने की आशा हो तो उसका पूर्ण विवरण...

12. मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान कोई राजकीय ऋण/अग्रिम लिया हो तो ब्याज सहित उसकी वसूली की स्थिति...

13. उ0प्र0 सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा में लिया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण एवं उसकी मासिक परिलब्धियाँ, यदि नहीं, तो क्यो?.................................

14. प्रस्तावित अनुदान की राशि संस्तुति करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति.......................

15. भाग-1 के क्रमांक-12 पर आवेदक द्वारा अंकित बैंक खातों से सम्बन्धित सूचना को मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच लिया गया है।

दिनांक.........................ई0

संस्तुति करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और पद नाम
प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक.......................ई0

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

टिप्पणी :-

(क) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिए अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से सलंगन कर दिया जाय।

(ख) अनावश्यक शब्द काट दिये जायें।

(ग) सरकार को प्रार्थना पत्र समर्पित करने के पूर्व उपरोक्त सभी विवरण कार्यालध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

भाग-3

प्रशासनिक विभाग की संस्तुति

शासन का यह विभाग.. (विभागाध्यक्ष की संस्तुति को ध्यान में रखते हुये) समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री................................... के परिवार का उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से केवल रुपये...................................... की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के औचित्य से सहमत है और तदनुसार सहायता की संस्तुति करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता के लिये इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं है............................ निधि है जिसमें से स्वर्गीय श्री....................................... के परिवार को........................ रुपये की सहायता स्वीकृत कर दी गई है/स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

(   )

प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

...............................विभाग

परिशिष्ट - 6

No.1/Police(L)/2011(1)-2291-2345
INTELIGENCE BUREAU
(Ministry of Home Affairs)
Government of India.

New Delhi, the.....
18 AUG 2011

MEMORANDUM

Sub : Grant of Scholarship out of Police Memorial Fund for the academic year 2011-12

Applications in the prescribed proforma (enclosed) are invited from the children of non-gazetted policemen killed on duty for the grant of scholarships for pursuing **professional courses** like MBBS, SE, B.Tech, MBA, MCA etc. @ Rs. 15,000/- p.a. and other **general academic university courses** viz., B.Sc., B.Com., M.Sc., M.A., etc. @ Rs. 5,000/- p.a. on regular basis in various disciplines.

2. Total number of scholarships under both the categories would be 15 (Professional - 5 & General University Courses - 10). In case more than 15 applications are received, merit will determine the grant of scholarships. The Screening Committee will take the Fund position and number of appilcations into consideration while deciding the scholarship under each category. The Committee, while recommending the cases, would be guided by the academic records of the applicant and the status of the course as well as the status/prestige of the educational institution.

3. The applications must be accompanied by :-

(i) Certified copies of the mark-sheets of all the examinations passed from 10+2 level onwards.

(ii) A certificate from the concerned Educational Institution certifying that the applicant is a regular bonafide student of the institution during the academic year 2011-12 and that the institute is recognized by the local University/U.G.C.

4. Duly filled in applications should be recommended by an Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police/Commandant or equivalent under whom the applicant's father was last posted when he expired. The Officer while recommending should, inter-alia, mention the brief circumstances of the death of the applicant's father.

5. A 'Check list\ to ensure that the application being forwarded to us is complete in all respects is being sent herewith, which may be filled up and submitted along-with each application.

6. The application must reach Shri P.R. Kapoor, Assistant Director, IB (MHA), Govt. of India, 35, Sardar Patel Marg, New Delhi latest by 10.11.2011 positively. **Incomplete applications and applications received after 10.11.2011 will not be entertained.**

(K. C. Meena)
Joint Director &
Secretary, PMF

Directors General of Police	:	Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J & K, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand & West Bengal.
Director General	:	BPR&D, BSF, DISF, CRPF, ITBP, NIA, NDRF & CD, NCB, NCRB, NSG, RPF & SSB.
Inspectors General of Police	:	Chandigarh, Daman & Diu and Puducherry.
Director	:	CBI, DCPW. NICFS, SPG and SVPNPA, Hyd.
Secretary	:	R & AW, New Delhi.
Commissioner of Police	:	Delhi Kolkata & Mumbai.
Commissioner of Security (CA)	:	BCAS.

APPLICATION FOR GRANT OF SCHOLARSHIP OUT OF POLICE MEMORIAL FUND FOR THE ACADEMIC YEAR 2011-12

1. Name of Applicant :
2. Father's Name :
3. Date of Birth :
4. Present Postal Address :
5. Class/Course being Studied **(on regular basis)** and duration of the course. :
6. Name of the Educational Institution where the said course is being pursued. :
   (Please attach a bonafide certificate from the Head of the Institution certifying inter-alia the the institution is recognised by the University/UGC.
7. Board/University examination passed last :
   Please attach a certified copy of the marks sheet) :
8. Details of Educational qualifications (10+2 level onwards) :

Name of Examination Passed	Board/University	Year of Passing	Division & % of marks obtained

(Please attach attested copies of the certificates and marks-sheets of all the examinations passed)

9. Whether the applicant is in receipt of any other : scholarship, if so, please mention the name of : the schlarship and its amount p.a.
10. Name of office/unit (with rank) where the applicant's father was posted last. :
11. Brief circumstances of father's death. :

12. a) Details of the members of the deceased's Family. :

b) Annual income of the family from all sources.:

Place :

Date : Signature of the applicant

To be filled by a police officer not below the rank of Commandant/ Superintendent of Police under whose jurisdiction the applicant's father was posted last.

i) Circumstances in brief of the death of the applicant's father. :

ii) Recommendation of the Competent authority forwarding the application. :

Certified that the facts given by the appliant have been verified and found correct.

Signature &
Designation
alongwith office SEAL.

CHECK LIST

1.	Whether all the column in the Application form have been properly filled up.	Yes/No
2.	Whether certified copies of the mark sheets of all the exams Passed (10+2 onwards) have been enclosed.	Yes/No
3.	Whether certificate from the concerned Education Institution certifying that the applicant is a bonafide student of the institution during 2011-12 has been enclosed.	Yes/No
4.	Whether the Institute is recognized by the local University/UGC.	Yes/No
5.	Whether the application has been recommended by the competent Police Officer.	Yes/No
6.	Whether the brief circumstances of the death of the applicant's father has been mentioned.	Yes/No
7.	Whether the application has been signed by the applicant and competent Police Officer.	Yes/No

<u>परिशिष्ट - 7</u>

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-1
संख्या-665 (1)/छः पु0-1-24/93
लखनऊ : दिनांक : फरवरी, 3, 1994
<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे आरक्षी और उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर को, जिन्होंने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया हो, मनोबल और साहस बढ़ाने के लिए क्रमशः मुख्य आरक्षी पद पर और निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश देने का निदेश हुआ है :-

(1) अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस बल के उक्त कर्मियों को यथास्थिति आरक्षी से मुख्य आरक्षी तथा उपनिरीक्षक से निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर से निःसंवर्गीय पद पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, यथास्थिति, मुख्य आरक्षी या निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के निःसंवर्गीय पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर दिया जा सकेगा।

(3) पुलिस बल के ऐसे आरक्षी या उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मी की कोटि में आयेंगे, जिन्होंने कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उनकी गिरफ्तारी साहस और शौर्य प्रदर्शित किया हो या अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो।

(4) उक्त निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति पुलिस महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के उपरांत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) यह आदेश इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

(6) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/
(सुरेन्द्र मोहन)
प्रमुख सचिव, गृह

<u>संख्या-665 (1)/छः-पु0-1-24/93 तददिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेन्ज।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 लखनऊ।

परिशिष्ट - 7.1

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-1
संख्या-665/छःपु0-1-24/93
लखनऊ : दिनांक : फरवरी, 3, 1994
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे मुख्य आरक्षी को जो अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करें, यथास्थिति उपनिरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के अधीन निम्नलिखित आदेश देने का निदेश हुआ है :-

(1) अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले मुख्य आरक्षियों के लिये समय-समय पर होने वाली उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थियों से भरी जाने वाली रिक्तियों में अधिकतम पाँच प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा।

(2) ऐसे मुख्य आरक्षी अदम्य साहस एवं शौर्य प्रर्दशन करने वाले मुख्य आरक्षी की कोटि में आयेंगे जिन्होंने कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उनकी गिरफ्तारी में अदम्य साहस और शौर्य प्रदर्शित किया हो या अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो।

(3) उक्त कोटि के मुख्य आरक्षियों का यथास्थिति उपनिरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति हेतु आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा। यह नियुक्ति अनन्तिम एवं अस्थायी होगी।

(4) खण्ड (3) के अन्तर्गत नियुक्त उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर को नियुक्ति के पश्चात अगले आयोजित उपनिरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और प्रशिक्षण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की जायेगी और उसके ज्येष्ठता क्रम का निर्धारण परीक्षा में प्राप्त क्रम के आधार पर किया जायेगा।

(5) खण्ड (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे ये सम्बन्धित हैं यथा यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके अनुसूचित जाति के कोटे में रखा जायेगा।

(6) इस कोटि के लिये आरक्षित रिक्तियों को अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(7) यह आदेश इस विभाग पर समय-समय पर जारी आदेशों में किसी अन्य बात के होते हुये भी प्रभावी होगा।

(8) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/
(सुरेन्द्र मोहन)
प्रमुख सचिव गृह

संख्या-665(1)/छः पु0-1-24/93 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेाक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेन्ज।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/
(दिनेशचन्द्र)
संयुक्त सचिव,

परिशिष्ट - 7.2

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ ; दिनांक 07 जून, 2014

विषय :- पुलिस विभाग में आउट आफ टर्न प्रोन्नति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : डीजी-चार-100(58)/2013, दिनांक 28-04-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-665/छः-पु-1-24/93, दिनांक 03-02-1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-665(1)/छः-पु-1-24/93, दिनांक 03-02-1994 द्वारा स्वीकृत पुलिस विभाग में आउट आफ टर्न प्रोन्नति की व्यवस्था को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसके स्थान पर पुलिस कर्मियों को उनके साहसिक कार्य के लिये निम्नलिखित नगद पुरस्कार एवं मेडल प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ;-

(1) पुलिस कर्मियों के साहसिक कार्य के लिये पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र एवं उसके साथ रुपये 25000/- का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। ऐसे कर्मियों की संख्या वर्ष में अधिकतम 25 निर्धारित की जाती है किन्तु मा0 मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर स्व-विवेक से पुरस्कार की धनराशि एवं कर्मियों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

(2) उच्च श्रेणी का साहसिक कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री का वीरता पदक दिये जाने के साथ प्रति माह रु0 1000/- का मासिक भत्ता दिया जायेगा। इन पदों की संख्या वर्ष में अधिकतम 10 निर्धारित की जाती है किन्तु मा0 मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर स्व-विवेक

से दिये जाने वाले उक्त भत्ते की धनराशि एवं कर्मियों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)

सचिव

संख्या-901(1)/6-पु-1-14-500(8)/14 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेाक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(आर0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव

परिशिष्ट - 8

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति विभाग
अनुभाग-4
अधिसूचना
7 अक्टूबर, 1974 ई0

सं0 6-12/1973-नियुक्ति-(4)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का यथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों को आश्रितों की भर्ती की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते है :

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के
आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

1- **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-** (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2- **परिभाषाएं-** जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) 'सरकारी सेवक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो-

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्त में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण- 'नियमित रूप से नियुक्त' का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाने से है;

(ख) 'मृत सरकारी सेवक' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय;

(ग) 'कुटुम्ब' से अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

(1) पत्नी या पति;

(2) पुत्र;

(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ।

(घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3- **नियमावली का लागू किया जाना-** यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोकसेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4- **इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव-** इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्ही नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5- **मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती-** यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों की शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशाक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

6- **सेवायोजन के लिए आवेदन-पत्र की विषय-वस्तु-** इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :-

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था;

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे;

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा; और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

7- **प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों-** यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी

ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

८- **आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता-** (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा, इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्त के प्रति की जायेगी।

9- **सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान-** किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि-

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है;

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10- राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे व्यहार या लोक-हित में आवश्यक या समीचीन समझें।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12-1973-Niyukti-4, dated October 7, 1974:

No. 6/12-1973-Niyukti-4

October 7, 1974

In exereise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following special rules regulating the recruitment of the dependants of Government servants dying in harness :

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPEND ANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS RULES, 1974.

1. Short title and commencement -(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from December 21, 1973.

2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Government servant" means a Government servant employed in connection with the affairs of Uttar Pradesh who-

(i) was permanent in such employment; or

(ii) though temporary had been regularly appointed in such employment; or

(iii) though not regularly appointed, had put in three years cntinuous service in a regular vacancy in such employment.

Explanation- "Regularly appointed" means appointed in accordance with the procedure laid down for recruitment to the post or service, as the case may be;

(b) "deceased Government servant" means a Government servant who dies while in service;

(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :

(i) Wife or husband;

(ii) Sons;

(iii) Unmarried and widowed daughters;

(d) "Head of Office" means Head of Office in which the deceased Government servant was serving prior to his death.

3. Application of the rules- These rules shall apply to recruitment of dependants of the deceased Government servants to public services and posts in connection

with the affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Publice Service Commission.

4. Overriding effect of these rules- These rules and and orders issued thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any rules, regulations or orders in force at the commencement of these rules.

5. Recruitment of a member of the family of the deceased- In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government of a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a state Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules, provided such member fulfils the educational qualifications prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government service. Such employment should be given without delay and, as far as possible, in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.

6. Contents of application for employment- An application for appointment under these rules shall be addressed to the appointing authority in repect of the post for which appointment is sought but it shall be sent to the Head of Office where the deceased Government servant was serving prior to his death. The application shall, inter alia, contain the following information:

(a) The date of the death of the deceased Government servant; the department in which he was working and the post which he was holding prior to his death;

(b) names, ages and other details pertaining to all the members of the family of the deceased, particularly about their marriage, employment and income;

(c) details of the finacial condition of the family; and

(d) the educational and other qualifications, if any, of the applicant.

7. Procedure when than one member of the family seeks employment- If more than one member of the family of the deceased Government servant seeks employment under these rules, the Head of Office shall decide about the suitability of the person for giving employment. The decision will be taken keeping in view also the overall interest of the welfare of the entire family, particulary the widow and the minor members there of.

8. Relaxation from age and other requirements- (1) The candidate seeking appointment under the rules must not be less than 18 years at the time of

appointment.

(2) The procedural requirements for selection, such as written test or interview by a selection committee or any other authority, shall be dispensed with, but it shall be open to the appointing authority to interview the candidate in order to satisfy itself that the candidate will be able to maintain the minimum standards of work and efficiency expected on the post.

(3) An appointment under these rules shall be made against an existing vacancy only.

9. Satisfaction of appointing authority as regards general qualifications.- Before a candidate is appointed, the appointing authority shall satisfy itself that:

(a) The character of the candidate is such as to render him suitable in all respect for employment in Government service;

(b) He is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties, for which the candidate shall be required to appear before the appropriate medical authority and to produce a certificate of fitness in accordance with the rules applicable to the case; and

(c) In the case of a male candidate, he has not more than one wife living and in the case of a female candidate, she has not married a person already having a wife living.

Note- Persons dismissed by the Union Government or by any State Government or by a Local Authority or a Corporation owned or controlled by the Central Govenment or a State Government shall be deemed to be ineligible for appontment to the service.

10. Power to remove difficulties- The Government may, for the purpose of removing any difficulty (of the existence of which it shall be the sole judge) in the implementation of any provision of these rules, make any general or special order as it may consider necessary or expedient in the interest of fair dealing or in the public interest.

आज्ञा से,
ह0/-
गुलाम हुसेन,
आयुक्त एवं सचिव।

परिशिष्ट - 8.1

संख्या-146/छः-पु-10/2008-1200(173)/07

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ

गृह (पुलिस) अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 24.01.2008

विषय :- फर्जी मृतकाश्रित सेवा योजन प्राप्त किये कपितय कर्मियों के संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने योजित याचिका संख्या-11505/06 अवनीश कुमार बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7.8.06 का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-61/6-पु-10-08-1200 (173)/07 दिनांक : 08.01.06 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक को अभिदिष्ट जाँच के संदर्भ में पुलिस महानिरीक्षक स्थापना के पत्र दिनांक ; 23.01.08 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त जाँच आख्या में की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये है :-

1- प्रश्नगत पाँचों फर्जी मृतकाश्रित सेवा योजन के प्रकरणों में अपराधिक संलिप्तता के बारे में एस.टी.एफ. की विवेचना के आधार पर किये गये अभियोजन का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

2- यद्यपि प्रकरण में जनपदीय अधिकारियों की संलिप्तता परिलक्षित नहीं हुयी किन्तु पुलिस मुख्यालय स्तर पर तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) एवं उनके अधीनस्थ पुलिस अधीक्षक (स्थापना), अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना), पुलिस उपाधीक्षक (स्थापना) (यथास्थिति) के द्वारा यह चूक अवश्य होना चाहिए था जहाँ से संबंधित पुलिस कर्मी का मृत होना बताया गया था अथवा जहाँ से तथाकथित रूप से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस बारे में तत्कालीन अधिकारियों का चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

3- मृतक आश्रित सेवा योजन की प्रक्रिया को और अधिक फूलप्रूफ बनाया जाय एवं हर स्तर दायित्व निर्धारित किया जाय।

4- चूँकि संदर्भगत सेवायोजना पत्रावलियों में नोटशीट उपलब्ध नहीं है अतः भविष्य में ऐसी पत्रावलियों में नोटशीट को व्यवस्थित रूप से रखने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का तत्काल एवं सम्यक अनुपालन करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव।

संख्या-146(1)/छः-पु-10/2008, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

2- पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0 एस0 त्रिवेदी)
सचिव

परिशिष्ट - 8.2

नियमावली एवं उनके संशोधन निम्नवत् है :-

मूल नियमावली शासना देश संख्या : 6/12-1973, नियुक्ति-(4) दिनांकः 07.10.1974	प्रथम संशोधन शासनादेश संख्या-4/7/1979 - कार्मिक-2 लखनऊ दिनांक-28.02.1981
उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 1- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी। (2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवतृत्त हुई समझी जायेगी। 2- परिभाषाएं- जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में- (क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो- (1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या (2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या (3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है। स्पष्टीकरण- 'नियमित रूप से नियुक्त' का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाने से है; (ख) 'मृत सरकारी सेवक' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय;	उ0प्र0 सेंवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-5 निम्न तथ्य बढ़ायें गये :- "नियम-5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हए भी इस नियमावली को इस नियमावली के उपलब्ध पुलिस या पीएसी के ऐसे बाइस कार्मिकों के जिनकी मृत्यु मई-1973 में उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के मामलें में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार व इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं- शेष पूर्ववत्

(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ। (घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था। 3- नियमावली का लागू किया जाना- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोकसेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी। 4- इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव-इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा। 5- मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों की शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस	

पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशाक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। 6- सेवायोजन के लिए आवेदन-पत्र की विषय-वस्तु-इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलषित है, उस पद से सम्बन्धित निुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधन किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगीः- (क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था; (ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे; (ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा; और (घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों। **7- प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों-** यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायगा।	

8- आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता- (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। (2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से,यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा, इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा। (3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति कि जायेगी। **9- सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान-किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि-** (क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है; टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे। (ख) वह मानसिक तथा शरीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी। (ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से	

विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** 10- राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे व्यवहार या लोक-हित में आवश्यक या समीचीन समझें।	
<u>द्वितीय संशोधन</u> शासनादेश संख्या-6/12/1973- कार्मिक-2 लखनऊ दिनांक-12.08.1991 1. उ0प्र0 सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवाकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-3 में निम्न संशोधन किया गया :- 3- यह नियमावली उन सेवाओं एवं पदों को छोड़कर, जो उ0प्र0 लोकसेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उ0प्र0 लोकसेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी। 2. उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-8 के उपनियम-3 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :- ''इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिये सृजित किया गया	**<u>तृतीय संशोधन</u>** शासनादेश संख्या-6/12/73-का0-2/93 दिनांक, लखनऊ - 16.04.1993 उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली-1974 के नियम-5 में निम्न तथ्य बढ़ाये गये :- 5- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के समान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति :- (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो। (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो और

समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।''

चतुर्थ संशोधन शासनादेश संख्या-6/12/73-का02/1994 लखनऊ दिनांक-21.04.1994

उ0प्र0 सेवाकला में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली-1974 के नियम-5(1) के स्थान पर निम्न संशोधित नियम प्रतिस्थापित किया गया हैः-

5- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के समान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्तिः-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता हैः

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समायसीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता हो।

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथासम्भव उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

पंचम संशोधन शासनादेश संख्या- 6/12/73-का0-2/1999 दिनांक- 20.01.1999

उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-5 के स्थान पर निम्न प्रकार संशोधित नियम प्रतिस्थापित किया गया है :-

5- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का परिवार या पत्नी जैसी भी स्थिति में हो, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के समान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि

को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। (2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	ऐसा व्यक्ति :- (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता पूरी करता हो, (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है : परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समयसीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंग और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। (2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।
छठवाँ संशोधन शासनादेश संख्या-6/12/73-का0-2/2001 दिनांक-12.10.2001	सातवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या संख्या-6/12/73/कार्मिक-2/2006 लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2006
उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड-ग के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया गया है :- (ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- 1. पत्नी या पति, 2. पुत्र, 3. अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ, 4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा	5- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी (1) सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी

माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। 2. उक्त नियमावली के नियम-5 में वर्तमान उपनियम-2(2) में निम्न उपनियम बढ़ाया जायेगा। "(3) उपनियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।" 4. जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के अनुशरण में समाप्त की जा सकती है।	निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने की भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :- (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो, (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :- ***परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय***

	<u>लेगी।</u> (2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में अपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

<u>परिशिष्ट - 8.3</u>

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-6/12/73/कार्मिक-2/2006
लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2006
अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 क परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती
(सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(1)

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का प्रतिस्थापन 2- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती का नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1- में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

	स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)		स्तम्भ-1 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी (1) सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी (1) सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकारके स्वामित्वाधीन या

हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये भर्ती के किसी सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो,

और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगत के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो,

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :-

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

<u>परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।</u>

(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार

करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में अपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
(उमेश सिन्हा)
सचिव।

<u>परिशिष्ट - 8.4</u>

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की
भर्ती (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2007
उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या : 6/12/73/कार्मिक-2/2007

उ0प्र0 मृतिक आश्रित नियम संग्रह :

लखनऊ ; दिनांक 09 फरवरी, 2007
अधिसूचना/प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवां संशोधन) नियमावली, 2007

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 2 का संशोधन- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम-2 में स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-1 **वर्तमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- 1. पत्नी या पति 2. पुत्र 3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां	(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक में निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- (1) पत्नी या पति, (2) पुत्र, (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,

4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	(4) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था, परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शरीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,

(उमेश सिन्हा)

सचिव

परिशिष्ट - 9

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन,
उत्तर प्रदेश

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ.प्र.
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ.प्र.

दिनांक 13.05.1997 को पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. की अध्यक्षता में लखनऊ में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की बैठक रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त निदेशानुसार सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक में लिये निर्णयों से भली-भाँति अवगत कराते हुए अनुपालन तदनुसार सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित की जाती है।
संख्या-डीजी-तीन-12(18)97
दिनांक : लखनऊ, मई 16, 1997

हस्ताक्षर-15.05.97
(जे. एस. पाण्डेय)
पुलिस महानिदेशक के सहायक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि समस्त राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.1997 को अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों की हुयी बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 13.05.1997 को लखनऊ में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर तक के लगभग 100 अधिकारियों की एक बैठक रेडियो मुख्यालय, लखनऊ में हुयी जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने की। इस बैठक में पुलिस नेतृत्व तथा पुलिस कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के सम्बन्ध में विस्तृत औपचारिक तथा अनौपचारिक चर्चाएं हुयी तथा पुलिस अधिकारियों ने निर्णय लिया कि भूतकाल में जो भी कमियां रही हो उनका सब लोग मिलकर निराकरण करेंगे तथा भविष्य में अच्छी छवि व नेतृत्व प्रस्तुत करेंगे ताकि पुलिस कार्य-पद्धति

में स्र्वागीण सुधार आये और जनता को अच्छी सेवा मिल सके।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. व्यावसायिकता

(1) अध्ययन, मनन व नियोजन

किसी भी कार्य को व्यावसायिक ढंग से करने के लिये यह आवश्यक है।

(2) परिश्रम व कार्य के प्रति समर्पण

यह प्रत्येक कार्य पर लागू होता है चाहे वह हाई-प्रोफाइल हो या लो-प्रोफाइल।

(3) निष्पक्षता

संकीर्ण प्रतिबद्धताओं अथवा भ्रष्टाचार के कारण यह स्थिति आती है।

(4) सही व तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता

यह नेतृत्व का स्र्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कमी का अधीनस्थों की कार्यकुशलता पर भी प्रभाव पड़ता है।

(5) मानसिक व कार्य स्तर पर सच्चाई

यह निष्पक्षता का ही एक सकारात्मक पहलू है।

(6) मानव व अन्य संसाधनों का सही उपयोग

प्रबन्ध कौशल का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है अतः उपलब्ध संसाधनों का महत्तम प्रयोग पुलिस विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किया जाय।

2. कार्य संस्कृति

(1) पद की गरिमा का ह्रास न होने देना

ऐसे पदों की गरिमा के अनुकूल कार्य एवं आचरण न होने पर होता है।

(2) प्रत्येक कार्य की महत्ता को समझाना

हाई-प्रोफाइल पदों के अतिरिक्त शेष पदों का भी अपना महत्व है तथा उनमें समर्पित ढंग से कार्य करने की पूरी सम्भावनाएं है।

(3) पारदर्शिता

अधिकारियों की कथनी व करनी में अन्तर का उनके प्रति अधीनस्थों और सामान्य जन की धारणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(4) अनुशासनात्मक कार्यवाही

अधीनस्थों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच में अथवा उनके दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील/रिवीजन आदि के निस्तारण में विलम्ब अथवा उनके पक्षपात या बेइमानी से अनुशासन में कमी आती है क्योंकि अधीनस्थों में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का उनके वास्तविक कार्य व आचरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(5) कार्यालय में समय से उपलब्ध होना

इसका प्रभाव कार्यालय की सामान्य उपस्थिति एवं उसमें होने वाले कार्य पर भी

पड़ता है।

(6) वर्दी, परेड, अर्दली रूम आदि

एक अनुशासित बल के प्रबन्धन से जुड़ी हुयी यह व्यावसायिकता आज भी प्रासंगिक है अतः इसकी ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये। पुलिस उपमहानिरीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को इसका अनुश्रवण करना चाहिए। अधिकारीगण को भी अपने टर्न-आउट के विषय में जागरूक रहना चाहिये। मेडल व बेल्ट आदि साफ होने चाहिए तथा केश निर्धारित रूप से कटे हुये होने चाहिये। अधिकारियों का टर्न-आउट उनके नेतृत्व का अभिन्न अंग है।

(7) चयन समितियों के कार्य का महत्व समझना

इसमें बड़े मनोयोग एवं उत्तरदायित्व की भावना से कार्य होना चाहिए क्योंकि इसमें होने वाली गल्तियों का अधीनस्थों के कैरियर पर कुप्रभाव पड़ सकता है तथा उन्हें पुलिस नेतृत्व की निष्पक्षता पर शक हो जाता है।

(8) वार्षिक मंतव्य समय से लिखा जाना

इनके समय से न लिखे जाने पर पदोन्नति, मेडल आदि के मामलों में अनेकों अधिकारी/कर्मचारी अपने किसी दोष के बिना ही पीछे रह जाते हैं। ऐसे दृष्टांत भी आये है जब अधिकारियों ने न केवल वार्षिक मंतव्य ही अंकित नहीं किए बल्कि चरित्र पंजिका भी वापस नहीं भेजी।

(9) स्थानान्तरण हेतु बाहरी दबाव न डालना व उनका समय से अनुपालन करना

स्वयं अधिकारियों को भी इस हेतु अपने सहकर्मियों से सिफारिश आदि नहीं करानी चाहिये।

3. आचरण

(1) अवाँछनीय तत्वों/अपराधियों से मेलजोल/साठगांठ पर रोक

अपने संकीर्ण स्वार्थो के लिये अवाँछनीय तत्वों से किसी प्रकार का लाभ उठाने से ऐसे तत्वों की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

उदाहरण के लिये भू-माफियाओं के माध्यम से भूखण्डों का क्रय।

(2) नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश

सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान तथा नशे की हालत में पाया जाना एक अधिकारी के लिये शोभनीय नहीं है।

(3) अवैध यौन सम्बन्ध से पूर्ण परहेज

ऐसा आचरण समाज में अधिकारी की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, जिसका कुप्रभाव उसकी कारगुजारी पर भी पड़ता है।

(4) परिवार के सदस्यों द्वारा अवाँछनीय कार्य/आचरण पर अंकुश

अपने परिवार के सदस्यों पर पुलिस अधिकारियों का नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा जन-साधारण में यह धारणा बलवती होती है कि ऐसे सदस्यों के विरूद्ध जानबूझकर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती।

(5) चतुर्थ श्रेणी व अन्य कर्मियों का दुरुप्योग

अधिकारियों द्वारा निर्धारित से अधिक संख्या में पुलिस कर्मियों को अपने निजी कार्यो में लगाये जाने का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि पुलिस/पी.ए.सी. लाइन्स की मेसों में आवश्यक संख्या में कमी नहीं रह पाते। लखनऊ में तैनात अधिकारियों के लखनऊ के अन्दर ही स्थानान्तरण होने की दशा में उनके साथ नियुक्त अर्दली तथा उनसे सम्बद्ध टेलीफोन, वाहन आदि पूर्ववत् रहने की व्यवस्था पर विचार करने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षण कराया जाएगा।

(6) वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों में व्यवस्था

अधिकारियों को पाँच सितारा होटलों में टिकाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। दौरों के समय अपेक्षित व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाएगा ताकि इस विषय में कोई शंका न रहे।

(7) वाहनों के दुरूपयोग पर अंकुश

निजी उपयोग के लिये सरकारी वाहनों का प्रयोग इस हेतु निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए।

4. सत्यनिष्ठा

(1) थानों की कथित बिक्री का उन्मूलन

यह पुलिस नेतृत्व के लिये कलंक की बात है कि सामान्य जन में अभी भी ऐसी धारणा रहे।

(2) अन्य स्त्रोतों से अवैध कमाई पर रोक

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध भी ऐसे आरोप लगे है कि उनके द्वारा आबकारी, लाटरी, प्रापर्टी डीलिंग आदि से जुड़े हुये अवाँछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों से सीधे उत्कोष ग्रहण किया जा रहा है।

(3) अधीनस्थों से सेवा संबंधी मामलों में अवैध मांग पर रोक

अब तक ऐसे आरोप केवल लिपिक वर्ग के कुछ कर्मचारियों पर लगाये जाते थे, परन्तु विगत कुछ समय से अधीनस्थों के अवकाश, यात्रा भत्तों और यहाँ तक कि सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती के मामलों में भी अधिकारियों द्वारा उत्कोष प्राप्त करने की शिकायतें मिल रही है।

(4) फार्म हाउस में पुलिस कर्मियों से काम न लिया जाना

निजी संसाधनों से फार्म हाउस स्थापित करने में कोई एतराज नहीं है परन्तु पुलिस

जनशक्ति का प्रयोग कर उसमें खेती या अन्य व्यवसाय करना निश्चय ही आपत्तिजनक है।

5. कल्याण

(1) **कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान**

अधीनस्थों के कल्याण के प्रति जागरूक रहना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है परन्तु विगत कुछ वर्षों में इसकी ओर अधिकारियों द्वारा वाँछित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(2) **पुलिस माडर्न स्कूल**

यह निर्णय लिया गया है कि लखनऊ एवं कतिपय पी.ए.सी. वाहिनियों में खोले गये स्कूलों की भाँति प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाय। फिलहाल एक स्थान पर एक ही स्कूल खोला जाय। यदि यहाँ पी.ए.सी. वाहिनी उपलब्ध है तो वाहिनी में अन्यथा जनपदीय पुलिस के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण इस हेतु ऐसी व्यवस्था करा रहे है कि माह जुलाई में अगला सत्र प्रारम्भ होने पर अन्य स्कूल क्रियाशील हो सकें।

(3) **कुकिंग गैस**

पी.ए.सी. वाहिनियों में कुकिंग गैस एजेन्सीज खोले जाने का प्रयोग सामान्य रूप से अत्यन्त सफल रहा है अतः इसे अन्य जगहों पर भी स्थापित कराया जाय। इस पर अधिकारियों का पर्यवेक्षण आवश्यक होगा।

(4) **पी.सी.ओ.**

पी.ए.सी. वाहिनियों में पी.सी.ओ. की स्थापना अत्यन्त उपयोगी ही नहीं लाभकारी भी सिद्ध हुयी है। इसे भी अन्य स्थानों में लागू कराया जा सकता है।

(5) **जीवन रक्षक निधि**

पुलिस कर्मचारियों को कतिपय प्रमुख इलाजों के लिये आवश्यक धनराशि सुलभ कराने के लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि पुलिस महानिदेशक के नियन्त्रण में देने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं फिलहाल पी.ए.सी. की भाँति जनपदों में भी इस हेतु प्राइवेट फण्ड स्थापित कर दिया जाय।

6. अन्य

(1) **आवासों को खाली किया जाना**

अल्पावधि में स्थानान्तरण हो जाने के कारण आवासों का खाली न हो पाना एक बड़ी समस्या बन गया है। विशिष्ट मामलों में इन्हें खाली कराने के लिये दंडात्मक किराया लिये जाने तथा भर्त्सना प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। लखनऊ स्थित ट्रांजिट हास्टल के आवंटन तथा इसमें जारी अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिये भी आर.सी. शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार करके

एक सप्ताह के अन्दर संस्तुतियां दे दी जायेंगी।

(2) **विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में उपस्थिति**

अधिकारियों के इस तरह के कार्यक्रमों जैसे खेल-कूद, विदाई पार्टी आदि में उपस्थित न होने से आपसी मेलजोल एवं टीम भावना में कमी आती है अतः ऐसे कार्यक्रमों में सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

(3) **मानवीय संवेदनाएँ**

विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सभी अधिकारियों द्वारा अपनी कार्यप्रणाली को मानवीय संवेदनाओं पर आधारित रखना चाहिए ताकि सामान्य जनता तथा अधीनस्थों की समस्याओं को उनके द्वारा प्रभावी रूप से दूर किया जा सके।

हस्ताक्षर-15.05.97
(जे.एस. पाण्डेय)
पुलिस महानिदेशक के सहायक,
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट - 9.1

ओ.पी. एस. मलिक,
पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण।

अर्द्धशा0पत्र संख्या :23/जीवनरक्षक निधि-97

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
दिनांक : इलाहाबाद : जुलाई 24, 1997

प्रिय महोदय,

कृपया दिनांक 13.05.1997 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की गोष्ठी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त गोष्ठी के कार्यवृत्त के प्रस्तर-5 कल्याण के सहायक प्रस्तर-5 ''जीवन रक्षक निधि'' के अन्तर्गत पी.ए.सी. की भाँति समस्त जनपदों में भी प्राइवेट फण्ड स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. पुलिस महानिदेशक महोदय ने इलाहाबाद पुलिस लाइन में जवानों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों से सुविचारित मत माँगे थे। सभी ने एक मत होकर इसका समर्थन किया था कि पी.ए.सी. की भाँति उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याणार्थ ''जीवन रक्षक निधि'' का गठन किया जाय।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जनपदों के सम्बन्धित जोनल पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से आख्यायें भी प्राप्त की गई थी और उन्होंने इस निधि की स्थापना के लिये अपनी सहमति व्यक्त की थी। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि पी.ए.सी. के कई कर्मचारीगण, जो बहुत गम्भीर बीमारी से पीड़ित थे, जिन्हें तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, इस निधि से लाभान्वित हुये हैं और उनको समय से धनराशि उपलब्ध कराकर उनकी जान बचायी जा सकी है।

5. यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों/इकाइयों में (पी.ए.सी.) वाहिनियों को छोड़कर) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी (आई.पी.एस.अधिकारियों सहित) से स्वेच्छा से रुपया-5/- प्रतिमाह की दर से उनके वेतन से काट लिया जाय। यदि कोई कर्मी अवकाश पर अथवा निलंबित हो तो भी अंशदान लिया जायेगा। इस प्रकार जिले स्तर पर एकत्रित की गयी धनराशि का 30 प्रतिशत अंशदान जनपदीय खाते में जमा किया जायगा तथा 70 प्रतिशत धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा ''जीवन रक्षक निधि, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय'' के नाम से खोले गये खाते में जमा करने हेतु भेजी जायगी।

6. उक्त निधि से निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचार हेतु धन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है :-

(1) कैंसर

(2) गुर्दा प्रत्यारोपण

(3) हृदय प्रत्यारोपण/बाई पास सर्जरी/ओपन हार्ट सर्जरी

(4) गाल ब्लेडर सर्जरी

(5) कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण/कास्मेटिक सर्जरी

(6) दुर्घटना अथवा कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने पर गम्भीर उपचार की आवश्यकता।

(7) अन्य कोई गम्भीर बीमारी जिसके उपचार के लिये कम से कम रुपया 10,000/- एक मुश्त आवश्यकता हो।

7. उक्त निधि का गठन दो स्तर पर (1) जनपद (पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) व (2) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद दिया जाएगा। संकलित की गई धनराशि का 30 प्रतिशत जिला स्तर पर तथा 70 प्रतिशत पुलिस मुख्यालय स्तर से व्यय किया जायेगा।

8. पुलिस मुख्यालय संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य इकाइयों जैसे सी.आईड़ी., अभिसूचना, ई.ओ.डब्लू, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, खाद्य प्रकोष्ठ, सहकारिता विभाग इत्यादि-इत्यादि का पूरा अंशदान पुलिस मुख्यालय को भेजा जायेगा।

9. उक्त निधि की स्थापना हेतु रुपया-5/- प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से जुलाई 1997 के वेतन से, जो माह अगस्त 1997 में देय होगा, नियमित कटौती अवश्यमेव प्रारम्भ कर दी जाय। जिला/इकाई (पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) स्तर पर उक्त निधि के पर्यवेक्षण हेतु एक मासिक रिटर्न निर्धारित की गई है। इसी संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की कटौती का 70 प्रतिशत एवं अन्य इकाइयों का सम्पूर्ण अंशदान बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, इलाहाबाद पर देय होगा, भेजा जाना सुनिश्चित करें। यह बैंक ड्राफ्ट ''जीवन रक्षक निधि'' उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के नाम से बनेगा जो पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-23 में प्रत्येक माह 15 तारीख तक विलम्बतम् आ जाना चाहिए। इस निधि का संचालन पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

10. ''जीवन रक्षक निधि'' उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की नियमावली आपको अलग से भेजी जा रही है।

संलग्नक : एक

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, भवदीय,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश, हस्ताक्षर दि0 24.07.97

(पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) (ओ.पी.एस. मलिक)

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित ः-

1. पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, नागरिक सुरक्षा/होमगार्डस, उ0प्र0 लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक के सहायक को पुलिस महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपने संस्थानों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार कटौती कर सम्पूर्ण धनराशि पुलिस मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ः-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, राज्य विद्युत परिषद/विशेष जाँच/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि पुलिस मुख्यालय संवर्ग के सभी राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि संकलित कर बैंकर्स चेक के माध्यम से अनुभाग-23 को समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. पुलिस महानिदेशक/मुख्यालय, लखनऊ व पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के समस्त अनुभाग अधिकारी।

वे कृपया अपने अधीनस्थ कर्मियों को उक्त योजना से अवगत करा दें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगण।

जीवन रक्षक निधि

....जनपद/इकाई का नाम लिखें

वेतन................................ 20 से सम्बन्धित विवरण पत्र

....

.

1. व्यक्तियों की संख्या जिनसे अंशदान लिया गया -

2. व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अंशदान नहीं दिया -

3. गत माह के अन्त में कोष में उपलब्ध राशि रु.

4. आलोच्य माह के अंशदान से एकत्रित धन रु.

5. योग कुल उपलब्ध धनराशि रु.

6. जनपद/इकाई में रखी गई धनराशि रु.

7. पुलिस मुख्यालय भेजी गई धनराशि रु.

<u>बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें तथा निम्न विवरण दें :-</u>

(क) जारी करने वाले बैंक तथा शाखा का नाम

(ख) जारी होने की तिथि

8. इलाहाबाद में किस बैंक व शाखा पर देय होगा - भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, इलाहाबाद।

9. अंशदान के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आलोच्य माह में प्राप्त धनराशि रु.

तिथि	रैंक/नाम	धनराशि	बीमारी	विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय को किस तिथि को भेजा गया तथा पत्र संख्या

संलग्नक : बैंक ड्राफ्ट उपरोक्त कालम - 8 के अनुसार

प्रभारी जनपद/इकाई
हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>परिशिष्ट - 9.2</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि ऋण योजना

<table>
<tr><th>मूल नियमावली</th><th>प्रथम संशोधन दिनांक : 30.06.05</th></tr>
<tr><td>

1. परिभाषा एवं प्रयोजन

पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को कतिपय गम्भीर बीमारियों तथा दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की अवस्था में उच्चस्तरीय उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये **'उ0प्र0 पुलिस जीवन रक्षक निधि''** की स्थापना की गई है, जिसको अब ''उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि ऋण योजना'' कहा जायेगा।

शासन की नीति है कि सरकारी सेवक को विशिष्टि उपचार के लिये अग्रिम दिया जा सकता है। इस निधि का उद्देश्य गम्भीर बीमारियों एवं घायल होने की दशा में सम्बन्धित कर्मी को शासन से अग्रिम प्राप्ति में होने वाले विलम्ब की पूर्ति हेतु उपचार में होने वाले धन की एकमुश्त आवश्यकता को ऋण के रूप में पूरा कराना है। इस निधि की स्थापना दो स्तरों पर की गई है।

* **जनपद इकाई स्तर** इस निधि का नाम ''उ0प्र0 पुलिस .... जनपद जीवन रक्षक निधि ऋण योजना'' होगा। (उदाहरणार्थ) ''उ0प्र0 पुलिस इलाहाबाद जनपद जीवन रक्षक निधि'')

* **पुलिस मुख्यालय स्तर** इस निधि का नाम ''उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय जीवन रक्षक निधि ऋण योजना'' होगा।

2. आय का स्त्रोत तथा परस्पर विनियम का सामंजस्य

</td><td>
<table>
<tr><th>पूर्व में प्रचलित व्यवस्था</th><th>वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था</th><th>संलग्नक</th></tr>
<tr><td>जीवन रक्षक निधि कि नियमावली के अनुसार अभी तक केवल अशंदायी कर्मियों को ही इसका लाभ अनुमन्य था।</td><td>जीवन रक्षक निधि की नियमावली में संशोधित करते हुए अशंदायी कर्मी के अतिरिक्त उनकी पत्नी/पति को भी सम्मलित कर लिया गया है।</td><td>संलग्न-9.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

पुलिस बल में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की स्वेच्छा से इस योजना के लिये प्रतिमाह उनके वेतन से रु. 5/- अंशदान के रूप में काट लिया जाएगा। अंशदान निलम्बन काल एवं बिना वेतन के अवकाश की अवधि के लिये भी देय होगा। कुल जमा अंशदान का 30 प्रतिशत भाग सम्बन्धित जनपद की निधि में रखा जायेगा तथा 70 प्रतिशत भाग बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जायेगा। सभी इकाईयों से 100 प्रतिशत अंशदान सीधे पुलिस मुख्यालय बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जायेगा। सभी इकाईयों से 100 प्रतिशत अंशदान सीधे पुलिस मुख्यालय बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जायेगा। बैंक ड्राफ्ट **''उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय जीवन रक्षक निधि''** के नाम से इलाहाबाद में देय होगा। कर्मचारियों/अधिकारियों से लिया गया अंशदान अपरिवर्तनीय (Non-refundable) होगा तथा इसका व्यक्तिगत लेखा-जोखा नहीं रखा जायेगा। **3. निधि का लेखा-जोखा तथा रख-रखाव** (1) जनपदों में एकत्रित अंशदान के 30 प्रतिशत भाग का राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोलकर ''उ0प्र0 पुलिस जीवन रक्षक निधि जनपद'' के नाम जमा किया जायेगा तथा शेष 70 प्रतिशत भाग बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय को ''उ0प्र0 पुलिस जीवन रक्षक निधि'' पुलिस मुख्यालय के नाम से भेजा जायेगा। (2) पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले अंशदान को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा। (3) प्रत्येक जनपद तथा पुलिस मुख्यालय में इस निधि की पृथक से कैशबुक खोली जायेगी।	

4- निधि का प्रयोग इस निधि से निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचार हेतु ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :- (अ) कैंसर (ब) गुर्दा प्रत्यारोपण (स) हृदय प्रत्यारोपण/बाई पास सर्जरी/ओपेन हार्ट सर्जरी। (द) ब्रेन/न्यूरो सर्जरी (य) कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण। (र) दुर्घटना अथवा कर्तव्य पालन में गम्भीर रूप से घायल होने पर उच्चस्तरीय उपचार की आवश्यकता। (ल) अन्य गम्भीर बीमारी जिसके लिये कम से कम रु. 50,000/- तक की एक मुश्त आवश्यकता हो तथा मुख्यालय की समिति उचित समझे। **5- लाभान्वित किये जाने वाले व्यक्ति** इस योजना के अन्तर्गत केवल पुलिस बल के सेवारत अधिकारियों व कर्मचारियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। कालान्तर में इस निधि में जमा होने वाली धनराशि में यदि वृद्धि होती है तो इस निधि से कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्य यथा पति-पत्नी, अव्यस्क पुत्र व अविवाहित पुत्री एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को भी लाभान्वित करने पर विचार किया जायेगा। **6- निधि से धन निष्कासन की प्रक्रिया** (अ) इस निधि से जनपद या पुलिस मुख्यालय द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता बतौर ऋण होगी।	

(ब) जनपद प्रभारी अपने जनपद के पात्र व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में किसी कैलेण्डर वर्ष में सिर्फ एक बार अधिक रु. 10,000.00 तक की आर्थिक सहायता ऋण के रूप में स्वीकृत कर सकते है। सूची के अतिरिक्त अन्य बीमारियों में जहाँ एक मुश्त रु. 50,000/- की आवश्यकता है और जीवन को तात्कालिक खतरा है वही मामले पुलिस मुख्यालय ऋण हेतु भेजे जायेंगे।	
(स) कर्मचारी/अधिकारी अपने उपचार हेतु शासन से अग्रिम प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय भेजेंगे जिसे शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। साथ ही तात्कालिक आर्थिक सहायता के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर उसकी औपचारिकतायें पूरी करके ऋण की स्वीकृति हेतु पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। शासन से स्वीकृति के बाद दिये गये ऋण का समायोजन किया जायेगा। (पुलिस मुख्यालय से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है।)	
(द) अराजपत्रित अधिकारियों को दिये गये ऋण का भुगतान राजपत्रित अधिकारी के समक्ष किया जायेगा।	
(य) जनपद/इकाई के प्रभारी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपनी संस्तुति सहित पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। धन की आवश्यकता के सम्बन्ध में	

निम्नलिखित में से किसी एक की संस्तुति व आगणन की आवश्यकता होगीः- (1) राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक। (2) मुख्य चिकित्साधिकारी (3) मेडिकल कालेजों के उल्लिखित बीमारी से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (र) पुलिस मुख्यालय में उपरोक्त मामले प्राप्त होने पर एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :- (1) अपर पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। (2) पुलिस महानिरीक्षक भवन/कल्याण, कोषाध्यक्ष पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। (3) पुलिस उपमहानिरीक्षक, सदस्य मुख्यालय, इलाहाबाद यदि कर्मचारी/अधिकारी आवेदन पत्र देने की स्थिति में नहीं है तो प्रभारी पुलिस अधीक्षक अपनी ओर से ऋण हेतु अनुरोध कर सकते हैं और अन्य औपचारिकतायें की प्रतीक्षा किये बिना समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। **7. स्वीकृति एवं प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया** इस निधि से दी जाने वाली प्रत्येक सहायता चाहे वह जनपद द्वारा स्वीकृत की गई हो अथवा पुलिस मुख्यालय, बतौर ऋण के रूप में दी जायेगी और कर्मचारियों/अधिकारियों से चिकित्सा व्यय की	

प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्राप्त कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद पूर्व स्वीकृत ऋण की धनराशि समायोजित करके उसे जनपद या पुलिस मुख्यालय की धनराशि में जमा कर लिया जायेगा जिसके लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः- (क) कर्मचारियों को यह ऋण ब्याज रहित दिया जायेगा किन्तु 12 महीने के बाद यदि प्रतिपूर्ति नहीं होती तो सम्पूर्ण वेतन योग का अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से ऋण के सापेक्ष कटौती आरम्भ कर दी जायेगी। राजपत्रित अधिकारियों को 12 महीने तक ब्याज रहित ऋण दिया जायेगा। यदि इस अवधि में प्रतिपूर्ति नहीं होती तो कटौती आरम्भ कर दी जायेगी और उनसे सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर से एवं एक प्रतिशत और ब्याज लिया जायेगा। किश्तों की अवधि सामान्यता 36 होगी। यदि शेष सेवा अवधि कम है तो उसी अवधि के अन्दर किश्तों का निर्धारण किया जायेगा। जैसे ही शासन से चिकित्सा व्यय अग्रिम/प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है उस स्थिति में काटी गई धनराशि को समायोजित करते हुये अग्रिम कार्यवाही भुगतान हेतु की जायेगी। (ख) जब तक प्रथम ऋण की पूरी धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं हो जाती है, सामान्यता दूसरा ऋण नहीं दिया जायेगा।	

(ग) यदि कर्मचारी/अधिकारी उपचार हेतु ऋण लेने के बाद उपचार का उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 माह में नहीं देता तो उस स्थिति में उससे पूरी धनराशि वापस लेकर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस मुख्यालय तुरन्त वापस करेंगे। (घ) प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा दिये गये आगणन का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 3.00 लाख की सीमा तक ऋण दिया जायेगा। (ङ) यदि कर्मचारी/अधिकारी का चिकित्सा व्यय अग्रिम/प्रतिपूर्ति प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से परीक्षण करने के बाद ऋण से कम का प्राप्त होता है तो उस स्थिति में कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से शेष बची धनराशि की वसूली एकमुश्त/किश्तों में की जायेगी और उसे बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय प्रतिमाह भेजा जायेगा। (च) यदि कर्मचारी/अधिकारी ऋण लेने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ऋण की पूरी धनराशि उनके ग्रेच्युटी व अन्य देयों से काटकर बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय समायोजन हेतु भेजा जायेगा। यदि प्रतिपूर्ति प्रस्ताव दे दिया हैं तो शासन से स्वीकृति के बाद वह धनराशि कर्मचारी/अधिकारी को भुगतान कर दिया जायेगा। (छ) यदि शासन से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दिये गये ऋण से कम की प्राप्त होती है तो शेष	

धनराशि कर्मचारी/अधिकारी के वेतन व अन्य देयों से किश्तों/एकमुश्त वसूल करके बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय भेजा जायेगा। (ज) स्वीकृत ऋण की वसूली की स्थिति की जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक 3 महीने में समीक्षा करेंगे। **8. विविध** (1) इस योजना में वही अधिकारी/कर्मचारी आच्छादित होंगे जो जुलाई 1997 के पूर्व नियुक्त किये गये हैं और 1997 से आज तक रु. 5/- प्रति माह की दर से अंशदान दे रहे हैं एवं जो कर्मचारी/अधिकारी 1997 के बाद नियुक्त किये गये हैं वह नियुक्ति की तिथि से अब तक का अंशदान देंगे। साथ ही कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण वेतन व अन्य भत्ते जो उनके द्वारा आहरित किये जा रहे हैं को भी आवेदन पत्र में अंकित किया जायेगा। (2) यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत ऋण रु. 10,000/- तक की सहायता इस निधि के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी तो उसकी वसूली हेतु सम्बन्धित जनपद प्रभारी उत्तरदायी होंगे। (3) जनपद/इकाई स्तर के निधि के पर्यवेक्षण हेतु एक मासिक रिटर्न अंशदान भेजने के सम्बन्ध में निर्धारित किया गया है। प्रारूप संलग्न है।	

(4) जनपद के प्रभारी द्वारा इस धन का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये दूसरे फण्डों की तरह किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। (5) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को जब भी इस निधि से ऋण स्वीकृत किया जायेगा उसकी एक प्रति अनुभाग-एक, पुलिस मुख्यालय को दी जायेगी जो सम्बन्धित अधिकारी के व्यक्तिगत पत्रावली में रखेंगे ताकि अदेयता प्रमाण पत्र देते समय ऋण का चेकअप हो सके। (6) प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को यदि ऋण स्वीकृत किया जाये उसके लिये यह आवश्यक होगा कि सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी उनके एक जनपद/इकाई से दूसरे जनपद/इकाई में स्थानान्तरण के समय उनके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख कर दिया जाये ताकि वसूली व समायोजन में कठिनाई न हो, साथ ही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करा दिया जाये। (7) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के अधीनस्थ नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक विधान सभा सुरक्षा; लखनऊ, शासन में लम्बित अग्रिम/प्रतिपूर्ति के प्रकरणों के निस्तारण कराने हेतु ''नोडल अधिकारी'' के रूप में कार्य करेंगे। (8) इस निधि का आडिट यथा सम्भव प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुलिस मुख्यालय के सम्प्रेक्षकों द्वारा कराया जायेगा। (9) जनपदों में चल रही इस निधि का	

लेखा-जोखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का 30 अप्रैल तक पुलिस मुख्यालय निम्न प्रारूप में भेजा जायेगा।

माह का नाम	कर्मियों की संख्या	कुल प्राप्त अंशदान	पीएचक्यू भेजी गई धनराशि
1	2	3	4

जनपद में रोकी गई धनराशि	जनपद स्तर पर स्वीकृत ऋण का विवरण	जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि	वसूली की स्थिति
5	6	7	8

10 राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, की अध्यक्षता में त्रैमासिक मीटिंग नियमित रूप से होगी जिसमें समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण व पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उत्तर प्रदेश, के साथ-साथ जोनल पुलिस महानिरीक्षक भी भाग लेंगे।

संख्या : जी0र0नि0 (मु.पत्रात्र) 97-2004

दिनांक : इलाहाबाद : मई, 2004

(वी0 के0 बी0 नायर)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। 2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। 3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश। 4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश। 5. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।	

द्वितीय संशोधन दिनांक : जनवरी 2010			**चतुर्थ संशोधन दिनांक : 23.10.2013**		
पूर्व में प्रचलित व्यवस्था	**वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था**	**संलग्नक**	**पूर्व में प्रचलित व्यवस्था 9-12-2010**	**वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था**	**संलग्नक**
जीवन रक्षक निधि की नियमावली के अनुसार अभी तक केवल अशंदायी कर्मियों के अतिरिक्त पत्नी/पति को ही इसका लाभ अनुमन्य था।	जीवन रक्षक निधि की नियमावली में संशोधित करते हुए अशंदायी कर्मी के अतिरिक्त अवयस्क पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को भी सम्मिलित कर लिया गया है।	संलग्नक 9.4	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 3.00 लाख विशेष परिस्थिति में रु.2.00 लाख अर्थात् कुल रु. 5.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम की धनराशि का शत प्रतिशत अथवा अधिकतम रु.400 लाख एवं विशेष परिस्थितियों में पुनः माँग किये जाने पर रु.3.00 लाख अर्थात् कुल रु. 7.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	संलग्नक - 9.5

उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि

.... जनपद / इकाई ....

वेतन माह .... 199 से सम्बन्धित विवरण पत्र

1.	व्यक्तियों की संख्या जिनसे अंशदान लिया गया	-
2.	व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अंशदान नहीं दिया	-
3.	गत माह के अन्त में कोष में उपलब्ध राशि	रु.
4.	आलोच्य माह के अंशदान से एकत्रित धन	रु.
5.	योग कुल उपलब्ध धनराशि	रु.
6.	जनपद/इकाई में रखी गई धनराशि	रु.
7.	पुलिस मुख्यालय भेजी गई धनराशि	रु.
बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें तथा निम्न विवरण दें :-		
(क)	जारी करने वाले बैंक तथा शाखा का नाम	
(ख)	जारी होने की तिथि	
8.	इलाहाबाद में किस बैंक व शाखा पर देय होगा	- भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, इलाहाबाद।
9.	अंशदान के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से आलोच्य माह में प्राप्त धनराशि	रु.
10.	आलोच्य माह में अन्य स्त्रोतों से उक्त निधि में प्राप्त धनराशि का ब्यौरा :-	

तिथि	रैंक/नाम	धनराशि	बीमारी	विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय को किस तिथि को भेजा गया तथा पत्र संख्या

संलग्नक : बैंक ड्राफ्ट उपरोक्त
कालम-8 के अनुसार

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक
हस्ताक्षर/मोहर

नोट :- (1) यह विवरण पत्र बैंक ड्राफ्ट सहित आलोच्य माह के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(2) ड्राफ्ट की रकम बैंक खाता में प्राप्त होने के बाद आंकिक पुलिस मुख्यालय द्वारा पक्की रसीद परिपत्र द्वारा समस्त जनपद/इकाई के लिये जारी की जायेगी।

(3) उपरोक्त क्रमांक 9 के बारे में विस्तृत विवरण।

जनपद/इकाई द्वारा पुलिस मुख्यालय से जीवन रक्षक निधि से ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपचार हेतु प्राप्त करने का आवेदन पत्र

1. जनपद/इकाई का नाम
2. आवेदक का नाम व पद
3. आवेदक की जन्म तिथि
4. कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण वेतन व अन्य भत्तो का योग जो प्रत्येक माह बनता है।
5. क्या कर्मचारी/अधिकारी नियमित रूप से अंशदान दे रहा है (जनपद/इकाई के प्रभारी स्वयं समोहर प्रमाण पत्र दें)
6. क्या कर्मचारी/अधिकारी स्वयं का उपचार करायेगा और क्या बीमारी उपचार इस निधि की नियमावली के प्रस्तर 4 के अन्तर्गत है।
7. बीमारी/उपचार का विवरण तथा चिकित्सालय का नाम जहाँ पर उपचार होना है। क्या चिकित्सक इस निधि की नियमावली के प्रस्तर 6(य) 1,2,3 के अन्तर्गत आते हैं। उपचार से सम्बन्धित सम्भावित व्यय आगणन मूल रूप में संलग्न करें।
8. प्रदेश के बाहर यदि चिकित्सा होनी है तो उस स्थिति में रिफर करने वाले चिकित्सक का पुत्र व प्रार्थी का आवेदन पत्र होना चाहिये ताकि शासन से अनुमति प्राप्त की जा सके, भी संलग्न करें।
9. आर्थिक सहायता की माँग के सम्बन्ध में इस निधि की नियमावली के प्रस्तर 6(य) 1,2,3 में अंकित किसी एक चिकित्सक की संस्तुति होनी चाहिये।
10. माँग की गई धनराशि
11. जनपद/इकाई द्वारा इस निधि से स्वीकृत धनराशि का विवरण, यदि कोई हो तो
12. जनपद/इकाई के प्रभारी की संस्तुति (यह संस्तुति उनके स्वयं के हस्ताक्षर से होनी चाहिये। संस्तुति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस धनराशि हेतु संस्तुति की जा रही है वह गम्भीर बीमारियों/घायल होने की श्रेणी में आती है या नहीं।
13. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी इस उपचार हेतु पुलिस मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से मय डाक्टरी प्रमाण पत्र के उपस्थित हुआ है या नहीं।

14. प्रभारी अधिकारी परीक्षण कर अवगत कराये कि जीवन रक्षक निधि की इस माँग करने के पूर्व जी0पी0एफ0 व अन्य किसी श्रोत से कितना धन उपचार में व्यय किया जा चुका है और आर्थिक स्थिति कैसी है।

15. कर्मचारी/अधिकारी ने यदि दोबारा अग्रिम की माँग की है तो अवगत करायें कि पूर्व में स्वीकृत ऋण का उपयोग पूर्णरूप से कर लिया गया है और ऋण का पूरा समयोजन हो गया है।

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि मैं निर्धारित अवधि में अपने उपचार का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति नहीं देता या शासन से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एक वर्ष में नहीं आती तो नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मुझे दिये गये ऋण की धनराशि यदि मेरे वेतन व अन्य अनुमन्य देयों से काट ली जाती है तो उसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

समोहर प्रभारी अधिकारी
के हस्ताक्षर

संशोधित जीवन रक्षक निधि, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से स्वीकृत अग्रिम आर्थिक सहायता ऋण हेतु आवेदन पत्र।

1. जनपद/इकाई का नाम
2. आवेदक का नाम व पद
3. आवेदक की जन्म तिथि
4. कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण वेतन व अन्य भत्तों का योग जो प्रत्येक माह बनता है।
5. क्या कर्मचारी/अधिकारी नियमित रूप से अंशदान दे रहा है (जनपद/इकाई के प्रभारी स्वयं समोहर प्रमाण पत्र दें)
6. क्या कर्मचारी/अधिकारी अपने पति/पत्नी/ पुत्र/पुत्री का उपचार करायेगा और क्या बीमारी/उपचार इस निधि की नियमावली के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत है।

7. पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री का नाम

(पुत्र/पुत्री की दशा में उनके नाबालिग/अविवाहित होने का प्रमाण पत्र)

8. बीमारी/उपचार का विवरण तथा चिकित्सालय का नाम जहाँ पर उपचार होना है। क्या चिकित्सक इस निधि की नियमावली के प्रस्तर-6(य) 1, 2, 3 के अन्तर्गत आते है। उपचार से सम्बन्धित सम्भावित व्यय आगणन मूल रूप में संलग्न करें, जिसमें यह अंकित हो कि उपचार कितने समय तक चलेगा और प्रथम चरण में कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

9. प्रदेश के बाहर यदि चिकित्सा होनी है तो उस स्थिति में रिफर करने वाले चिकित्सक का पत्र व प्रार्थी का आवेदन पत्र होना चाहिये ताकि शासन से अनुमति प्राप्त की जा सके (संलग्न करें)

10. आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में इस निधि का नियमावली के प्रस्तर-6 (य) 1, 2, 3 में अंकित किसी एक चिकित्सक की संस्तुति होनी चाहिये।

11. मांग की गई धनराशि

12. जनपद/इकाई द्वारा इस निधि से स्वीकृत धनराशि का विवरण, यदि कोई हो।

13. जनपद/इकाई के प्रभारी की संस्तुति (यह संस्तुति उनके स्वयं के हस्ताक्षर से होनी चाहिये। संस्तुति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस धनराशि हेतु संस्तुति की जा रही है वह गम्भीर बीमारियों/घायल होने की श्रेणी में आती है या नहीं।

14. प्रभारी अधिकारी परीक्षण कर अवगत करायें कि जीवन रक्षक निधि की इस माँग करने के पूर्व जी0पी0एफ0 व अन्य किसी श्रोत से कितना धन उपचार में व्यय किया जा चुका है और आर्थिक स्थिति कैसी है।

15. कर्मचारी/अधिकारी ने यदि दोबारा मांग की है तो अवगत करायें कि पूर्व में स्वीकृत ऋण का उपयोग पूर्ण रूप से कर लिया गया है और ऋण का समायोजन हो गया है।

घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मैं निर्धारित अवधि में उपचार का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रस्ताव नहीं देता/देती या शासन/विभाग से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एक वर्ष में नहीं आती तो नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिये गये ऋण की धनराशि यदि मेरे वेतन व अन्य अनुमन्य देयों से काट ली जाती है तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नही है।

कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर

पद नाम सहित

समोहर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

<u>परिशिष्ट - 9.3</u>

जीरनि/महत्वपूर्ण

1. **समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त प्रभारी अधिकारी, इकाई (पीएसी छोड़कर) उत्तर प्रदेश।**

दिनांक 11.06.2005 को **''उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि''** से सम्बन्धित उच्च स्तरीय गोष्ठी का आयोजन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में **''मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ''** के सभागार में किया गया था, जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ निम्न दो निर्णय भी लिये गये हैः-

(1) ''सक्रिय ड्यिूटी में नियुक्त कर्मियों को गोली लगने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में तत्काल उपचार हेतु अग्रिम (ऋण) की आवश्यकता होती है। भविष्य में ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उनके कार्यालयाध्यक्ष की माँग पर बिना औपचारिकतायें पूरी कराये अग्रिम तुरन्त दे दिया जाये और बाद में औपचारिकतायें पूरी कराई जायेंगी। इस प्रकार के मामलों में प्रतिपूर्ति का जो 12 महीने का बन्धन नियमावली के अनुसार है, विशिष्ट परिस्थितियों में उसे शिथिल करने का अधिकार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को होगा। यदि शासन/विभाग द्वारा अग्रिम के सापेक्ष कम धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत होती है, उस स्थिति में इस प्रकार के मामलों में शेष धनराशि को माँफ करने का भी अधिकार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को होगा।''

2. अतः कृपया भविष्य में उक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(2) ''नियमावली के अनुसार अभी तक केवल सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को ही उपचार हेतु जीवन रक्षक निधि से अग्रिम दिया जाता रहा है किन्तु अब पति/पत्नी दोनों को इस योजना में वर्तमान निर्धारित अंशदान पर ही सम्मिलित किया जायेगा।''

3. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में यदि पति/पत्नी के उपचार से सम्बंधित मामले होते है तो कर्मचारी/अधिकारी संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप को भर कर उसकी औपचारिकतायें पूरी कर प्रभारी/अधिकारी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय भेजेगा और नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पति/पत्नी के मामलों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है, और उसी आधार पर अग्रिम ''ऋण'' स्वीकृत किया जायेगा। कृपया इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वह इस योजना का लाभ उठा सकें।

4. कृपया इन संशोधनों के लिये इस पत्र को ''उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि'' नियमावली के साथ सम्बद्ध करने का कष्ट करें ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के लिये संदर्भ उपलब्ध रहे।

संलग्नक : प्रारूप आवेदन पत्र

हस्ताक्षर दि0 30.06.05
(एस0 के0 रिज़वी)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

अशा0 पत्रांक : 23/जीरनि (गोष्ठी) 2005
दिनांक : इलाहाबाद : जून 30, 2005

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
3. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक, के सहायक उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5. अनुभाग-12ए, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

परिशिष्ट - 9.4

जीवन रक्षक निधि का द्वितीय संशोधन

1. **समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त प्रभारी अधिकारी, इकाई (पीएसी छोड़कर) उत्तर प्रदेश।**

जैसा कि आप भली-भाँति अवगत हैं कि जीवन रक्षक निधि से गम्भीर बीमारियों/घायल होने की दशा में उपचार हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके पत्नी/पति को अग्रिम आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। इस संबंध में दिनांक 10.12.09 को ''उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि'' से सम्बन्धित उच्च स्तरीय गोष्ठी का आयोजन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में किया गया, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया है :-

> ''नियमावली के अनुसार अभी तक केवल सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनके पति/पत्नी को ही उपचार हेतु ''जीवन रक्षक निधि'' से अग्रिम दिया जाता रहा है, किन्तु अब उनके आश्रित अवयस्क पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो/अविवाहित पुत्री को भी प्रचलित मासिक अंशदान रु. 5/- पर ही इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु एक परिवार को एक समय में एक ही व्यक्ति के लिये अग्रिम प्राप्त होगा, उसके चुकता होने पर ही यदि आवश्यकता हुई तो वह परिवार नया अग्रिम प्राप्त कर सकता है।

2. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में यदि आश्रित अवयस्क पुत्र एवं एक अविवाहित पुत्री के उपचार से सम्बन्धित मामले होते हैं तो कर्मचारी/अधिकारी संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप को भरकर उसकी औपचारिकतायें पूरी करके प्रभारी अधिकारी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय भेजा जायेगा और जीवन रक्षक निधि की नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अवयस्क पुत्र/एक अविवाहित पुत्री के मामलों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समय में परिवार के एक ही सदस्य को यह सहायता प्राप्त होगी। जब एक सदस्य के लिये, दिया गया अग्रिम चुकता हो जायेगा तब ही वह परिवार पुनः ऋण प्राप्त करने के लिये सक्षम होगा। कृपया इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों/अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके।

3. कृपया प्रश्नगत संशोधन को ''उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि'' की नियमावली के साथ रखने का कष्ट करें ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के लिये संदर्भ उपलब्ध रहे।

ह0/-
(एस0पी0 श्रीवास्तव)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

अशा0 पत्रांक : 23/जीरनि (गोष्ठी) 09
दिनांक : इलाहाबाद : जनवरी 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-12ए, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

परिशिष्ट - 9.5

जीवन रक्षक निधि/महत्वपूर्ण

1. **समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त प्रभारी अधिकारी, इकाई (पीएसी छोड़कर) उत्तर प्रदेश।**

जैसा कि आप भली-भाँति अवगत हैं कि जीवन रक्षक निधि से गम्भीर बीमारियों/घायल होने की दशा में उपचार हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके पत्नी/पति व उनके आश्रित अवयस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री को अग्रिम आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। इस संबंध में परिपत्र संख्या : 23/जीरनि (गोष्ठी)2009 दिनांक 09.12.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत ''जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम धनराशि 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 3.00 लाख एवं विशेष परिस्थिति में रु0 2.00 लाख अर्थात् कुल रु0 5.00 लाख ही स्वीकृत किया जा सकता है'' में नियमानुसार संशोधन करते हुये निम्न प्रकार का प्रावधान किया गया है।

पूर्व में प्रचलित व्यवस्था	वर्तमान व्यवस्था
जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम की धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 3.00 लाख एवं विशेष परिस्थितियों पुनः माँग किये जाने पर रु. 2.00 लाख अर्थात् अर्थात् कुल रु. 5.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम की धनराशि का शत प्रतिशत रु. 4.00 लाख एवं विशेष परिस्थितियों पुनः माँग किये जाने पर रु. 3.00 लाख अर्थात् कुल रु. 7.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।

2. कृपया उक्त सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके। कृपया प्रश्नगत संशोधन को ''उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि'' की नियमावली के साथ रखने का कष्ट करें ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के लिये संदर्भ उपलब्ध रहे।

ह0/-

(डॉ0 सूर्य कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

अशा0 पत्रांक : 23/जीरनि (गोष्ठी) 09
दिनांक : इलाहाबाद : 22 अक्टूबर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-12ए, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

परिशिष्ट - 10

ओ.पी.एस. मलिक,
पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण।

अर्द्धशा0 प. संख्या : 23/पु0मा0स्कूल-97
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
दिनांक : इलाहाबाद : जुलाई 24, 1997

प्रिय महोदय,

कृपया दिनांक 13.05.1997 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ एवं कतिपय पी.ए.सी. वाहिनियों में खोले गये स्कूलों की भाँति प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी पुलिस माडर्न स्कूल खोले जायें जिससे पुलिस कर्मियों के अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। प्रदेश की राजधानी में पुलिस माडर्न स्कूल खुल जाने के बाद अब जोनल एवं परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। जैसे-जैसे धन एकत्रित होता जायेगा, शनैः-शनैः इसी प्रकार के स्कूल अन्य जनपदों में भी खोले जायेंगे।

2. प्रस्तावित स्कूलों का स्तर उच्चकोटि का होगा जो किसी अन्य पब्लिक स्कूल के स्तर से कम नहीं होगा। पी.ए.सी. में शिक्षा निधि का गठन इसी प्रयोजन के लिये किया गया है। 16 पी.ए.सी. वाहिनियों में पुलिस माडर्न स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं जिनके शिक्षा स्तर में लगातार सुधार कर उनको लखनऊ स्थित पुलिस माडर्न स्कूल के स्तर पर लाया जा रहा है। इस निधि में पी.ए.सी. में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से स्वेच्छा से योगदान लिया जा रहा है।

3. पुलिस महानिदेशक महोदय ने पुलिस लाइन, इलाहाबाद में जवानों के सम्मेलन में उक्त बिन्दु पर सभी के विचार जानने चाहे थे। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने पी.ए.सी. की भाँति पुलिस बल के कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन हेतु पुलिस माडर्न स्कूल स्थापित करने हेतु सहर्ष सहमति प्रकट की थी।

4. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि जिला/इकाई स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों (आई.पी.एस. संवर्ग के अधिकारियों सहित)/कर्मचारियों से स्वेच्छा से रुपया-10/- प्रतिमाह की दर से अंशदान उनके माह जुलाई 1997 के वेतन से, जो उन्हें अगस्त 1997 को देय होगा, नियमित कटौती प्रारम्भ की जाये।

5. जिला/इकाई (पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) स्तर पर एकत्र की गई धनराशि ''उ.प्र. पुलिस शिक्षा कोष....'' (जनपद/इकाई का नाम) के नाम से जानी जायेगी। प्रत्येक माह-एकत्र की गई धनराशि का 30 प्रतिशत अंशदान जिला स्तर पर खोले गये शिक्षा कोष में जमा होगा और शेष 70 प्रतिशत भाग पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबद को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जायेगा। पुलिस मुख्यालय के संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य इकाइयों जैसे सी.आई.डी., अभिसूचना, ई.ओ.डब्लू., भ्र.नि.सं., खाद्य प्रकोष्ठ, सहकारिता विभाग इत्यादि-इत्यादि का पूरा अंशदान पुलिस मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट से भेजा जायेगा। अपेक्षित बैंक ड्राफ्ट उ.प्र. पुलिस शिक्षा कोष, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के नाम से बनेगा जो स्थानीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर देय होगा। अधिकारियों/कर्मचारियों से लिया गया अंशदान वापस नहीं किया जायेगा। कोष का संचालन पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा। इसके कोषाध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद होंगे।

6. उपरलिखित बैंक ड्राफ्ट के साथ एक रिटर्न, जिसका प्रारूप संलग्न है, भरकर भेजा जाना नितान्त आवश्यक है। यह बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-23 में अवश्यमेव आ जाना चाहिए।

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, भवदीय,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश, हस्ताक्षर दि0 24.07.97
(पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) (ओ.पी.एस. मलिक)

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सर्तकता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, नागरिक सुरक्षा/होमगार्डस, उ0प्र0 लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक के सहायक को पुलिस महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपने संस्थानों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार कटौती कर सम्पूर्ण धनराशि पुलिस मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, राज्य विद्युत परिषद/विशेष जाँच/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि पुलिस मुख्यालय संवर्ग के सभी राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि संकलित कर बैंकर्स चेक के माध्यम से अनुभाग-23 को समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. पुलिस महानिदेशक/मुख्यालय, लखनऊ व पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के समस्त अनुभाग अधिकारी।

   वे कृपया अपने अधीनस्थ कर्मियों को उक्त योजना से अवगत करा दें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगण।

उ.प्र. पुलिस शिक्षा कोष में जनपद/इकाई स्तर पर एकत्रित की गई धनराशि वेतन माह............. ....199 से सम्बन्धित विवरण पत्र :-

....

1.	व्यक्तियों की संख्या जिनसे अंशदान लिया गया	-
2.	व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अंशदान नही दिया	-
3.	गत माह के अन्त में कोष में उपलब्ध राशि	रु.
4.	आलोच्य माह के अंशदान से एकत्रित धन	रु.
5.	योग कुल उपलब्ध धनराशि	रु.
6.	जनपद/इकाई में रखी गई धनराशि	रु.
7.	पुलिस मुख्यालय भेजी गई धनराशि	रु.

<u>बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें तथा निम्न विवरण दें :-</u>

(क) जारी करने वाले बैंक तथा शाखा का नाम

(ख) जारी होने की तिथि

8. इलाहाबाद में किस बैंक व शाखा पर देय होगा - भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, इलाहाबाद

9. अंशदान के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से आलोच्य माह में प्राप्त धनराशि रु.

10. आलोच्य माह में अन्य स्त्रोतो से उक्त निधि में प्राप्त धनराशि का ब्यौरा :-

तिथि	अंशदान देने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता	धनराशि

संलग्नक : बैंक ड्राफ्ट उपरोक्त
कालम 7 के अनुसार

जनपद / इकाई के प्रभारी
का हस्ताक्षर एवं मोहर

परिशिष्ट - 10.1

उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाईयों में ''पुलिस माडर्न स्कूल'' की स्थापना।

प्रस्तावना

वर्ष 1994 में गोमती नगर, लखनऊ में ''पुलिस माडर्न स्कूल'' की स्थापना की गई थी, जिसमें पुलिसजनों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है। यह स्कूल सी.बी.एस.ई. की पद्धति पर आधारित है। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है।

शिक्षा की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये लखनऊ में स्थापित पुलिस माडर्न स्कूल की तरह अन्य स्थानों पर ऐसे स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है। इन स्कूलों को स्थापित करने एवं चलाने हेतु पुलिस कर्मियों द्वारा अपने वेतन से प्रतिमाह रु. 10/- स्वेच्छा से अंशदान देने की भी सहमति व्यक्त की गई।

पुलिस माडर्न स्कूल की स्थापना

वर्तमान समय में पी.ए.सी. की 16 वाहिनियों में पुलिस माडर्न स्कूल चल रहे हैं। इसी तरह पहले जोनल एवं परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में स्कूल खोले जायेंगे। इसके उपरान्त शनै-शनै प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस माडर्न स्कूलों की स्थापना की जायेगी। पुलिस माडर्न स्कूल के दो विंग होंगे- (1) जूनियर विंग क्लास 1 से 5 तक तथा (2) सीनियर विंग क्लास 6 से 12 तक होगा।

स्कूल का माडल

यह स्कूल ''पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ'' की पद्धति पर आधारित होंगे तथा उसी स्कूल का सिलेबस एवं यूनीफार्म आदि इन पर भी लागू होंगे।

निदेशक मण्डल एवं प्रबन्ध समिति

ये सभी स्कूल ''उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा समिति'' के अधीन कार्य करेंगे। इन स्कूलों के संचालन हेतु केन्द्रीय स्तर पर निदेशक मण्डल एवं स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध समिति रहेंगी, जिसका गठन निम्न प्रकार होगा :-

(1) निदेशक मण्डल

1.	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	**अध्यक्ष**
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	**सदस्य**
3.	अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	**सदस्य**
4.	अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	**सदस्य**
5.	पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	**सदस्य**

6. पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ — **पदेन सचिव**

7. पुलिस उपमहानिरीक्षक, भवन/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। — **कोषाध्यक्ष**

निदेशक मंडल की प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक होनी चाहिये।

(2) प्रबन्ध समिति

1. संरक्षक - जोनल पुलिस महानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष - पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय/अनुभागीय पी0ए0सी0, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी/सेनानायक, पी0ए0सी0 वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्धक - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी/सेनानायक, पी0ए0सी0 वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव - अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद पुलिस लाइन/ उप-सेनानायक, पी0ए0सी0 वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
6. संचालक - क्षेत्राधिकारी, जनपद पुलिस लाइन/सैन्य सहायक, पी0ए0सी0 वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
7. कोषाध्यक्ष - आंकिक, जनपद पुलिस कार्यालय/वाहिनी कार्यालय।
8. सदस्य - जनपद/वाहिनी में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन/शिविरपाल पी0ए0सी0 वाहिनी तथा प्रधानाचार्य पुलिस माडर्न स्कूल।

यदि पी.ए.सी. वाहिनी में स्कूल स्थापित किया जाता है तो प्रबन्ध समिति के पदाधिकारीगण पी0ए0सी0 से सम्बन्धित ऊपर आंकिक प्रबन्ध समिति के अधिकारी होंगे। इसी तरह यदि जनपद पुलिस लाइन में स्कूल स्थापित किया जाता है तो प्रबन्ध समिति के पदाधिकारीगण जनपद पुलिस से सम्बन्धित होंगे। अतएव वाहिनी या जनपद पुलिस लाइन में पुलिस माडर्न स्कूल की स्थापना के आधार पर प्रबन्ध समिति की संरचना ऊपर अंकित अधिकारियों में से बनेंगी।

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

संरक्षक

1. अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त पुलिस माडर्न स्कूलों का पर्यवेक्षण व समन्वय करेंगे ताकि प्रत्येक स्कूल का स्टेन्डर्ड एक समान ऊँचा रखा जा सके।

2. प्रबन्ध समिति का मार्गदर्शन।
3. कठिनाईयों का निराकरण कराना।
4. अन्य कार्य जो स्कूल के हित में हो।

अध्यक्ष

1. प्रबन्ध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. स्कूल का सही ढंग से संचालन सुनिश्चित करना।
3. परिक्षेत्र/अनुभाग के समस्त स्कूलों में समन्वय बनाना।
4. अन्य कार्य जो निदेशक मण्डल संरक्षक द्वारा समय-समय पर दिये जाये।

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. स्कूल के संचालन में सहयोग करना।
3. प्रधानाचार्य का मार्गदर्शन करना तथा उनकी कठिनाइयों का बराबर निराकरण कराते रहना।
4. अन्य कार्य जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

प्रबन्धक

1. स्कूल के प्रबन्धक का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व।
2. अन्य कार्य जो जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें।

सचिव

1. स्कूल के प्रबन्धक से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख-रखाव।
2. स्कूल से सम्बन्धित पत्राचार करना।
3. अन्य कार्य जो प्रबन्धक/अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

संचालक

1. स्कूल के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की जिम्मेदारी, जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाय :-
   - (क) भवनों का निर्माण, सामान्य रख-रखाव तथा दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयों का निराकरण।
   - (ख) फर्नीचर व अन्य सामग्री का क्रय, समुचित रख-रखाव में प्रधानाचार्य की सहायता करना तथा मरम्मत आदि समय से कराना।

(ग) स्कूल की दैनिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति।

(घ) अन्य कार्य जो सचिव/प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

कोषाध्यक्ष

स्कूल के कोष के रख-रखाव एवं समुचित संचालन कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व।

सदस्य

1. आहूत विभिन्न बैठकों में सम्मिलित होकर अपनी सुविचारित राय एवं सुझाव देना।
2. स्कूल के प्रबन्धन में सचिव/प्रबन्धक की आवश्यकतानुसार सहायता करना।
3. अन्य कार्य जो सचिव/प्रबन्धक/अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

चयन समिति

स्कूल के स्टाफ के चयन हेतु प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों की निम्नलिखित समितियाँ होगी :-

प्रधानाचार्य का चयन

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. प्रबन्धक
4. सचिव
5. अन्य शिक्षाविद, जिसे समिति विशेषज्ञ के रूप में नामित करना चाहें।

शिक्षकों का चयन

1. उपाध्यक्ष
2. सचिव
3. स्कूल प्रधानाचार्य
4. अन्य विशेषज्ञ शिक्षाविद, जिसे समिति नामित करना चाहें।

प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के चयन के उपरान्त चयन समिति द्वारा निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अन्य स्टाफ

1. प्रबन्धक
2. सचिव
3. प्रधानाचार्य

4. संचालक

विज्ञापन आदि

स्टाफ के चयन हेतु स्थानीय स्तर पर तथा समाचार माध्यमों द्वारा पर्याप्त समय देते हुये निर्धारित अर्हतायें रखने वालों से आवेदन-पत्र समय पर आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त प्रार्थना पत्रों का सम्पूर्ण विवरण सचिव द्वारा तैयार कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाया करेगा।

स्कूल यूनिफार्म

प्रत्येक जनपद/वाहिनी के पुलिस माडर्न स्कूल की वही यूनिफार्म होगी, जो पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ की है। पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ में अभी निम्नलिखित यूनीफार्म प्रचलित है :-

विवरण	छात्र	छात्रायें
गर्मी	1. हल्के नीले रंग की कमीज टेरीकाट	1. लाइट ब्लू ब्लाउज टेरीकाट
	2. ग्रे हॉफ पैन्ट	2. ग्रे रंग की स्कर्ट
	3. मैचिंग टाई/बेल्ट	3. मैचिंग टाई/बेल्ट
	4. काले जूते/मोजे	4. काले जूते/मोजे
सर्दी	1. तदैव	1. तदैव
	2. नेबी ब्लू ब्लेजर	2. नेबी ब्लू स्वेटर

विद्यालय का समय

स्कूल के समय का निर्धारण प्रधानाचार्य द्वारा प्रबन्धक की राय से समय-समय पर किया जायेगा।

स्कूल की फीस

पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ में जो फीस निर्धारित है वही फीस अन्य स्कूलों में भी होगीं। पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ में फीस निम्न प्रकार है :-

(क) वार्षिक शुल्क :-

1. प्रवेश शुल्क	200/-
2. परीक्षा शुल्क (दो बार में रु. 50/- प्रत्येक)	100/-
3. खेल शुल्क	50/-
4. रजिस्ट्रेशन शुल्क	50/-
5. चिकित्सा शुल्क	50/-
6. मैंगजीन शुल्क	20/-
योग	470/- प्रति छात्र

(ख) मासिक शुल्क रु. 200/-

उपरोक्त मासिक शुल्क में पुलिस विभाग के मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को 50 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी तथा उपनिरीक्षक तथा उससे उच्च स्तर के उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों के बच्चों को मासिक शिक्षा शुल्क में 25 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी। प्रत्येक शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर, फीस के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

बजट एवं वित्तीय श्रोतः

स्कूल के लिये आर्थिक व्यवस्था का श्रोत तथा व्यय छात्र/छात्राओं से लिया जाने वाला शुल्क तथा अन्य विभिन्न प्रकार के अंशदानों से वहन किया जायेगा। इस धनराशि का संचालन प्रबन्धक द्वारा कोषाध्यक्ष के माध्यम से किया जायेगा। प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि कार्य चलाने के लिये अग्रिम के रूप में दी जायेगी। फीस एवं स्कूल में प्राप्त/व्यय की धनराशि का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा रखा जायेगा। धनराशि को प्रबन्धक द्वारा निर्धारित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा में रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष :

चूँकि सम्बन्धित जनपद के स्कूल से प्राप्त होने वाली फीस एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान) स्कूलों के संचालक के लिये पर्याप्त नहीं होगी, अतः समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से रु. 10/- प्रति व्यक्ति प्रतिमाह स्वैच्छा अंशदान जुलाई 1997 के वेतन (जो अगस्त 1997 में आहरित होगा) से लिये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त होने वाली धनराशि का नाम ''**उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष**'' होगा। प्रत्येक माह कुल जमा अंशदान बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन एवं कल्याण) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जायेगा। बैंक ड्राफ्ट ''**उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष**'' के नाम से पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में देय होगा। अधिकारियों/कर्मचारियों से लिया गया अंशदान उन्हें वापस नहीं किया जायेगा।

कोष का संचालन

इस कोष का नाम ''उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष'' होगा और इसका संचालन उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के स्तर पर किया जायेगा। जनपद स्तर पर इसका नाम ''उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष (जनपद का नाम/शाखा का नाम) होगा।

कोष का लेखा-जोखा तथा रख-रखाव

(1) जनपदों में एकत्रित अंशदान की राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खाता खोलकर ''उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष'' (जनपद का नाम/शाखा का नाम) के नाम जमा किया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन एवं कल्याण) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को ''उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष'' के नाम भेजा जायेगा।

(2) पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एवं पुलिस की अन्य शाखाओं, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त होने वाले अंशदान को ''उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष'' में जमा किया जायेगा।

(3) पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले अंशदान को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा।

पुलिस मुख्यालय में इस कोष की पृथक से कैश बुक खोली जायेगी तथा इसका पर्यवेक्षण पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन/कल्याण), पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

कोष का उपयोग

इस कोष से विभिन्न जनपदों/वाहिनियों के पुलिस माडर्न स्कूल हेतु एकमुश्त बिना लौटाये जाने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जा सकेगा-

(1) पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय

(2) विज्ञान व प्रयोगशाला से सम्बन्धित सामग्री व उपकरणों का क्रय।

(3) फर्नीचर का क्रय

(4) भवन

(5) अन्य कोई मद जो स्कूल के हित में हो पर निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

कोष से धन के आवेदन की प्रक्रिया

जनपद/वाहिनी के पुलिस माडर्न स्कूल के संचालक के लिये पुलिस मुख्यालय से धनराशि की मांग करते समय (1) स्कूल प्रबन्ध की कारिणी समिति की संस्तुति (2) मांगी गई धनराशि का पूर्ण औचित्य भेजेंगे।

पुलिस मुख्यालय में धनराशि का मांग-पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन एवं कल्याण), पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार धनराशि आवंटित की जायेगी।

विविध

(1) पुलिस मुख्यालय को कोई संस्तुति भेजने के पूर्व पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/सेनानायक, पी0ए0सी0 यह प्रमाणित करेंगे कि उनके जनपद/वाहिनी का स्कूल सुचारू रूप से कार्यरत है तथा जनपद/वाहिनी के कर्मी नियमित रूप से प्रत्येक माह अंशदान दे रहे हैं।

(2) इस नियमावली में समय-समय पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संशोधन निदेशक मंडल द्वारा किया जायेगा।

संख्या : प्रनि/सीए-3-12-94/4308

दिनांक : लखनऊ : अगस्त 06, 1997

ह0/-

(श्रीराम अरूण)

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोनल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोनल पी0ए0सी0 उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, अनुभाग पी0ए0सी0 उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सेनानायक, पी0ए0सी0, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>परिशिष्ट - 10.2</u>

कार्यालय सचिव, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति, लखनऊ।

पत्र संख्या : सचिव - उ0प्र0पु0शि0स0-कार्यवृत्त (24.7.2010)

दिनांक : लखनऊ : अक्टूबर 2010

प्रेषक,

भानु प्रताप सिंह
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन,
एवं सचिव, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ0प्र0 लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4- अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

5- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ।

6- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर/लखनऊ/मेरठ/मुराबादाबाद/बरेली/आगरा/गोरखपुर।

7- जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पूर्वी जोन/मध्य जोन/पश्चिमी जोन।

8- परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, देवीपाटन/बस्ती/सहारनपुर/झाँसी।

9- अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी, वाराणसी, मुरादाबाद/लखनऊ/मेरठ/कानपुर/आगरा/बरेली।

10- पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-लखनऊ/आगरा/बरेली।

11- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, इटावा, बदायूँ, रामपुर, झाँसी, सिद्धार्थनगर, बहराइच, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कौशाम्बी।

12- सेनानायक, 6वीं वा0पी0ए0सी0, मेरठ, 08वी वाहिनी पी0ए0सी0, बरेली, 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर, 15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा, 41वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद, 45वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ चतुर्थ वी0 पीएसी, इलाहाबाद, 09वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद, 12वीं वाहिनी पीएसी, फतेहपुर,

20वीं वाहिनी पीएसी, आजमगढ़, 25वीं वाहिनी पीएसी, रायबरेली, 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर, 28वीं वाहिनी पीएसी, इटावा, 30वीं वाहिनी पीएसी, गोण्डा, 33वीं वाहिनी पीएसी, झाँसी, 34वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी, 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ, 36वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी, 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर, 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ 39वीं वाहिनी पीएसी, मीरजापुर।

महोदय,

कृपया पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या : डीजी-तीन 12 (10) 2009, दिनांक : 10.09.2010 के साथ दिनांक : 27.07.2010 के कार्यवृत्त की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा उक्त कार्यवृत्त अनुमोदित कर दिया गया है।

2- अनुरोध है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय निदेशक मण्डल, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति की गोष्ठी दिनांक : 24.07.2010 के कार्यवृत्त की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : यथोपरि। ह0/-

(भानु प्रताप सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पूर्वी जोन
एवं सचिव, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सन्दर्भ बिन्दु

क्र0सं0	**विषय**	**पैरा संख्या**
1	प्रबन्धन शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	अ
2	महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति का सशक्तिकरण	व (1-10)
3	विद्यालय संसाधनों का सदुपयोग	ब-1
4	स्कूल में कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण	ब-2
5	अधिवर्षता आयु को प्राप्त शिक्षको के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय	ब-3
6	पुलिस कर्मियों की शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्ति	ब-4
7	स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन	ब-5

8	वेतन एवं शिक्षण शुल्क का निर्धारण	ब-6
9	कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0)	ब-7
10	प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था	ब-8
11	अनुशासनात्मक कार्यवाही	ब-9
12	विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी निर्णय	ब-10
13	प्रकिया का सरलीकरण	स (01-03)
14	केन्द्रीय कोष का गठन	स-1
15	अवसंरचना का विकास	स-2
16	नये भवनों का निर्माण	स-3
17	अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय	द (01-07)
18	स्थानीय प्रबन्ध समिति के गठन में संरचनात्मक परिवर्तन	स-1
19	उ0प्र0 पुलिस कल्याण शिक्षा समिति की सदस्यों को नामित किया जाना (संलग्नक-1)	स-2
20	सचिव, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति के पद पर नियुक्ति	स-3
21	छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बरतने पर जोर	स-4
22	मेघावी छात्रों हेतु स्कालरशिप की व्यवस्था	स-5
23	Success Stories	
24	पुलिस माडर्न स्कूलों में कम्प्यूटर की सम्पूर्ति	स-7
25	प्रदेश में प्रचलित पुलिस माडर्न स्कूल द्वारा प्रेषित एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु-1-17

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में पी0ए0सी0 मुख्यालय स्थित सभागार में केन्द्रीय निदेशक मण्डल, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति की दिनांक : 24.07.2010 को सम्पन्न गोष्ठी का कार्यवृत्त।

गोष्ठी का प्रारम्भ श्री ए0एस0गणेश, सेनानायक 35वीं वाहिनी पीएसी/सचिव केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्वागत के साथ किया गया एवं पुलिस माडर्न स्कूल के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

श्री करमवीर सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा माडर्न स्कूल के गठन एवं उसके उद्देश्य को पुनः स्मरण कराते हुए यह कहा कि पुलिस माडर्न स्कूल के स्थापना का मूलभूत उद्देश्य पुलिस परिवार के बच्चो को Qualitative Education प्रदान करना है। यह एक Welfare Measure है न कि Profit Venture

कर्मचारी इस योजना के सक्रिय भागीदार भी है और लाभार्थी भी है। इनके बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना योजना का सर्वोपरि उद्देश्य है।

इस गोष्ठी में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :-

1	कर्मवीर सिंह, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	5	दिलीप त्रिवेदी, अपर पुलिस महानिदेशक, भ0/क0 उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।	कोषाध्यक्ष
2	श्री डी0 के0 शर्मा, पुलिस महानिदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ	विशेष आमंत्रित सदस्य	6	श्री ए0के0डी0 द्विवेदी पुलिस महानिरीक्षक, एवं पुलिस महानिदेशक, के सहायक, उ0प्र0।	सदस्य
3	श्री आर0के0 तिवारी, पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य	7	श्री हरिशचन्द्र कश्यप, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।	विशेष आमत्रित सदस्य
4	श्री मुमताज अहमद, अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0प्र0, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित सदस्य	8	श्री अरूण कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्यजोन, उ0प्र0 लखनऊ।	विशेष आमत्रित सदस्य

9	श्री भानु प्रताप सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन, उ0प्र0 लखनऊ	विशेष आमंत्रित सदस्य	12	श्री ए0एस0 गणेश, सेनानायक, 35 वी वाहिनी एवं सचिव निदेशक, मण्डल, लखनऊ।	सदस्य (कार्यवाहक सचिव)
10	श्री आर0 पी0 सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पश्चिमी जोन, मुरादाबाद	विशेष आमंत्रित सदस्य	13	श्रीमती दीप्ति दीक्षित, केन्द्रीय कार्यालय पुलिस मार्डन स्कूल, महानगर, लखनऊ।	ओ0एस0 डी0
11	श्री प्रभात कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	विशेष आमंत्रित सदस्य			

निदेशक मण्डल, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त इस गोष्ठी में मुख्य रूप से निम्नवत् नीतिगत निर्णय लिये गये :-

(अ) प्रबन्धक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण-

पुलिस मार्डन स्कूल प्रबन्धन की मौजूदा व्यवस्था अत्यन्त केन्द्रीकृत है, अतः विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया। केन्द्रीय निदेशक, मण्डल एक नीति निर्धारित करने वाली निकाय (Body) है। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए स्थानीय प्रबन्ध समितियों को सशक्त एवं अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों के शुल्क निर्धारण, अध्यापको के वेतन/भत्तों का निर्धारण, अध्यापको की संख्या निर्धारित करने एवं विद्यालय के अनुरक्षण एवं साज-सज्जा से संबंधित निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया गया। उपरोक्त विषयों में निर्णय लेने के लिए स्थानीय प्रबन्ध समितियाँ स्वत्रंत एवं सक्षम होगीं। इस प्रक्रिया में यह शर्त होगी की उक्त समस्त कार्यों हेतु केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा शिक्षा नीति से किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जायेगा। स्थानीय प्रबन्ध सतिति द्वारा उपरोक्त समस्त खर्चो का वहन स्वयं किया जायेगा। यह व्यय विद्यालय को होने वाली आय (शिक्षण शुल्क) से वहन किया जायेगा।

(ब) महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति का सशक्तिकरण-

1- विद्यालय संसाधनो का सदुपयोग-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि कर्मचारियों के अंशदान से सृजित कोष के पैसे से विभिन्न विद्यालयों को स्थापित किया गया है इनका पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करना स्थानीय प्रबन्ध समिति की जिम्मेदारी है जिसके निर्वाहन में निम्न बिन्दुओं पर स्थानीय प्रबन्ध समिति का ध्यान आकर्षित किया जाता है :-

- <u>Optimum utilization of Teaching Staff</u> प्रत्येक स्कूल में आवश्यकता अनुरूप शिक्षक नियुक्त हो। प्रत्येक शिक्षक से निर्धारित संख्या में व्याख्यान लिया जाना चाहिए। उच्च कक्षाओं के अध्यापक यदि उपलब्ध हो तो उनके ठीक Junior Wing के classes लिये जा सकते है। हर दशा में प्रत्येक शिक्षक निर्धारित संख्या में व्याख्यान ले, इसको सुनिश्चित करना प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

- <u>Optimum utilization of School Building.</u> प्रत्येक स्कूल के भवन के कक्षाओं की क्षमता आंकलन कर प्रत्येक कक्षा की Scating capacity का अधिकतम उपयोग अवश्य निश्चित किया जाय। विद्यालय के शैक्षणिक स्तर के गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिससे अधिक संख्या में अभिभावक/छात्र आकर्षित हो सके।

- <u>Tapping additional sources of income.</u> प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होते है। इनके केन्द्रो को परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था मानदेय प्रदान करती है। यह आय पुलिस माडर्न स्कूल के अनुरक्षण के कार्यों में **उपयोग की जा सकती है। इसके लिए L.M.C. को proactive होने की आवश्यकता है।**

2- स्कूल में कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण-

विभिन्न पुलिस मार्डन स्कूलों में शिक्षको की नियुक्ति के सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया जाता है कि वह इस सम्बन्ध में सी0बी0एस0ई0 उपनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वत्रंत है।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्थानीय प्रबन्ध समिति को पुलिस माडर्न स्कूल की आवश्यकतानुसार शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की संख्या घटने एवं बढ़ाने हेतु भी पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया है। विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किस पद श्रेणी में की जाये, के सम्बन्ध में सी0बी0एस0ई0 उपनियम (बाइलाज) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति सक्षम एवं स्वतंत्र होगी। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ने पर उनके वेतन पर होने वाले व्यय को स्कूल स्वयं वहन करेगा। केन्द्रीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता इस आशय हेतु प्रदान नहीं की जायेगी।

3- अधिवर्षता आयु को प्राप्त शिक्षकों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकीय एवं गैर अध्यापकीय स्टाफ के लिए अधिवर्षता आयु सी0बी0एस0ई0 नियमावली के अनुसार निश्चित की जाय। यदि किसी कर्मचारी को उसकी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने

के उपरान्त भी स्कूल हित में रखा जाना आवश्यक हो तो उसे अनुबन्ध के आधार पर क्रमशः एक-एक वर्ष के लिए रखा जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया गया है। स्थानीय प्रबन्ध समिति अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षक को एक वर्ष की संविदा पर नई नियुक्ति हेतु केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित करेगी जिस पर अन्तिम निर्णय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा लिया जायेगा।

4- पुलिस कर्मियों की शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्ति-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन पुलिस माडर्न स्कूलों में अपेक्षाकृत अच्छे स्तर के शिक्षक नहीं मिल पा रहे है वहाँ पर स्थानीय प्रबन्ध समिति पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी को निःशुल्क शिक्षण कार्य हेतु एवं अन्य शिक्षाविद् जो शिक्षण कार्य में रूचि रखते हो, को honorarium पर विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग कर सकते है।

5- स्कीनिंग टेस्ट का आयोजन-

वर्ष-2009 में पुलिस माडर्न स्कूलों में नियुक्त अध्यापकीय स्टाफ को नया वेतनमान दिये जाने के लिए स्कीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमें सफल अभ्यर्थियों को नया वेतनमान दिया गया था तथा असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को पुराने वेतनमान पर इस शर्त के साथ रखा गया था। कि यदि वे भविष्य में होने वाले स्कीनिंग टेस्ट में सफल होते हैं तो उन्हें नया वेतनमान दे दिया जायेगा।

इस संबंध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया गया कि वे अपने स्तर से किसी शिक्षाविद् की सहायता लेकर अपने-अपने पुलिस माडर्न स्कूलों में स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन एक माह के भीतर करा लें तथा उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नया वेतनमान दिये जाने पर अपने स्तर से निर्णय लें।

6- वेतन एवं शिक्षण शुल्क का निर्धारण-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि केन्द्रीय स्तर से लागू वेतनमान को दिये जाने में कई स्कूलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय स्तर से लागू किये गये मूल वेतन संरचना यथावत रहेगा, परन्तु इसे इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि समस्त पुलिस माडर्न स्कूल में निर्धारित मूल वेतनमान एकसमान होगा तथा महँगाई, भत्ता से संबंधित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को समाप्त कर अपने स्तर से निर्धारित करने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया जाता है। स्थानीय प्रबन्ध समिति को स्कूलों में अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ को दिये जाने वाले को स्थनीय परिस्थितियों के अनुसार एवं स्कूल की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये जाने का अधिकार दिया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ को दिये जाने वाले वेतन एवं विद्यालय के अनुरक्षण, साज-सज्जा इत्यादि पर होने वाले व्यय का स्कूल को शिक्षण शुल्क से होने वाली आय से करनी होगी। इसमें

केन्द्रीय स्तर पर सामान्य परिस्थिति में किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

7- कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0)-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूल के हित में स्थानीय प्रबन्ध समिति प्रत्येक माह के प्रथम पक्ष में गोष्ठी आयोजित करेगी तथा उस गोष्ठी का कार्यवृत्त सचिव केन्द्रीय निदेशक मण्डल को उपलब्ध कराएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि स्थानीय प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक प्रत्येक सप्ताह किसी कार्य दिवस में संबंधित पुलिस माडर्न स्कूल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होंगे तथा स्कूल की प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

9- अनुशासनात्मक कार्यवाही-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष पुलिस माडर्न स्कूलों में कार्यरत अध्यापकीय एवं गैर अध्यापकीय स्टाफ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि अधिकतर पुलिस माडर्न स्कूल सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, अतः अध्यापकीय एवं गैर अध्यापकीय स्टाफ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की नियमावली के अन्तर्गत अनुशासत्मक कार्यवाही कर सकेंगे।

10- विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी निर्णय-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के अंक प्रतिशत कम होने के कारण उन्हें पुलिस माडर्न स्कूल में दाखिला नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "Denial of right to admission on basis of merit should not be done for first time"

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूल में किसी भी पुलिस कर्मचारी के बच्चें को किसी भी परिस्थिति में प्रथम बार दाखिले से न रोका जाय। यदि किसी छात्र के प्रदर्शन में लगातार गुणात्मक सुधार नहीं होता है तो उनके सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति स्वतंत्र होगी। यदि प्रथम बार दाखिले से किसी पुलिसकर्मी के बच्चे को रोका जाता है तो सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सभी पुलिस माडर्न स्कूलों के प्रबन्धक इस संबंध में अपने-अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दें।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस माडर्न स्कूल का व्यापक प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाये, जिससे विद्यालय में अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देकर गुणात्मक शिक्षा दी जा सके। इसके लिए नये शिक्षण सत्र में प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित भी करायी जाये।

(स) प्रक्रिया का सरलीकरण

1- केन्द्रीय कोष का गठन-

वर्तमान में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं पीएसी मुख्यालय, लखनऊ में दो अलग-अलग निधियों/कोष प्रचलित है। इन दोनों निधियों के विलय की आवश्यकता को महसूस करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पीएसी मुख्यालय, लखनऊ में एक समेकित केन्द्रीय कोष की स्थापना की जाये। इसके लिए पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी उ0प्र0 को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कोष का संचालन पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

2- अवसंरचना का विकास (Infrastructure Development)

(अ) सामान्यतः किसी भी पुलिस माडर्न स्कूल में संरचानात्मक विकास पर होने वाले व्यय का खर्च केन्द्रीय कोष द्वारा वहन किया जायेगा, जिसमें नये भवनों का निर्माण, मौजूदा भवनों का विस्तार, प्रयोगशालाओं इत्यादि का निर्माण, वृहद मरम्मत आदि शामिल होगा।

(ब) सामान्यतः किसी भी पुलिस माडर्न स्कूल में मरम्मत कार्य, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य उपकरणों पर होने वाले व्यय, स्थानीय प्रबन्ध समिति वहन करेगी, जो निर्धारित वित्तीय सीमा के अधीन होगा। विशेष परिस्थितियों में इन खर्चो का वहन स्कूल आय से न कर पाने की दशा में स्थानीय प्रबन्ध समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर अन्तिम रूप से निर्णय केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा लिया जायेगा।

(स) केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा विभिन्न पुलिस माडर्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के बिन्दु पर सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल को निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़े एकत्रित कर एक विस्तृत प्रस्ताव अगामी केन्द्रीय निदेशक मण्डल की त्रैमासिक गोष्ठी में प्रस्तुत करेंगे।

3- नये भवनों का निर्माण-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष स्कूलों के भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण के लिए किसी कार्यदायी संस्था को कार्य आंवटित कराये जाने पर विचार विमर्श हुआ :-

- पुलिस महानिदेशक, पीएसी द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि वर्तमान प्रकिया में यूनिट प्रभारी द्वारा आगणन तैयार कराकर प्रस्ताव केन्द्रीय निदेशक मण्डल को प्रेषित करते है, जिसे तकनीकी परीक्षण हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जाता है। तकनीकी परीक्षण के उपरान्त वित्तीय

स्वीकृति एवं धन सम्बन्धी यूनिट को अवमुक्त किया जाता है। तदोपरान्त यूनिट प्रभारी अपने स्तर से स्वीकृति कार्य के सम्पादन हेतु टेन्डर आमंत्रित कर न्यून्तम टेण्डर डालने वाले से कार्य सम्पादित कराते है। इस पूरी प्रकिया में व्यवहारिक रूप से अत्यधिक समय लगता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि PWD के Schedule of rates के रिवीजन के फलस्वरूप पूर्व में स्वीकृत धनराशि में कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता है, जिसका पुनः रिवार्डज्ड एस्टीमेट भेजा जाता है। अतः इस प्रक्रियात्मक विलम्ब एवं Project cost escalation से बचने के लिए किसी कार्यदायी संस्था (सरकारी/गैर सरकारी) को अधिकृत किये जाने की आवश्यकता है। यह संस्था आगणन से लेकर निर्माण तक सम्पूर्ण कार्य करेगी।

- अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा किसी एक सस्था को उपरोक्त कार्य हेतु अधिकृत न किये जाने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि वर्तमान व्यवस्था को ही सुचारू रूप से संचालित करना उपयुक्त होगा, क्योंकि इससे competitive bidding के आधार पर project cost पर न्यूनतम खर्च आयेगा।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रकरण की महत्ता के अनुसार LMC भवनों के निर्माण सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। LMC को यह स्वतंत्रता होगी कि प्रस्तावित भवन का आगणन तैयार कर तकनीकी परीक्षण एवं बजट स्वीकृति प्राप्त कर भवन का निर्माण किसी कार्यदायी संस्था या टेण्डर के माध्यम से सम्पादित कराये। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उक्त प्रक्रिया में भवन निर्माण की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो।

(द) अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय-

1- स्थानीय प्रबन्ध समिति के गठन में संरचनात्मक परिवर्तन-

पुलिस माडर्न स्कूल की हैण्ड बुक के अध्याय-2 स्थानीय प्रबन्ध समिति में पुलिस महानिरीक्षक जनपदीय जोन/पीएसी जोन को पुलिस माडर्न स्कूल का संरक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्रीय/पीएसी अनुभाग को पुलिस माडर्न स्कूल का अध्यक्ष नामित किया गया है।

चूँकि प्रदेश में जोनल पुलिस महानिरीक्षक के पद समाप्त कर दिये गये है। अतः ऐसे स्थिति में परिक्षेत्र स्तर पर नियुक्त अधिकारी (पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस उपमहानिरीक्षक) पुलिस माडर्न स्कूल के संरक्षक एवं अध्यक्ष दोनों पदों के कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे। पीएसी वाहिनियों में स्थित पुलिस माडर्न स्कूलों के लिए पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी।

2- उ0प्र0 पुलिस कल्याण शिक्षा समिति की सदस्यों को नामित किया जाना-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष उ0प्र0 पुलिस परिवार कल्याण शिक्षा समिति की मा0

सदस्याओं को नामित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा संलग्नक-1 में नामित सदस्यों को उ0प्र0 पुलिस परिवार कल्याण शिक्षा समिति के पदाधिकारी के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया।

3- सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल के पद पर नियुक्ति-

सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल का पद दिनांक : 31.08.2009 से पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, उ0प्र0 के पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण रिक्त है। अतः ऐसी स्थिति में पुलिस माडर्न स्कूलों के महत्वपूर्ण कार्य लम्बित है। वर्तमान समय में इस कार्य हेतु सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया। मौजूदा व्यवस्था में पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार पदेन सचिव का कार्य करते हैं। केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा सचिव पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राविधानित नियमों को शिथिल करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस पद पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के किसी अधिकारी को नामित किया जायेगा।

इस गोष्ठी में अध्यक्ष, केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन, उ0प्र0 लखनऊ को सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल के पद पर नामित किया गया है।

4- छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बरतने पर जोर-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्तावित किया गया कि प्रदेश में प्रचलित पुलिस माडर्न स्कूलों में बच्चों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न (शारीरिक अथवा मानसिक) न होने पाये। यदि किसी स्कूल में इस प्रकार की शिकायत पायी जाती है तो वहाँ के प्रधानाचार्य इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। केन्द्रीय निदेशक मण्डल ने अपेक्षा की है कि इस निर्णय का विशेष रूप से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में सभी पुलिस माडर्न स्कूलों के प्रबन्धक अपने-अपने स्कूलों के प्रधानाचार्य को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दें।

5- मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था-

ऐसी मेधावी छात्र, जिन्होंने कक्षा-9 से 12 तक की शिक्षा पुलिस माडर्न की किसी भी शाखा से प्राप्त किया है, के उच्च शिक्षा हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं यथा इन्जीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन आदि में चयनित होकर किसी सरकारी संस्था में प्रवेश पाने की स्थिति में एकमुश्त धनराशि उत्साहवर्घन हेतु केन्द्रीय कोष में एकत्रित धन पर प्राप्त व्याज से प्रदान की जाएगी। इसके लिए स्थानीय प्रबन्ध समिति स्कालरशिप का प्रस्ताव केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगी, जिस पर अन्तिम निर्णय केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा लिया जायेगा।

6- Success Stories

निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूल की दसवीं एवं बारहवी कक्षा के छात्र-छात्राओं जिन्होंने इंजीनियरिंग, एम0बी0बी0एस0 एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रवेश

परीक्षाओं में उत्कृष्ठ श्रेणी का प्रदर्शन किया है, इनकी सफलता की कहानी को पुलिस मैगजीन में छापा जाय ताकि दूसरे छात्र-छात्राओं के लिए वे प्रेरणा का श्रोत बन सके। अतः समस्त स्थानीय प्रबन्ध समिति को निर्देशित किया जाता है कि विगत 05 वर्षो के ऐसे मेधावी छात्रों का वितरण सचिव निदेशक मण्डल को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

7- पुलिस माडर्न स्कूलों में कम्प्यूटर की सम्पूर्ति-

उ0प्र0 प्रदेश पुलिस के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों में जो कम्प्यूटर पुराने हो गये है, अथवा जिनकी आवश्यकता नहीं रह गयी है, उनको नियमानुसार शिक्षण कार्य हेतु पुलिस माडर्न स्कूल को प्रदान किये जायें। इसके लिए उपलब्धता एवं प्रदान किये जाने की प्रक्रिया एवं आँकलन कर 01 माह के भीतर अवगत कराये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को निर्देशित किया गया।

प्रदेश में प्रचलित पुलिस माडर्न स्कूल द्वारा प्रेषित एजेण्डा बिन्दु

एजेण्डा बिन्दु-1

चतुर्थ वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद को पुलिस माडर्न स्कूल में कक्षा-9 व 10 के अतिरिक्त कक्षों तथा प्रैक्टिकल, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री लैब प्रयोगशाला के निर्माण हेतु पुलिस मुख्यालय से परीक्षणोपरान्त आगणन धनराशि रु. 22.70 लाख का प्रस्ताव सेनानायक, चतुर्थ वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद से अनुदान स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है।

निर्णय :-

उपरोक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा चतुर्थ वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल में कक्षा-9 व 10 के अतिरिक्त कक्षों तथा प्रैक्टिकल, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री लैब प्रयोगशाला के निर्माण हेतु धनराशि रु. 22.70 लाख को केन्द्रीय कोष से अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु-2

छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ के पुलिस माडर्न स्कूल की साज-सज्जा हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 3,58,283/- की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति सम्बम्धी प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

निर्णय :-

छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ के पुलिस माडर्न स्कूल की साज-सज्जा हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 3,58,282/- की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान कर दी गयी। उपरोक्त धनराशि का व्यय पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ अनुभाग, मेरठ के निकट पर्यवेक्षण में किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु- 3

छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ में पुलिस माडर्न स्कूल के प्रथम तल पर मैथ लैब का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के परीक्षणोपरान्त धनराशि रु. 2,58,696/- का वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है।

निर्माण :-

छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ में पुलिस माडर्न स्कूल के प्रथम तल पर मैथ लैब का निर्माण कराये जाने हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 2,58,696/- की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान कर दी गयी। उपरोक्त धनराशि का व्यय पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ अनुभाग, मेरठ के निकट पर्यवेक्षक में किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु- 4

पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उ0प्र0 पीएसी मुख्यालय, लखनऊ ने नवीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल की बाउण्डीवाल का आगणन पुलिस मुख्यालय से तकनीकी परीक्षण कराने के उपरान्त धनराशि रु. 1,82,700/- को पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से व्यय करने की अनुमति हेतु उपलब्ध कराया है।

निर्णय :-

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह आया है कि उक्त विद्यालय वाहिनी परिसर में स्थित हैं अतएव इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इस कार्य को सरकारी कोष से कराया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में सेनानायक, नवी वाहिनी पीएसी मुरादाबाद से एक प्रस्ताव अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ताकि यह सरकारी निर्माण कार्य शीघ्र कराया जा सके।

एजेण्डा बिन्दु- 5

पुलिस माडर्न स्कूल, पुलिस लाइन, मथुरा में 02 अदद प्रयोगशाला, 01 पुस्तकालय तथा 01 अदद कम्प्यूटर कक्ष तथा निर्मित कक्षाओं को अवशेष निर्माण हेतु रु. 83.2 लाख का प्रस्ताव मय आगणन के प्राप्त हुआ है।

निर्णय :-

उपरोक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा पुलिस माडर्न स्कूल, पुलिस लाइन, मथुरा में 02 अदद प्रयोगशाला, 01 पुस्तकालय तथा 01 अदद कम्प्यूटर कक्ष तथा निर्मित कक्षाओं के अवशेष निर्माण हेतु रु. 8302 लाख को केन्द्रीय कोष से अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। यह कार्य पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र अपने निकट पर्यवेक्षण में करायें।

एजेण्डा बिन्दु-6

पुलिस माडर्न स्कूल मथुरा के प्रधानाचार्य को हटाये जाने के बिन्दु पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पु0मा0 स्कूल मथुरा के स्थानीय प्रबन्ध समिति के संरक्षक, अध्यक्ष तथा प्रबन्धक को अधिकृत किया गया कि वह नियमानुसार विधि समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए यथोचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं।

एजेण्डा बिन्दु-8

अपर पुलिस महानिदेशक, डॉ0 भीमराव अम्बेडर पुलिस अकादमी मुरादाबाद द्वारा कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय :-

इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय पृष्ठ संख्या-4 के शीर्षक ब(3) अधिवर्षता आयु को प्राप्त शिक्षकों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय, में अंकित है, तद्नुसार स्थानीय प्रबन्ध समिति कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा बिन्दु-9

47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल को पुलिस लाइन्स गाजियाबाद स्थित पुलिस माडर्न स्कूल में संविलीन किये जाने संबंधी प्रस्ताव को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। चूँकि यह एक नीतिगत निर्णय था अतः इस पर केन्द्रीय निदेशक मण्डल, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

अतः उक्त प्रस्ताव को मा0 समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया जिसे मा0 समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु-10

नवीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल की कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था एवं कम्प्यूटर रूम हेतु आवाज रहित जनरेटर (75 के0वी0ए0) क्रय किये जाने हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 1,33,000/- की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

निर्णय :-

नवीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल की कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था एवं कम्प्यूटर रूम हेतु आवाज रहित जनरेटर (75के0वी0ए0) क्रय किये जाने हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 1,33,000/- की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति केन्द्रीय निदेशक उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति द्वारा प्रदान कर दी गयी।

एजेण्डा बिन्दु-11

पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी द्वारा पुलिस माडर्न के आस-पास कोई स्तरीय स्कूल/कालेज न

होने के कारण पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अतएव जनपद कौशाम्बी के पुलिस लाइन्स परिसर में इण्टर मीडिएट तक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एक पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पुलिस माडर्न स्कूल हेतु उनके पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है।

निर्णय :-

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता का परीक्षण कर, आगणन तैयार कराकर एक विस्तृत प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत करें।

एजेण्डा बिन्दु-12

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी ने पुलिस माडर्न स्कूल के संचालन में आय से अधिक व्यय होने, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने बच्चों को पुलिस माडर्न स्कूल में पढ़ाने में रूचि न होने, छात्र संख्या कम होने के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस माडर्न स्कूल का संचालन बन्द करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

निर्णय :-

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र विद्यालय बन्द किये जाने के औचित्य का परीक्षण कर, अपनी स्पष्ट आख्या प्रेषित करें।

एजेण्डा बिन्दु-13

केन्द्रीय निदेशक मण्डल उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति के समक्ष 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी में पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया।

निर्णय :-

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन विद्यालय खोने जाने की आवश्यकता का परीक्षण कर आगणन तैयार कराकर एक विस्तृत प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत करें।

एजेण्डा बिन्दु-15

छठी वाहिनी पीएसी के पुलिस माडर्न स्कूल में फिजिकल एजूकेशन टीचर तथा फाइन आर्ट टीचर को टी0जी0टी0 ग्रेड में रखे जाने प्रस्ताव रखा गया।

निर्णय :-

इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय पृष्ठ संख्या-3 के शीर्षक ब(2) स्कूल में कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण, में अंकित है, तद्नुसार स्थानीय प्रबन्ध समिति

कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा बिन्दु-16

निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य आया कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत कतिपय पुलिस माडर्न स्कूल शिक्षा समिति की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः निदेशित किया गया कि समस्त स्थानीय प्रबन्ध समिति, पंजीकरण नवीनीकरण करना सुनिश्चित करें, तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र सचिव, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति को 15 दिवस में प्रेषित करें, कि पंजीकरण नवीनकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

एजेण्डा बिन्दु-17

निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य आया कि विभिन्न पुलिस माडर्न स्कूलों में नियुक्त कतिपय कर्मियों का संविदा नवीनीकरण कई वर्षो से नहीं किया गया है। अतः प्रबन्धक स्थानीय प्रबन्ध समितियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त कर्मियों का संविदा नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। इस आशय का एक प्रमाण-पत्र सचिव, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति को 15 दिवस में प्रेषित करें कि संविदा नवीनीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

ह0
(दिलीप त्रिवेदी)
अपर पुलिस महानिदेशक, भ0/क0
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
(कोषाध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक मण्डल)

ह0
(आर0 के0 तिवारी)
पुलिस महानिदेशक,
पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(सदस्य केन्द्रीय निदेशक मण्डल)

ह0
(ए0एस0 गणेश)
सेनानायक,
35 वी वाहिनी एवं
(सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल)

ह0
(ए0के0डी0 द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक एवं,
पुलिस महानिदेशक, के सहायक,
(सदस्य केन्द्रीय निदेशक मण्डल)

(संलग्नक-1)

उ0प्र0 पुलिस शिक्षा कल्याणय समिति

1- श्रीमती रेवा सिंह धर्मपत्नी श्री करमवीर सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अध्यक्ष

2- श्रीमती ऊषा तिवारी धर्मपत्नी श्री आर0 के0 तिवारी, पुलिस महानिदेशक, पीएसी उपाध्यक्ष

3- श्रीमती सुमन कुमार शर्मा धर्मपत्नी श्री विपिन कुमार शर्मा, ए0डी0जी0 प्रशिक्षण उपाध्यक्ष

4- श्रीमती दीप्ति दीक्षित, विशेष कार्याधिकारी प्रभारी अधिकारी शिक्षा समिति

5- श्री दिलीप त्रिवेदी, अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण कोषाध्यक्ष

6- श्रीमती दीपा अरूण धर्मपत्नी श्री अरूण कुमार पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मध्य जोन सदस्य

7- श्रीमती प्रीति सिंह धर्मपत्नी श्री आर0 पी0 सिंह पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र सदस्य

8- सलाहकार :

1- श्रीमती मधु घुँगेश धर्मपत्नी श्री जी0एस0 घुँगेश से0 नि0 पुलिस महानिदेशक

2- श्रीमती नीता शर्मा धर्मपत्नी श्री डी0 के0 शर्मा, से0नि0 पुलिस महानिदेशक

9- सचिव :

1- पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन, उ0प्र0 लखनऊ

संलग्नक- 11

पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0सी0-I, II एवं III मुरादाबाद/सीतापुर।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर/पी0टी0सीसी0 सीतापुर/पी0टी0एस0 गोरखपुर/उन्नाव/मुरादाबाद/मेरठ।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीएस मेरठ/सेनानायक आरटीसी चुनार मिर्जापुर।

समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनियाँ उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की वार्षिक गोष्ठी, जो कि दिनांक : 7-1-98 को पुलिस रेडियो मुख्यालया महानगर, लखनऊ के सभागार में आहूत हुई कार्यवृत्त की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

ह0/-

(शैलजा कांत मिश्र)

सचिव,

उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद्

एवं

पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी लखनऊ सेक्टर लखनऊ।

अशा0 पत्रांक : एससीबी-92/97,

दिनांक : लखनऊ, जनवरी, 14, 1998

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को कार्यवृत्ति की एक प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1- समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट - 11

दिनांक 7-1-98 को उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की आयोजित गोष्ठी का कार्यवृत्त

श्री श्रीराम अरूण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 07-1-1998 को उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की गोष्ठी सम्पन्न हुई। श्री अजय राज शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उ0प्र0 जो उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी है, के अतिरिक्त पुलिस सप्ताह में आये विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में यह आम सभा आहूत की गयी थी। सर्वप्रथम सचिव, उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद द्वारा वार्षिक उपलब्धियों के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गयी। इस बैठक में एजेण्डा में अंकित बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निर्णय लिए गये।

बिन्दु-1 विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती।

बिन्दु-2 अखिल भारतीय पुलिस स्तर/राष्ट्रीय स्तर/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आऊट आफ टर्न पदोन्नति प्रदान किया जाना।

सदन को अवगत कराया गया कि इन दोनों बिन्दुओं के संबंध में दिनांक 13-12-97 को ''पीएसी दिवस'' के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मौखिक सहमति पहले ही प्रदान कर दी है। केवल शासनादेश निर्गत होना शेष है। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री श्रीराम अरूण द्वारा इस संबंध में शासन स्तर पर शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु आश्वासन दिया गया है।

बिन्दु-3 शिक्षा निधि एवं जीवन रक्षा निधि के अनुसार प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से रु. 1/- उ0प्र0 पुलिस के खेल स्तर को ऊँचा करने हेतु कटौती किया जाना।

शिक्षा निधि एवं जीवन रक्षक निधि के अनुसार उ0प्र0 पुलिस खेल विकास कोष बनाये जाने हेतु सदन द्वारा निर्णय लिया गया। इस संबंध में विगत वर्ष आम सभा की गोष्ठी में लिए गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए यह तय किया गया कि प्रदेश के प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से रु. 1/- (एक रुपया) प्रतिमाह की ऐच्छिक कटौती उ0प्र0 पुलिस खेल विकास कोष के नाम से की जाए। इस धन के उपयोग के संबंध में पिछले वर्ष यह निर्णय लिया गया था कि इसमें से 5 प्रतिशत धन सचिव, उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद को भेजा जाए। इस निर्णय पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त सदन ने इस धन के उपयोग के संबंध में निम्न संशोधन किया :-

(क) सम्पूर्ण कटौती का जनपद/वाहिनी पर रखा जायेगा 30 प्रतिशत

(ख) सम्पूर्ण कटौती का संबंधित समिति के अध्यक्ष को भेजा जायेगा 30 प्रतिशत

(ग) उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद के सचिव को भेजा जायेगा 40 प्रतिशत

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद श्री श्री राम अरूण ने इस

संबंध में सचिव, उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद से अपेक्षा की कि वे इस निधि के बनाये जाने तथा उसके उपयोग के संबंध में आदेश का एक प्रारूप तत्काल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपलब्ध करायें तथा अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय से यह अपेक्षा की गयी कि यह आदेश इसी माह निर्गत कर माह जनवरी से ही इस निधि के संबंध में कटौती राज्य स्तर पर करवा दी जाए।

बिन्दु-4 वायरलेस प्रशिक्षण केन्द्र महानगर में तरणताल के निर्माण को पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

इस संबंध में श्री श्रीराम अरूण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद ने अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से अपेक्षा की कि इस पत्रावली को तत्काल उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिससे कि अग्रिम निर्णय तरणताल के संबंध में लिया जा सके।

बिन्दु-5 अखिल भारतीय पुलिस डियूटी सीट में आयोजित स्पधाओं की टीमों के लिए प्रशिक्षण कार्य

उपरोक्त संबंध में चर्चा की गई तथा सभी संबंधित से अपेक्षा की गई कि भविष्य में विभिन्न खेल संबंधी आयोजनों में राजपत्रित अधिकारियों के स्तर पर पर्याप्त रूचि खेलों में ली जाए।

बिन्दु-7 वर्ष 1998 हेतु कार्यकारिणी समिति का गठन।

सदन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि पूर्व की भाँति निम्नलिखित 4 पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति में रहेंगे तथा अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 जो कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी हैं, वे तीन अन्य अधिकारियों को अस्थायी सदस्य के रूप में नामित करने की कार्यवाही करेंगे :

1.	अध्यक्ष	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2.	उपाध्यक्ष	अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उत्तर प्रदेश
3.	सचिव/सदस्य	पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0ए0सी0 लखनऊ सेक्टर लखनऊ
4.	सदस्य	प्रादेशिक क्रीड़ा अधिकारी (प्रादेशिक क्रीड़ा अधिकारी (पुलिस)

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद ने अपने सम्बोधन में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं की और सदन का ध्यान आकर्षित किया जिनपर निम्न निर्णय लिए गये :-

1. भविष्य में खेल प्रमाण पत्रों को जारी करते समय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के स्थान पर सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपाध्यक्ष के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक,

पीएसी, उ0प्र0 द्वारा हस्ताक्षर किया जाय।

2. वर्ष 1997 से जो अन्तर जोनल प्रतियोगितायें आयोजित हुई हैं, देखने में आया है कि उनका नम्बर प्रथम अंकित किया गया जबकि उ0प्र0 पुलिस का इतिहास बहुत पुराना है अतः यह निर्णय लिया गया कि पूर्व परिक्षेत्रीय संख्या के अनुरूप वर्ष 1998 से आरम्भ होने वाले जोनल प्रतियोगिताओं की संख्या का अंकन किया जाय।

3. भविष्य में पदोन्नति हेतु होने वाली प्रतियोगिताओं में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को खेल सम्बन्धी अंक दिये जाने के विषय में इस सम्भावना पर विचार कर लिया जाय कि समान अंक प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पर दिये जाने की अपेक्षा खिलाड़ी की उपलब्धि के अनुरूप अंक प्रदान किया जाय। इस पर सदन में अन्तिम निर्णय नहीं हो सका। यह अपेक्षा की गई कि पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद स्तर पर इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद ने खिलाड़ियों को अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में दुबारा पिछले वर्ष लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की जिसे सदन ने अनुमोदित किया। खिलाड़ियों को निम्नवत् अवकाश प्रदान किये जायेंगे :-

(1)	अन्तर जनपदीय/वाहिनी स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने पर	2 दिन
(2)	अन्तर जोनल स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने पर	3 दिन
(3)	अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर	5 दिन

ह0/-
(शैलजा कान्त मिश्र)
सचिव,
उ0प्र0 क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद एवं
पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी,
लखनऊ सेक्टर, लखनऊ।

परिशिष्ट - 11.1

विजय शंकर,
अपर पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद-211001
फोन : 023666 (आफिस)
: 640900 (आवास)
फैक्स : 0532-622031
अर्धशा0पत्र सं0 : बीस-खेलकूद-विकासकोष-98
दिनांक : अक्टूबर 29, 1998

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में गौरवमयी इतिहास रहा है। वर्ष 1951 में जब प्रथम एशियाड दिल्ली में आयोजित हुये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर विभाग का नाम उज्जवल किया। इसके उपरान्त भी अनेकों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर विभाग एवं प्रदेश का नाम उज्जवल किया तथा प्रदेश व देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों से सम्मानित हुये।

2. राष्ट्र के कुछ प्रान्तीय पुलिस बलों के साथ-साथ केन्द्रीय पुलिस बलों में उदीयमान खिलाड़ियों को सामान्य अहर्ताओं में छूट प्रदान कराते हुये अपने यहाँ भर्ती की व्यवस्था कराकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ विशेष आहार (स्पेशल डाइट) देने की व्यवस्था की है, जिससे इन संस्थाओं की टीमों का खेल स्तर उच्चकोटि का हो गया।

3. प्रदेश पुलिस ने भी इस ओर विशेष ध्यान दिया तथा गत 5-6 वर्षों में आधुनिकतम खेल उपकरण उपलब्ध कराये तथा सीमित संसाधनों के होने से खिलाड़ियों को अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिताओं के आयोजनों से पूर्व केवल कुछ अवधि तक विशेष आहार भी प्रदान किया जाता है। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड के वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर व अखिल भारतीय पुलिस खेल आयोजनों हेतु पारित निर्देशों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश पुलिस की विभिन्न टीमों की संख्या भी बढ़ी है तथा उन्हें अधिक अवधि तक एकत्रित कर प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। इन टीमों के प्रशिक्षण शिविर चलाये जाते हैं किन्तु धनाभाव के कारण प्रदेश पुलिस स्तर पर एकत्रित टीमों के खिलाड़ियों को अभ्यास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपकरण व विशेष आहार (स्पेशल डाइट) दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे राष्ट्र के अन्य पुलिस बलों की टीमों की तरह प्रदेश पुलिस की टीमों का खेल स्तर ऊँचा नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति वाहिनी/जनपद स्तर पर व जोनल स्तर पर बन जाती है। यह केवल प्रदेश पुलिस के खेल स्तर को ऊँचा करने की बात नहीं है अपितु इसका सीधा सम्बन्ध प्रदेश पुलिस, प्रदेश व देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है।

4.   दिनांक 07.01.98 को पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में उ0प्र0 पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड की आम सभा में उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों की चर्चा हुई तथा यह निर्णय लिया गया कि जीवन रक्षा निधि एवं शिक्षा निधि की तरह ही विभाग में ही खेल व खिलाड़ियों के विकास हेतु **''उ0प्र0 पुलिस खेलकूद विकास कोष''** की स्थापना की जाये तथा प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी से प्रतिमाह रु. 1/- ऐच्छिक कटौती की व्यवस्था की जाय, जिसका 30 प्रतिशत वाहिनी/जनपद/इकाई स्तर पर, 30 प्रतिशत पुलिस महानिरीक्षक/जोनल स्पोर्ट्स समिति को तथा 40 प्रतिशत सचिव, उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड एवं पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, लखनऊ सेक्टर, लखनऊ को भेजा जाय। **अतः आपसे अनुरोध है कि इस कटौती को माह अक्टूबर 98 के वेतन से काटना आरम्भ कर दें।**

किन-किन मदों में व्यय होगा

5.   वाहिनी/जनपद/इकाई व अध्यक्ष जोनल स्पोर्ट्स समिति एवं सचिव उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के स्तर पर एकत्रित धनराशि का व्यय केवल निम्नलिखित तीन मदों में ही व्यय किया जायगा :-

1. खिलाड़ियों को किट, खेल उपकरण एवं खेल सामान उपलब्ध कराने हेतु।
2. खिलाड़ियों को विशेष आहार प्रदान करने हेतु।
3. खेल मैदान के रख-रखाव हेतु।

इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में ''उ0प्र0 पुलिस खेलकूद विकास कोष'' में एकत्रित धनराशि को किसी भी स्तर पर अन्य किसी भी मद में व्यय नहीं किया जायगा।

व्यय की गई धनराशि का व्यय विवरण व स्पेशल आडिट

1. वाहिनी/जनपद/इकाई/अध्यक्ष, जोनल स्पोर्ट्स समिति स्तर पर जमा धनराशि का सम्पूर्ण व्यय विवरण प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक सचिव, उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के कार्यालय में भेजा जाएगा।
2. वाहिनी/जनपद/इकाई/अध्यक्ष, जोनल स्पोर्ट्स समिति पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, पी0ए0सी0 लखनऊ अनुभाग, लखनऊ के द्वारा व्यय की गई धनराशि का स्पेशल आडिट पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद की आडिट पार्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल/मई में किया जायगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस खेल विकास कोष की नियमावली की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

भवदीय,

ह0/-

(विजय शंकर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0

समस्त पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0

समस्त सेनानायक पी0ए0सी0 वाहिनी, उ0प्र0।

अन्य समस्त प्रभारी पुलिस शाखा।

प्रतिलिपि निम्नलिख्वित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र0, लखनऊ।
6. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

<u>परिशिष्ट - 11.2</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस खेल विकास कोष नियमावली
प्रस्तावना

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल का स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करने हेतु इस कोष का सृजन किया गया है।

(2) उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के लिये प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने वेतन से एक रुपया प्रति का ऐच्छिक अंशदान दिया जायेगा। प्रत्येक माह के अंशदान से प्राप्त धनराशि इस कोष में निम्न स्तरों पर रखा जायेगा :-

1.	जोनल/वाहिनी/इकाई स्तर पर	30 प्रतिशत
2.	जोनल/मुख्यालय स्तर पर	30 प्रतिशत
3.	उ0प्र0 पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद के स्तर पर	40 प्रतिशत

निदेशक मंडल

(3) पुलिस खेल विकास कोष के राज्य, जोन, जिला/इकाई स्तर पर निदेशक मण्डल का गठन निम्नवत किया जायेगा।

राज्य स्तर पर निदेशक मण्डल

उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ही निदेशक मण्डल का कार्य करेगी।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	**अध्यक्ष**
पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी लखनऊ अनुभाग, लखनऊ	**सचिव/कोषाध्यक्ष**

जोनल स्तर पर निदेशक मण्डल

पुलिस महानिरीक्षक, जोन/पीएसी/ट्रेनिंग/तकनीकी सेवायें/जी0आर0पी0	**अध्यक्ष**
पुलिस उपमहानिरीक्षक	**सदस्य**
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पी0ए0सी0 वाहिनी (दो इकाईयों से)	**सदस्य**
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पी0ए0सी0 वाहिनी (जोनल मुख्यालय से)	**सचिव/कोषाध्यक्ष**

जिला/वाहिनी/इकाई स्तर पर निदेशक मण्डल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक (प्रभारी इकाई)	**अध्यक्ष**
अपर पुलिस अधीक्षक/उपसेनानायक	**सदस्य**
क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/सहायक सेनानायक	**सदस्य**
प्रतिसार निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक	**सचिव/कोषाध्यक्ष**

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स हेतु इस समय 12 जोन प्रचलित हैं। यही जोन इस कोष के लिये भी कार्य-रूप प्रदान करेंगे। अतः जोनल स्तर पर निम्नवत् होगा :-

1. पुलिस महानिरीक्षक, जोन	**7**
2. पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 जोन	**2**
3. पुलिस महानिरीक्षक, जीआरपी लखनऊ	**1**
4. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, लखनऊ	**1**
5. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, लखनऊ	**1**
कुल योग :-	**12**

(5) जोनल स्तर के निदेशक मण्डल का गठन पुलिस महानिरीक्षक, जोन (अध्यक्ष) के द्वारा किया जायेगा। उनका कर्तव्य होगा कि वे अपने मण्डल के शेष सभी सदस्यों को नामित करके उसकी सूचना सचिव/निदेशक मण्डल (राज्य) को उपलब्ध करायें।

(6) इकाई स्तर के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष सम्बन्धित इकाई का प्रभारी होगा, जो अपने मण्डल के शेष सदस्यों को नामित करेगा तथा उसकी सूचना अपने जोनल मण्डल के सचिव को उपलब्ध करायेगा।

(7) सभी इकाईयां उसी प्रकार अपने-अपने जोन से सम्बन्धित रहेंगी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स हेतु सम्बद्ध की गयी हैं।

(8) सभी स्तरों पर निदेशक मण्डल की बैठक सम्बन्धित स्तर के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार की जायेगी व आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे।

कोष का रख-रखाव

इस कोष के रख-रखाव के लिये कोई स्टाफ अलग से नहीं रखा जायेगा, यह कार्य राज्य/जोन/जिला स्तर पर सम्बन्धित कार्यालय के आंकिक शाखा अथवा पत्र व्यवहार शाखा में किसी एक कर्मचारी के सुपुर्द किया जायेगा। उसे इस अतिरिक्त कार्य के लिये मानदेय राज्य स्तर पर रु. 500.00 प्रतिमाह, जोन स्तर पर रु. 200.00 प्रतिमाह एवं जिला स्तर पर रु. 100.00 प्रतिमाह दिया जा सकता है, जो इसी कोष से दिया जायेगा।

(9) जनपद/वाहिनी/इकाई स्तर पर रखे गये खेल विकास कोष, वाहिनी/इकाई के प्रभारी के नियंत्रण में रहेगा, जोनल मुख्यालय स्तर पर रखे गये खेल विकास कोष जोनल पुलिस महानिरीक्षक, के नियंत्रण में तथा राज्य स्तर पर यह कोष अध्यक्ष, पुलिस कन्ट्रोल बोर्ड के नियंत्रण में रहेगा। सभी स्तरों पर यह कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता खोल कर रखा जायेगा।

व्यय

(10) इस धनराशि का उपयोग/व्यय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी के विवेकानुसार निम्न कार्य/मदों पर किया जायेगा :-

(अ) ऐसे खिलाड़ियों को किट, खेल उपकरण अथवा खेल का सामान अथवा उससे सम्बन्धित साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु जो अन्तर जोनल स्तर पर भाग ले रहे हैं अथवा विगत 3 वर्षो में भाग ले चुके है, अथवा जिन्हें अर्न्तजोनल स्तर पर भाग लेने के लिये तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) उपरोक्त ''अ'' में आने वाले खिलाड़ियों के लिये विशेष आहार प्रदान करने के लिये आवश्यक धनराशि प्रदान करने हेतु इस सम्बन्ध में खेल विकास कोष के नियंत्रण अधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जो धनराशि दी जा रही है उसका सदुपयोग हो रहा है।

(स) खेल मैदान अथवा कोर्ट अथवा ट्रेक अथवा स्वीमिंग पूल के रख-रखाव अथवा उच्चीकरण करने हेतु।

(द) अन्तर्प्रान्तीय स्तर/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चकोटि का प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार देने हेतु।

(य) खिलाड़ियों को उच्चकोटि के स्तर पर तैयार करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण पर व्यय।

(र) अन्तर्जनपदीय, अन्तर्जोनल/अन्तर्प्रान्तीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेते समय खेल के कारण आई चोटों पर हुये उपचार पर होने वाले व्यय। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिपूर्ति की धनराशि की भुगतान इससे नहीं किया जायेगा, बल्कि जो धनराशि की प्रतिपूर्ति इससे नहीं हो सकती है, उसका इससे किया जायेगा।

(ल) प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों (कालेज) की सेवायें लेने के लिये उनका मानदेय उसकी योग्यतानुसार एवं प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(व) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य मद पर इस कोष से व्यय करना आवश्यक समझा जाये तो अध्यक्ष, उ0प्र0 क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(11) इस कोष को व्यय करने वाली नियंत्रित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि जो धनराशि किसी शासकीय अनुदान के तहत व्यय की जा सकती है, उसे सम्बन्धित शासकीय अनुदान से व्यय किया जाये। परन्तु यदि शासकीय अनुदान नहीं प्राप्त हो पाता है अथवा कम पड़ जाता है तब नियंत्रण अधिकारी के विवेकानुसार इस कोष को व्यय किया जा सकता है एवं इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उ0प्र0, खेल विकास परिषद को दिया जायेगा।

(12) इस कोष से तीनों स्तरों पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिमाह में मासिक विवरण इस प्रयोजन के लिये निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक इकाई/जोन द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद को भेजा जायेगा।

सामान्य

(13) सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद से यह अपेक्षित होगा कि वे इस कोष के प्रत्येक शाखा का पर्यवेक्षण करते रहे तथा इनका मार्गदर्शन करते रहे। प्रत्येक वर्ष के प्राप्ति तथा व्यय के औचित्य के सम्बन्ध में एक नोट अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद को प्रेषित किया जाये तथा इसकी प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय को भी भेजी जाये।

(14) प्रति वर्ष एक बैठक प्रदेश स्तर पर आयोजित की जायेगी जिसमें आलोच्य वर्ष की अवधि की उपलब्धियां व भविष्य की योजनाओं पर विचार किया जायेगा और धनराशि के व्यय का विवरण भी सचिव द्वारा प्रस्तुत करते हुए इस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(15) निदेशक मण्डल का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करें कि जो धनराशि इस कोष से दी जा रही है, उसका सदुपयोग हो रहा है।

दिनांक : 25.1.98

ह0/-
(आलोक बिहारी लाल)
पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट - 11.3

उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद का गठन, स्वरूप एवं उद्देश्य

अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के गठन के उपरान्त वर्ष-1951 में उ0प्र0 पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड का गठन हुआ जिसके पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पदेन अध्यक्ष एवं पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, मध्य जोन पदेन सचिव होते हैं। उ0प्र0 पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में विभाग के अधिकारी नामित/चयनित किये जाते हैं। उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के पदाधिकारी राज्य स्तर पर उ0प्र0 शासन के खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत खेल व खिलाड़ियों के विकास हेतु निरन्तर कार्य करते हैं।

जोनल समितियों का गठन

उ0प्र0 पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा खेल व खिलाड़ियों के निरन्तर विकास के लिये जोन स्तर पर जोनल समितियों का गठन किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिसमें पुलिस महानिरीक्षक, जो पदेन अध्यक्ष एवं मुख्यालय पर नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पदेन सचिव होते है।

जनवरी, 1997 में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत आम सभा की गोष्ठी जोन स्तर पर अन्तर वाहिनी / अन्तर जनपदीय प्रतियोगिता आयोजित कराते हुए राज्य स्तर पर अन्त जोनल प्रतियोगिताओं को आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्तमान में उ0प्र0 पुलिस वार्षिक (अन्तर जोनल पुलिस) प्रतियोगिताओं में प्रदेश के निम्न जोनों की टीमें भाग लेती है :-

1-	पीएसी मध्य जोन	2-	पीएसी, पूर्वी जोन
3-	पीएसी पश्चिमी जोन	4-	लखनऊ जोन
5-	कानपुर जोन	6-	इलाहाबाद जोन
7-	वाराणसी जोन	8-	गोरखपुर जोन
9-	मेरठ जोन	10-	आगरा जोन
11-	बरेली जोन	12-	जी0आर0पी0 जोन
13-	प्रशिक्षण जोन	14-	रेडियो जोन

उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के कर्तव्य :-

- वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर तैयार करना।
- वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन,

- प्रतियोगिताओं में किये गये प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस टीमों हेतु खिलाड़ियों का चयन,
- उपयुक्त एवं खेल के अनुरूप स्थानों पर उनके प्रशिक्षण शिविर लगाकर, कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कराना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक खेल उपकरण/सामान उपलब्ध कराना, विशेष आहार प्रदान करना।
- अखिल भारतीय पुलिस, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में टीम/खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने हेतु भेजना।
- अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आवंटित अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- उत्तर प्रदेश पुलिस के खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना।
- खेल व खिलाड़ियों के उत्थान से सम्बन्धित समस्त पत्राचार किया जाना।

वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 पुलिस की अब तक की खेल उपलब्धियाँ निम्नवत है :

1. **आरक्षी- अंकुर श्रीवास्तव :-** दिनांक : 18-4-2016 से 22-4-2016 तक लखनऊ में आयोजित 64वीं अखिल भारतीय पुलिस तैराकी एवं क्राराकण्ट्री प्रतियोगिता-2016 में प्रतिभाग कर स्प्रिंग बोर्ड ड्राइविंग स्पर्धा में कास्य पदक प्राप्त किया।
2. **पी0सी0 चन्द्रहास कुशवाहा :-** दिनांक : 3-9-2016 से 7-9-2016 तक हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित 65वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेकर डेकेथलान स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया।
3. **निरीक्षक सुश्री रंजना गुप्ता :-** दिनांक : 21-11-2016 से 24-11-2016 तक थिरूवनन्थपुरम केरल में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में प्रतिभाग कर 300 मी0 थ्री पी स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया।

परिशिष्ट - 12

हर प्रसाद शुक्ला,	अर्द्धशा0 पत्र संख्या : 23/पीबीएफ-97
पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय।	उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
	दिनांक : इलाहाबाद : मई 21, 1997

प्रिय महोदय,

सेवाकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से पुलिस बैनिफिट फण्ड के अन्तर्गत अनुमन्य अभिदान की धनराशि लेने एवं सेवाकाल के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उसके लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में आप कृपया पुलिस मुख्यालय के अ0शा0 परिपत्र सं0 तेईस-1-92 दिनांक फरवरी 11, 1992 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. पुलिस महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.97 को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.5.97 या इसके उपरांत सेवाकाल में मृत्यु होने पर पुलिस बेनीफिट फण्ड के अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं अभिदान की दरें निम्नानुसार संशोधित कर दी गई है :-

क्रमांक	श्रेणी	1.5.97 से पुलिस बेनीफिट फण्ड के अभिदान की संशोधित दर	1.5.97 या इसके पश्चात् मृत कर्मियों के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की संशोधित दर
1-	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीगण	40/-	3,000/-
2-	कान्स0/हेड कान्स0 श्रेणी के कर्मचारीगण	100/-	4,000/-
3-	सब इन्स0/इन्स0 श्रेणी के कर्मचारीगण	200/-	6,000/-
4-	राजपत्रित अधिकारी (आई.पी.एस./पी.पी.एस.संवर्ग को सम्मिलित करते हुये)	400/-	8,000/-

53 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों द्वारा पुलिस बेनिफिट फण्ड का अभिदान पूर्ववत् ही रहेगा।

3. 1.5.97 से पूर्व मृत कर्मियों के लाभार्थियों को पुरानी दर से ही आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

4. पुलिस बेनिफिट फण्ड का अभिदान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से काटा जाना सुनिश्चित करें। अभिदान की रसीदें सम्बन्धित कर्मियों की चरित्र पंजिका/सेवा पुस्तिका (जैसी स्थिति हो) चस्पा कर दी जाय।

5. यह देखने में आ रहा है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद/इकाईयों को भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्ट यदा-कदा असावधानी से गुम हो जाते हैं, इससे धनराशि के गबन की भी सम्भावना हो सकती है एवं बैंक ड्राफ्ट की द्वितीय प्रति बनवाने में भी काफी समय लग जाता है। अतः अब भविष्य में पुलिस बेनीफिट फण्ड के अन्तर्गत आपको सभी बैंक ड्राफ्ट ''एकाउन्ट पेयी'' ही भेजे जायेंगे। आप इन्हें अपने पदनाम से खुले खाते में जमा करके पुनः आहरित करें।

6. आप अपने कार्यालय में रखे जा रहे पुलिस बेनीफिट फण्ड के रजिस्टर को अद्यावधिक करने के उपरान्त उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति पुलिस मुख्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं भविष्य में जब भी नए सदस्य बनाए जायें, उनकी भी सूची यथासमय एवं चन्दे की रसीद भी अभिलेख हेतु भिजवायें।

7. पुलिस बेनीफिट फण्ड के वर्तमान दावा प्रारूप में यथाकिंचित संशोधन कर दिया गया है, इस संशोधित प्रारूप की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित है। भविष्य में आप कृपया दावे इसी प्रारूप में ही भेजा करें।

भवदीय,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, हस्ताक्षर दि0 21.05.97

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश, (हर प्रसाद शुक्ला)

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

बहुधा यह देखा जा रहा है कि स्व. कर्मियों के पुलिस बेनीफिट फण्ड के प्रकरण बहुत विलम्ब से जिलों/इकाइयों द्वारा भेजे जाते हैं। अतएव कर्मी की मृत्यु के एक माह की अवधि में प्रकरण पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-23 में अवश्यमेव उपलब्ध करा दिया जाय।

कृपया अपने स्तर से भी समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन आपके अधीनस्थ जिलों/इकाइयों द्वारा किया जा रहा है।

संलग्नक : यथापरि।

भवदीय,

हस्ताक्षर दि0 21.05.97

(हर प्रसाद शुक्ला)

परिशिष्ट - 13

उ0प्र0 पुलिस वेलफेयर फण्ड से आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र

1. प्रार्थी का नाम, नम्बर तथा पद...

2. नियुक्ति का स्थान...
   (क) मासिक वेतन/पेंशन एवं भत्ते से...
   (ख) अन्य साधनों से...

भागा-एक

3. प्रार्थी के आश्रितों के नाम आयु, व्यवसाय तथा मासिक आय आवश्यकतानुसार यह सूचना अलग कागज पर दी जा सकती है।

4. आर्थिक सहायता किस निमित्त माँगी जा रही है
   (1) विशेष चिकित्सा के लिए या
   (2) अपंग के पुनर्वाव के लिए या
   (3) मृत्यु अथवा दैवी अपदा के कारण उत्पन्न विपन्नता के निवारणार्थ

5. यदि आर्थिक सहायता प्रार्थी द्वारा किसी आश्रित की विशेष चिकित्सा अथवा पुनर्वास के लिए माँगी जा रही हो तो
   (1) रुग्ण/अपंग आश्रित का नाम और प्रार्थी से सम्बन्ध
   (2) आश्रित/आश्रिता की आयु
   (3) आश्रित/आश्रिता का व्यवसाय तथा मासिक आय

6. रुग्ण/अपंग व्यक्ति के स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था कहाँ-कहाँ, कब-कब और क्या चिकित्सा हो चुकी है, अब क्या उपचार संस्तुति किया गया है, यह उपचार कहाँ होना है और उस पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है।

7. अब तक हुए उपचार पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है। बाउचर्स, कैशमेमो आदि की मूल प्रतियाँ, प्रमाण-स्वरूप संलग्न करें।

8. यदि मृत्यु तथा दैवी आपदा (जैसे- भूकम्प, बाढ़ दर्शाया जाये) राजस्व अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

9. क्या अपेक्षित आर्थिक सहायता निजी आय अथवा अन्य स्रोतों से पूरी हो सकती है। यदि नहीं तो उन परिस्थितियों का विवरण दें, जिनमें वाँछित सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ी।

10. न्यूनतम कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इससे पूर्व इस निमित मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस वेलफेयर फण्ड से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक की टीका और संस्तुति

भाग-दो

1. रुग्ण व्यक्ति का रोग/ अपंगता क्या है।
2. क्या यह रोग/अपंगता असाध्य अथवा चिरस्थाई है। यदि नहीं तो क्या उसकी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सम्भव है।
3. क्या रोगी को विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है। यदि हाँ तो इस प्रकार की चिकित्सा कहाँ पर होगी और उस पर क्या अनुमानित व्यय सम्भावित है।
4. क्या रोगी/अपंग को किसी वाह्य उपकरण जैसे :- ट्राइसिकिल, कृत्रिम अवयव आदि की आवश्यकता है, यदि हो तो उस अनुमानित व्यय क्या होगा।
5. यदि रोगी की किसी अस्पताल में चिकित्सा हो चुकी है तो व अस्पताल कौन सा था, रोगी यहाँ पर कब भर्ती हुआ और कब मुक्त हुआ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह केस विशेष चिकित्सा/एक अपंग के पुर्नवास/लम्बी बीमारी का है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैश मीमोज ही ऐसा अथवा कुल रुपया................................. वाउचर्स/कैश मीमोज ही ऐसी चिकित्सा/पुर्नवास से सम्बन्धित है। मैंने प्रस्तुत प्रमाण-पत्र भी देख लिये है वे सभी ठीक और सही है।

दिनांक :

सील मोहर सहित

चिकित्सक के हस्ताक्षर

अग्रसारण अधिकारी की टिप्पणी

भाग-तीन

1. क्या रोगी सरकारी व्यय पर निःशुल्क चिकित्सा की अधिकारी है। यदि हाँ तो आर्थिक सहायता माँगने का क्या औचित्य है?
2. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा इस निमित्त कितनी आर्थिक सहायता किसी निधि से कब-कब दी जा चुकी है यदि ऐसी को सहायता नहीं की गयी है तो न देने का कारण क्या था?
3. क्या पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन किसी निधि से अपेक्षित सहायता प्रदान करना सम्भव है यदि नहीं तो कारण का उल्लेख करें।
4. पुलिस वेलफेयर फण्ड से पहले कब-कब और कितनी-कितनी तथा किस-किस निमित्त

आर्थिक सहायता प्रार्थी को दी जा चुकी है?

5. यदि रुग्णता/अपंगता आसाध्य/चिरस्थाई है तो मरीज के पुर्नवास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा प्रस्तावित है?

6. यदि रोगी क्षय रोग से पीड़ित है तो उसे चिकित्सार्थ सेनीटोरियम भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जा रही है?

7. पुलिस वेलफेयर फण्ड से न्यूनतम कितनी आर्थिक सहायता की आप संस्तुति करते हैं, औचित्य सहित उसका उल्लेख करें।

दिनांक :

हस्ताक्षर पद
सील/मोहर सहित

प्रबन्ध समिति के आदेश

1. सहायतार्थ स्वीकृत धनराशि
2. शर्त यदि कोई लगाये जाये
3. प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत

सेक्रेटरी कम ट्रेजरी के
हस्ताक्षर एवं मोहर

परिशिष्ट - 14

संख्या : 4590/आठ-7-327/75

प्रेषक,

श्री कृष्ण मुरारी लाल गुप्ता

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 दिनांक : लखनऊ : 31 मार्च 1975

विषय :- पुलिस तथा पी0ए0सी0 कर्मचारियों द्वारा सुख-सुविधा हेतु चन्दे के रूप में एकत्र की गयी धनराशि के समतुल्य धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या : 12/-1502-66, दिनांक : 7-8-1974 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस तथा पी0ए0सी0 कर्मचारियों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु शासन ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों द्वारा चन्दें के रूप में सुख-सुविधा हेतु जितनी धनराशि एकत्र की गयी है उसके समतुल्य धनराशि (मैचिग ग्रान्ट) शासन द्वारा उनकी सुख-सुविधा हेतु इस वर्ष दे दी जाए। अतः श्रीराज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1974-75 में पुलिस/पी0ए0सी0 कर्मचारियों के सुख-सुविधा पर 3,98,000/- (रु. तीन लाख अठानवे हजार मात्र) तक अतिरिक्त व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

2. इस धनराधि से शासन द्वारा स्वीकृत मदों पर ही व्यय उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार सुख-सुविधा के लिए हेतु किये गये 12,75000/- रु. के प्राविधान से व्यय किया जाता है।

3. इस मद पर होने वाला व्यय लेखाशीर्षक ''255-पुलिस आयोजनेत्तर (ज) पुलिस कर्मचारियों का कल्याण के अन्तर्गत तक नये प्राथमिक इकाई (2) ''पुलिस कल्याण निधि (बेनेबोलेन्ट फण्ड) के लिए अनुदान'' के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश शासकीय संख्या : ई-12-736/दस-75 दिनांक 24 मार्च, 1975 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की अनुमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0

कृष्ण मुरारी लाल गुप्ता

परिशिष्ट - 14.1

संख्या : 4695/आठ-7-327/73

प्रेषक,

श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 दिनांक : लखनऊ : 8 नवम्बर 1977

विषय :- पुलिस बेनीबोलेन्ट फण्ड के लिए स्वीकृत अनुदान में से पुलिस कर्मचारियों के खेल-कूद की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 12-1502-66, दिनांक 31 अगस्त 1977 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा वर्णित परिस्थिति में राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या : 4590/आठ-7-327/1973, दिनांक 31 मार्च, 1975 के प्रस्तर-2 में निहित आदेश के क्रम में पुलिस बेनीबोलेन्ट फण्ड के लिए शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की धनराशि की अधिकतम 10 प्रतिशत पुलिस/पी0ए0सी0 कर्मचारियों के खेल-कूद की व्यवस्था पर भी व्यय करने की अनुमति प्रदान करते है।

2. यह आदेश अशासकीय संख्या : ई-12/2954/दस-77, दिनांक 2 नवम्बर 1977 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/सुरेश चन्द्र दीक्षित,
उप सचिव,

संख्या :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12

आज्ञा से,
ह0/सुरेश चन्द्र दीक्षित,
उप सचिव,

परिशिष्ट - 15

संख्या : सा-3-1446/दस-912-85

प्रेषक,

डा0 जे0पी0 सिंह,

वित्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक - 6 अगस्त, 1985

विषय :- पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-सामान्य-3-1338/दस-912-85, दिनांक-16 जुलाई, 1985 के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि महालेखाकार के स्तर से पेंशन प्राधिकार पत्र तथा पेंशन संबंधी अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि का प्राधिकार पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्राधिकार पत्रों को निर्गत करने की कार्यवाही का विकेन्द्रीकरण किया जाय और यह कार्य अब महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा किया जाय। इस प्रणाली को आपके विभाग में 31-7-85 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले सभी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संबंध में प्रयोगात्मक रूप से लागू किया जायगा। इस प्रणाली की विस्तृत रूप रेखा निम्नवत् होगी-

(1) इस प्रणाली के अन्तर्गत उपरोक्त विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ संलग्न मुख्य लेखाधिकारी अथवा उनके स्तर के अन्य अधिकारी (यदि पद नाम में अन्तर हो) पेंशन, ग्रेज्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके वेतन अधिष्ठान बिल पर आहरित किये जाते हैं। ऐसे अधिकारी जो स्वयं बिल

बनाकर सीधे कोषागार से अपना वेतन आहरित करते हैं, के संबंध में फिलहाल यह प्रणाली लागू नहीं की जायेगी। राजस्व विभाग में यह योजना केवल उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लागू समझी जायेगी जो राजस्व परिषद के अधीन कार्यरत हैं।

(3) यह प्रणाली ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होगी जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त प्राप्त करेंगे अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जायेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत अशक्तता, पारिवारिक पेंशन तथा असाधारण पेंशन भी उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू समझी जायेगी जो 31-7-85 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। 31-7-85 के पूर्व जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को ही भेजे जायेंगे और वे ही उनके पेंशन, ग्रेज्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति देयों से संबंधित प्राधिकार पत्रों को निर्गत करेंगे।

(5) इस प्रणाली के अन्तर्गत संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन संबंधित भी मामलों का निस्तारण किया जायेगा जैसे पेंशन की स्वीकृति, ग्रेज्युटी की स्वीकृति, पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति अथवा पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति आदि।

(6) बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि, भविष्य निर्वाह निधि के अर्न्तगत मिलने वाली धनराशि तथा सेवानिवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण से संबंधित मामले इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। इनके संबंध में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत जो प्रक्रियायें निर्धारित हैं वही यथावत् लागू समझी जायेंगी।

(7) इस प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन प्रपत्रों को तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय-सारणी के अनुसार किया जायेगा जैसी वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-सा-3-2085/दस-907'76, दिनांव 13-5-77 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा बांछित पेंशन प्रपत्र अब महालेखाकार को भेजने के बजाय प्रमुख विभागाध्यक्ष के साथ संलग्न मुख्य लेखा अधिकारी को भेजे जायेंगे। मुख्य लेखाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे उसे 6 माह की अवधि में जो उन्हें पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण कर पेंशन निर्धारित करने हेतु मिलेगी, पेंशन प्रपत्रों का भली-भांति परीक्षण कर लें और यदि उनमें कोई त्रुटि/कमी हो तो उसे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से समय रहते ठीक करवा लें और सेवानिवृत्ति के एक माह पहले ही पेंशन, ग्रेज्युटी तथा राशिकरण के भुगतान आदेश उस कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें

जहाँ से पेंशनर ने पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया हो अथवा जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ हो और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को भेज दें। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्रेज्युटी के राशिकरण की धनराशि का भुगतान संबंधित पेंशनर के सेवानिवृत्ति के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाय तथा पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाय।

(8) इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने हेतु पेंशन तथा अन्य प्राधिकारी पत्रों की प्रतियाँ शासन द्वारा मुद्रित करवायी जायेंगी और संबंधित अधिकारियों को भेजी जायेगी।

(9) संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार महालेखाकार से सत्यापित करवाकर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से रजिस्ट्री से प्रेषित कर दें। इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी। अपने विभाग के कार्यालयाध्यक्षो/आहरण वितरण अधिकारियों के उपयोगार्थ वे अपने हस्ताक्षर प्रमुख विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवायेंगे और उन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उसके उपरान्त एक मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यभार छोड़ने पर वह अपने उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर परिचालनार्थ प्रमाणित कर देंगे।

(10) संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी/कोषाधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भेजे जाने वाले अपने नमूने हस्ताक्षरों पर तथा पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों पर अपनी एक इम्बोंसिंग सील लगायेंगे। इस स्पेशल सील का व्यास लगभग 2 इंच होगा। संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस सील को अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखेंगे और स्वीकृति संबंधित हस्ताक्षर करते समय प्रपत्रों पर लगायेंगे।

2- इस उद्देश्य से कि नयी प्रणाली के कार्यान्यवन में मुख्य लेखा अधिकारियों को संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से पेंशन प्रपत्र आदि मंगवाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। उपरोक्त विभागों के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रणाली के लागू करने हेतु समन्वय अधिकारी के रूप में नामित करेंगे। उपरोक्त विभागों के कार्यालयाध्यक्ष प्रतिवर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची तैयार करेंगे जो अगले 24 से 30 माह तक सेवानिवृत्त होने वाले हों तथा उसकी एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी को तथा एक प्रति उपरोक्तानुसार नामित प्रशासनिक अधिकारी को भेजेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे इन सूचियों में उल्लिखित नामों को अपने कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र (फार्म-1) पर एक रजिस्टर में अंकित कर लें। यह रजिस्टर मास्टर

रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। तथा पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति तथा निर्गमन संबंधी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। जो पेंशन प्रपत्र प्राप्त होंगे उन्हें उपरोक्त रजिस्टर वे अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म-2) में दर्ज किया जायेगा। यह रजिस्टर पेंशन चेक रजिस्टर कहलायेगा और स्वीकृति संबंधी पूर्ण सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी बीड नहीं किया जायेगा और इसी रजिस्टर को भविष्य में संदर्भ हेतु तथा समय-समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। पेंशन प्राधिकार पत्रों पर भी इस रजिस्टर के नम्बर का संदर्भ होगा और यही संदर्भ संबंधित पेंशनर प्राधिकार पत्रों पर भी इस रजिस्टर के नम्बर का संदर्भ होगा और यही संदर्भ संबंधित पेंशनर के संबंध में भविष्य में उपयोग में लाया जायेगा। पुलिस विभाग संदर्भ संख्या के पहले शब्द पुलिस का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण तथा राजस्व विभाग शब्द सिंचाई सानिवि तथा राजस्व का प्रयोग करेंगे। बाद में यदि किसी व्यक्ति के पेंशन प्रपत्र निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्राप्त न हों तो मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन प्रपत्र भेजने के संबंध में पत्र भेंजे। यदि फिर भी किसी कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन प्रपत्र न हों तो उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

3- संबंधित पेंशन प्राधिकार पत्र के कोषाधिकारी के स्तर पर तथा ग्रेच्युटी/राशिकरण संबंधी प्राधिकार पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी उन्हें एक रजिस्टर जो वित्त हस्त पुस्तिका भाग-पाँच, खण्ड दो के फार्म संख्या-51 (प्रारूप संलग्न) में निर्धारित है पर दर्ज कर लेंगे। कोषाधिकारी इसी रजिस्टर के क्रमांक को पेंशन प्राधिकार पत्र (दोनों प्रतियों) पर दर्ज करेंगे और कोषाधिकारी के कार्यालय में डिस्वसर्स हाफ को ढूंढ़ने में उसका उपयोग करेंगे।

4- पेंशन प्रपत्रों के प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में निम्न कार्यवाही अपेक्षित होगी :-

(1) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेंशन-प्रपत्र हर प्रकार से पूर्ण है।

(2) सेवा-पुस्तिका में सेवा संबंधी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण हैं तथा वे उचित स्तर से प्रमाणित की गयी हैं। यदि सेवा पुस्तिका में कुछ अवधि/अवधियां सत्यापित न हो तो संबंधित सरकारी सेवक से, शासनादेश संख्या सा-3-1998/दस/ 932/80 दिनांक-16 जनवरी, 1981 के पैरा 3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक शपथ पत्र प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन हेतु अर्ह सेवा मान लेंगे।

(3) यदि अभिलेख पूर्ण हो तो निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक 10 माह पूर्व का औसत वेतन आगणित करेंगे और सेवा पुस्तिका की सहायता से उसकी अर्हकारी सेवा आगणित करेंगे। इन आंकणों के आधार पर पेंशन नियम एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर पेंशन का आगणन करने पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगें।

(4) इसी प्रकार के पेंशन नियमों में एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी तथा पेंशन की राशिकरण की धनराशि का आगणन करेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार पत्रनिर्गत करेंगे।

(5) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उक्त पत्रों पर निर्धारित सभी सूचना सही सही भर दी गई है जिससे संबंधित कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को उसका भुगतान करने में कठिनाई न हो।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा की अवधि बाह्य सेवा की है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन प्रपत्र भेजने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि बाह्य सेवायोजक द्वारा संबंधित अवधि के अवकाश एवं पेंशन अंशदान उन्हें भेज दिये गये हैं, अथवा/नहीं और यदि भेजे गये हो तो पेंशन प्रपत्रों के साथ उनकी चालान संख्या तथा कोषागारों के नाम तथा उस धनराशि की सूचना संलग्न करनी होगी जिनके माध्यम से अवकाश वेतन अंशदान एवं पेंशन अंशदान जमा किये गये हों। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध न हो तो पेंशन प्रपत्रों को भेजे जाने में विलम्ब न किया जाये बल्कि कार्यालयाध्यक्ष यथा शीघ्र उसके बाद ऐसी सूचना एकत्रित करके मुख्य लेखाधिकारी को उपलब्ध करा दें। यदि फिर भी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्य में ऐसी सूचना प्राप्त न होने के कारण बिलम्ब न करें किन्तु कार्यालयाध्यक्ष से निरंतर पत्र व्यवहार करके वांछित सूचना प्राप्त कर लें।

5- यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश बाहर किसी अन्य प्रदेश के कोषागार के माध्यम से पेंशन आहरित करना चाहता है तो उसके लिये उसे फार्म संख्या-25 सी0एस0आर0 की तीन प्रतियाँ भेजनी चाहिये। मुख्य लेखाधिकारी पेंशन आदि की स्वीकृति प्रदान कर फार्म संख्या-25 सी0एस0आर0 की दो प्रतियां महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय उ0प्र0 को पेंशन स्वीकृति संबंधी अन्य प्रपत्रों के साथ इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वे संबंधित महालेखाकार को उसकी पेंशन के वितरण करने हेतु संबंधित कोषाधिकारी को अधिकृत कर दें। महालेखाकार उ0प्र0 संबंधित महालेखाकार को भेजे गये ऐसे पत्र की एक प्रति मुख्य लेखाधिकारी तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भी भेजेंगे।

6- यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में ही पेंशन का भुगतान अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से लेना चाहता है तो मुख्य लेखाधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र उस जिले के कोषाधिकारी को भेज देंगे और कवरिंग पत्र की एक प्रति कार्यालयाध्यक्ष को तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भेजेंगे।

7- इस प्रणाली के अन्तर्गत उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखाधिकारी द्वारा निर्गत किये गये पेंशन प्राधिकार पत्रों पर पहले तथा उसके उपरान्त किये जाने वाले मासिक भुगतान उस जिले के

कोषाधिकारी द्वारा किये जायेंगे जहाँ से संबंधित पेंशनर अपनी पेंशन लेना चाहता हो। यदि कोई पेंशनर कोषागार के स्थान पर उप कोषागार से पेंशन आहरित करना चाहता है तो पेंशन प्राधिकार पत्र जिले के कोषाधिकारी को भेजे जायेंगे तथा वे ही पेंशन आहरण करने हेतु संबंधित उप कोषागार को अधिकृत करेंगे। मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, तथा पेंशन के राशिकरण की धनराशियों का भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं किया जायेगा। बल्कि संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस प्रकार के भुगदानों के प्राधिकार पत्र उस आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे जहाँ से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो। यदि पेंशन का राशिकरण पेंशन स्वीकृति के साथ नहीं कराया गया है तो पेंशन राशिकृति धनराशि का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा पेंशनर की पेंशन कोषाधिकारी द्वारा तद्नुसार घटा दी जायेगी।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरोक्त भुगतानों के आहरण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनायेंगे और उन्हें कोषागार से पारित करवाकर संबंधित व्यक्ति को उसका भुगतान कर देंगे। यदि भुगतान नियुक्ति के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से किये जाने हेतु आवेदन किया जाये तो उस दशा में संबंधित व्यक्ति को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। सिचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में चेक प्रणाली लागू है अतः संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की ग्रेज्युटी एवं पेंशन के राशिकरण के भुगतान हेतु बिल बनाकर उन्हें कोषागार को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

8- पेंशन एवं अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत करने के उपरान्त एक अन्य अधिकारी द्वारा जो पेंशन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अर्न्तगत कार्यरत होंगे तथा उन्हीं को सीधे उत्तरदायी होंगे सभी प्राधिकार पत्रों की शत प्रतिशत कार्योत्तर संपरीक्षा की जायेगी। कार्योत्तर संपरीक्षा किये जाने के उपरान्त ऐसे अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सूचना पेंशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि कार्योत्तर संपरीक्षा के उपरान्त पेंशन अथवा अन्य देयों के संबंध में त्रुटि पायी गई हो तो मुख्य लेखा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे त्रुटि सुधार करके प्रश्नगत पत्र पुनः निर्गत करें। अधिक भुगतान होने की दशा में कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण करेंगे। पेंशन में अधिक भुगतान होने की दशा में यह वसूली किस्तों में की जा सकती है। अन्य भुगतानों के संबंध में संबंधित पेंशनर को अधिक भुगतान की धनराशि को एक मुश्त कैश में जमा करना होगा। इस हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशनर को भुगतान किये जाने के पूर्व एक इन्डेमिनिटी बान्ड (फार्म-3) भरवा लेंगे जिस पर कार्यालय के दो अधिकारी एवं कर्मचारी का साक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

9- यदि किसी कारणवश सेवानिवृत्त के दिनांक से एक मास पूर्व किसी व्यक्ति की पेंशन अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी के संबंध में प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो पाये तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे शासनादेश संख्या-सा-3-2085/दस-907-76 दि0 13-12-77 एवं सा-3-1797/दस-921-84 दिनांक- 13-2-85 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्ति को अनन्तिम पेंशन एंव ग्रेज्युटी स्वीकृत कर दें एवं शासनादेश संख्या-सा-3-2921/दस-भ0ले0-7-78 दि0 27-1-79 के अर्न्तगत निर्धारित संलग्नक-1 पर

आवश्यक सूचना महालेखाकार के स्थान पर विभाग के मुख्य लेखाधिकारी को प्रेषित कर दें और उसका आहरण पेंशन मामले में सेवानिवृत्ति के एक माह के बाद के माह की पहली तिथि से प्रारम्भ कर दें तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी की धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के माह से अगले माह की पहली तिथि को ही कर दें।

10- मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन तथा अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनके निर्णय में कोई विवाद उत्पन्न किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जो विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्णय हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

11- भारत के संविधान के अनुच्छेद-283 (2) के अर्न्तगत राज्यपाल द्वारा बनाये गये ट्रेजरी रूल्स में प्राविधान है कि कोषाधिकारी सामान्य प्रकार से भुगतान करने हेतु अधिकृत नहीं है, जब तक ऐसा भुगतान नियमों के अर्न्तगत किया जाना अपेक्षित न हो अथवा उनके लिये महालेखाकार का प्राधिकार पत्र उपलब्ध न हो। ट्रेजरी रूल्स-22 में यह प्राविधान है कि सरकारी सेवकों को मिलने वाली पेंशन की दरें महालेखाकार द्वारा कोषाधिकारी को सूचित की जायेगी। उपरोक्त प्रणाली को लागू करने हेतु संबंधित ट्रेजरी रूल्स को संशोधित करना होगा जिसमें समय लगने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियमों के संशोधन के औपचारिक आदेश निर्गत होने के पूर्व इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उन्हें संशोधित माना जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये भुगतान प्राधिकार पत्रों पर भुगतान करने हेतु अधिकृत समझे जायेंगे।

12- उपरोक्त कार्य के लिए संबंधित विभागों में निम्नलिखित अस्थायी पदों के 28 फरवरी-1986 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

		सहायक लेखा अधिकारी (690-1420)	**लेखाकार (570-1100)**	**टंकक (354-550)**	**रिकार्ड कीपर (430-685)**	**चपरासी (305-390)**	**योग**
1	पुलिस विभाग	1	6	1	1	1	10
2	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1	4	1	1	1	8
3	सिंचाई विभाग	1	5	1	1	1	9
4	राजस्व विभाग	1	5	1	1	1	8
						कुल योग	35

उपरोक्त पदों में से निम्न पद संबंधित विभाग द्वारा वर्तमान स्टाफ में से भरे जायेंगे शेष पदों की सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से भरा जायेगाः-

	लेखाकार
पुलिस विभाग	2
सार्वजनिक निर्माण विभाग	2
सिंचाई विभाग	2
राजस्व विभाग	2

उपरोक्तानुसार स्वीकृत सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी सीधे मुख्य लेखा अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करेंगे और उन्हीं को उत्तरदायी होंगे। वही उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करने हेतु अधिकृत होंगे।

13- उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बीच सभी पेंशन नियमों तथा शासनादेशों का अध्ययन कर लें जिससे पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने में कठिनाई न हों।

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रणाली का भली प्रकार अध्ययन कर लें और उसे अपने विभाग में 4-8-85 से लागू करने की कृपा करें।

भवदीय

ह0/-

डा0 जे0पी0 सिंह

वित्त सचिव।

संख्या : सा-3-1446(1)/दस-912-85

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग, लखनऊ।

2- महालेखाकार, (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय, महालेखाकार (आडिट) तृतीय एवं चतुर्थ इलाहाबाद।

3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त।

5- प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।

6- प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

7- पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष।

8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

9- पेंशन अधिकारी, विधान भवन, लखनऊ।

10- सचिव, कार्मिक विभाग, लखनऊ।

11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

12- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।

आज्ञा से,

ह0/-

वेद प्रकाश अग्रवाल,

संयुक्त सचिव।

<u>परिशिष्ट - 15.1</u>

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97

लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर 2008

<u>कार्यालय - ज्ञाप</u>

विषय :- वेतन समिति उ0प्र0, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिको की पेन्शन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेन्शन एवं राशिकरण की दरो का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये राज्य सरकार के सिविल पेन्शनरी/पारिवारिक पेन्शनरी के पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन/ग्रेच्युटी एवं पेन्शन राशिकरण की दरो को निम्नप्रकार संशोधित किये जाने का आदेश दिये है। यह आदेश दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निधारण/समायोजन किया जायेगा।

2- यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेन्शनरो/पारिवारिक पेन्शनरो पर (जो उ0प्र0 लिब्लराइज्ड पेन्शन रूल्स 1961, उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, तथा शासनादेश संख्या : सा-3-969/दस-933/85, दिनांक ; 08.08.1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन को छोड़ कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थाई निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

2-(1) प्रभावी होने की तिथि-

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाएं उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक : 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मृत हुए हैं। दिनांक : 01.01.2006, के पूर्व सेवानिवृत्त/मृतसरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2 (2)

जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक ; 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसे पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3- (1) परिलब्धियां-

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम-9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3- (2)

''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008, की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में पे बैण्ड तथा लागू ग्रेड पे से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन तथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

3- (3)

सेवानिवृत्त/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महँगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा।

4- पेंशन

पेंशन की गणना पूर्व की भांति, औसत परिलब्धियों पर दिये जाने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में पुर्नस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा पे ग्रेड के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो अनुमन्य होगा, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु. 3500/- प्रतिमाह से कम तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनांक : 01.01.2006) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तदनुसार राज्य सरकार की पेंशन की पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगीं।

4 (1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों जो दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

4- (2)

वर्तमान में राज्य सरकार में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी

सेवा प्रदान करना अनिवार्य है, परन्तु तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि सरकारी सेवक को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा, सेवा करना अनिवार्य है जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के आधार पर जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी।

4-(3)

ऐसे सरकारी सेवक जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते है तथा पेंशन पाने के पात्र हैं, उन्हें भी उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पेंशन स्वीकृत की जायेगीं।

4-(4)

उपरोक्त प्रस्तर-4(2) एवं 4(3) की व्यवस्था इन आदेशों के जारी होने की तिथियों से प्रभावी होंगे तथा उन सरकारी कार्मिकों पर लागू होंगे जो उक्त दिनांक को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। जो सरकारी सेवक दिनांक : 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु इस कार्यालय-ज्ञाप के जारी होने के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं उन पर पेंशन संबंधी वही नियम लागू होंगे जो इस कार्यालय-ज्ञाप के जारी होने की तिथि के पूर्व लागू थे।

4-(5)

पेन्शन की न्यून्तम धनराशि की सीमा रु. 3500/- प्रतिमाह तथा अधिकतम सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। (राज्य सरकार में दिनांक : 01.01.2006 से अधिकतम वेतन की धनराशि रु. 80,000/- है)।

4-(6)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स की संबंधित व्यवस्थाएं उपरोक्त प्रस्तर-1 से 5 में पुनरीक्षित व्यवस्था के अनुसार संशोधित समझी जाएगी, शेष व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगी।

4-(7)

वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन की अनुमन्य की जाएगी :-

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष से अधिक आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेन्शन स्वीकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेन्शन प्राधिकार-पत्र में पेन्शनर की जन्म तिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेन्शन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पी0पी0ओ0 में अतिरिक्त पेन्शन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी उदाहरण यदि पेन्शनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेन्शन की धनराशि रु. 10,000.00 प्रतिमाह है तो उसकी मूल पेन्शन रु. 10,000/- तथा (ख) के अतिरिक्त पेन्शन रुपया 10,000.00 (ख) अतिरिक्त पेन्शन रुपया 3,000 प्रतिमाह होगी।

5- ग्रेच्युटी

5-(1)

सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख होगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 को सम्बन्धित नियम को दिनांक 01.01.2006 से संशोधित समझा जाएगा तथा नियम के अधीन सेवानिवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख से अधिक नहीं होगी।

6- अर्हकारी से अतिरिक्त सेवा की गणना

उपरोक्त प्रस्तरों 1 से 5 में उल्लिखित पेन्शन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेन्शन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा सम्बन्धित नियम तद्नुसार संशोधित समझा जाएगा।

7- नई पारिवारिक पेन्शन योजना 1965

पारिवारिक पेन्शन की धनराशि सभी प्रकरणो में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन के 30 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम 24,000/- होगी।

7-(1)

वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी सेवक/पेन्शनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा सामान्य पेन्शन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में अनुमन्य पेन्शन की धनराशि से अधिक नहीं तक पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य होती है। दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेन्शनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि में कोई संशोधन नहीं होगा। पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए।

7-(2)

वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशनर की आयु	पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यवाही उपरोक्त प्रस्तर-4 (7) के अनुसार की जायेगीं।

7-(3)

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-

वर्ग-1

(क) विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग-(11)

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ) ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं हैं। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-11 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री अथवा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार उसी ऐसी कोई सन्तान नहीं है जो विकलांग हों। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उसकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले की पात्रता स्थापित होगी।

7-(4)

सन्तानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुर्नविवाह के उपरान्त भी किया जायेगा। परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो

जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक छः माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी श्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

8- पेंशन के एक भाग का राशिकरण

8- (1)

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें।

8- (2)

पेंशन राशिकरण की तालिका संबद्ध है तथा इस हेतु उत्तर प्रदेश कम्युटेशन ऑफ पेंशन रूल्स को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

8- (3)

पेंशन राशिकरण से संबंधित पुनरीक्षित तालिका उन सभी प्रकरणों में प्रभावी होगी जिनमें इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त राशिकरण कराया गया है। जिन प्रकरणों में पेंशन राशिकरण की कार्यवाही इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने से पूर्व संपन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्व तालिका में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनांक :- 01.01.2006 से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा ले। इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का राशिकरण का भुगतान पेंशन राशिकरण की नई तालिका में निर्धारित की गयी दरों के आधार पर किया जायेगा। इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त राशिकरण के प्रकरणों में नई तालिका के अनुसार धनराशि आगणित की जायेगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रकाश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

9- एक्स-ग्रेसिया एक मुश्त कम्पेन्सेशन

वर्तमान व्यवस्था के अधीन जिन सरकारी सेवको की मृत्यु सरकारी कार्य के दायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक्स-ग्रेसिया की धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से पूर्व निर्धारित दरो में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	**10,00 लाख**
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	**10,00 लाख**
(ग)	देश की सीमा पर अन्तराष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अविवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	**15,00 लाख**
(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊचाँइयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुये मृत्यु होने पर	**15,00 लाख**

संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

10- ऐसे कार्मिको जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से लागू नये वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्त हो जाते है उनकी पेन्शन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी :-

(क) पुनरीक्षित वेतनमान/निर्धारित पे-बैण्ड तथा ग्रेड पे में आगणित धनराशि।

(ख) शेष अवधि के लिये दिनांक 01.01.2006 से पूर्व में अवधि में आहरित मतूलवेतन/महगाँई वेतन तथा वास्तविक महगाँई भत्ता जो कि दिनांक 01.01.2006 को प्रभावी थे तथा संगत अवधि में आहरित किया गया है।

<u>सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प दिया है, के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था :-</u>

12- ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प दिया है और अब दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे है उनकी पेन्शन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :-

(1) ''परिलब्धियों'' शब्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9(21)(ए)(1) तथा उस पर महँगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 तक अनुमन्य महँगाई राहत (वर्ष 1982=100 के आधार पर) पर आगणित होगी।

(2) पेन्शन की गणना परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियाँ, जो भी अधिक लाभप्रद, पर की जायेगी।

(3) मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्त 12(1) में परिभाषित परिलब्धि तथा उस पर इन आदेशो के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अनुमन्य महँगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु. 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) से अधिक नहीं होगी।

(4) पेन्शन राशिकरण की दरे वही होगी जैसा की इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थें।

(5) पारिवारिक पेन्शन की गणना/स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थी एवं उसी गणना दिनांक 01.01.2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूलवेतन के आधार पर की जायेगी। उपरोक्त गणना हेतु AICPI-536 (वर्ष 1982=100 के आधार पर) निर्धारित महँगाई राहत, जैसा कि शासनादेश संख्याः सा-3-1746/दस-308/05 दिनांक 02.12.2005 में बताई गई है, को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेन्शन की धनराशि पर AICPI-536 औसत के उपरान्त ही महँगाई राहत की गणना की जायेगी।

(6) उपरोक्त सन्दर्भित संशोधनो के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स/उत्तर प्रदेश रिटायर मेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961/उ0प्र0 लिब्रालइज पेन्शन रूल्स 1961/ उ0प्र0 असाधारण पेन्शन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेन्शन स्कीम के अधीन यथा आवश्यक नियम/व्यवस्थाये संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष नियम, व्यवस्थाये पूर्ववत् रहेगी।

(7) इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर आगणित/अनुमन्य पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन पर AICPI-536 के औसत के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाला महँगाई राहत अनुमन्य होगा।

(8) अवशेष भुगतान की प्रक्रिया :

दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.11.2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008-09 में, 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008-10 तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जाये। पेन्शनरो/पारिवारिक पेन्शनरों को विभिन्न वित्तीय वर्षो में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाय। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेन्शनरो/पारिवारिक पेन्शनरो को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय। पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

किसी पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाय।

ह0/-
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

(2) समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।

(3) समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।

स्थानीय पेन्शनरो के संघटनो को देने हेतु
इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ
(कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाय)
(प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)

(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु 05 प्रतियाँ)

संख्या : सा-3-1508(1)/10-2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-	सचिवालय के समस्त अनुभाग	प्रत्येक को एक प्रति
2-	सचिव विधान सभा, परिषद, विधान भवन लखनऊ	05 प्रतियाँ
3-	निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3 इन्दिरा नगर लखनऊ	05 प्रतियाँ
4-	निदेशक, पेन्शन, उत्तर प्रदेश इन्दिरा भवन लखनऊ	05 प्रतियाँ
5-	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रचारार्थ	05 प्रतियाँ
6-	मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	05 प्रतियाँ
7-	मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद	05 प्रतियाँ
8-	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर	05 प्रतियाँ
9-	उपभूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ	05 प्रतियाँ
10-	इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ	05 प्रतियाँ
11-	मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्रीपर	05 प्रतियाँ

विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वनविभाग लखनऊ। नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्त सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, महानिरीक्षक होमगार्डस, उ0प्र0, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रमविभाग, कानपुर, लोकसेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद परिवहन विभाग उ0प्र0 लखनऊ महानिदेशक स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0, चिकित, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज आगरा, मेडिकल कालेज इलाहाबाद, मेडिकल कालेज कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

आज्ञा से
ह0 अस्पष्ट
(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re. 1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.186	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.190	61	8.194		

परिशिष्ट - 15.2

संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियाँ के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- पेंशन/उपदान/पेंशन की संराशीकरण/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/एकमुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन कर्मचारियों जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होंगे, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले

पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-(1) प्रभावी होने की तिथि-

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हुए हों। दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

3-(2)

इन आदेशों से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके मामलों में दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिये लाभप्रद न हो, तो ऐसे मामलों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4(1) परिलब्धियाँ

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम-9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

4(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनांक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार वेतन तथा विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।

4(-(3)

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय महँगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

5-पेंशन

5-(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य

नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

5-(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2006 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा गया है। जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रु0 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

5-(3)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु0 9000/- प्रतिमाह तथा अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

5-(4)

वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भाँति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि, पेंशनर द्वारा धारित अन्तिम पदनाम, वेतनमान, अन्तिम आहरित वेतन एवं औसत परिलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पेंशन प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। **उदाहरणार्थ** यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रु0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, **(i)** मूल पेंशन- रु0 10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रु0 2,000/-। 85 वर्ष की आयु पूर्ण

करने पर, **(i)** मूल पेंशन- रु0 10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रु0 3,000/- प्रतिमाह होगी।

6- अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में गणना किये जाने की व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से समाप्त कर दिया गया है।

7- नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965

7 (1)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रु0- 9000/- प्रतिमाह होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

7 (2)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसकी न्यूनतम धनराशि रु0 9000/- तथा अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

7 (3)- वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों को देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-5 (4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7 (4)- पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-

वर्ग-1

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग-2

(च)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णत; आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे काई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तालकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलॉग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्म-तिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियाँ जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

7 (5)- संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बंद हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार में प्रत्येक 06 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्त्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

7 (6)- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016-308/97, दिनांक 27-10-2016 द्वारा तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य की गयी है तथा इससे यह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बंद की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य होगा। शासनादेश दिनांक 06-08-1981 सपठित शासनादेश दिनांक 12-11-1997 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

7 (7)- उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महँगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7 (8)- ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगी।

8- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी

8 (1)- मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्नानुसार संशोधित की जायेगी :-

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रु0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

8 (2)- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु0 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूलवेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

9- पेंशन का राशिकरण

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग, जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भाँति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

10- महँगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11- एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन

एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि जो ऐसे राज्य सरकार के सिविल सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को देय है, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्स-ग्रेशिया की धनराशि की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

	परिस्थितियाँ	धनराशि (रुपये)
(क)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ख)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान आतंकवादियों अथवा असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ग)	सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों अथवा समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
(घ)	विशिष्ठ रूप से चिन्हित ऊँची पहाड़ियों या दुर्गम सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थिति में कार्यरत होने पर मृत्यु की दशा में।	35 लाख
(ङ)	युद्ध में शत्रुओं के हमले या ऐसे हमले जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाये अथवा भारतीयों को विदेश में युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के दौरान हुई मृत्यु पर।	45 लाख

उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन तथा आवश्यक नियम/व्यवस्थायें संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष नियम/व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

12- अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-38/2016-सा-3-921 (1)/दस-2016/308/16 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- निदेशक, पेंशन पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

परिशिष्ट - 15.3

CIVIL SERVICE REGULATIONS

INVALID PENSION (अशक्तता पेंशन)

441. An invalid pension is awarded, on his retirement from the public service, to an officer who by bodily or mental infirmity is permanently incapacitated for the public service, of for the particular branch of it to which he belongs.

Rules regarding Medical Certificates

442. An officer applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity in the manner specified below;

(a) If the officer submitting the application is on leave elsewhere than in India then the examination shall be arranged through the Indian Missions aboard by a Medical Board consisting of a Physician, a Surgeon and an Ophthalmogist, each of them having the status of a consultant. The services of doctors approved for the officers and staff of the Mission concerned shall be utilised for this purpose, provided they fulfill the above conditions. A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

(b) If the officer submitting the application is in India, then the examining medical authority shall be :

(1) A medical Board, in the case of all *Gazetted* Government servants and those *non-Gazetted* Servants whose pay, as defined in Fundamental rule 9 (21) exceeds Rs. 400 per mensem.

(2) A Civil Surgeon or a Medical Officer of equivalent status in other cases.

(c) Except in the case of the officer on leave elsewhere than in India, no medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show the head of his office or department is aware of his intention to appear before the Medical Officer. The Medical Officer shall also be supplied by the head of the office or department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the applicant's age. Where the applicant has a service book, the age recorded there

should be reported.

443. (a) A suceinct statement of the medical case, and of the treatment adopted, should, if possible, be appended.

(b) If the examining Medical Officer, although unable to discover any specific disease in the oficer, considers him incapacitated for further service by general debility while still under the age of fifty-five years, he should give detailed reasons for his opinion, and, if possible a second medical opinion should always in such a case be obtained.

(c) In a case of this kind, special explanation will be expected from the head of the office or department on the grounds on which it is proposed to invalid the officer.

444. A simple certificate that inefficiency is due to old age or mental decay from advancing years, is not sufficient in the case of an officer whose recorded age is less than fifty five years, but a Medical Officer is at liberty, when certifying that the officer is incapacitated for further service by general debility to state his reasons for believing them to be understood.

Form of Medical Certificate elsewhere than India

445. The form of medical certificate given by the Medical Board arranged by the Indian Mission abroad, respecting an officer applying for Invalid pension while on leave elsewhere than India, shall be as follows :

"We have carefully examined................................taking into account all the facts of case as well as his present condition, we consider that he is incapable of discharging the duties of his situation, and that such incapability is likely to be permanent. His incapacity does not appear to us to have been caused by irregular or intemperate habits".

Note- If the incapacity is obviously the result of intemperance, substitute for the last sentence; "In our opinion his incapacity is the result of irregular or intemperate habits".

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made).

"We are of the opinion that A/B, is fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing (or may after resting for.....................months, be fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing.)"

446. If any doubt arises regarding the validity of a certificate by the

Medical Board arranged by the Indian Mission abroad, the Audit Officer must not of his own motion reject the certificate as invalid but must submit the matter for the decision of the State Government.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE IN INDIA

447. (a) The form of the certificate to be given respecting an officer applying for pension in India is as follows :

"Certificate that I (we) have carefully examined AB son of CD, a.............in the............... His age is by his own statement............. years, and by appearance about................year. I (we) consider AB, to be completely and permanently incapaciated for further service of any kind (or in the Department to which he belongs) in consequence of (heae state disease or cause). His incapacity does not appear to me (us) to have been caused by irregular or intemperate habits."

Note- If the capacity is the result of irregular or intemperate habits, the following with be substituted for the last sentence :

"In may (our) opinion his incapacity is directly due to.............. has been accelerated or aggravated by irregular or intemperate habits."

If the incapacity does not appear to be complete and permanent the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made :

I am (we are) of opinion that A B is fit for further service of a less laborius character than that which he has been doing (or say after resting for..................... months, be fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing).

(b) The object of the alternative certificate (of partial incapacity), is that an officer should, if possible, be employed even on lower pay, so that the expense of pensioning him may be avoided. If there is no means of employing him even on lower pay, then he may be admitted to pension; but it should be considered whether, in view of his capacity for partially earning a living, it is necessary to grant to him the full pension admissible under rule.

परिशिष्ट - 15.4

संख्या-6929पी/आठ-1000(17)65

सेवा में,

महालेखाकार (तृतीय)

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद-211001

गृह (पुलिस विभाग) 23 जनवरी, 1980

विषय :- उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1961 जैसा कि इसे वर्ष 1975 में संशोधित किया गया है, के नियम-3 की व्याख्या स्व0 कान्स0 श्री विजय बहादुर सिंह के आश्रितों को उत्तर प्रदेश (असाधारण पेंशन) नियमावली-1961 के अन्तर्गत पेंशन दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : पी0आर0आई0 /IV/174436/78-79/2418, दिनांक 7-12-1978 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली-1961 का नियम-3 जैसा कि इसे अधिसूचना संख्या ; 1406पी/आठ-6-1000(17)/65, दिनांक 7 जुलाई, 1971 द्वारा संशोधित किया गया था, के अनुसार ऐसे सभी मामलों में उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत ''एवार्ड'' देय होगा, जिनमें कि उन नियमों से आच्छादित होने वाला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कर्तव्यपालन के दौरान मारा जाय या उसकी मृत्यु हो जाय। कर्तव्यपालन के दौरान यदि मृत्यु हृदय रोग अथवा सेरीब्रल थ्राम्बोसिस से हो जाय तो भी उनका मामला इन नियमो की परिधि में आयेगा।

इस सम्बन्ध में यह कहना भी अप्रसांगिक न होगा कि 12वीं बटालियन पी0ए0सी0 फतेहपुर के कान्सटेबिल स्व0 श्री रामायण सिंह की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान बीमार होने के परिणामस्वरूप हुई थी और डाक्टरों द्वारा उसकी मृत्यु का कारण ''सेरीब्रल थ्राम्बोसिस'' बताया गया था। इस मामले में आपने उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली-1961 के अन्तर्गत ''एवार्ड'' स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव अपने पत्र संख्या : पी0आर0आई0/111-ए-174021/78-79/1781, दिनांक 22-9-1978 में संस्तुति सहित भेजा था और लोक सेवा आयोग ने भी ''एवार्ड'' देय बताया था। शासन ने एवार्ड की ग्राह्यता के बारे में विधिक परामर्श प्राप्त किया था, जो निम्नप्रकार है :-

"The constable in this case will be said to have died in the course of

performance of his duty within the meaning of rule 3 and as such he is entitled to benefit therein the operation of the rule is confined to case where a member of police force is killed. It also extends to a case where such a person dies in the course of performance of duty even without an encounter with dacoits or armed criminals etc.

अतः स्व0 कान्स0 विजयबहादुर सिंह स्व0 कान्सटेबिल ड्राइवर राधे प्रसाद स्व0 कान्स0 वीरेन्द्र सिंह तथा स्व0 श्री के0सी0 जोशी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मथुरा के मामलों में तदनुसार विचार करके अपनी राय सहित शासन को प्रस्ताव भेजने की कृपा करें। यह प्रस्ताव आपको अलग से लौटाये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-

श्री लाल शुक्ल,

संयुक्त सचिव।

संख्या : 6929(1)पी/आठ-6-1000(17) तदिनांक

प्रतिलिपि गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-सचिवालय, लखनऊ को स्व0 श्री के0सी0 जोशी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मथुरा के मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0/-

श्री लाल शुक्ल,

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - 15.5

अधिसूचना संख्या-1406-पी0/आठ-अनु0-6-1000 (17)-65
दिनांक : जुलाई 7, 1975

विषय :- उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1975।

Subject :- U.P. Police (Extra Ordinary Pension) (First amendment) Rules, 1975.

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1975

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 कहलाएगी।

(2) यह 1 अप्रैल, 1972 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2. नियम 3 तथा 5 का संशोधन :-

उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियमों के स्थान प र स्तम्भ-2 में दिए गए नियम रख दिये जाय।

स्तम्भ- 1	**स्तम्भ- 2**
(विद्यमान खण्ड) 3. यह नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन ऐसे समस्त अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगी चाहे वह स्थायी रूप से सेवायोजित हों अथवा अस्थायी रूप में, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों अथवा विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में मारे जायें।	**(एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)** 3 यह नियमावली राज्यपाल के बनाए नियम से नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप से सेवायोजित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्यों का पालन करने के दौरान मारे जायं या जिनकी मृत्यु हो जाय।

4. प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय नहीं दिया गया हो, उ0प्र0 सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायेगा और न यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फन्ड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायेगा।	4 प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया हो, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जाएगा और न यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फन्ड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायगा।
5. ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अभिनिर्णय नहीं लिया जायगा, को किसी रोग से अथवा ऐसे कारण से हुई हो, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में चोट लगने से भिन्न हो।	5 कोई अभिनिर्णय नियम 3 में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नहीं दिया जाएगा।

परिशिष्ट - 15.6

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

भाग-1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-6 08 अक्टूबर, 2015 ई0 अधिसूचना/प्रकीर्ण

संख्या 1779पी/छः-पु-6-2015-1000(32)/2004-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कहलायेगी।

2- नियम 2 का संशोधन- उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड (ङ) ''पुलिस कर्मचारी'' का तात्पर्य पुलिस ऐक्ट, 1861 की धारा (2) के अधीन संघटित पुलिस बल के सदस्य और 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 40, सन् 1948 ई0) के सदस्य से है।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (ङ) ''पुलिस कर्मचारी'' का तात्पर्य पुलिस ऐक्ट, 1861 की धारा (2) के अधीन संघटित पुलिस बलि के सदस्य और यू0पी0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (यू0पी0 ऐक्ट नं0 40, सन् 1948) की धारा 3 के अधीन बनाये गये उत्तर प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के सदस्य और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस ऐक्ट, 1944 एवं यू0पी0 फायर सर्विस रूल्स, 1945 के अधीन संगठित अग्निशमन सेवा बल के सदस्य से है।

3- नियम 3 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम 3- यह नियमवली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप में सेवायोजित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के दौरान मारे जायं या जिनकी मृत्यु हो जाय : प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया हो, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायेगा और न यू0पी0 लिबर लाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कन्ट्रीव्यूटरी पेंशन फण्ड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायेगा।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 3- यह नियमवली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले उत्तर प्रदेश के सभी राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कार्मिकों पर लागू होगी चाहे वे स्थायी या अस्थायी रूप में नियोजित किये गये हों, जिनकी मृत्यु कर्तव्य के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन हुई हो : (क) डाकुओं/अपराधियों/विदेशी शत्रु/उग्रवादियों/आतंकवादियों/नक्सलियों आदि के आक्रमण/लड़ाई के कारण मृत्यु : (ख) आक्रोशित जनता द्वारा आक्रमण के कारण मृत्यु : (ग) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण/प्रदर्शन से गुजरने के दौरान से मृत्यु : (घ) प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़/भूकम्प/भूस्खलन बर्फीले तूफान आदि अथवा मानवजनित दुर्घटनाओं जैसे रेल दुर्घटनाओं, टैंकर विस्फोट आदि के बचाव एवं राहत कार्यों के दौरान मृत्यु : (ङ) किसी भी क्षेत्र में आग बुझाने अथवा आग बुझाने में सहायता करने के दौरान मृत्यु ; (च) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आक्रमण के कारण मृत्यु, और (छ) कैदी अनुरक्षा के दौरान आक्रमण के कारण मृत्यु।

4- नियम 5 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ- 1	स्तम्भ- 2
विद्यमान नियम 5- कोई अभिनिर्णय नियम 3 में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नहीं दिया जायेगा।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5- नियम 3 के अधीन आच्छादित कारणों से भिन्न किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जायेगा।

5- नियम 6 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ- 1	स्तम्भ- 2
विद्यमान नियम 6- अभिनिर्णय की धनराशि इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मचारी की विधवा को स्वीकृत की जायेगी, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न हो अथवा उसकी मृत्यु हो जाय अथवा वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बच्चे ऐसी घटना के दिनांक से ऐसी पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे, जो विधवा को अनुमन्य होती और यह उनमें बराबर-बराबर बांट दी जायेगी। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषिक का भुगतान उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता उन बच्चों में बराबर बांट दिया जायेगा, जो पेंशन के हकदार हों। **टिप्पणी-** यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर-बराबर बांट दी	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 6- कोई अधिनिर्णय इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की विधवा/विधुर/ आश्रित को स्वीकृत की जायेगी, जिन पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी, का/की पत्नी/पति जीवित न हो अथवा मृत्यु हो जाय अथवा पुनर्विवाह कर ले तो ऐसी घटना की दशा में आश्रित अवयस्क बच्चे ऐसी पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे, जो विधवा /विधुर को अनुमन्य होती और इसे उत्तर प्रदेश पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार वितरित किया जायेगा। **टिप्पणी-** यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अधिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर-बराबर बाँट दी जायेगी।

6- नियम 8 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम 8 (1)- पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी के मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें। 8(2)-पारिवारिक पेंशन साधारणतया (1) विधवा अथवा माता अथवा विधवा दादी की दशा में, उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक इसमें जो भी पहले हो, (2) अवयस्क पुत्र या अवयस्क आश्रित भाई की दशा में उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा उसकी मृत्यु हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, (3) अविवाहित अवयस्क पुत्री अथवा अवयस्क आश्रित अविवाहित बहिन की दशा में, उसका विवाह होने तक अथवा उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक तथा मृत्यु तक इसमें जो भी पहले हो। (4) पिता या दादा की दशा में जीवन पर्यन्त चालू रहेगी। **टिप्पणी-** विधवा को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पुनर्विवाह होने पर बन्द कर दी जायेगी, किन्तु जब ऐसा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अभित्याग (Desortion) अथवा दूसरे पति की मृत्यु हो जाने से रद्द हो जाय तो उसकी पेंशन इस प्रमाण पर फिर बहाल की जा सकती है कि उसकी परिस्थितियों के कारण उसे पेंशन देना आवश्यक है और वह अन्य प्रकार से पात्र है और वह अपने पहले पति (अर्थात मृत पुलिस कर्मचारी) के बच्चों का भरण-पोषण करती है और उसकी पेंशन फिर बहाल कर दिये जाने पर बच्चों को अनुमत पेंशन देना बन्द कर दिया जायेगा।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 8 (1)- पारिवारिक पेंशन पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जैसा राज्यपाल अवधारित करें। (2)- सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रित की पारिवारिक पेंशन उत्तर प्रदेश पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

7- नियम 9 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नियम 9 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम 9- (2) जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिये दावा उत्पन्न हो जाय तो उस कार्यालय व उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी सेवायोजित रहा हो, सामान्य माध्यम से निम्नलिखित लेख्यों के साथ उस दावे को राज्य सरकार के पास भेजेगा- 1- उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें मृत्यु हुई हैं, 2- महालेखाकार, उ0प्र0 की इस आशय की एक रिपोर्ट कि या नियमावली के अधीन अभिनिर्णय अनुमन्य है अथवा नहीं और यदि अनुमन्य है तो कितने धनराशि का।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 2015 (2) जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिये दावा उत्पन्न हो जाय तो उस कार्यालय व उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी सेवायोजित था। उचित माध्यम से, उन परिस्थितियों के पूरे विवरण सहित, जिनके कारण मृत्यु हुई, दावा शासन को अग्रसरित करेगा।

8- नियम 10 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम 10- राज्यपाल स्वविवेक से अपवादित परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी के बच्चों को नियम-8 (दो) (2) (3) में नियत सीमाओं के बाद भी अपनी पेंशन पाने के अनुज्ञा दे सकते हैं।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 10- राज्यपाल स्वविवेक से अपवादित परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रितों को नियम-8 (2) में विहित सीमा से परे अपनी पेंशन प्राप्त करने की निरन्तरता की अनुमति दे सकते हैं।

9- नये नियम 11 का बढ़ाया जाना- उक्त नियमावली में नियम-10 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 11 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात-

11- (1) असाधारण पेंशन के अस्वीकृत किये गये दावों पर पुनर्विचार का अधिकार शासन में निहित होगा। इसके लिए आश्रित को अस्वीकृति की अधिसूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर शासन अथवा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य

होगा। शासन प्रत्यावेदन पर आवश्यक निर्णय लेगा।

(2) किसी भी पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी को असाधारण पेंशन देय नहीं होगी। यदि ड्यूटी ग्रहण करने के लिये उपस्थित होने से पूर्व या उसकी अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, जब कि वह अपने आवास पर हो अथवा जब किसी स्थान के लिए यात्रा कर रहा/रहीं हो।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना के पश्चात् असाधारण पेंशन के मामलों को निस्तारित करने से संबंधित सभी शासनादेश यथा शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 1980 और 9 जुलाई 1978 अप्रभावी हो जायेंगे।

10- अनुसूची का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् -

स्तम्भ-1 **विद्यमान अनुसूची** **पारिवारिक पेंशन और आनुतोषिक**		**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची** **पारिवारिक पेंशन और उपदान**	
विधवा को आनुतोषिक	**विधवा की पेंशन**	**विधवा/विधुर को उपदान**	**विधवा/विधुर की पेंशन**
मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार ली गयी आठ माह के बराबर उपलब्धियाँ	मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक ली गयी उपलब्धियों के बराबर, जब वह अधिवार्षिक पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी जो मृत पुलिस कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती तो पुलिस कर्मचारियों पर तत्समय लागू साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता किन्तु ऐसा निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रहते हुये होगा- (क) मृत पुलिस कर्मचारी अधिवार्षिकी के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नही मिली थी। (ख) यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न रूप में कार्य	मृत पुलिस कर्मचारी पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित की गयी आठ माह के बराबर परिलब्धियाँ।	(1) देय असाधारण पेंशन मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा के कर्मचारी द्वारा आहरित उस दिनांक के पेंशन की परिलब्धियों (मूल वेतन और उस वेतन पर महंगाई भत्ता) के बराबर होगी, जो वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त करता। उसके बाद असाधारण पेंशन (पारिवारिक पेंशन नहीं) निम्नलिखित उपधारणााओं के अध्यधीन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत पुलिस कर्मचारी तत्समय पुलिस कर्मचारियों पर लागू साधारण पेंशन नियमावली के अनुसार आहरित करता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती- (क) यह कि मृत पुलिस कर्मचारी अधिवर्षता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा में निरन्तर बना रहता और वह कोई पदोन्नति न प्राप्त करता।

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची पारिवारिक पेंशन और आनुतोषिक		स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची पारिवारिक पेंशन और उपदान	
विधवा को आनुतोषिक	विधवा की पेंशन	विधवा/विधुर को उपदान	विधवा/विधुर की पेंशन
	कर रहा था तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनांक की पूर्व धारणा कर ली जायेगी। यदि मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार जिस वेतन क्रम पर कार्य किया हो वह उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय, जिस दिनांक को वह अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस पूर्व धारित वेतन पर की जायेंगी जो मृत कर्मचारी, यदि वह जीवित होता तो अधिवार्षिकी के समय लेता।		(ख) यह कि यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न हैसियत से काम कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण का सम्भावित दिनांक उपधारित कर लिया जायेगा। यदि वेतनमान, जिस पर मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार काम किया था, उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाता है जिससे वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस उपधारित वेतन में की जायेगी जो मृत कर्मचारी अधिवर्षता के समय आहरित करता, यदि वह जीवित रहा होता। यदि ऐसे आश्रित हैं जो एक से अधिक असाधारण पेंशन आहरित कर रहे हैं तो उन्हें उसी तरीके से पारिवारिक पेंशन देय होगी। (2) असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ता जो सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशासी संस्था अथवा किसी लोक उद्यम में काम कर रहा/रही है तो वह विकल्प दे सकता/सकती है कि वह पेंशन धनराशि पर महंगाई भत्ता लेना चाहता/चाहती है अथवा अपने वेतन पर जो भी अपेक्षाकृत लाभप्रद हो।

आज्ञा से,
देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव गृह।

परिशिष्ट - 15-7

संख्या :-सा-3-1370/दस-88-916-88

प्रेषक,

श्री बी0के0 सक्सेना,

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख

कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 1988

विषय :- विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवको को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हुये विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवको तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेन्शन) नियमावली के अर्न्तगत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। समय की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम के कार्यो का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितिया हो सकती है :-

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़,

(2) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष,

(3) आतंकवादी तत्वो से मुठभेड़,

(4) हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय,

(5) दैवी आपदाओ जैसे बाढ़, भू-स्खलन हिमस्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते हुये तथा अन्य आपातकाल यथा आग बुझाते समय अथवा रक्षा करते समय।

(6) सक्रिय सेवा करते समय- उदाहरणतः-

(i) ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में-

(ii) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु-

(iii) लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु-

(iv) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रेनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु-

2- उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवको द्वारा पूरी लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यो का संपादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यो से निपटने में सरकारी सेवाकों का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेन्शन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यों के लिये उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता से समुचित वृद्धि किये जाने के लिये निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है-

(1) कर्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में बनाये रखने के योग्य न रहे जाये और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहे जो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवको को भी वही पेन्शन दी जायेगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेन्शन के नियम 10 के अर्न्तगत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है। 10 प्रतिशत अक्षमता के लिये मेडिकल बोर्ड की संस्तुति/प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(2) सरकारी सेवको को विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल 111-एक अर्न्तगत तात्कालिक एवं दीर्घकालीन राहत के रूप में अनुमन्य उपादान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त वर्ग 1,2,3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु. 40,000 रु. 30,000 एवं 20,000 अनुग्रह राशि के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह को मिलाकर न्यूनतम रु. 41,000 व अधिकतम रु. 1,05,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा। श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुग्रह राशि के भुगतान करने के लिये विभागाध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभागो को प्राधिकृत किया जाता है।

(3) कर्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते है उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी केवल पुलिस जनो के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या : 4805 पी/अ/आठ-6-1739/77, दिनांक 05 दिसम्बर, 1977 में रु. 2500 की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। अब उक्त शासनादेश की व्यवस्था का

अतिक्रमण करते हुये कर्तव्य-पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुये समस्त विभागों के कर्मचारियों को रु. 5000 (रु. पाँच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसे भुगतान करने का अधिकार प्रशासकीय विभागों को होगा, किन्तु जो प्रशाकीय विभाग उचित समझे बिना वित्त विभागों की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते है परन्तु इसकी सूचना उन्हें वित्त (सामान्य अनुभाग-3)/ सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग को भी देनी होगी।

3- उपर्युक्त सुविधायें इस आदेश के जारी होनी की तिथि से देय होगी।

4- उक्त मद संख्या 2 (2) व 2 (3) में स्वीकृत सुविधाओं के लिये आवश्यक प्राविधान सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने आय-व्यय में करायेंगे मद संख्या : 2 (1) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेन्शन नियमावली के सुसंगत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथा समय अलग से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

ह0/-

बी0के0 सक्सेना,

प्रमुख सचिव।

<u>परिशिष्ट - 15.8</u>

संख्या : सा-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक : 28 जुलाई, 1989

प्रेषक,

डॉ0 वी0 के0 सक्सेना,

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 दिनांक : 28 जुलाई, 1989

भाग-6

खण्ड-1 (नियम तथा प्रक्रिया)

6- ग्रेच्युटी :-

(क) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी :-

दिनांक 01.01.1986 के उपरान्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य है जिन्होंने पाँच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। सेवानिवृत्ति गेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अंतिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी जिसका अधिकतम परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुने के बराबर अथवा रुपये एक लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। उदाहरणार्थ यदि मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित वेतन रु. 1660/- है और पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष है तो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी = 1×4×1660×60=24,900/- होगी।

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी :

मृत्यु ग्रेच्युटी की दरें निम्न प्रकार हैं :-

क्र0	**सेवा अवधि**	**मृत्यु ग्रेच्युटी की दर**
1-	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
2-	एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना

3-	पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
4-	20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रुपये एक लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

7- ग्रेच्युटी भुगतान हेतु परिवार की परिभाषा :-

परिवार में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :-

(क) पत्नी/पति

(ख) पुत्र

(ग) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ

(घ) 18 वर्ष की आयु से कम भाई, अविवाहित तथा विधवा बहनें (ऐसी सौतेली) और गोद ली गयी सन्तानें भी)

(सौतेले भाई, बहन भी)

(ङ) पिता/माता

(च) विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियां भी)

(छ) पूर्व मृत पुत्र की सन्तान भी

परिशिष्ट - 15.9

सरकारी गजट

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा-3-379/दस-2005-301 (9) 2003

लखनऊ : 28 मार्च, 2005

अधिसूचना

प0आ0-124

राज्य सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितो और केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है। नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :-

(1) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नयी भर्ती पर 01 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्यरूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवायें 01 अप्रैल, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(2) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और मँहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजनक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वात्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। तथापि सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायं। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा। जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

(3) चूँकि नई भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो-टियर खाता भी रख सके हैं। तथापि, सेवायोजक टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं होगा। दो-टियर खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक-टियर खाते के लिए है। तथापि कर्मचारी अपने धन के ''द्वितीय टियर'' के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(4) यदि कोई कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के समय प्रणाली के टियर-1 को सामान्यता छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्यरूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से अनिवार्यरूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करे और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करे जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहित के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी, जिसे वे किसी भी रीति में उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(5) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2- नवीन पेंशन प्रणाली के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक : 1 अप्रैल, 2005 होगी।

आज्ञा से,

ह0/-

रीता शर्मा,

वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

परिशिष्ट - 15.10

संख्या : -3676पी/छः-पु-6-10-1000(32)2004

प्रेषक,

हृदय नारायण,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग- लखनऊ : दिनांक : अक्टूबर 20, 2010

विषय :- दिनांक : 01-04-2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान होने पर उनके आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या : चार-1600-2004, दिनांक : अक्टूबर 15, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक : 01-04-2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान होने पर उनके आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, यह निर्णय लिया गया है कि अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक : 01-04-2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों के आश्रितों को उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 (प्रथम संशोधन-1975) के प्रावधानों के अनुसार असाधारण पेंशन की सुविधा अनुमन्य होगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : सा-3-1139/ दस-2010, दिनांक : अक्टूबर 20, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-

(हृदय नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिशिष्ट - 15.11

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या : सा-4-393/दस-99-200/88

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 (लखनऊ : दिनांक : 1 जुलाई, 1999)

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- सेवानिवृत्ति आदि मामलों में सरकारी सेवको के अवकाश लेखो में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवको को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने पर, सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुये सेवानिवृत्त होने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तो के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्योजन की समाप्ती पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे के लिये पूर्णतया और स्थाई रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगदान की सुविधा कार्यालय-ज्ञाप संख्या : जी-4-1002/दस-200-77 दिनांक 26 अप्रैल, 1978, संख्या : सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18 जून, 1979, संख्या :- सामान्य-4-1687/दस -83-200/77-टी0सी0- दिनांक 25 जुलाई, 1983 तथा संख्या : सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में निहित शर्तो के अर्न्तगत 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति, उ0प्र0, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशो में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 240 दिन के स्थान पर 300 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

3- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर 1988 में सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है :-

सेवानिवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते समतुल्य........................	240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवा-निवृत्ति के दिनांक को सम्बन्धित नकद सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या 300

उक्त प्रस्तर-2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 240 दिन के स्थान पर 300 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

4- यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

5- सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

ह0/-
मु0 हलीम खॉ
सचिव।

परिशिष्ट - 15.12

संख्या : सा-3-489/दस-91387

प्रेषक,

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 मई, 1987

विषय :- पेन्शनर की मृत्यु हो जाने पर उनके जीवन-कालीन पेन्शन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या : ए-1-1428/दस-3(4)/1962, दिनांक 23 मई, 962 संख्या सा-3-1660/दस-2013-83, दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में अब भी ऐसे मामले आ रहे है जिनमें पेन्शनर द्वारा अपनी जीवनकालीन पेन्शन हेतु कोई नामांकन नहीं किया गया है जिससे पेन्शनरों के परिवार को कठिनाई होने के साथ-साथ अनावश्यक पत्र व्यवहार भी करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेन्शन स्वीकृति के लिये भरे जाने वाले प्रपत्रो में प्रपत्र संख्या 30 में उपरोक्त नामांकन के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध है और पेन्शन प्रकरणो को अग्रसारित करते समय इस आवश्यक चेक कर लिया जाना चाहिये। इसी प्रकार उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 में जारी आदेशो के अनुसार वर्तमान पेन्शनरो से, यदि उन्होंने नामांकन पत्र नहीं भरा है, तो नामांकन कराया जा सकता है।

2- अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 तथा 22 दिसम्बर, 1983 में जारी आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

वेद प्रकाश अग्रवाल

संयुक्त सचिव,

संख्या : सा-3-489 (1)/दस-913-87

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि :-

(1) निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) महालेखाकार, द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

आज्ञा से

ह0/-

(वेद प्रकाश अग्रवाल)

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - 15.13

पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिए पेंशन प्रपत्र

भाग-1

सेवा में,

.... (कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

....

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. नाम..

2. पिता/पति का नाम..

3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता ः-

   (क) स्थायी निवास स्थान...

   (ख) पत्र व्यवहार का पता...

4. जन्म तिथि...

5. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि..

6. सेवा निवृत्ति का तिथि...

7. अन्तिम पद जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम तथा कार्यालय/विभाग का नाम एवं पता....
   ....

8. मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे जीवन कालीन अवशेष का भुगतान किया जाय..

9. पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है........................

10. भुगतान का विवरण ः-

क्र0	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1					
2					
3					

भवदीय/भवदीया

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा अनुतोषिक, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली-भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गई धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होंगी। मैं वचन देता/देती हूँ की मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा/दूँगी।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये (यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ से सेवानिवृत्त हुये)

1.	नाम....................................	2.	नाम......................................
	हस्ताक्षर..............................		हस्ताक्षर..................................
	पदनाम...............................		पदनाम...................................
	पता..................................		पता.......................................

भाग-2 पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए

प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

.... (कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता)

....

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें :-

1- मृत सरकारी सेवक का नाम..

2- मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम.....................................

3- मृत सरकारी सेवक द्वारा अन्तिम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम व पता........ ....

4- क्या मृत सरकारी सेवक पेंशन पा रहा था? यदि हाँ तो :-

(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक..........................

(ख) पेंशन भुगतानादेश संख्या.......................

(ग) पेंशन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता..........................

5- प्रार्थी का :-

(क) नाम..

(ख) पिता/पति का नाम..................................

(ग) जन्मतिथि..

(घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध.....................

6- मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी :

(क) स्थायी निवास स्थान.................................

(ख) पत्र व्यवहार का पता.................................

7- सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है)

8- मृतक सरकारी सेवक का विवरण :-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित	अविवाहित पता
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

9- कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित है।

10- अन्तिम पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि कोई हों)

(क) पारिवारिक पेंशन

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(III)

<u>घोषणा</u>

मैं......................................पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री स्व0..............................
.........................की (विभाग/कार्यालय का नाम)...................................द्वारा दी जाने वाली परिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुये यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य परिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर *प्रार्थी के हस्ताक्षर*

1. नाम..
   पदनाम...
   पता..
2. नाम..
   पदनाम...
   पता..

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

<u>भाग-3 प्रार्थी का विवरण</u>

1. सरकारी सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम
2. सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध
3. नमूने के हस्ताक्षर :-
   (क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे).......................
   (ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)................................
4. यदि सरकारी सेवक या उसकी (पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी, अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान :-
   (क) सरकारी सेवक के ....
   (ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के...................................

5. वैयक्तिक पहचान

(क) सरकारी सेवक/परिवारिक पेंशनर की ऊँचाई......................................

(ख) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह..............................

6. सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार में संयुक्त फोटो/मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना (फोटो की तीन प्रतियाँ दी जायेंगी) जिसमें से दो फार्मस पर चिपकाई जायेंगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी। प्रदेश के बाहर पेंशन लेने पर पाँच प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी, जिनमें से चार फार्मस् पर तथा पाँचवी एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेंगी।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद का नाम

(IV)

भाग-4 सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम..

क्रमांक...

कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायें)..............................

पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधियां भी इंगित की जायें....................................

स्तम्भ-3 में दर्शाई गई अवधि का प्रकार....................................

यदि कोई अवधि पेंशनयुक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय........................

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पद)

भाग-5 कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु

1. सरकारी सेवक का नाम..

2. सरकारी सेवक की जन्मतिथि..

3. सेवा में आने का दिनांक..

4. सेवानिवृत्ति का दिनांक..

5. कुल अवधि (4.3)............वर्ष ....माह ....दिन.........

6. सैन्य सेवा जो पेंशन के लिए अर्ह है, की अवधि..................................

7. अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया.........................

8. पेंशन अनर्ह सेवा :-

(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व के सेवा............................

(ख) सेवा में विच्छेद...

(ग) पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि...............................

(घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो (कारण सहित उल्लेख किया जाय)

योग वर्ष.............माह..............दिन....................

पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5+6+7-8) या ....छमाही

10. पेंशन का प्रकार.....................प्रतिकर/अशक्तता/रिटायरिंग/अधिवर्षता

11. सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूलनियम 9 (21) (1) में परिभाषित वेतन

12. औसत परिलब्धियों का आगणन

अन्तिम दस मास में प्राप्त परिलब्धियाँ

धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	परिलब्धियाँ मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित	अन्य
1	2	3	4	5

योग (स्तम्भ-4 का) ÷ 10 = रु.

13. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन...

(पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य)

14. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन..

15. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)...............

16. शुद्ध सेवा निवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की...

17. परिवारिक पेंशन का आगणन :-

(क) सामान्य दर..

(ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक........... से रु0..........

18. पेंशन/परिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक...

19. पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है...........................

20. राशिकृत मूल्य का अगणन...

21. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि रु.....................................

22. कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा/मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे...

23. अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन (यदि कोई स्वीकृति की गई हो).........................

24. अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृति की गई हो)........................

25. पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक (ये तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व होनी चाहिये) तक.................................

1. भवन निर्माण में रु. ....की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

2. मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु. .... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

3. किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु. .... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

4. सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक.................. तक रु. .... की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक............... तक रु. .... और देना शेष रह जायेगा।

5. आडिट के परिणाम रु. ....की धनराशि देय है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

6. विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रु. .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

7. अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) रु. .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

8. श्री.............................(सरकारी सेवक का नम के विरुद्ध कोई न्यायिक/विभागीय अथवा प्रशासनिक जाँच लम्बित नही हैं। यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचार के दोषी हों तो उसका विवरण दिया जाय।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद नाम

परिशिष्ट - 16

संख्या : एस0ई0-2314/दस-2008-बीमा-19/2002

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर 2008

विषय :- वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजनाओं के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-वे0आ0-2-1313/दस-2008-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	रु. 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000
2.	रु. 2801 से 5400 तक	200	60	140	2,00,000
3.	रु. 2800 तक	100	30	70	1,00,000

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधीन लागू किया जायेगा :-

(क) उक्त आदेश दिनांक 01.12.2008 से प्रभावी माने जायेंगे।

(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।

(ग) वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरुद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

ह0/-

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-एस0ई0-2314(1)/दस-2008 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री राज्यपाल, सचिवालय।

2- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4- निदेशक कोषागार व लेखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकासदीप, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ।

6- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

ह0/-

(भगवान दास)

उप सचिव।

परिशिष्ट - 16.1

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का नामांकन पत्र

मैं...............................एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो शासनादेश संख्या : बीमा-56/दस-85-3-1981 दिनांक 10 जनवरी 1986 में दी गयी सूची के अनुसार मेरी सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर सामूहिक जीवन बीमा योजना के अधीन देय धनराशि अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उक्त योजना के अधीन मुझे प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त धनराशि को प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूँ।

नाम व्यक्ति/ व्यक्तियों का अवैध हो का/के नाम व पूरा पता	अधि0/ कर्म0 से संबंध	नामित व्यक्तियों की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश	आकस्मिकतायें जिनके पर नामांकन जाएगा	उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, आयु, देय अंश तथा पता/पते जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के मृत्यु के दशा में नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे	यदि कालम (1) व कालम (6) में नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों में से कोई अवस्यक हो तो प्राकृतिक संरक्षक का आयु, पता व अवस्यक से संबंध
1	2	3	4	5	6	7

नोट : यदि कालम (1) व (6) में नामित किये गये व्यक्तियों में कोई अवस्यक हो तो उनकी आयु के साथ-साथ उनकी जन्मतिथि अंकित की जाए।

दिनांक :

स्थान :

साक्षी	(1)	हस्ताक्षर	नाम	पता प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर व सील कार्यालय/ विभागाध्यक्ष दिनांक	सहकारी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर पद विभाग
	(2)					

परिशिष्ट - 16.2

जी0एस0एस0फार्म'संख्या'-31 (यह प्रपत्र तीन प्रतियों में प्रेषित करना है।)
सेवा में,

बीमा निदेशालय के प्रयोगार्थ
दावा संख्या-

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक/मृत अधिकारी/कर्मचारी का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँः-

1- (अ) अधिकारी/कर्मचारी का नामः- 1 (हिन्दी में)
2ः (अंग्रेजी में)
(कैपिटल लेटर में)

(ब) मोबाइल सं0 या दूरभाष सं0 एस0टी0डी0 कोड सहितः-.............................

(स) पिता/पति का नाम

पदनामः-

2- (क) जी0पी0एफ0खाता संख्या(यदि हो)ः..

(ख) एन0पी0एस0 खाता(यदि हो)ः..

(ग) जी0पी0एफ0/एन0पी0एस0 के अभाव में (NEW) अंकित किया जाना ....

3- (अ) योजना से पृथक होने के समय का वेतन बैण्डः-

(ब) योजना से पृथक होने के समय का ग्रेड पेः-

(स) यदि ग्रेड पे रू 6600 प्राप्त हुआ हो तो उसका दिनांकः

(द) समूह 'ख' के वेतनमान में आने का दिनांकः-

(थ) समूह 'क' के वेतनमान में आने का दिनांकः-

4- (क) विभागः-

(ख) विभागाध्यक्षः

5- जन्मतिथिः-

(अ) अंको में ः-

6- (अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांकः-

(ब) योजना में प्रवेश का दिनांकः

(अ) रू0 05 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि......................से..................तक

(ब) रू0 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि......................से....................तक

(स) रू015 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि....................से.....................तक

(त) रू0 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि....................से...................तक

(थ) रू0 30 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि....................से...................तक

(द) रू0 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि....................से...................तक

(न) रू0 60 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि....................से...................तक

(प) रू0 120 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि................से....................तक

7- 01 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार

(अ) ग्रेड पे 2800 तक रू0 100 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि............से तक

(ब) ग्रेड पे 2801 से 5400 तक रू0 200 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि...................से......................तक

(स) ग्रेड पे 5400 तक रू0 400 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.......से........तक

8- ऐच्छिक सेवानिवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक होने की तिथिः-

(यदि लागू न हो तो (X) करें)

8- सेवानिवृत्त अवस्था में मृत्यु की तिथिः-...

(यदि लागू न हो तो (X) करें)

10- सेवारत/सेवा से अन्यथा पृथक होने का कारणः...

11- अधिकारी/कर्मचारी विवाहित था अथवा अविवाहितः-

12- यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक से अधिक विवाह किया गया हो तो निम्न विवरण दिया जाय एवं यदि दूसरा विवाह अनुमति से किया गया है तब अनुमति सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। (यदि लागू न हो तो (X) करें)

नाम	विवाह की तिथि	उनसे उत्पन्न संतानो के नाम	जन्मतिथि

13- यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसके सेवाकाल में सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी नामांकन पत्र भरा गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें भी उपलब्ध करायेंः-

क्र0 सं0	नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/जन्म तिथि	प्रत्येक को देय अंश	संरक्षक का नाम (अवस्यक होने की दशा में)	नामितो में से किसी की मृत्यु हो गयी हो तो मृत्यु का दिनांक भी अंकित करें
1	2	3	4	5	6	7

यदि नामितो में कोई अवस्यक हो और नामांकन प्रपत्र में संरक्षक का नाम अंकित न हो तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा उसके नियुक्त किये गये संरक्षक के सम्बन्ध में जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।

14. यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी नामांकन पत्र न भरा गया हो तो अधिकारी की मृत्यु के दिनांक को शासनादेश संख्या-बीमा-56/दस-86-36/1981, दिनांकः10 जनवरी, 1986 के प्रस्तर-3(ग) में दिये गये क्रमानुसार परिवार के सदस्यों की स्थिति स्पष्ट करेंः-

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/जन्म तिथि	विवाहित अथवा अविवाहित/विवाह की तिथि	यदि अधिकारी की मृत्यु के उपरान्त परिवार में से किसी की मृत्यु हो गयी हो तो उसकी मृत्यु तिथि भी अंकित करें

नोटः- संख्या(1) शासनादेश संख्या-बीमा-56/दस-86-36/1981, दिनांक 01 जनवरी, 1986 के अनुसार परिवार में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगेः-

संख्या(2) स्तम्भ-15 के कालम-5 में केवल पुत्रियों के मामले में यह स्पष्ट करें कि विवाहित है अथवा अविवाहित होने की स्थिति में पुत्री के विवाह की तिथि भी स्तम्भ-15 में ही दर्शायें।

1- पत्नी/पति(जैसी स्थिति हो)

2- पुत्रगण

3- अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियां सहित)

4- भाई (18 वर्ष आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहनें (सौतेले भाई/बहनों सहित)

5- पिता तथा माता

6- विवाहित पुत्रियां(सौतेली पुत्रियों सहित) तथा

7- पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियां।

उपर्युक्त शासनादेश का प्रस्तर-3(ग) निम्न प्रकार हैः-

3(ग) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने से पूर्व ही मृत्यु हो गयी हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिएः-

1- अधिकारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो

2- अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियां

3- वयस्क पुत्र

4- माता व पिता

5- विवाहित पुत्रियां तथा

6- पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियां।

15. यदि अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के स्तम्भ संख्या-16 में दर्शाया गया कोई सदस्य न हो और उसके द्वारा नामांकन भी न भरा गया हो तो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का विवरण देते हुए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें जिसमें सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि वसूलने का उल्लेख किया गया होः-

क्रम संख्या	घोषित उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों का नाम	आयु/जन्मतिथि	देय अंश
1	2	3	4

16. लाभार्थी का निर्धारणः-

(कृपया जैसी स्थिति हो उसके सम्मुख (√) अंकित करें और जो लागू न हो उसे कर (x) दें)

(अ) सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी भरे गये नामांकन प्रपत्र के अनुसार किया गया (स्तम्भ-14 के अनुसार)............

(ब) शासनादेश संख्या-बीमा-56/दस-86-36/1981, दिनांक, 1986 के प्रस्तर-3 (ग) में दिये गये व्यवस्थानुसार किया गया हैं (स्तम्भ-15 के अनुसार)..............

(स) सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार किया गया है (स्तम्भ-16 के अनुसार)..............

17. लाभार्थी/लाभार्थियों का नामः-..

18. मृतक से सम्बन्धः- : ....

19. अवयस्क की स्थिति में उसके नियुक्त संरक्षक का नामः-.................................

20. राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरणः-

(यदि एक से अधिक लाभार्थी हो तो सभी बैंक खाते के विवरण अलग-अलग दिये जाये)

(क) बैंक खाता संख्याः- ....

(ख) माइकर कोड संख्याः- ....

(ग) बैंक का नामः- ....

(घ) शाखाः- ....

(ड़) जिलाः- ....

21. अधिकारी/कर्मचारी/लाभग्राही के पत्र व्यवहार/वर्तमान निवास का पूर्ण पता(पिन कोड सहित):-

1- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी अल्पकालीन रिक्तियों अथवा सीजनल कार्य के लिए नियुक्त नहीं था।

2- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी से सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी कटौती योजना में प्रवेश की तिथि से निकलने की तिथि तक नियमित रूप से एवं निर्धारित दरों के अनुसार की गयी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की तिथि का मिलान मृत्यु प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र/नामांकन/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/नामांकन/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (जैसी स्थिति हो) की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। (यह प्रमाण पत्र मृत्यु के मामलो में ही लागू होगा)

4- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी के दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा हैं और दिनांकः01.03.1994 से पूर्व तथा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकारी/उसके लाभार्थी को देय सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

5- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी की जन्मतिथि का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर लिया गया है।

6- मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर अंकित विवरण सही है और उक्त विवरणों के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूँ।

दिनांकः

स्थानः

बीमा निदेशालय के प्रयोगार्थ चेक सं0.....................दिनांक.................. धनराशि..द्वारा भुगतान स्वीकृत कृते निदेशक उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ	1.आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर................................... हस्ताक्षरकर्ता का नाम.................. हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम.................... कार्यालय की मोहर......................... डी0डी0ओ0कोड संख्या.................. ट्रेजरी कोड संख्या......................... प्रतिहस्ताक्षरः- कार्यालय/विभागाध्यक्ष/शासन के

सम्बन्धित विभाग के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.............................

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम.......................

कार्यालय की मोहर...............................

(*रू5400 से अधिक ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों हेतु लागू)

नोटः-ग्रेड पे रू0 5400 से अधिक प्राप्त करने वाले अधिकारियों के दावा प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर आहरण एवं वितरण अधिकरी द्वारा नाम सहित समुहर हस्ताक्षर किये जायेंगे। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर, कार्यालयाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के दावे विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर तथा विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के सामूहिक सम्बन्धी दावे शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को प्रेषित किया जाना होगा। रू0 5400 एवं उससे कम ग्रेड पे के कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(दावेदार से धनराशि प्राप्त करने से सम्बन्धित रिसीट)

सेवा में,

....

....

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम व पता)

महोदय,

मैने शासन की सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये दावे के सम्बन्ध में रू0...............................(शब्दों में).................................की धनराशि का भुगतान चेक संख्या..........................दिनांक......................................द्वारा सधन्यवाद पाया।

दिनांकः

भवदीय;

(कर्मचारी/लाभग्रही के हस्ताक्षर)

नाम..

पूर्ण पता..

परिशिष्ट - 17

....यहाँ से मोड़िए..

सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड

पत्रावली संख्याः

कार्यालय

नाम लाभार्थी पिता/पति का नाम

PNO

ग्रामः- थाना जनपद

सेवानिवृत्त/मृतक कर्मियों के आश्रितो का विवरण

क.स.	नाम	सम्बन्ध	जन्मतिथि	विवरण
1.		आश्रित पिता		
2.		आश्रित माता		
3.		आश्रित पत्नी		
4.		आश्रित पुत्र/पुत्री		
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10	आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण			

नोटः- सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण यथा प्रस्ताव भेजे जाने की पुलिस मुख्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही व अद्यतन स्थिति का पूर्ण विवरण पत्र संख्या व दिनांक सहित अंकित किया जाय।

आधिकारी का नाम.......................पिता/पति का नाम......................PNO............
दिनांक मृत्यु/सेवानिवृत्त...............................दिनांक/भर्ती...................................
सेवानिवृत्त/आयु की परिस्थिति...

मद	पत्रावली संख्या	अनुमन्य धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	दिनांक भुगतान सीओ नं0	शेष धनराशि	दिनांक अन्तिम भुगतान मय सीओ नं0
1-अवशेश वेतन						
2- उपार्जित अवकाश का नगदीकरण						
3- अवशेष यात्रा भत्ता						
4- मेस एडवांस की वापसी						
5- बोनस						
6- आसाधारण/ परिवारिक पेंशन						
7- उपादान (ग्रेच्युटी)						
8- अनुग्रह धनराशि (एक्स-ग्रेसिया)						
9- अनुकम्पा निधि से सहायता						
10- उ0प्र0 पुलिस आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान से सहायता						
11- सामूहिक बीमा योजना						

12- सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का अन्तिम निष्कासन						
13- सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से सम्बद्ध बीमा योजना						
14- दुर्घटना बीमा योजना						
15-						
16-						
17-						
18-						

हस्ताक्षर

दिनांक :-

पुलिस अधीक्षक/कार्यालयाध्यक्ष

परिशिष्ट - 18

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या-सा-4-152/दस-94-501-75

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 1994

....

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी की यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यपाल महोदय ने उनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना (Deposit Linked Insurance Scheme) जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियर दिए बीमा के अनुरूप लाभ मिल सके, वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या-सा-4-209/दस-50175, दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 द्वारा लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग 1979-80 की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर-3, (iii) (क) में उल्लिखित सेवा समूहों के वेतनमान को वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-4-553/दस-85-501-79, दिनांक 4 अप्रैल, 1985 द्वारा संशोधित किया गया था। इस योजना के उदारीकरण के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उपर्युक्त दोनों राजाज्ञा के प्रस्तर-3 में आंशिक संशोधन करते हुए उसे निम्न रूप में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु संघर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को निम्नलिखित पैराग्राफ (3) की शर्तों के अधीन उस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकार की जाएगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि योजना के अन्तर्गत किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की अधिकतम सीमा 30,000 रु. से अधिक नहीं होगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के मामले में केवल अभिदाता के अभियान की धनराशि तथा उस पर अनुमन्य ब्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिए अवशेष धनराशि मानी जाएगी।

(3) उपरोक्त लाभ निम्न शर्तों के पूरी होने पर ही प्राप्त होगाः-

(क) मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान ऐसे अभिदाता के खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न हुआ होः-

राशि रु.

(एक) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत् 12,000 भाग में ऐसा पदधारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रु. या अधिक हो।

(दो) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की वृहत् 7,500 भाग में ऐसा पदधारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रु. या उससे अधिक किन्तु 4,000रु. से कम हो।

(तीन) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के 4,500 वृहत् भाग में ऐसा पदधारण किया हसे, जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रु. या उससे अधिक किन्तु 2,900 रु. से कम हो।

(चार) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत् 3,000 भाग में ऐसा पदधारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रु. से कम हो।

(ख) इस योजना के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,... रु. से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2- उक्त 5 दिसम्गर, 1979 की राजाज्ञा की शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

3- यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4- सभी विभागााध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन है कि व अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस राजाज्ञा से अविलम्ब अवगत करा दें।

ह0/-

अनूप मिश्र,

विशेष सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-सा-4-152(1)/दस-94-501-75, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित पूर्ण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शासन के समस्त सचिव।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3- सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह0/-
गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव

परिशिष्ट - 19

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश,

उत्तर प्रदेश सरकार,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या जी0-4/890-10-502-1985,

लखनऊ, 29, अक्टूबर, 1985

निधि से अग्रिम

निधि से अग्रिम 13-(1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समूचित प्राधिकारी के विवेक पर, उप नियम(2)(3)(4)(5)(6) या (7) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है।

टिप्पणीः-आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र संलग्न ''क'' में दिये गये हैं।

(2) कोई अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक स्वीकृति प्राधिकरण का समाधान न हो जाय कि आवदेन की आर्थिक परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती है और कि उसका व्यय निम्नलिखित उद्देश्य पर न कि अन्यथा किया जायेगा, अर्थात-

(एक) बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांग के सम्बन्ध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहाँ आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किस अन्य व्यक्ति का यात्रा व्यय भी हो की पूर्ति परः-

(दो) उच्च शिक्षा के व्यय की पूर्ति पर जिसके अन्तर्गत जहा आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का निम्नलिखित दशाओं में यात्रा व्यय भी है अर्थात,-

(क) हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षिक, प्राविधिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(ख) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम।

(तीन) अभिदाता की प्रास्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्धकर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रथा के अनुसार अभिदाता के विवाह के संबंध में या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृहकर्म के संबंध में उपगत करना हो,

(चार) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय की पूर्ति पर,

(पाँच) अभिदाता के प्रतिवाद के व्यय की पूर्ति पर, जहाँ वह अपनी ओर से किसी तथा कथित पदीय कदाचार के संबंध में जाँच में अपना प्रतिवाद करने के लिए किसी विधि व्यवसायों को नियुक्त करें,

(छः) गृह या गृह स्थल के लिये या उसके निवास के लिए गृह निर्माण या उसके गृह के पुनर्निर्माण, मरम्मत या उसमें परिवर्द्धन या परिवर्तन के लिये या गृह निर्माण योजना जिसके अन्तर्गत स्व-वित्त पोषित योजना भी है, के अधीन किसी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, आवास परिषद या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उसे गृह स्थल या गृह के आवंटन के लिए भुगतान करने के लिए व्यय या उसके भाग की पूर्ति पर,

(सात) अभिदाता के उपयोग के लिए मोटर साइकिल, स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है,) साइकिल, रेफिजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस कनेक्शन या टेलीविजन सेट की लागत के व्यय की पूर्ति परः

परन्तु राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त उपखंड (एक) से (सात) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये किसी अभिदाता की अग्रिम का भुगतान करने की स्वीकृति दे सकते है यदि राज्यपाल उसके समर्थन में दिये गये औचित्य से संतुष्ट हो जायें।

(3) स्वीकृति प्राधिकारी आग्रिम देने के लिए उसके कारणों अभिलिखित करेगा।

(4) विशेष कारणों के सिवाय कोई अग्रिम-

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा, या

(दो) तक तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अंतिम प्रतिपादन करने के पश्चात कम से कम बारह मास व्यतीत न हो जाय।

परन्तु जब तक पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेदित नयी अग्रिम धनराशि को योग प्रथम अग्रिम देने का समय खंड (एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि से अधिक न हो तब तक द्वितीय अग्रिम या अनुवर्ती अग्रिमों की स्वीकृति के लिए विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसे अग्रिम द्वितीय अनुसूची के पैरा एक में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति किये जा सकते है भले ही खंड (दो) में उल्लिखित शर्त की पूर्ति न होती हो।

स्पष्टीकरणः- इस परन्तुक में पद से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि का तात्पर्य वास्तव में दी गयी धनराशि या धनराशियों से है न कि किसी प्रतिपादन के पश्चात् विद्यमान अतिशेष।

(5) जब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अंतिम किस्त के प्रतिपादन की पूर्ति के पूर्व उपनियम (4) के

अधीन कोई अग्रिम स्वीकृति किया जाय तब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किये गये शेष को इस प्रकार स्वीकृत अग्रिम में जोड़ दिया जायेगा और वसूली की किश्तें संहत धनराशि के निर्देश में होगी।

(6) किसी अग्रिम की धनराशि का निर्धारण करने में स्वीकृति प्राधिकारी निधि में अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर सम्यक ध्यान देगा। जब कभी अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पास बुक या नियम-27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य साहित निधि, में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी सीमा के भीतर अग्रिम स्वीकृति कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से स्वीकृति किसी अग्रिम या प्रत्याहरण को ध्यान में रखेगा। अग्रिम की स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसकी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पासबुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(7) साधारणतया अभिदाता का कोई अग्रिम उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी विशेष मामले में जिसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो, उसे स्वीकृति किया जा सकता है किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसा स्वीकृति समह ''घ'' के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण कार्यालयों और लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण कार्यालयों और लेखा अधिकारी तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनमें अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चिम किया जायेगा कि अग्रिम की धनराशि यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व अभिदाता से पूर्ण रूप से वसूल न की गयी हो तो सम्यकरूप से उसका समायोजन नियम-24 के उपनियम (5) के खंड (ख) के, जो भी लागू हो, अधीन उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति किया जायेगा।

अग्रिमों की वसूली

14-(1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली ऐसी बराबर मासिक किस्तों की संख्या में की जायेगी जैसा स्वीकृति प्राधिकारी निर्देश दे, किन्तु ऐसी संख्या बारह से कम जब तक अभिदाता ऐसा न चाहे और चौबीस से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में जहाँ अग्रिम की धनराशि नियम-13 के उप नियम (4) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, स्वीकृति प्राधिकारी किस्तो की ऐसी संख्या, निर्धारित कर सकता है, जो चौबीस से अधिक किन्तु

किसी भी मामलें में छत्तीस से अधिक नहीं हो। प्रत्येक मामले में सुनिश्चित किया जायेगा कि किस्ते ऐसी रीति से निर्धारित की जाय कि अग्रिम की समस्त धनराशि अधिक से अधिक अभिदाता की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षता के दिनांक के पूर्ववर्ती छः मास तक वसूल हो जाये। कोई अभिदाता अपने विकल्प पर एक मास में एक से अधिक किस्तों का प्रतिपादन कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों में होगी। ऐसी किस्तों का निर्धारण करने में अग्रिम की धनराशि का यदि आवश्यक हो तो बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

(2) वसूली नियम-10 में विहित रीति से की जायेगी और उस मास के जिसमें अग्रिम आहरित किया गया हो, अनुवर्ती मास के लिये वेतन दिये जाने से प्रारम्भ होगी। जब अभिदाता जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या किसी कलेण्डर मास में उस दिन या इससे अधिक के लिए छुट्टी पर हो जिसमें न तो कोई छुट्टी वेतन मिलता है और न, यथास्थिति, आधा वेतन के बराबर छुट्टी वेतन के दौरान अभिदाता लिखित अनुरोध पर निधि से लिये गये अग्रिम की वसूली प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि कोई अग्रिम अभिदाता को स्वीकृति किया गया हो और उसके द्वारा आहरित कर लिया गया हो और बाद में प्रतिदान पूरा होने के पूर्व अग्रिम नामंजूर कर दिया जाय तो प्रत्याहित धनराशि का सम्पूर्ण या अतिशेष अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिदान कर दिया जायेगा और चूक करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अभिदाता की परिलब्धियाँ से एक मुश्त या बारह से अनधिक ऐसे मासिक किस्तों में, जैसा किसी अग्रिम की जिसके दिये जाने के लिए नियम-13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हो, स्वीकृति के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा निवेश दिया जाय, कटौती करके वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

(4) इस नियम के अधीन की गयी वसूलियां उसी प्रकार निधि में अभिदाता के लेखे में जमा की जायगी जिस प्रकार वे की गयी हो।

अग्रिम का दोष

पूर्ण उपयोग 15- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि निमय 13 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि का उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए स्वीकृति अभिलिखित की गयी हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो तो यह अभिदाता को निधि में प्रश्नगत धनराशि का प्रतिपादन तुरन्त करने का निदेश देगा, या चूक करने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करने

वसूल करने का आदेश देगा और यदि प्रतिदान की जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली ऐसी मासिक किस्तों मे की जायेगी जैसी अबधारित की जाय।

निधि के अन्तिम प्रत्याहरण

16-(1) इसमें विनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, नियम-13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारणों से कोई अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृति किया जा सकता हैः-

टिप्पणीः- आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र संलग्न ''ख'' में दिये गये हैं।

(क) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गई हो तो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हो, भी है) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उनकी सेवा-निवृत्ति के दिनांक के पूर्वराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अर्थात्:-

(ए) निम्नलिखित मामलों मेंः-

(एक) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा , और

(दो) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता के किस, आश्रित संतान के उच्चस्तर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये,

(बी) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य संबंधी के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए,

(सी) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहाँ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये,

(ख) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हो, भी है) पूरा करने के पश्चात या अधिवर्षता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये, अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत्त वेतन के

संबंध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थातः-

(एक) फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1 दिये गये नियमों के अधीन मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिपादन के लिये,

(दो) उसकी मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसके ओवरहाल करने के लिये

(ग) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां, यदि कोई हो, भी है) पूरी करने के पश्चात या अधिवर्षता पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये,

अर्थातः-

(क) उसके आवास के लिए उपयुक्त गृह बनाने या उपयुक्त गृह या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत स्थल का मूल्य भी हैः-

(ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त गृह बनाने या उपयुक्त गृह या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिये स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिपादन करने के लिए,

(ग) उसके आवास के लिए गृह बनाने के लिए स्थल क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिये गय ऋण के मद् किसी बकाया धनराशि का प्रतिपादन करने के लिए,

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये गृह या फ्लैट के, पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लयेः

(ङ) पैतृक गृह का पुनरूद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,

(च) उपखण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थल पर गृह का निर्माण करने के लिये।

(घ) अभिदाता द्वारा तीन वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हो गई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां, यदि कोई हो, भी है) पूरी करने के पश्चात् अभिदाता द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर या अभिदाता और

उसकी पत्नी उसके पति के संयुक्त जीवन पर ली गयी जीवन बीमा की चार से अनधिक पालिसियों जिसके अन्तर्गत निधि से अब तक वित्त पोषित की जा रही पालिसियां भी है, के प्रीमियम/प्रीमियमों का निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये।

(ङ) अभिदाता की सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती बारह मास के भीतर निधि के उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से किसी फार्म का भूमि या कारबार का भू-गृहादि या दोनों का अर्जन करने के लिये।

टिप्पणीः- इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिए केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी, किन्तु विभिन्न संतानों का विवाह या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में ऐसा अग्रेतर परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिये जो उस क्षेत्र की जिसमें ऐसा गृह या फ्लैट स्थित हो, नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित नये नक्शे के अनुसार हो, या जीवन बीमा की पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान और विभिन्न वर्षों में संतानों की शिक्षा का एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। यदि दो या अधिक विवाह साथ-साथ सम्पन्न किये जाने हों तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में अनुमन्य धनराशि का अवधारण उसी प्रकार किया जायेगा, मानों एक के पश्चात दूसरा प्रत्याहरण पृथक-पृथक स्वीकृत किया गया हो।

टिप्पणीः- एक ही गृह को पूरा करने के लिए खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती प्रत्याहरण की अनुमति टिप्प्णी-5 के अधीन निर्धारित सीमा तक की जायेगी।

टिप्पणीः-3 जीवन बीमा की समस्त पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियां के भुगतान के लिए एक वर्ष में केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पणीः-4 ऐसा अभिदाता जो फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन गृह निर्माण के प्रयोजन के लिए किसी अग्रिम का लाभ उठा चुका हो या जिसे इस सम्बन्ध में किसी अन्य सरकारी श्रोत्र से कोई सहायता प्राप्त हो गयी हो, खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और नियम-17 के उपनियम (1) के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के प्रयोजन के लिए भी अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिए पात्र होगा।

टिप्पणीः-5 ऐसा गृह, फ्लैट या गृह के लिये स्थल जिसके लिए उपर्युक्तानुसार, धनराशि प्रत्याहरण करने का प्रस्ताव है, अभिदाता के ड्यूटी के स्थान पर या सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके आवास के अभिप्रेत स्थान पर स्थित होगा। यदि अभिदाता के पास कोई पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिये गये ऋण की सहायता

से अपनी ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर गृह का निर्माण कर लिया हो तो वह अपनी ड्यूटी के स्थान पर किसी गृह स्थल के क्रय के लिए या किसी अन्य गृह के निर्माण के लिए या तैयार बने फ्लैट का अर्जन करने के लिये खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ग) और (च) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणीः-6 खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिए प्रत्याहरण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वयं यह समाधान करने के पश्चात स्वीकृति किया जायेगा कि :-

(एक) धनराशि, अभिदाता द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के लिये वास्तव में अपेक्षित है,

(दो) अभिदाता का प्रस्तावित स्थल पर कब्जा है या वह तुरन्त उस पर किसी गृह का निर्माण करने का अधिकार अर्जित करना चाहता है,

(तीन) प्रत्याहरण धनराशि और ऐसी अन्य निजी बचत, यदि कोई हो, जो अभिदाता की हो, प्रस्तावित प्रकार के गृह के निर्माण, अर्जन या मोचन करने के लिये पर्याप्त होगी,

(चार) गृह स्थल, गृह या तैयार बने फ्लैट के क्रय के लिये प्रत्याहरण के मामले में अभिदाता गृह स्थल, गृह या फ्लैट जिसके अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा,

(पांच) उपर्युक्त खण्ड (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अभिदाता ने ऐसे आवश्यक विलेख-पत्र और कागजात स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये है जिससे प्रश्नगत सम्पति के संबंध में उसका हक साबित हो।

टिप्पणीः-7 खंड (ग) के उपखंड (ख) के अधीन प्रत्याहरण के लिए प्रस्तावित धनराशि और उपखण्ड (क) के अधीन पूर्व प्रत्याहरित धनराशि, यदि कोई हो, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को विद्यमान अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणीः-8 खंड (ग) के उपखंड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति उस दशा में भी दी जायेगी जहाँ गृह स्थल पत्नी या पति के नाम हो। यदि वह अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन में भविष्य निधि पाने के लिए प्रथम नामांकिनी हो।

स्पष्टीकरण-1 जहां अभिदाता संयुक्त सम्पत्ति में ऐसे अंश से भिन्न जो स्वतंत्र आवासिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त न हो पहले से किसी गृह फ्लैट के क्रय, निर्माण, अर्जुन या मोचन के लिए कोई प्रत्याहरण स्वीकृति नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-2 स्थानीय निकायों से पट्टे पर किसी भूखण्ड के अर्जन या ऐसे भू-खण्ड पर गृह निर्माण करने के लिए भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण-3 गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये, लिये गये किसी प्रकार के ऋण के चाहे वह किसी निजी पक्षकार से या फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1 के अधीन सरकार से या भिन्न या मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन लिया गया हो, प्रतिदान के लिये प्रत्याहरण अनुक्षेय है।

टिप्पणी-9 नियम 17 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्धारित आर्थिक सीमा के अधीन रहते हुए, मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए भी प्रत्याहरण की भी अनुमति दी जायगी चाहे अभिदाता ने फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1, में दिये गये अधीन उसी प्रयोजन के लिए पहले से ही कोई अग्रिम ले लिया हो, परन्तु इन दोनो स्त्रोतो से ली गयी कुल धनराशि, यथास्थिति मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो।

टिप्पणी-10 जीवन बीमा पालिसियां जिनके संबंध में खंड (घ) के जमीन प्रत्याहरण स्वीकृत किया जाय, अभिदाता की पत्नी या पति और संतान या उनमें से किसी एक से भिन्न किसी अन्य हिताधिकारी के लाभ के लिये ली गई नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी-11 (1) यदि नियम-13 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय स्वीकृति किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) जब अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पासबुक या नियम-27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानो के साक्ष्य के निर्देश में निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो समक्ष प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पासबुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी को तथा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(3) साधारणतया किसी अभिदाता को अधिवर्षता पर उसकी सेवानिवृत्ति को पूर्ववर्ती अन्तिम छः माह के दौरान कोई प्रत्याहरण स्वीकृति नहीं किया जायेगा। विशेष मामले में जिसमें ऐसे प्रत्याहरण की स्वीकृति अपरिहार्य हो, उसे स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह (घ) के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और,

अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखाधिकारी को तुरन्त अधिसूचित की जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्याहरण की धनराशि नियम-24 के उप नियम (4) या उपनियम (5) के खंड (ख) के इनमें जो भी प्रयोज्य हो, अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक रूप से समायोजित की जाय।

परिशिष्ट - 19.1

(प्रोफार्मा-1)

(क) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से **अस्थाई अग्रिम** के लिए आवेदन पत्र

1. अभिदाता का नाम...

2. खाता संख्या...

3. पदनाम...

4. वेतन..

5. प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण

   (1) वर्ष...........की लेखा पर्ची (एकाउन्ट स्लिप) के अनुसार जमा धनराशि..............

   (2) माह...............से माह.................तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि

   (3) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड ऑफ एडवान्स) द्वारा जमा.................................

   (4) निष्कासित धनराशि का विवरणः-

   (क) अन्ति निष्कासन...........माह/वर्ष...........से..............माह/वर्ष तक........

   (ख) अस्थाई अग्रिम माह वर्ष.....................से......................माह वर्ष तक

   (5) शुद्ध जमा धनराशि...

6. पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हो तो धनराशि और उस उस अग्रिम का प्रयोजन...................

7. अब मांगे जा रहे अग्रिम धनराशि..

8. (क) इस अग्रिम का प्रयोजन...

   (ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका संदर्भ..

9. समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6 7) तथा जितनी मासिक में समेकित अग्रिम धनराशि की अदायगी की जानी है।

10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिसमें प्रार्थना का औचित्य सिद्ध हो सके......................

दिनांक.....................

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अनुभाग/विभाग

परिशिष्ट - 19.2

(प्रोफार्मा-II)

(ख) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थाई अग्रिम स्वीकार किये जाने का फार्म

1. एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी...को उनके सा0भ0नि0 खाता संख्या.....................प्रयोजन के लिए खर्च की व्यवस्था करने हेतु...............के अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति नियम संख्या...............रुपये......... (शब्दों में)............................के अनुसार दी जाती है।

2. अग्रिम स्वीकृत......................रुपये की..........................मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा जिसकी पहली किस्त..................माह के वेतन जो.................माह में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

3. राजाज्ञा संख्या...................दिनांक................के अनुसार स्वीकृत तथा भुगतान किये गये...............रुपये (शब्दों में)................के रकम की वसूली अभी बाकी है। यह शेष धनराशि और अब स्वीकृत की गई अग्रिम की धनराशि जिसका कुल योग........... रुपये.................(शब्दों में).......................होता है की वसूली..................रुपये की.............मासिक किस्तों में की जायेगी, जिसकी पहली किस्त.................माह के वेतन जो..................माह में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..के खाते में दिनांक..............................को जमा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

   (1) वर्ष............की लेखापर्ची के अनुसार जमा शेष...................रुपया

   (2) बाद में.......................................

   (क) अभिदान के रूप में माह...........से...................तक................रुपया

   (ख) पूर्व स्वीकृत अग्रिम की वसूली माह............से...........तक...........रुपया

   (3) कालम (1) तथा (2) का योग........................रुपया

   (4) निष्कासन यदि कोई हो, की धनराशि...............रुपया

   (5) स्वीकृति की तिथि को शेष कालम (3) में से कालम (4) घटाकर...............रुपया

दिनांक........................

हस्ताक्षर

स्वीकृति देने वाला अधिकारी

पदनाम व विभाग

परिशिष्ट - 19.3

(प्रोफार्मा-III)

(क) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम निष्कासन के लिए आवेदन पत्र

कार्यालय का नाम...

1. अभिदाता का नाम...

2. खाता संख्या विभागीय प्रत्यक्ष सहित (With Department Prefix).....................

3. पदनाम...

4. वेतन...

5. सेवा में आने की तिथि अधिवार्षिकी (Superannuation)................................

6. प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरणः-

   (1) वर्ष............................की लेखापर्ची (एकाउन्ट स्लिप) विभागीय लेजर के अनुसार........जमा धनराशि

   (2) माह.............से............तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि..................

   (3) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड ऑफ एडवान्स) द्वारा जमा............................

   (4) निष्कासित धनराशि का विवरणः-

      (क) अन्तिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल माह/वर्ष....................से ....माह/वर्ष तक रु.

      (ख) अस्थाई अग्रिम (टेम्पोरेरी एडवान्स) माह/वर्ष........................से ....माह/वर्ष तक रु...........

7. अन्तिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) ....

8. (क) अन्तिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) का प्रयोजन..............................

   (ख) नियम/राजाज्ञा संख्या जिसके/जिनके अन्तर्गत की गई है।

9. क्या इसी प्रयोजन के लिए इससे पूर्व भी कोई अन्तिम प्रत्याहरण (फाइनल विदड्राल) लिया गया था, यदि हाँ तो धनराशि और वर्ष बतायें...

दिनांक..................

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम/पद नाम

अनुभाग/विभाग

परिशिष्ट - 19.4

(प्रोफार्मा-IV)

(ख) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम निष्कासन के लिए आवेदन पत्र (Final withdrawal) स्वीकार किये जाने का फार्म

1. एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या......................से..........................प्रयोजन.............................के व्यय वहन करने हेतु रुपये (शब्दों में)................................का अन्तिम निष्कासन भविष्य निधि नियम 16/17 के अनुसार किया जाता है।
2. अन्तिम निष्कासन की धनराशि नियम-16 के निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक नहीं होगी। मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल्स) में यथा परिभाषित उनका मूल वेतन.........रुपया है।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...ने दिनांक........................को अपनी सरकारी सेवा के..........................वर्ष पूरे कर लिये है।- वर्ष में अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होंगे/होंगी।
4. दिनांक...........................की तिथि के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी के खाते में जमा अवशेष राशि का व्यौरा निम्न प्रकार है:-
   (1) वर्ष...........की लेखापर्ची के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि.............रुपया
   (2) दिनांक...............से दिनांक...................तक प्रतिमाह............. रुपयों की दर से अभिदान (SUBSCRIPTION) ....रुपये
   (3) दिनांक..................से दिनांक..............तक प्रतिमाह.....................रुपये की दर से अग्रिम की वसूली.......................रुपया
   (4) मद (1) (2) तथा (3) का योग...
   (5) बाद में स्वीकृत अन्तिम निष्कासन यदि कोई हो,..........रुपया (स्वीकृति प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (4) में मद (5) घटाइये रु.........................
5. (क) वर्ष...........की लेखापर्ची के पश्चात इस कार्यालय द्वारा श्री............................ को पिछली बार आदेश संख्या.....................दिनांक.......................द्वारा रुपये का अन्तिम निष्कासन स्वीकार किया गया था।
   (ख) ज्ञात हुआ कि श्री..को (जैसा कि उन्होंने बताया है)............................स्वीकृतकर्ता द्वारा पिछली बार अंशतः अन्तिम निष्कासन के रूप में रुपया............................स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(सक्षम अधिकारी)

परिशिष्ट - 20

संख्याः सा-4-62/दस-96-604-82

प्रेषक,

श्री पी0के0मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 1996

विषयः- **सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्याः सा-4-628/दस-604-82, दिनांक 1-4-82, संख्याः सा-4-1647/दस-604/दस-82, संख्याः सा- 42583/दस-82-604-82, दिनांक 20-12-82, संख्याः सा-4-572/दस-604-82, दिनांक 5-3-83 एवं संख्याः सा-4-1682/दस-85-604-82, दिनांक 9-10-85 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवकाश यात्रा सुविधा की व्यवस्था को और अधिक उदार बनाने के दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय ने इस शासनादेश के अनुलग्नक के अनुसार इस विषय पर विस्तृत अनुदेश निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। उपर्युक्त संदर्भित पूर्व निर्गत शासनादेश तद्नुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे।

2- संशोधित रूप में यह सुविधा इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी

भवदीय

ह0/-

पी0के0 मिश्र,

सचिव।

संख्याः सा-4-62(1)/दस-96-604-82, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, ऑडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद

3- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

4- प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा पशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।।

आज्ञा से,
ह0/-
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्याः सा-4-62(1)/दस-96-604-82 का अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुदेश :-

1- अवकाश यात्रा सुविधा का अभिप्राय :-

इस सुविधा के अन्तर्गत सरकारी सेवकों की अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के सम्बन्ध में सरकारी सेवको तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

2- पात्रता का क्षेत्र :-

अवकाश यात्रा सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कलेण्डर वर्ष के आधार पर अनुमन्य होगी।

यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमन्य होगी, जो सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं परन्तु जो वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर जायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को यह

सुविधा उसी दशा में मिलेगी जब सम्बन्धित उपक्रम उसका पूरा व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। यह सुविधा निम्नांकित को अनुमन्य नहीं होगी :-

(1) ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकारी पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं।

(2) ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतन/भत्तों का भुगतान आकस्मिक व्यय (कान्टिजेन्सीज) से किया जाता है।

(3) वर्कचार्जड कर्मचारी।

(4) ऐसी सरकारी सेवक जिन्हें राज्य सरकार के नियमों से भिन्न किन्हीं अन्य नियमों के अन्तर्गत पहले से ही अवकाश यात्रा सुविधा अथवा इसी प्रकृति की कोई अन्य सुविधा ग्राह्य है।

3- सुविधा की आवृत्ति :-

यह सुविधा प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा अवधि में एक बार अनुमन्य होगी। इस प्रकार 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवावधि में प्रथम बार, 11 से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी बार, 21 वर्ष से 30 वर्ष की सेवावधि में तीसरी बार तथा 30 से अधिक सेवा होने की स्थिति में चौथी बार अनुमन्य होगी। प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्व अवकाश यात्रा सुविधा के आधार पर कोई अतिरिक्त अनुमन्यता देय नहीं होगी।

4- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड (परिचय-पत्र) धारकों को एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता :-

ग्रीनकार्ड धारकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। ग्रीनकार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति उक्त सुविधा सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के आधार पर अतिरिक्त सुविधा वह किसी भी एक अवसर पर अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने के चार वर्ष पश्चात किसी भी समय किन्तु केवल एक बार सुविधानुसार उपभोग कर सकते हैं।

5-वरीयता तथा 20 प्रतिशत का प्रतिबन्ध :-

यह सुविधा ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जायेगी अर्थात् ज्येष्ठ सरकारी सेवकों में से 20% से अधिक सरकारी सेवकों को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जायेगी, जिसे संवर्ग विशेष के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- अधिकतम दूरी :-

अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर आने-जाने के लिये न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी। गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रुकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपत्ति नहीं होगी परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिये सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

7- परिवार की परिभाषा :-

यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक की सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी। इस सुविधा के प्रयोजनों के लिये परिवार की वही परिभाषा मान्य होगी जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-6 में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी है, जिसका उद्धदण निम्न प्रकार हैः

Family means a government servant's wife or husband, as the case may be, legitimate children and step-children residing with and wholly dependent upon the government servant and it includes in addition, parents, sisters and minor brothers, if residing with and wholly dependent upon the, government servant, but does not include more than one wife for the purpose of these rules.

NOTES- (1) An adpoted child shall be considered to be a legitimate child if, under the personal law of the government servant, adoption is legally recognized as conferring on if the status of a natural child.

(2) A government servant's legitimate daughters, step-daughters and sisters whose gauna or rukhsat has been performed, shall not be regarded as wholly dependent upon the government servant.

(8) अवकाश की प्रकृति एवं नकदीकरण की अनुमन्यता :-

इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा। जिस कैलेण्डर वर्ष में इस सुविधा का उपभोग कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। उस कैलेण्डर वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिये अर्थात् यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होगा। नकदीकरण की राशि का आगणन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा-

<u>अभ्यर्पण के दिनांक की अनुशेय वेतन एवं भत्ते</u> X अभ्यर्पित दिनों की संख्या

30

9- सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिये अधिकृत श्रेणीः-

सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों की रेल की उस श्रेणी में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी, जिसके लिए सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यतः अधिकृत है।

10- वातानुकूलित कोच तथा वायुयान से यात्रा :-

इस सुविधा के अन्तर्गत रेल के वातानुकूलित कोच अथवा वायुयान से यात्रा नहीं की जा सकेगी।

11- उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा :-

यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की गयी है, तो सरकारी सेवक को अधिकृत श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा। यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में की जाती है, तो उस स्थिति में रेल की निरन्तर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा।

12- आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता वर्जित :-

इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा पर कोई आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

13- रेलमार्ग से सम्बद्ध स्थानों के बीच सड़क यात्रा :-

रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल से की गई होती) अथवा सरकारी सेवक द्वारा सड़क यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय् इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

14- ऐसे स्थानों के बीच यात्रा जो रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं है :-

ऐसे स्थान जो कि रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं है, यदि सरकारी सेवक द्वारा उन स्थानों की यात्रा स्टीमर अथवा जलयान/बस द्वारा की जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त यात्रा हेतु रेल की प्रथम श्रेणी के लिए अधिकृत सरकारी सेवकों को स्टीमर अथवा जलयान के प्रथम श्रेणी/केबिन/डीलक्स बस कोच का किराया अनुमन्य होगा तथा अन्य कर्मचारियों को स्टीमर अथवा जलयान/बस की साधारण श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा।

15-चार्ट्ई बस अथवा स्पेशल रेलगाड़ी से यात्रा :-

यदि यात्रा चार्ट्ई बस अथवा स्पेशल यात्रा रेलगाड़ी से की जाती है, तो सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल यात्रा की गयी होती) अथवा चार्ट्ई बस अथवा स्पेशल रेलगाड़ी का किराया, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

16- सड़क मील भत्ता वर्जित :-

इस सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

17- यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक हो :-

यदि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों तथा पति और पत्नी दोनों को उक्त सुविधा अनुमन्य हो तो उस स्थिति में यह सुविधा पति अथवा पत्नी में से किसी एक को ग्राह्य होगी।

18- दावे का व्यपगत हो जाना :-

यदि सरकारी सेवक इस सुविधा के सम्बन्ध में अपना दावा वास्तविक यात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका दावा व्यपगत हो जायेगा।

19- अग्रिम की स्वीकृति :-

(1) इस सुविधा का उपभोग करने के लिए राजकीय सेवकों को अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की अधिकतम धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए व्यय की अनुमानित धनराशि जिसकी राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करनी होगी, के 4/5 भाग तक सीमित होगी।

(2) अग्रिम दोनों ओर यात्रा के लिए यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इस प्रतिबन्ध के साथ आहरित किया जा सकता है कि राजकीय सेवक द्वारा लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक न हो। यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक होगी तो केवल गन्तव्य स्थान तक जाने के लिए ही अग्रिम आहरित किया जा सकेगा।

(3) यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक हो जाती है और अग्रिम दोनों ओर की यात्रा के लिए पहले ही आहरित किया जा चुका है तो सरकारी सेवक को आधी धनराशि तत्काल वापस करनी होगी।

(4) अस्थायी राजकीय सेवकों की अग्रिम एक स्थायी राजकीय सेवक की जमानत देने पर स्वीकृत किया जायेगा।

(5) अग्रिम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(6) अग्रिम की स्वीकृति से 30 दिन के अन्दर यदि यात्रा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो अग्रिम की पूर्ण धनराशि एकमुश्त वापस की जायेगी।

(7) आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु राजकीय सेवक द्वारा अपना दावा वापसी यात्रा पूर्ण होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा और चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर इसका समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत आहरित अग्रिम का लेख यात्रा पूर्ण होने के बाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा जिस प्रकार से राजकीय सेवक द्वारा सरकारी कार्य से यात्रा के लिए आहरित अग्रिम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है।

20-दावा प्रस्तुत करने की विधिः-

इस सुविधा के सम्बन्ध में दावे की प्रतिपूर्ति का बिल यात्रा भत्ता बिल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा और बिल के शीर्ष पर ''अवकाश यात्रा सुविधा'' अंकित कर दिया जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस आशय का सामान्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा वास्तव में यात्रायें पूर्ण कर ली गयी हैं। और यात्रायें उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नहीं की गयी है जिसके लिये प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।

21-सुविधा का अभिलेखः-

सरकारी सेवकों द्वारा इस सुविधा का उपभोग किये जाने पर उनकी सेवा पुस्तिका/सेवा पंजिका में इस आशय की एक प्रविष्टि अंकित कर दी जानी चाहिए कि उनके द्वारा सुविधा का

उपभोग कब किया गया है। सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी को रख-रखाव के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

22-अनिवार्य साक्ष्यः-

सरकारी सेवक द्वारा यात्रा करने से पूर्व अपने नियंत्रण अधिकारी को उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये सरकारी सेवक द्वारा यात्रा वास्तव में सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने चाहिए। उपयुक्त मामलों में गुणवत्ता के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा यात्रा की पूर्व सूचना दिये जाने तथा टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने से छूट प्रदान की जा सकती है, यदि नियंत्रण अधिकारी दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य से एवं यात्रा वास्तविक रूप से किये जाने तक तथ्य से अन्यथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हों।

23-गन्तव्य स्थान की पूर्व घोषणाः-

इस सुविधा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान की घोषणा पहले से की जानी चाहिये। यदि बाद में पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान के भ्रमण हेतु सरकारी सेवक द्वारा निश्चय किया जाता है तो आवश्यक परिवर्तन नियंत्रण अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

24-नियंत्रक अधिकारीः-

इस सुविधा के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो यात्रा भत्ता नियमों के अर्न्तगत सम्बन्धित सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी घोषित है।

25-निर्धारित प्रमाण-पत्रः-

यह सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कि अवकाश यात्रा की समस्त शर्तें संतुष्ट हो गयी है, सरकारी सेवक तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अवकाश यात्रा सुविधा के बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

(क) सरकारी सेवक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रः-

(1) प्रमाणित किया जाता है कि मैने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की यात्रा वास्तव में कर ली है, और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके किराये की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में इससे पूर्व अपने तथा परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है/कार्यरत है और उन्होंने स्वयं अपने तथा अपने परिवार के लिये पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति, जिसके लिए अवकाश यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है--------------(भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अण्डर ट्रेनिंग/नियम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत है जहां अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य है परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक की इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और न प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर एवं पदनाम

(ख) नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र-

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0--------------------------ने अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत बहिर्गामी यात्रा आरम्भ करने की तिथि की राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष या उससे अधिक की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियां श्री/श्रीमती/कु0-----------------------------की सेवा पुस्तिका/पंजी में कर दी गयी है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

126-लेखा शीर्षकः-

अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद ''वेतन'' के नामे डाला जायेगा।

सी0एस0यू0पी0--ए0पी0179 सा0 वित्त-35-3-96-(4027)-1990-15,000(मेक0)।

<u>परिशिष्ट - 20.1</u>

<u>संख्या-1/जी-2-39/दस-2014/604-82टी0सी0</u>

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,

प्रमुख सचिव वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2014

विषय- अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों में शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा-4-62/दस 96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 एवं तत्क्रम में समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या-सा-4-632/दस-2000-604/82टी0सी, दिनांक 05 सितम्बर, 2000 में यह स्पष्ट किया गया है कि अवकाश यात्रा सुविधा हेतु किसी भी स्थान के लिये वायुयान अथवा जल मार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क, जल मार्ग निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक अनुमन्य है। तत्पश्चात रेलमार्ग से गंतव्य स्थान तक तथा यदि गंतव्य स्थान रेलमार्ग से न जुड़ा हो तो गंतव्य स्थान से निकटतम रेल हेड से गंतव्य स्थान तक सड़क यात्रा अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गयी यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। वर्तमान में ऐसे स्थान जो जल मार्ग या वायु मार्ग से ही जुड़े हैं, रेल अथवा सड़क मार्ग से नहीं, उन स्थानों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं है।

2- रेल यात्रा में लगने वाले समय एवं कठिनाईयों के कारण राज्य कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा हेतु वायुयान से आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाय, परन्तु इसके एवज में उन्हें वह रेल किराया अनुमन्य कराया जाये जो किसी कर्मी को वर्तमान व्यवस्था के आधार पर रेल किराया के रूप में अनुमन्य है।

3- अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहमे का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में यदि वायुयान से यात्रा की जाती है, तो उन्हें अधिकृत श्रेणी का किराया निम्नलिखित

शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य लिए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1)- राज्य कर्मचारी अवकाश यात्रा सुविधा हेतु आने जाने के लिये वायुयान से यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे, परन्तु वायुयान से यात्रा के एवज में उन्हें रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया सबसे छोटे मार्ग (शार्टेस्ट रूट) से जो अभी भी देय है, वही देय होगा।

(2)- शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2000 की वर्तमान निर्धारित व्यवस्था से भिन्न स्थानों में अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(3)- यदि कोई सरकारी सेवक वायुयान से की गई यात्रा के बदले अधिकृत श्रेणी का किराया दिये जाने की मांग करता है तो उसे यात्रा बिल के साथ हवाई यात्रा के प्रमाण स्वरूप टिकट एवं बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। टिकट तथा बोर्डिंग पास परिवार के उन सभी सदस्यों के सन्दर्भ में प्रस्तुत करना होगा, जिनके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के साथ अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग किया गया है।

(4)- अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु पूर्व में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

4- उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय

आनन्द मिश्र

प्रमुख सचिव

संख्या-1/जी-2-39(1)/दस-2014/604-82टी0सी0,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/वित्तीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(3) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(4) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

बी0के0 सिंह

विशेष सचिव

परिशिष्ट - 20.2

अवकाश यात्रा सुविधा हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम..

2. पद नाम..

3. विभाग/कार्यरत...

4. मूल वेतन (जो इस समय मिल रहा हो)..

5. स्थाई/अस्थाई (पदनाम सहित)...

6. सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक...

7. इससे पूर्व उपभोग की गई अवकाश यात्रा सुविधा का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो (आदेश सं0 व दिनांक)

88. (1) वर्तमान कैलेण्डर वर्ष में 30/15/8 दिन का नकदीकरण का उपभोग कर लिया गया है/करेंगे/नहीं करेंगे

(2) यदि हाँ तो किस अवधि का...

9. ग्रीन कार्ड धारक होने वाले की दशा मेंः-

(1) क्या वर्तमान आवेदित सुविधा अवकाश यात्रा सुविधा के रूप में चाहते हैं/चाहती हैं .... हाँ/नहीं

(2) यदि हाँ तो कृपया ग्रीन कार्ड का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

10. प्रस्तावित यात्रा का पूर्ण विवरणः-

(1) मुख्यालय से...................तक जाने तथा............ से मुख्यालय वापस

(2) दिनांक..................से..........................तक की अवधि हेतु

11. प्रस्तावित यात्रा में जाने वाले परिवार के सदस्यों का विवरणः-

क्रमांक	नाम	संबंध	आयु विवाहित/अविवाहित किसी सेवा में हो तो पूर्ण विवरण
1			
2			

12. गन्तव्य स्थान का नाम जहाँ यात्रा की जानी है

(1) दूरी कि0मी0 में (आना-जाना)...

(2) किराया समस्त सदस्यों सहित (आना-जाना)..................................

(3) यात्रा हेतु आवेदित अग्रिम की धनराशि.......................................

13. प्रस्तावित यात्रा के लिए अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करने की तिथि................

14. पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक होने अथवा दोनों को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होने की दशा में :-

(क) पति/पत्नी का नाम..

(ख) पदनाम...

(ग) कार्यालय/विभाग का नाम...

(घ) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु विकल्प..

(ङ) पति/पत्नी द्वारा पूर्व में लिए गये अवकाश यात्रा सुविधा का आदेश संख्या व दिनांक..................................

(च) यदि सुविधा नहीं ली गयी हो तो सम्बन्धित कार्यालय/विभाग का प्रमाण-पत्र...............................

15. अस्थाई कर्मचारी को जमानत देने वाले कर्मचारी केः-

(1) हस्ताक्षर..

(2) नाम..

(3) पदनाम तथा विभाग.............................

घोषणा पत्र

1. उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी में सत्य है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व इस ब्लाक अवधि में अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. मेरा परिवार जिसके लिए उपरोक्त सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित है।

4. मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/ कार्यरत हैं और उन्होंने स्वयं अपने तथा अपने परिवार के लिए इस ब्लाक अवधि में पृथक से अवकाश यात्रा सुविध का उपभोग नहीं किया हैं और न ही करेंगी/करेंगे (कार्यरत होने की दशा में आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित)

5. प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए अवकाश यात्रा सुविधा का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है (भारत सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग/निगम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत हैं जहाँ अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा इस ब्लाक अवधि में अपने सेवायोजक को इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया है और न प्रस्तुत किया जायेगा। (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है)

अग्रसर अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति — आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक — नाम तथा पदनाम

<u>परिशिष्ट - 21</u>

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्याः2275/5-6-11-1082-87

लखनऊःदिनांकः20 सितम्बर, 2011

<u>अभिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकरण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

भाग-एक
सामान्य

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 कहीं जायेगी। **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू होगीः- **प्रयोज्यता**

(क) सभी सरकारी सेवक, जबकि वे कार्य पर हों या अवकाश पर हों या निलम्बन के अधीन हो और उनके परिवार।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों, जो परिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो।

3. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :- **परिभाषाएं**

(क) ''प्राधिकृत चिकित्सक परिचारक'' का तात्पर्य किसी

सरकारी चिकित्सालय के ऐसे चिकित्सा अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रवक्ताओं, उपाचार्यों, आचार्यो या अन्य विशेषज्ञों से है, जो किसी लाभार्थी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हो,

(ख) ''लाभार्थी'' का तात्पर्य सरकारी सेवक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से है, जो परिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो,

(ग) ''परिषद'' का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वाहन हेतु सरकार द्वारा जिला, मण्डल और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,

(घ) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 से है,

(ङ) ''महानिदेशक'' का तात्पर्य महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश से है,

(च) ''परिवार का तात्पर्य''ः-

(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति, पति या पत्नी और

(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकसुदा/परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहने, अवयस्क भाई, सौतेली माता,

(छ) ''सरकार का तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(झ) ''सरकारी चिकित्सालय'' का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलायें जा रहें, या किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सबद्ध चिकित्सालय से है,

(त्र) ''सरकारी सेवक'' का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथा परिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी है, से है जिनका वेतन राज्य के राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी मौसमी/संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार सम्मिलित नहीं है,

(ट) ''चिकित्सा'' का तात्पर्य ऐलोपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सालय पद्धति की डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सीय अन्वेषण हेतु प्रयोगशाला एवं केन्द्र से है,

(ठ) ''चिकित्सा परिचया'' का तात्पर्य रोग निदान और उपचार के प्रयोजनार्थ ऐसे चिकित्सीय परामर्श और परीक्षण एवं अन्वेषण की विधियों से है जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी जाए,

(ढ) ''सेवानिवृत्त सरकारी सेवक'' का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है, जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो और सरकार से पेंशन आहरित कर रहा हो। तथापि, इसमें वे सरकारी सेवक सम्मलित नहीं है, जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चात किसी स्वशासी संस्था/उपक्रम/निगम आदि में आमेलित हो गये हों,

(ण) ''संदर्भित करने वाली संस्था'' का तात्पर्य सभी राज्यकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, छत्रपति साहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (सी0एस0एम0एम0यू0) लखनऊ, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0), लखनऊ डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, वाराणसी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य संस्था से है,

(त) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(थ) ''उपचारिक चिकित्सक'' का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविहित अर्हतायुक्त चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का वास्तव में उपचार करता है।

(द) ''उपचार'' का तात्पर्य सभी उपभोग्य कन्ज्यूमेवल एवं उपभोग पश्चात त्याज्य डिस्पोजेबल, चिकित्सीय एवं शल्य सुविधाओं के उपभोग और परीक्षण की विधियों और निदान के प्रयोजनार्थ अन्वेषण से है और इसमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सेरा, वैक्सीन, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति, विहित जीवन रक्षक प्रकियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देख-रेख भी सम्मिलित है।

भाग-दो

सरकारी चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों/संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान/छत्रपति साहूजी महराज चिकित्सा महाविद्यालय में उपचार

4. समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यता यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंश भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। **निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी**

5. किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यकता न होगी। **संदर्भ अपेक्षित न होना**

6. (क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा संलग्नक-''क'' में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मोहर इस प्रकार लगाई जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मोहर आंशिक रूप से लगी हो। **स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से पहचान**

परन्तु किसी पेंशन भोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और मूल वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्त/मृत्यु के पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का ना होना उसे अविधिमान्य बना देगा। यद्यपि यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वहीं सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।

7. (क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वार्ड सुविधा निःशुल्क कराई जायेगीः- **वार्ड सुविधा**

क्रमाँक	मूल वेतन ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिए लाभार्थी हकदार होगा
1.	रु. 19000/-या अधिक	निजी या विशेष कार्ड
2.	रु. 13000/- से अधिक और रु. 19000/- से कम	सशुल्क वार्ड
3.	रु. 13000/- या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम मूलवेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूलवेतन माना जायेगा यद्यपि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से निम्नतर सेवाओं के लिए हकदार होगा जो कि वह अपनी सेवानिवृत्त से ठीक पूर्व पाता रहाः-

परन्तु अग्रेतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से वेहतर वार्ड सुविधायें उपलब्ध करायें जाने की दशा में उसको अतरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु यह संबंधित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रयोज्य शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अन्य स्त्रोतों से औषधियों आदि की आपूर्ति

8. किसी लाभार्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, यथासेरा, वैक्सीन, रक्त कामा, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति या चिकित्सीय अन्वेषण या सोनोग्राफी, कम्प्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, स्केनिंग एन्डोस्कोपी, एन्जियोग्राफी, रेडियोलाजिकल, पैथोलोजिकल, और वैक्टिरियोलाजिकल जाँच या अन्य कोई जाँच जा आवश्यक सामग्री समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी स्त्रोतों से उपलब्ध कराया जायेगी। यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औषधियाँ या सुविधाऐं सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, ऐसी अवधारित और विहित किया जाय। किसी मधुमेह रोगी के मामले में,जिसे एक दिन में एक से अधिक वार इन्सुलिन विहित किया गया हो, डायग्नोसिस किट (निदान यंत्र) की लागत, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमन्य होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीली दवाइयाँ, जिनके लिए कम लागत की किन्तु समान थेराप्यूटिक महत्व की औषधियों उपलब्ध हों या ऐसी दवाइयाँ जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेप्टिक या निजी रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा।

कृत्रिम अंग

9. (क) उपचारी चिकित्सक की संस्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से चाहे जिस भी पदनाम से वह जाना जाय निम्नलिखित

कृत्रिम अंग और साधित्र अनुमन्य किये जा सकते हैंः-

1-आर्थोपेडिक प्रोस्थीसिस हिप
2-प्रोस्थीसिस फार नी ज्वाइन्ट
3-सरवाइकल कालर्स
4-कार्डियाक पेस मेकर
5-कार्डियाक वाल्ब
6-आर्टिफिसियल वोकल वाक्स
7-हीयरिंग एंड/कॉक्लियर इम्लान्ट
8-इन्ट्राआक्यूलर लेन्स रीइम्प्लान्ट
9-थेराप्यूटिक कान्टैक्ट लैंस
10-कम्पलीट आर्टिफिसियल डेंचर (सम्पूर्ण कृत्रिम दन्तावली)
11-स्पैक्टेकल्स (चश्में) (तीन वर्षों में एक वार से अनधिक)
12-निःशक्त के उपयोग के लिए कृत्रिम अंग को सामिल करते हुए साधित्र
13- सरकार द्वारा सम्मिलित अन्य कोई साधित्र।
(ख) उपर्युक्त कृत्रिम अंगो और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टियों या निर्माण, नाम इत्यादि इंगित करते हुए उपचार चिकित्सक की लिखित
सलाह पर की जायेगी।

एस0पी0जी0 आई/ सी0एस0 एम0एम0 में उपचार

10. कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ और छत्रपतिशाहूजी महराज चिकित्सालय विश्वविद्यालय लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूर्णीय होगा।

भाग-तीन
यात्रा पर आपात कालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार

तात्कालिक /आपात-कालीन उपचार

11. किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या वाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य के वाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूर्णीय होगी। प्रतिबन्ध यह है किः-

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय।

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्त शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।

(ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि प्रतिपूर्णीय होगी।

यात्रा पर उपचार

12. कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बंधित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होगे और उस पर उपगत वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूर्णीय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।

निजी चिकित्सालय में विशिष्ट उपचार

13. (क) जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय यह संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता हैः-

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से निम्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम-11(ग) लागू नहीं होगा।

(ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।

(ग) ऐसे उपचार या जांच जिनके लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो।

मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्यति द्वारा उपचार

14. सरकारी चिकित्सालय के बाहर होमियोपैथी, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति द्वारा उपचार की प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

भाग-चार

सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अग्रिम

चिकित्सा अग्रिम

15. (क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के 75 प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

(ख) अग्रिम के लिए आवेदन संलग्नक-''ख'' में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। और उसके उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्राक्कलन संलग्न किया जायेगा।

(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।

(घ) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने के तत्काल पश्चात, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह पश्चात प्रस्तुत करेगा।

(ड़) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(च) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी संलग्न ''घ'' में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(छ) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है।

(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनें के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीने में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक व्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृत के दिनांक से की जायेगी।

भाग-पाँच
प्रतिपूर्ति

तीन महीने के भीतर दावा

16. लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार के समाप्ति के पश्चात तीन माह से अपश्चात संलग्नक ''ग'' में दिये गये विहित प्रारूप प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये बाउचर्स और संलग्नक-''ड'' में (बहिरंग उपचार) और संलग्नक-''च'' (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में दावें को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते है। अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पेंशन भोगी का प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहां से वह पेंशन आहरित कर रहा है। जहां ऐसा कोई कार्यालय न हो वहां सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा।

तकनीकी परीक्षण प्राधिकारी

17. (क) स्वीकृर्ता अधिकारी या पेंशनभोगी के मामले में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से दस दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, सम्यक तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् वास्तविक प्रतिपूरणीय धनराशि इंगित करते हुए उस दावे को पन्द्रह दिनों के भीतर, यथा स्थिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर देगा।

(ख) जब तक कि कतिपय आपत्तियाँ न उठायी गयी हो और संसूचित न की गयी हो, स्वीकृर्ता प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रतिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगा। पेंशन भोगी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकृर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा जो भुगतान के लिए उपर्युक्त समय-सारणी का अनुसरण करेगा।

प्रतिपूर्ति के लिए अनिवार्य दस्तावेज

18. स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि संलग्नक ''ग'' में दिये गये विहित प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जायः

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र

(ख) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी बिलों, संदर्भ पत्र, प्रेस्क्रिप्शन / पर्चो, और वाउचरों की मूल प्रतियाँ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट।

(घ) विशेष परिस्थितियों में दावे के सिद्ध करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी मूल रूप में संलग्न किये जा सकते है।

(ङ) अपूर्ण दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी

19. तकनीकी परिक्षण के लिए समक्ष प्राधिकारी निम्नवत् होगाः-

दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी
(एक) रु. 40000/-तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/आयुर्वेदिक, युनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/ अधीक्षक
(दो) रु. 40001 से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	संदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13 (क) में उपबंधित है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंको दोनों में संस्तुत करेगा।

स्वीकर्ता प्राधिकारी

20. उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगेः-

(क) सरकारी सेवकों के लिएः-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रु. 100000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष
रु. 100000/-से अधिक रु. 250000/- तक	विभागाध्यक्ष
रु. 250000/- से अधिक रु. 500000/- तक	सरकार का प्रशासकीय विभाग
रु. 500000/- से अधिक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिएः-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रु. 100000/-तक	समक्ष तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष
रु. 100000/- से अधिक रु. 500000/- तक	समक्ष तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी
रु. 500000/-से अधिक	समक्ष तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् प्रशासकीय विभाग।

व्यय का कोषागार ''शीर्ष''

21. प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी ''शीर्ष से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि आहरित किये जाते है।

भाग-छः

प्रकीर्ण

यात्रा और सहचर लाभार्थी

22. (क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चतर/विशिष्ट उपचार के लिए, जिसके लिए जिला/राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय को संदर्भित करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विशिष्ट लिखित सलाह पर ऐसा उपचार कराने के लिए यात्रा को अनुमति दी जा सकती है।

(ख) बीमारी की गम्भीरता पर विचार करते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्तुति करता है कि रोगी को किसी परिचारक द्वारा अनुरक्षित किया जाना है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम सहित किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है, जो सामान्यतः रोगी का सम्बन्धी होगा।

(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा, भले ही उनके लिए हकदार है या था।

(घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

समय सीमा

23. सामान्यतया दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणदोष के आधार पर दावे की प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

अखिल भारतीय सेवा के सदस्य

24. यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निम्नतर है।

वाह्य सेवा

25. यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमन्य से निम्नतर चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार पर हुआ व्यय वाह्य नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा।

निरसन और अपवाद **26.** समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 और इस संबंध में निर्गत किये गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेंगे। तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी उनसे कम नहीं होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमन्य थी।

कठिनाई का निराकरण **27.** यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के उपलब्धों के प्रवर्तन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

निर्वचन और शिथिलीकरण **28.** (क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचर्या की शर्तो का विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्गत आदेश से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियम या आदेश की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

आज्ञा से
ह0/-
(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश पुलिस हेल्थ कार्ड

उत्तर प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य-पत्रक

(भाग-दो, नियम-6(क) देखें

संख्या...................

आवेदक के परिवार का प्रमाणित फोटो

कार्यालयाध्यक्ष की मुहर

नाम..जन्म का दिनांकः-....................लिंग..........

पदनामः-.....................................विभाग का नामः-...

तैनाती का स्थानः-...

आवासीय पताः-..

मूल वेतन तथा वेतनमान/पेंशनः-...

नामिनी का नामः-..

आश्रित पारिवारिक सदस्यों का विवरणः-

क्रमांक	नाम	जन्म का दिनांक	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
कुल संख्या			

दिनांकः....................

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर, मुहर सहित।

परिशिष्ट ''ख''

(भाग चार, नियम-15''ख'' देखें)

उपचार हेतु अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम-

2. पदनाम-

3. तैनाती का स्थान-

4. कार्यालयाध्यक्ष-

5. मूल वेतन-

6. स्वास्थ्य पत्रक संख्या-

7. रोगी का नाम-

8. कर्मचारी से सम्बन्ध-

9. बीमारी का नाम (जिससे पीड़ित है)

10. व्यय की धनराशि-
(उपचारी चिकित्सा द्वारा तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है।)

11. अपेक्षित अग्रिम की धनराशि

दिनांक :

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)
नामः
पदनामः

परिशिष्ट ''ग''

(भाग-पांच नियम-16 तथा 18 देखें)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम,

....

....

विषयः- चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं................................./मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम).........................ने ....(बीमारी का नाम) के लिए.............................(दिनांक) से ....तक.........................(चिकित्सालय का नाम) में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा हूँः-

1- उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।

2- उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद् पर्ची (कैश मेमो), बीजक(बिल), वाउचर।

3- यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है।

मेरे उपचारार्थ...के पत्र संख्या.......................... दिनांकः........................द्वारा स्वीकृति रु...............................के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात् मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

दिनांक............................

अधिकारी/कर्मचारी कानाम

पदनामः

तैनाती का स्थान

परिशिष्ट ''घ''

(भाग-चार-नियम-15(च) देखें)

चिकित्सा परिचारक के लिए अग्रिमों की पंजी

क्र0सं0	सरकारी सेवक का नाम और पदनाम	अग्रिम की स्वीकृति के लिए शासनादेश दिनांक और संख्या	स्वीकृति अग्रिम की धनराशि	अग्रिम के आहरण का दिनांक और वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति दावा में प्रस्तुतीकरण की देय अवधि
1	2	3	4	5	6

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावा की प्राप्ति की वास्तविक दिनांक	अग्रिम की प्रतिपूर्ति दावा वसूली के भुगतान के लिए की गई कार्यवाही का विवरण	प्रतिपूर्ति दावा की स्वीकृति के आदेश की संख्या और दिनांक	प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति धनराशि	समायोजन के लिए यदि कोई हो, अग्रिम की अवशेष धनराशि
7	8	9	10	11

ट्रेजरी चालन की संख्या और दिनांक अग्रिम की अवशेष धनराशि के लिए जमा की गयी धनराशि यदि कोई हो	समायोजन की बिल संख्या और दिनांक	चेकिंग के पश्चात आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
12	13	14	15

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
(क) CERTIFICATE-A

(To be completed in case of patient who are not admitted in hospital for treatment)

Certificate granted to Mrs./Miss...
wife/son/daughter of Mr...
employed in the...

CERTIFICATE-A

(To be signed by the medical officer incharge of the case at the hospital)

Dr. .... hereby certify,

(a) That I charged/received Rs. ....for consultation on ....at my consulting room/at the residence of the patient.

(b) That I charged and received Rs. ....for administering...intramuscular/sub cutaneous injections on date..at my consulting room/at the residence of the patient and the injections were for immunizing or prophylactic purposes.

(c) That the patient has been under treatment....................................... hospital / my consulting room and that the under mentioned medicines prescribed by me in this connection were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in the condition of the patient. The medicines are not stocked in the (name of the hospital) ....for the supply to private patients and do not include proprietary preparations for which cheaper substance of equal therapeutic value are available and not preparations which are primarily foods, toilets and disinfectants.

S.L.	Name of Medicines	Quantity	Price
1.			
2.			

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(d) That the patient is/was suffering from .... and is/was under my treatment from (date).................to (date)..........

(e) That the patient is/was not given prenatal or postnatal treatment.

(f) That the X-Ray, Laboratory tests for which an expenditure of Rs. ....was incurred were necessary and undertaken on my advice at..

(g) That I referred the patient to Dr..for specialist consultation and that the necessary approval of the ....as required under the rules was obtained.

(h) That the patient did not require hospitalisation.

Signature & Designation of the
Medical Officer and the Hospital/
Dispensary to which attached

Date................................

COUNTERSIGNED

I certify that the patient has been under treatment at the...hospital and that the facilities provided were the minimum which were essential for the patient's treatment.

Medical superintendent
of Hospital

Place..........................
Date...........................

Note- Certificate (A) is compulsory and must be filled in by the Medical Officer in all cases.

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
(ख) CERTIFICATE 'B'

(To be completed in case of patients who are admitted to hospital for treatment)

Certificate granted to Mrs./Mr./Miss...
wife/son/daughter of Mr...
employed in the..

PART 'A'

(To be signed by the medical officer in charge of the case at the hospital)

Dr..hereby certify

(a) that the patient was admitted to hospital on the advice of.................
....
(Name of Medical officer)

(b) that the patient has been under treatment at.......................
..................and that the under mentioned medicines prescribed by me in this connection were essential for the recovery /prevention of serious deterioration in condition of the patient.

2. The medicines are not stocked in the ....for supply to private patients and do not include proprietary preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available and not preparations which are primarily foods, toilets & disinfectants.

Sl No.	Name of medicines	Price
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

(c) that the injections administered were not for immunizing or prophylactic purpose

(d) that the patient is/was suffering from.. and is/was under my treatment from.. to.....................................

(e) that the X-Ray, Laboratory tests etc. for which an expenditure of Rs....................... was incurred were necessary and were undertaken on my advice at.............................

(Name of the Hospital or laboratory)

(f) That I referred the patient to Dr...for specialist consultation and that the necessary approval of the...as required under the rules was obtained.

(Name of the Chief Administrative Medical office of the state)

Signature and designation of the
Medical officer In-charge of the
Case at the hospital

PART-'B'

I certify that the patient has been under treatment at the......................................hospital and that the services of the special nurses, for which an expenditure of ....was incurred vide bills and receipts attached, were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in the condition of the patient.

Signature and designation of the
Medical officer In-charge of the
Case at the hospital

COUNTERSIGNED

I certify that the patient has been under treatment at the....................... ....hospital and that the facilities provided were the minimum which essential for the patient's treatment.

Place........................ Medical superintendent
Date....................... of Hospital

<u>परिशिष्ट - 21.1</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्याःतेईस-चिकित्सा निर्देश-2014 दिनांक : मार्च 27, 2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः- पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

कृपया पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या बारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2011 दिनांक 08-10-2011 के क्रम में अधिसूचना संख्याः 474/पांच-6-14-1082/87टीसी दिनांक 04-03-2014 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

इस विषय में मुख्य निम्न विन्दु उल्लेखनीय हैः-

(1) नियमावली के नियम-20 को संशोधित करते हुये कार्यरत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा दावो हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रतिनिधानित अधिकार कार्यालयाध्यक्ष को रू0 2,00,000/- (रूपया दो लाख) तक विभागाध्यक्ष को रू0 5,00,000/- (रूपया पाँच लाख) तक, सरकार का प्रशासकीय विभाग रू0 10,00,000/-(रूपया दस लाख) तथा रु0 10,00,000/- से अधिक के दावे वित्त विभाग के पुर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार के प्रशासकीय विभाग को प्रदान किये गये है।

(2) नियमावली के नियम-3 को संशोधित कर परिवार का तात्पर्य स्पष्ट कर दिया गया है।

(3) नियमावली के नियम-15 के उप नियम-(ड़) और (झ) को संशोधित करते हुये किसी रोग के निरन्तर उपचार की दशा में परिचारक चिकित्सक की सलाह और संस्तुति पर विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में स्पष्ट कर दिया गया है।

(4) नियमावली के विद्यमान परिशिष्ट को संशोधित कर दिया गया है।

अतएव कृपया इस नियमावली का भलीभाँति अध्ययन कर ले। नियमावली में निहित निर्देशो/नियमों के अनुसार चिकित्सा दावो का निस्तारण करना स्वीकृतकर्ता अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

(शैलेश कुमार यादव)
अपर पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, भ0/क0,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. गोपनीय सहायक, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

2. गोपनीय सहायक, अपर पुलिस महानिदेशक, भ0/क0, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

3. गोपनीय सहायक, पुलिस महानिरीक्षक प्रो0/ब0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

4. गोपनीय सहायक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना/मुख्यालय पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

5. गोपनीय सहायक, वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

6. गोपनीय सहायक, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/कार्मिक पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

7. गोपनीय सहायक, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/स्थापना/भ0/क0/वि0प्र0/स्टाफ आफीसर पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

8. गोपनीय सहायक, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय/भ0/क0/स्थापना/वि0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

9. गोपनीय सहायक, विशेष कार्याधिकारी, कल्याण/स्थापना पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

प्रतिलिपिः-

अनुभाग अधिकारी अनुभाग-20 को पाँच प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या-474/पांच-6-14-1082/87टीसी
लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2014
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1- यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचया) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कही जाएगी।</td></tr>
<tr><td>नियम-3 का संशोधन</td><td colspan="2">2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम-3 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (च) और (झ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td>विद्यमान खंड</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खंड</td></tr>
<tr><td></td><td>(च) ''परिवार का तात्पर्य''-
(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थति पति या पत्नी, और (दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/ परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/
परिव्यक्त बहने, अवयस्क भाई, सौतेली माता</td><td>(च) ''परिवार का तात्पर्य''-
(एक) सेवा के सदस्य का, यथा स्थिति, पति या पत्नी, और (दो) माता-पिता, बच्चे सौतेले बच्चे, अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त पुत्री, अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता से है,
जो सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतया सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं।
टिप्पणी-1 किसी परिवार के ऐसे सदस्यों,</td></tr>
</table>

		जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय पर सभी स्त्रोतो से आय रू0-3500/- और रू0- 3500/- प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। टिप्पणी-2 आश्रितों के लिये आयु सीमा निम्नवत् होगीः- (1) पुत्र- सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (2) पुत्री- सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (3) ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो- जीवन पर्यन्त (4) तलाकशुदा/पति से परित्याजित/ विधवा आश्रित पुत्रियां और अविवाहित/ तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें-जीवन पर्यन्त (5) अवयस्क भाई-वयस्कता प्राप्त करने तक।
	(झ)	(झ) (एक) 'सरकारी चिकित्सालय' का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय से है, (दो) 'प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों का तात्पर्य ऐसे चिकित्सालयों से है, जिनसे सी. जी. एच. एस. (केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवायें) की सम मूल्य पर उपचार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई है।

<table>
<tr><td>नियम-4 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="3">3-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1</td><td></td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td>विद्यमान नियम</td><td></td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>निःशुल्क चिकित्सा की सेवाओं की हकदारी</td><td>समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।</td><td>निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी</td><td>4-समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिये पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामले में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।</td></tr>
<tr><td>नियम-6 का संशोधन</td><td colspan="3">4-उक्त नियमावली में नियम-6 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान उपनियम(क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जागा, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">विद्यमान उपनियम
किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं</td></tr>
</table>

	मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो। परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिये उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अन्तिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।	संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटा पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो। परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार होगा, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। सरकार भविष्य में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) चरणबद्ध से जारी कर सकती है।
नियम-7 का संशोधन	5- उक्त नियमावली में, नियम-7 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया गया जाएगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
	विद्यमान उपनियम किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी :-	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगीः-

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>क्र0</td><td>मूल वेतन+ग्रेड वेतन</td><td>वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>रू0 19000/- या अधिक</td><td>निजी या विशेष वार्ड</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>रू0 13000/- से अधिक और रू0 19000/- से कम</td><td>सशुल्क वार्ड</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>रू0 13000/- से कम</td><td>सामान्य वार्ड</td></tr>
</table>
परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अन्तिम मूलवेतन को हकदारी के अवधारण के लिये मूलवेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभागी ऐसी सेवाओं से तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओं के लिये हकदार होगा जो वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है।
परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसका अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।
</td>
<td>
<table>
<tr><td>क्र0</td><td>मूल वेतन+ग्रेड वेतन</td><td>वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा।</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>रू0-19000/- या अधिक</td><td>निजी या विशेष वार्ड</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>रू0-13000/- से अधिक और रू0-19000/- से कम</td><td>सशुल्क वार्ड</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>रू0-13000/- या कम</td><td>सामान्य वार्ड</td></tr>
</table>
परन्तु यह कि किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूल वेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभागी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर से ठीक पूर्व पाता रहा हैः
परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास स्वयं वहन करना होगा।
टिप्पणीः प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में अंतरंग उपचार हेतु वार्ड की हकदारी के लिये मानदंड, मूल वेतन+ग्रेड वेतन की सीमाओं पर आधारित होगे जैसा कि ऐसे चिकित्सालयों में भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 दरों के अधीन आच्छादित सरकारी सेवकों पर लागू है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>नियम-10 का प्रतिस्थापन</td>
<td colspan="2">6-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थातः</td>
</tr>
</table>

	स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**
	विद्यमान उपनियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
एस.जी.पी. जी.आई/ सी.एस.एम. एम.यू.	कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।	एस0जी0 पी जी0 आई0/के 0जी0एम 0यू0/ सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार	10- कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के0जी0 एम0यू0 लखनऊ और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय देख-रेख या उपचार उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।
भाग तीन के दीर्घ शीर्षक का प्रतिस्थापन	7- उक्त नियमावली में, नियम-10 के पश्चात विद्यमान दीर्घ शीर्षक 'भाग-तीन-यात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उचार और विशिष्ट उपचार' के स्थान पर दीर्घ शीर्षक-'आपातकालीन स्थिति में और यात्रा के दौरान उपचार और विशिष्ट उपचार'' रख दिया जायेगा।		
नियम-11 का प्रतिस्थापन	8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रत्रा दिया जाएगा, अर्थातः-		
	स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**
	विद्यमान उपनियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
तात्कालिक/ आपातकालीन उपचार		तात्कालिक आपात-कालीन उपचार	11-किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में या यात्रा पर किसा निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय

	किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर / तात्कालिक/ आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में प्राप्त करने की उपचार अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और राज्य से बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। **प्रतिबन्ध यह है कि-** (क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय। (ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय। (ग) आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।		में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान या राज्य से बाहर उपचार की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार कराने की दशा में उपचार की लागत सी0जी0एच0एस0 की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है किः- (क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय। (ख) रोगी या उसके संबंधी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय। (ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेंस पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूणीय होगी।
नियम-12 का प्रतिस्थापन	9- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थातः-		
	स्तम्भ- 1	**स्तम्भ- 2**	
	विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
	कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक संबंधित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और	12- कार्यालय कार्य से या निजी कार्य के लिये यात्रा के दौरान अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक संबंधित राज्य के सरकारी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में	

	उपचार पाने के हकदार होंगे उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।	चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा। प्रतिबंध यह है कि प्रदेश के बाहर चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति, सी0जी0एच0 एस0 की दरों पर होंगी। कार्यालय यात्रा पर विदेश जाने वाली सरकारीसेवकों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पालिसी प्राप्त कर लें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने की दशा में विदेश यात्रा के दौरान उन्हें चिकित्सकीय उपचार का लाभ बीमा योजना के अंतर्गत मिल सके। यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पालिसी के बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति यात्रा भत्ता देयक में टिकट के साथ की जा सकती है किन्तु किसी भी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पृथक से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
नियम-13 का संशोधन	10- उक्त नियमावली में नियम-13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान उपनियम (क) और (ख) के स्थापना पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जाएंगे, अर्थातः-	
	स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
	विद्यमान उपनियम जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिये जिनके लिये सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संदर्भित करने वाली संस्था के	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 13(क)- जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिये जिनके लिये सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सा द्वारा उपचार

	आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सा द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिये रोगी ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त हो, संदर्भित किया जा सकता है। प्रतिबंध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है, तो नियम-11 (ग) लागू नहीं होगा।	और चिकित्सा परिचर्या के लिये रोगी ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त हो, संदर्भित किया जा सकता है। (ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों को संदर्भित मामलों पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति सी0जी0एच0एस0 की दरों पर की जाएगी।
नियम-15 का संशोधन	11- उक्त नियमावली में नियम-15 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (ड़) और (झ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जाएंगे, अर्थातः-	
	स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
	विद्यमान उपनियम (ड़) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो। झ, यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (ड़)-किसी रोग के निरन्तर उपचार की दशा में, परिचारक चिकित्सा की सलाह और संस्तुति पर, विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जा सकती है कि पूर्ववर्ती स्वीकृत आग्रिम को एक आंशिक दावा प्रस्तुत करके समायोजित किया गया है। (झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा,

<table>
<tr><td></td><td>आरोपित किया जायेगा, जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी</td><td>जो भविष्य निधि पर लागू ब्याज की सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगा।</td></tr>
<tr><td>नियम-19 का संशोधन</td><td colspan="2">12- उक्त नियमावली में नियम-19 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप निय रख दिया जायेगा, अर्थातः-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td>विद्यमान उपनियम

(क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे :
(एक) रू0 40000/- तक उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/ आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक।

(दो) रू0 40001/- से अधिक उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिक्षक/ मुख्य चिकित्साधिकारी/ जिला होम्योपैथी चिकित्सा अध्धिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।

(तीन)निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु संदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम-13 (क) में उपबन्धित है।</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(क) तकनीकी परीक्षण की लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे :-
<table>
<tr><th>दावे की धनराशि</th><th>सक्षम प्राधिकारी</th></tr>
<tr><td>(एक) 50,000/- तक</td><td>उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय, आयुवैदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सालय/अधीक्षक</td></tr>
<tr><td>(दो) 50,001/- से अधिक</td><td>उपचारी या संदर्भकर्ता मुख्य सरकारी चिकित्सालय, का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।</td></tr>
<tr><td>(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु</td><td>नियम-13(क) यथा उपबंधित संदर्भकर्ता संथा के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>नियम-20 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="2">13-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td>उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंग

(क) सरकारी सेवकों के लियेः-
रू0 1.00 लाख तक - कार्यालयाध्यक्ष
रू0 1.00 लाख से अधिक व 2.50 लाख तक - विभागाध्यक्ष
रू0 2.50 लाख से 5.00 लाख तक-सरकार का प्रशासकीय विभाग
रू0 5.00 लाख से अधिक-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लियेः-
रू0 1.00 लाख तक-सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष
रू0 1.00 लाख से अधिक व रू0 5.00 लाख से तक- सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्वीकर्ता प्राधिकारी 20-उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगेः-
कार्यरत/सेवानिव्त सरकारी सेवकों के लिएः-
<table>
<tr><td>दावे की धनराशि</td><td>स्वीकर्ता प्राधिकारा प्राधिकारी</td></tr>
<tr><td>रू0 2,00,000/- तक
रू0 2,00,000/- से अधिक
रू0 5,00,000/- तक</td><td>कार्यालयाध्यक्ष
विभागाध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>रू0 5,00,000/- से रू0 10,00,000/- तक</td><td>सरकार में प्रशासकीय विभाग</td></tr>
<tr><td>रू0 10,00,000/- से अधिक</td><td>वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी रू0 5.00 लाख से अधिक- सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्रशासकीय विभाग।	
नियम-22 का संशोधन	14- उक्त नियमावली में, नियम-22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (ग) और (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-	
	स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
	विद्यमान उपनियम (ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा भले ही लाभार्थी उसके हकदार है या था।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

	(घ) जटिल बीमारी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।	(घ) जटिल बीमारी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है। तथापि, ऐसी यात्रा पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
परिशिष्ट 'ग' का प्रतिस्थापन	15-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थातः-	

स्तम्भ-1
विद्यमान परिशिष्ट
परिशिष्ट 'ग'
(भाग-पाँच-नियम-16 तथा 18 देखे)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम
....
....

विषयः चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं......................../मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम).......................ने.....................(बीमारी का नाम) के लिये..........................(दिनांक) से..तक.................................. (चिकित्सालय का नाम) में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर रहा हैं :-

1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।
2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची (कैश मेमो), बीजक (बिल), बाउचर।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित हैं।

मेरे उपचारार्थ.................................के पत्र संख्या...................दिनांक...............द्वारा स्वीकृत रू0.............के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिये यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृता करें।

दिनांक.....................

अधिकारी/कर्मचारी का नाम
पदनाम
तैनाती का स्थान

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग'

(भाग-पाँच-नियम-16 तथा 18 देखे)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम

....

....

विषयः चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं................................./मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम)............................. ने...................................(बीमारी का नाम) के लिये.................................(दिनांक) से..तक.................................. (चिकित्सालय का नाम) में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर रहा हैं :-

1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।
2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची (कैश मेमो), बीजक (बिल), बाउचर।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित हैं और सामान्यतया मेरे साथ निवास करता है।

मेरे उपचारार्थ...के पत्र संख्या........................ दिनांक..............द्वारा स्वीकृत रू0.............के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिये यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक.....................

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनामः

तैनाती का स्थान

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-474 (1)/पाँच-6-14 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुख्यालय ऐशबाग लखनऊ के अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 4.3.2014 को प्रकाशित कराये तथा अधिसूचना की 2000 (दो हजार) प्रतियों शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
3. समस्त मण्डायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0
4. महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन,उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय (पुरूष/महिला)उ0प्र0 को भेजने का कष्ट करें।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय (पुरूष/महिला) उ0प्र0
9. स्थानिक आयुक्त, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली।
10. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. विभागीय वेब मास्टर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को चिकित्सा विभाग की वेबसाइट पर अविलम्ब लोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - 21.2

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणय विभाग
(चिकित्सा अनुभाग-6)
संख्या-365/2016/3124/पाँच-6-2016-19जी/16
लखनऊ, दिनांक : 27 दिसम्बर, 2016
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

2- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में-

(1) विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ग-1) ''आकस्मिक/अप्रत्याशित रोग'' का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो कि परिशिष्ट 'ङ' में उल्लिखित हैं;

(2) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ 1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(झ) (एक) 'सरकारी चिकित्सालय' का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सालय महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है,	(एक) (क) ''सरकारी चिकित्सालय'' का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है।

(झ) (दो) 'प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों' का तात्पर्य ऐसे निजी चिकित्सालयों से है, जिनसे सी.जी.एच.एस. (केन्द्रीयित सरकारी स्वास्थ्य सेवायें) की दरों के सम मूल्य पर उपचार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा संविदा की गई है।	(ख) ''प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों'' का तात्पर्य ऐसे निजी चिकित्सालयों से है जो कि राज्य सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. योजना के अधीन अधिसूचित किये जाय;

(3) विद्यमान खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ञ-1) ''स्वास्थ्य कार्ड'' का तात्पर्य लाभार्थी की पहचान की पुष्टि के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्ड से है और जो कि स्वास्थ्य पत्र से भिन्न हो;

(4) विद्यमान खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ट-1) ''असाध्य रोग'' का तात्पर्य परिशिष्ट 'च' में उल्लिखित रोगों से है;

नियम 6 का प्रतिस्थापन — 3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ 1 **विद्यमान खण्ड**		**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
स्वास्थ्य पत्र और हेल्थ कार्ड द्वारा पहचान	6. (क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्याकिंत स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मोहर आंशिक रूप से लगी हो :	स्वास्थ्य पत्र और हेल्थ कार्ड द्वारा पहचान	6. (क) किसी लाभार्थी को किसी सरकारी चिकित्सालय या सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब वह स्वास्थ्य कार्ड या परिशिष्ट-'क' में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत स्वास्थ्य कार्ड अथवा किसी संख्यांकित स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा/करेगी। स्वास्थ्य पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि वह फोटो और पत्र को आंशिक रूप से आच्छादित करे :

परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार होगा, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। सरकार भविष्य में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) चरणबद्ध रूप से जारी कर सकती है।	परन्तु यह कि किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार होगा, किन्तु स्वास्थ्य पत्र उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने या निवास करने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।
(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के किन्ही सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।	(ख) कार्ड में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।
	(ग) लाभार्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्राधिकृत संविदाकृत चिकितलयों में आकस्तिक/अप्रत्याशित रोगों के निःशुल्क चिकित्सा उपचार एवं सी.जी.एस.एस. दर पर असाध्य रोगों का चिकित्सा उपचार प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करें।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ 1 विद्यमान खण्ड		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
एस.जी.पी.जी. आई./के.जी. एम.यू./ सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार	10- कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय देख-देख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान/ किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय /सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और सी.जी. एच.एस. निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार	10- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ और ऐसे अन्य समान सरकारी पोषित संस्थानों में उपचार प्राप्त करने पर, यदि लाभार्थी उक्त संस्थानों के चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित /सत्यापित बीजकों की कुल धनराशि की पाँच प्रतिशत धनराशि को वहन करने में सहमत हो, तो ऐसी स्थिति धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा और ऐसे बीजकों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने से छूट प्रदान की जायेगी। यदि लाभार्थी बीजकों की पाँच प्रतिशत धनराशि वहन करने में असहमत हो, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बीजकों को सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात् ही उक्त संस्थानों के चिकित्सा बीजकों का भुगतान पूर्वतर नीति के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय

देख-रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिपूर्णीय होगा।

अंतः रोगी को प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में असाध्य रोगों के सी.जी.एच.एस. दर पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार और आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।

नियम 11 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ 1 **विद्यमान खण्ड**		**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
तात्कालिक/ आपातकालीन उपचार	11- किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान या राज्य से बाहर उपचार की दशा में अखिल भारतीय की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार कराने की दशा में उपचार की लागत सी.जी.एच.	तात्कालिक/ आपातकालीन उपचार	11- किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। अंतःरोगी का उपचार आपात स्थिति में सी.जी.एच.एस. योजना के अधीन सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क होगा। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त करने के अलावा, यदि उपचार, राज्य के अन्य निजी चिकित्सालयों में कराया जाता है, तो उपचार का शुल्क, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में यथाप्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगा और यदि रोग के उपचार की दर संजय गांधी

एस. की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि :- (क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय। (ख) रोगी या उसके सम्बन्धी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय। (ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध नहीं है तो प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दरों पर की जायेगी। यदि उपचार प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों से भिन्न राज्य के बाहर निजी चिकित्सालयों में कराया जाता है तो उपचार की दर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार होने की दशा में, उपचार की दर सी.जी.एच.एस. की दरों पर प्रतिपूर्णीय होगी परन्तु : (क) उपचारी चिकित्सक तात्कालिक /आपातकालिक दशा प्रमाणित करें। (ख) रोगी या उसके सम्बन्धी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को यथासंभव शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर सूचित कर दिया जायेगा। (ग) आपात स्थिति की दशा में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाला व्यय भी प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगा।

नियम 15 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्डों (क) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ 1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
15-(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी,	(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि

प्राक्कलित धनराशि के पचहत्तर प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।	के पंचानबे प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।
(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।	(ग-1) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय और असाध्य या आकस्मिक या अप्रत्याशित रोगों के उपचार से सम्बन्धित मामलों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों सहित प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों से सी.जी.एच. एस. दरों पर प्राक्कलित प्राप्ति के पचानबे प्रतिशत एक सप्ताह के भीतर चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जायेगा और सम्बन्धित कर्मचारी या पेंशनभोगी के बचत खाते में जमा किया जायेगा।
	(ग-2) उपचार के पूर्ण होने के दिनांक के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी तीन महीनों के भीतर अपने चिकित्सा अग्रिम की धनराशि को अनिवार्य रूप से समायोजित करवायेगा।
	(ग-3) कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए यथास्वीकृत अग्रिम के समायोजन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा पृथक् रूप से निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट-'क' का संशोधन

7. उक्त नियमावली में, परिशिष्ट-'क' में, शीर्षक में, विद्यमान शब्द ''स्वास्थ्य कार्ड'' के स्थान पर शब्द ''स्वास्थ्य पत्र'' रख दिये जायेंगे।

नई परिशिष्टियों का बढ़ाया जाना

7. उक्त नियमावली में, विद्यमान परिशिष्ट- 'घ' के पश्चात् निम्नलिखित नई परिशिष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

परिशिष्ट - 'ङ'

(नियम 3 (ग-2) देखिये)

आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगों की सूची नीचे दी गयी है, किन्तु यह पूर्ण नहीं है क्योंकि आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगी की दशा पर निर्भर करती है :-

(1) एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोम (कोरोनरी आरट्री बाइ-पास ग्राफ्ट/परक्यूटेनियस ट्रान्सल्यूमिनस कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी) मायोकार्डियल इन्फार्कशन, अनस्टेबल इन्जाइना, वेन्ट्रीक्यूलर, एरिदमियाँ, पी.ए.टी., कार्डियक टैम्पोनाड, एक्यूट लेफ्ट वेन्ट्रिक्यूलर फेल्योर (ए एल वी एफ), सिवीयर कन्जेस्टिव कार्डियक फेल्योर (एस.सी.सी.एफ.) एक्सलरेटेड हाइपरटेन्शन, कम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, स्टोक्स एडम अटैक, एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन।

(2) एक्यूट लिंब इस्चीमिया, रप्चर ऑफ एन्यूरिस्म मेडिकल तथा सर्जिकल शॉक, पेरिफेरल सरकुलेटरी फेल्योर।

(3) सेरिबोवैस्कुलर अटैक, स्ट्रोक, सडेन अन-कान्शसनेस, हेड इन्जरी, रेस्पीरेटरी फेल्योर, डिकम्सेटेड लंग डिसीस, सेरिब्रो मेनिन्जीयल इन्फेक्शन, कन्फेक्शन, कन्वलशन, एक्यूट पैरेलिसिस, एक्यूट विसुयल लॉस।

(4) एक्यूट एबडामिनल पेन।

(5) सभी प्रकार की दुर्घटनायें।

(6) हिमोरेज।

(7) एक्यूट प्वाइजनिंग।

(8) एक्यूट रीनल फेल्योर।

(9) एक्यूट ऑब्स्टेट्रिक ऐन्ड गाइनेकॉलाजिकल इमरजेन्सी।

(10) इलेक्ट्रिक शॉक।

(11) जीवन के लिए घातक कोई अन्य दशा।

परिशिष्ट - 'च'

(नियम 3 (ट-1) देखिये)

असाध्य रोगों की सूची नीचे दी गयी है :-

(1) समस्त प्रकार के कैंसर।

(2) समस्त प्रकार के ह्दय रोग।

(3) डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग।

(4) दीर्घकालीन यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण।

(5) यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी।

(6) अल्पकालिक अत्यन्त गंभीर यकृत रोग।

(7) घुटने और कूल्हे का बदलाव।

(8) प्रोस्टेट ग्लैण्ड सर्जरी।

(9) कार्निया प्रत्यारोपण।

आज्ञा से

(अरूण कुमार सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-21.3

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्याः12/ए-कैशलेस-2011 दिनांक : दिसम्बर 06/01/2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश।

विषयः- उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को मुफ्त इलाज एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में कराये जाने की सुविधा किये जाने के सम्बन्ध में।

सभी पुलिस कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद उ0प्र0-प्रथम पक्ष एवं एस0जी0 पी0जी0आई लखनऊ-द्विितीय पक्ष जो उ0प्र0 अधिनियम-30/1983 के अन्तर्गत अनुबन्ध किया गया है। उक्त अनुबन्ध के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके अश्रितों को मुफ्त उपचार किये जाने से सम्बन्धित जीवन रक्षक निधि से रू0-दो करोड़ की धनराशि एस0जी0पी0 जी0आई0 लखनऊ में इस शर्त के अनुसार जमा कराई गयी है कि प्रथम चरण में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, दुर्घटना में गम्भीर बीमारी में जैसे-हार्ट अटैक, टी0बी0 गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर, मस्तिक ट्यूमर, डेंगू मैनेनजाइटिस, दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने आदि से सुविधा प्रदान की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उक्त बीमारी से निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराये जाने से पूर्व जनपदों/इकाइयों से निम्नलिखित कार्यवाही आवश्यक होगीः-

(1) यह अनुबन्ध पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध जीवन रक्षक निधि के माध्यम से किया गया है तथा पुलिस सम्बन्धित लेखाशीर्षक से जिनका वेतन आहरित होता है, उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके अश्रितों को यह सुविधा प्राप्त होगी।

(2) जिन कर्मियों का इलाज होना है सर्व प्रथम जनपद/इकाई स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा पहचान पत्र तीन प्रति प्रमाणित फोटो, उसके घर का पता, फोन नं0। यदि आश्रित है तो उसका प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा तथा उसके अधिकारी का नाम व सी0यू0जी0 नम्बर कर्मी के प्रार्थना पत्र पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय कैम्प कार्यालय लखनऊ में नामित अधिकारी श्रीमती परवीन आजाद, विशेष कार्याधिकारी, कल्याण अथवा उनकी अनुपास्थिति में अपर-पुलिस अधीक्षक, कैम्प कार्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जनपदों/इकाईयों के राजपत्रित अधिकारी का नाम आदि अंकित करके उसका सत्यापन करते हुए एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ थाना

कार्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी(एस0आई0) के पास भेजकर उनके द्वारा रजिस्टर में उसका पूर्ण विवरण फोटो सहित अंकित करने के उपरान्त उपचार हेतु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ भेजा जायेगा।

(3) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा मरीज के वेतन, ग्रेड पे आदि को देखते हुए प्राधिकार पत्र निर्गत करेगा। इसमें मरीज प्राइवेट वार्ड, या समान्य वार्ड किसके लिए अर्ह है, को देखते हुए सुविधा प्रदान की जायेगी। जनरल वार्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में मरीज की जान बचाने हेतु प्राइवेट वार्ड उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार बिल में चार्ज कर लिया जायेगा।

(4) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा बीमारी से ग्रसित कर्मी को आवश्यक दवाईयाँ तथा शल्य चिकित्सा एवं आम उपयोग की वस्तु उपलब्ध करायेगा। जब किसी वस्तु की बाजार से व्यवस्था कराना आवश्यक होगा, ऐसी वस्तुओं का मूल्य बाहरी फर्म द्वारा वसूल की गयी वास्तुविक धनराशि के अनुसार वसूल किया जायेगा। किन्हीं कारणों से उपकरणों के चालू स्थिति में न होने अथवा बीमारी की जाँच हेतु कुछ उपकरणों के उपलब्ध न होने की स्थिति में बीमारी की जाँच बाहर से करायी जायेगी। इसके लिए बाहरी फर्मों द्वारा वास्तुविक रूप से दी गई धनराशि के अनुसार वसूल की जायेगी।

(5) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा भर्ती मरीजों को दवायें उपलब्ध करायेगा। यदि मरीज के संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0) से निकलने के बाद दवायें जारी रखा जाना आवश्यक होगा वह केवल दवाओं का पर्चा ही देगा। संस्थान मरीजों को भर्ती की सुविधा भर्ती के दौरान बेड की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेगा तथा बेड उपलब्ध न होने की स्थिति में मरीज को अन्यत्र रैफर कर दिया जायेगा।

3- अतः पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी जो राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं वे उक्त योजनान्तर्गत अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अधीनस्थों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे बीमारी से ग्रसित कर्मी उक्त संस्थान में अपना उपचार सुचारू रूप से करा सकें।

ह0/-

(डा0 सूर्य कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र0 लखनऊ।

2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ के थाने पर एक कम्प्यूटर जानकार जो एस0जी0पी0 जी0आई0 के बिलों की जानकारी कर सकें एवं एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाय, ताकि बीमारी से ग्रसित कर्मी को तत्परता से एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में भर्ती कराया जा सके।
3. विशेष कार्याधिकारी, कल्याण/अपर पुलिस अधीक्षक, कैम्प कार्यालय लखनऊ।
4. थाना प्रभारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
5. समस्त गोपनीय सहायक/अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

परिशिष्ट-21.4

उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित का संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/उ.प्र.ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा में कैशलेश उपचार का प्रारूप।

(1) पुलिस कर्मी/पेंशनर का नाम...

(2) रोगी का नाम(स्वयं/आश्रित)...

(3) पंजीकरण संस्था (अस्पताल द्वारा भरा जायेगा)..

(4) पुलिस कर्मी/पेंशनर से संबंध...

(5) पुलिस कर्मी/पेंशनर के आश्रित रोगी की जन्ततिथि........................

(6) बीमारी का विवरण...

(7) पद/सेवानिवृत्ति का पद...

(8) वर्तमान/सेवानिवृत्ति के जनपद/इकाई का नाम...

(9) वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे कोषागार का नाम/जनपद..

(10) पीएनओ/कोषागार इन्डेक्स नम्बर..
(कोषागार द्वारा निर्गत पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(11) मूलवेतन/पेंशन..

(12) बैंक का नाम शाखा सहित..

(13) बैंक का खाता संख्या..

(14) घर का स्थायी पता...

(15) अस्थाई पता...

(16) मोबाइल नम्बर...

(17) प्रमाणित किया जाता है कि..इस जनपद के कोषागार से वेतन/पेंशन प्राप्त करते हैं।

अधिकृत राजपत्रित अधिकारी,
कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम
सहित समुहर हस्ताक्षर
मोबाइल नम्बर-

<u>स्व-घोषणा-पत्र</u>

मैं.............................यह घोषणा करती/करती हूँ कि कैशलेश सुविधा के अन्तर्गत कराये गये उपचार में व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से स्वीकृत धनराशि अधिकृत अस्पताल, जिसमें उपचार कराया गया है, को दे दी जाय। स्वास्थ्य पत्रक (हेल्थ कार्ड) की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

पुलिस कर्मी/पेंशनर का हस्ताक्षर

नोटः- पुलिस कर्मी/पेंशनर यदि हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है तो उनके स्थान पर उनके आश्रित/परिजन द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

परिशिष्ट - 22

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान एवं उसके कार्य कलाप

वर्तमान में उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की वर्तमान प्रबन्ध समिति का गठन निम्नवत हैः-

1.	महामहिम श्री राज्यपाल	-	अध्यक्ष
2.	मु0 मुख्यमंत्री जी	-	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	-	स्थायी सदस्य पदेन
4.	प्रमुख सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन	-	स्थायी सदस्य पदेन
5.	जनरल आफिसर कमान्डिंग, यू.पी. एरिया बरेली	-	स्थायी सदस्य पदेन
6.	राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो विधान मण्डल के सदस्य		
	अ) डा0 धर्मपाल सिंह मा. सदस्य विधान सभा	-	सदस्य
	ब) श्री जुगुल किशोर, मा. सदस्य विधान परिषद	-	सदस्य
7.	राज्य सरकार द्वारा नामांकित तीन और गैर सरकारी सदस्य		
	क) मेजर जनरल चन्दर प्रकाश (से.नि.)	-	सदस्य
	ख) श्री सतीश चन्द्र जाटव	-	सदस्य
	ग) श्री नौशाद अली	-	सदस्य

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

कक्ष सं. 55 नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की स्थापना 10 सितम्बर, 1963 को मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष में जमा धन में से रू. 1.5 करोड़ की धनराशि से की गयी थी। यह धनराशि एक ट्रस्ट के रूप में विनियोजित है, जिसके Settlor मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश हैं।

1. उद्देश्य : संस्थान का उद्देश्य भारत-चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेषित इन्सरजेन्सी/आतंकवाद की घटनाओं/ आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में ''पवन'' आपरेशन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव/उन्मूलन अभियान/अपराधों एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी/विशेष पुलिस बल एवं अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों

एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, की भलाई के लिये योजनाएं संचालित करना है।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की प्रबंध समिति की दिनांक 13 नवम्बर 2009 को हुई बैठक में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य किसी अभियानों में सेवा के दौरान किसी कारण दुर्घटनावश हुई मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग घोषित(अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त) सैन्य बल/पुलिस पीएसी/विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों को सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय दिनांक 13 नवम्बर 2009 से लिया गया है। जिसका विवरण संक्षेप में निम्नवत् हैः-

क. ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटनावश मृत्यु (यथा-सीमा पर अभियान हेतु आने जाने के दौरान दुर्घटनावश गाड़ी पलट जाने/गाड़ी लड़ जाने अथवा किसी चीज से टकरा जाने पर, सांप काट लेने पर, हृदयगति रुक जाने के कारण, आंधी-तूफान से टेंट गिरने के कारण, नदी-नाला पार करते समय उसमें गिरने के कारण एवं आदि प्रकार की दुर्घटनाओं में।

ख. किसी अभियान के दौरान वायुयान/हेलीकाप्टर के क्रैश होने के कारण दुर्घटनावश हुई मृत्यु।

ग. अपराधी को पकड़कर गाड़ी से ले जाते समय किसी कारणवश दुर्घटनावश हुई मृत्यु।

2. प्रबन्ध समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि स्वीकृति/भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मृत्यु या स्थायी अपंगता अभियान के दौरान ड्यूटी का निर्वहन करते हुए हुई है।

3. संस्थान द्वारा उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों/पति/पत्नी/माता/पिता/बच्चे/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे तथा माँ-बाप के न होने की दशा में दादा-दादी/नाना-नानी, जो लाभभोगियों पर पूर्णतया आश्रित हो, को संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

4. संचालित योजनाएं-

1) उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित घटनाओं/परिस्थितियों में सैन्य बल पुलिस एवं पी.ए.सी. एवं अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के वीरगति अथवा स्थायी रूप से अपंगता के आधार पर सेवा निवृत्त होने की दशा में अनुग्रह अनुदान करना।

2) जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता।

3) लड़कियों के विवाह हेतु सहायता(जिनकी विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु हो)

4) विशेष चिकित्सा जैसे कैंसर हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।

5) लाभ भोगियों के बच्चों को वार्षिक शिक्षा सहायता।

5. संस्थान द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता की दरें निम्नवत हैं।

अनुग्रह अनुदानः

(अ) वीरगति को प्राप्त मामलों में	वर्तमान दर दि. 15.6.12 से 18.07.13 तक के मामलों में रु.	पुनरीक्षित दर दि. 19.7.13 से व उसके बाद के मामलों में रु.
1. कमीशण्ड आफिसर	4,00,000/-	6,00,000/-
2. जूनियर कमीशण्ड आफिसर	4,00,000/-	6,00,000/-
3. अन्य श्रेणी	4,00,000/-	6,00,000/-
(आ) स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में:		
1. कमीशण्ड आफीसर	1,75,000/-	3,00,000/-
2. जूनियर कमीशण्ड आफिसर	1,75,000/-	3,00,000/-
3. अन्य श्रेणी	1,75,000/-	3,00,000/-

नोटः- अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि रु.6,00,000/- में से रु.2,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को नकद भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा और रु 2,00,000/- शहीद कर्मी के माता/पिता को नकद भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा तथा शेष धनराशि रु.2,00,000 को फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता (पत्नी) के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा।

यदि शहीद कर्मी के माता/पिता जीवित नहीं हैं, तो धनराशि रु.4,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को नकद भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा तथा शेष धनराशि रु.2,00,000/- की फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता (पत्नी) के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा। यदि कर्मी अविवाहित है तो धनराशि रु.6,00,000/- का नकद भुगतान चेक द्वारा उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

दिनांक 19-07-2013 से व उसके बाद के मामलों में निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी। तद्‌सार संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाए।

(ब) जीवन निर्वाह हेतुः	दि. 1.1.04 को पुनरीक्षित दर रु0	दि.13.11.09 से पुनरीक्षित दर रु0
एक मुश्त एक बार हवलदार रैंक तक के मामलों में ही सहायता प्रदान की जाती है।	10,000/-	20,000/-

<u>नोटः-</u> यह सहायता केवल उन्हीं मामलों में प्रदान की जायेगी, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वास्तव में जीवन-यापन करना कठिन हो गया हो।

(स) लड़कियों की शादी हेतुः	दि.4.11.11 से पुनरीक्षित दर	दि0 19.07.13 से पुनरीक्षित दर
(शादी के समय आयु 18 वर्ष की हो) यह सहायता हवलदार रैंक तक के मामलों में हा प्रदान की जाती है।	रु.1,00,000/-	रु.1,50,000/-

नोटः- विवाह हेतु केवल वो ही प्रार्थना-पत्र भेजे जायें जिनमें विवाह की तिथि 13.11.09, या उसके पश्चात् की हो। इन मामलों में केवल 13.11.09 से लागू दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित मामलों में नकद रूप से भुगतान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों के रूप में किया जायेगा। प्रार्थी को तद्नुसार निर्धारित प्रार्थना-पत्र में अपना विकल्प अंकित करना होगा। यह सहायता हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक्स तक के मामलों में ही अनुमन्य है।

(द) विशेष चिकित्सा हेतुः

जैसेः- कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।

प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 28.7.99 से इस प्रतिबंध के साथ विशेष चिकित्सा अनुदान स्वीकृत किया गया है कि यह सहायता सेना के हवलदार रैंक तक तथा पुलिस एवं पीएसी के सम्बन्धित समतुल्य, रैंक्स तक के संस्थान के लाभ भोगियों एवं उनके आश्रितों को किसी सरकारी, सेना, अस्पताल, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं आर्मी कमाण्ड अस्पताल जिनमें भी मामला संदर्भित किया जाये, वहां के विशेषज्ञ चिकित्सक की संस्तुति पर अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

(प) वार्षिक शिक्षा अनुदान दिये जाने के नियम :-

1. इन नियमों को ''वार्षिक शिक्षा अनुदान'' कहा जायेगा। यह सामान्य शिक्षा और प्राविधिक, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण आदि के लिये पेज 1 के क्रमांक-1 में दर्शायी परिस्थितियों में मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग घोषित उक्त श्रेणी के सैन्य बल/पुलिस/पीएसी के हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक्स तक के मामलों में ही अनुमन्य है।

2. **परिभाषाएंः**

(1) आश्रितः-आश्रित से तात्पर्य उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों के बच्चे, भाई/बहन/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे (जो उनपर पूर्णतया आश्रित हो) सामान्य शिक्षा हेतु जिनकी आयु 22 वर्ष तक हो एवं प्राविधिक शिक्षा, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रम हेतु आयु अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिये।

(2) संस्थाः- संस्था से अभिप्राय भारतीय संघ के अन्तर्गत (औद्योगिक संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए) सामान्य शिक्षा प्राविधिक मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रम के लिये राज्य सरकार या केन्द्रीय शासित या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था से है।

(3) संस्था का प्रधानः-संस्था के प्रधान से अभिप्राय संस्था के प्रशासनिक प्रधान से है। उदाहरण के लिये उपकुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, निदेशक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, प्रधान अध्यापिका इसमें सम्मिलित होंगे।

3. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की विधिः-

वार्षिक शिक्षा अनुदान के लिए/प्रार्थना-पत्र मुफ्त में (बिना कोई भुगतान किये) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों/सैनिक अभिलेख अधिकारियों से प्राप्त किये जा सकते हैं। पुलिस एवं पीएसी के मामलों में प्रार्थना पत्र सम्बन्धित महानिदेशक के कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

4.(ए) वार्षिक शिक्षा अनुदान हेतु प्रार्थनाः- पत्र निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक संलग्नकों सहित, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के विधान भवन के नवीन-1 के कक्ष सं.55 में स्थित कार्यालय में 31 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष सैन्य बल के मामलों में जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी/संबंधित रिकार्ड्स आफिसेज की संस्तुति सहित पहुंच जाने चाहिये। पुलिस एवं पीएसी के मामलों में प्रार्थना पत्र संबंधित महानिदेशक के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित उपरोक्त तिथि तक पहुंच जाने चाहिये।

(बी) जहाँ शिक्षा सत्र विद्यार्थियों के आन्दोलन या अन्य किसी कारणवश देर से शुरू हो उन मामलों में सचिव, संस्थान प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर के पश्चात् भी शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। जिन मामलों में पोस्टल डिले अथवा अन्य किसी न्यायसंगत कारणवश प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत किये गये हों उन मामलों में भी सचिव निर्धारित तिथि में

शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

5. प्रार्थना-पत्र में सभी प्रविष्टियाँ साफ एवं सही ढंग से भरी जानी चाहिये। प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र समस्त भागों को प्रमाणित करके अपनी मोहर लगा देनी चाहिये। संबंधित सैन्य बल के बच्चों/आश्रितों की प्रविष्टियां उनके रिकार्ड्स आफिसेज/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके अपनी मोहर लगा देनी चाहिये।

6. वार्षिक शिक्षा सहायता अनुदान हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये नये प्रार्थना-पत्र प्रत्येक मामलों में प्रस्तुत किये जाने चाहिये, चाहे वह नया मामला हो अथवा नवीनीकरण का।

7. एक बार स्वीकृत की गई वार्षिक सहायता केवल उसी स्वीकृत वर्ष के लिये ही मान्य होगी।

8. वार्षिक शिक्षा सहायता हेतु अर्हताएंः- वार्षिक शिक्षा अनुदान केवल उन्हीं मामलों में प्रदान किया जायेगा, जिन्होंने कम से कम नीचे दिये गये प्रतिशतों के अन्तर्गत अपने अन्तिम वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किये होः-

(ए) सामान्य शिक्षाः-

1. हाई स्कूल की कक्षाओं तक	48%	अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।
2. इण्टरमीडिएट कक्षाओं यथा XI तथा XII	50%	तदैव
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे- बी.एस.सी./बी.ए./बी.काम./एम.ए./एम.काम. /एल.एल.बी./बी.एस.सी. (लिव)/एल.एल.एम. /बी.एस.सी. (ए.जी.)/ एम.एस. डब्ल्यू./ बी.एड./एम.एड./एल.टी.	50%	तदैव
4. पी.एच.डी. (शोधकार्य) एल.एल.डी. तथा एम.फिल.	60%	तदैव

(बी) प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षाः-

1. प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	50%	अंक अंतिम परीक्षा में होनी चाहिए।
2. डिप्लोमा	50%	तदैव
3. डिग्री पाठ्यक्रम	50%	तदैव

(सी) उन विद्यार्थियों को कोई सहायता नहीं प्रदान की जायेगी जो निजी संस्थाओं में चार्टर्ड एकाउटेंसी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि ले रहे हैं।

(डी) वार्षिक शिक्षा अनुदान उन मामलों में दिया जायेगा जिसमें रेगुलर वार्षिक परीक्षा नहीं हुई हो। इन मामलों में केवल अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति ही पर्यावरण होगी।

9. वार्षिक शिक्षा अनुदान की दरें-

समान्य शिक्षा दरें विभिन्न कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिये निम्नानुसार है-

	वार्षिक दर	
	29.08.14 से पुनरीक्षित दरें	18.5.2015 से से पुनरीक्षित दरें
1. 9 से 10 तक	2400/-	4800/-
2. 11 से 12 तक	3000/-	6000/-
3. बी.ए./बी.काम./बी.टी.सी./बी.एस.सी./ बी.एस.सी.(ए.जी.) /बी.एड./एल.एल.बी./बी.एस.सी. (लिव)/एल.टी./एम.ए. तथा एम.काम.	4200/-	8400/-
4. एम.एस.सी./एल.एल.एम./एम.एस.सी. (ए.जी.)/ एम.एस.डब्ल्यू./एम.एड. तथा एम.बी.ए.	4800/-	9600/-
5. पी.एच.डी. एल.एल.डी. तथा एम.फिल. (शोध कार्य) में दी जाने वाली आर्थिक सहायता (अब मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी)	30,000/-	60,000/-
6. कोचिंग के लिये (प्रतियोगात्मक परीक्षा/उच्च शिक्षा) (मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी।)		4000/-

10. प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षाः-

1. आई.टी.आई. सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम जहाँ पर	4800/-	9600/-
भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल से नीचे या बराबर हो।		
2. सार्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल के ऊपर या उसके समकक्ष हो।	6000/-	12000/-
3. डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे बी.बी.एम.सी./बी.डी.एच./	9000/-	30,000/-

बी.यू.एम.एस./बी.ए.एम.एस./एम.बी.बी.एस.		
4. बी.टेक.एम.टेक तथा एम.बी.बी.एस.	15000/-	30,000/-
5. कम्प्यूटर शिक्षा हेतु डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रिानिक(भारत सरकार) या किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 1 वर्ष अथवा उससे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रति प्रशिक्षार्थी को आर्थिक सहायता अनुमन्य	10000/-	20,000/-

11. शोधकार्य के लिये वाार्षिक शिक्षा अनुदान 60000/- वार्षिक की दर से भुगतान किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि लाभार्थी को कोई वार्षिक शिक्षा सहायता किसी अन्य स्त्रोत जैसे कि यू.जी.सी. से न मिलता हो। इस पाठ्यक्रम के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच करके प्रबन्ध समिति द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। इस संबंध में प्रबंध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

12. यदि विद्यार्थी को फीस में कोई छूट या आर्थिक सहायता/शिक्षा सहायता/स्कालरशिप के रूप में किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त हो रही हो तो संस्थान से वार्षिक शिक्षा अनुदान जिसका वह पात्र होगा, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि की सीमा तक कम करते हुए भुगतान किया जायेगा। वार्षिक शिक्षा अनुदान की स्वीकृति संबंधित छात्र के आचरण एवं प्रगति, संस्थान के प्रधान द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर ही निर्भर होगी।

13. वार्षिक शिक्षा अनुदान की भुगतानः- वार्षिक शिक्षा अनुदान का भुगतान संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस पी.ए.सी. के महानिदेशक को मुश्त चेक द्वारा किया जायेगा। जिसे वे चेक प्राप्ति के एक माह के अन्दर संबंधित मामले में भुगतान कर देंगे। इस संबंध में धनराशि प्राप्तकर्ता से स्टाम्पयुक्त रसीद की प्रति अभिलेख कार्यालय/महानिदेशक कार्यालय में ऑडिट हेतु रख ली जायेगी, परन्तु धनराशि के वास्तविक वितरण की प्राप्तकर्ता से स्टाम्प युक्त रसीद व उपभोग प्रमाण-पत्र भुगतान करने के पश्चात तुरन्त संस्थान के कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाना चाहिये।

14. अमान्यता (Inadmisssibility)

(ए) यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसे उच्च दर से देय वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जायेगा।

(बी) यदि संस्था का प्रधान यह अनुभव करता है कि विद्यार्थी को वार्षिक शिक्षा अनुदान उसे दुर्व्यवहार या अध्ययन के प्रति पूर्ण उदासीनता अथवा किसी अन्य कारणों के कारण नहीं

भुगतान किया जाना चाहिये तो उसे इस संबंध में तुरन्त संबंधित अभिलेख कार्यालय पुलिस/पी.ए.सी. महानिदेशक को सूचित करना चाहिये। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस व पी.ए.सी. महानिदेशक को भेजी गई वार्षिक शिक्षा अनुदान की धनराशि संस्थान के नाम चेक अनाकर तुरन्त वापस लौटा देंगे।

(सी) वार्षिक शिक्षा अनुदान को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता। यह केवल संस्थान के नियमों के अन्तर्गत ही देय है। वार्षिक शिक्षा अनुदान का मूल उद्देश्य लाभ भोगियों को शिक्षा प्राप्ति/प्रशिक्षण के प्रोत्साहन हेतु आय के स्त्रोतों को अनुपूरित करना है।

(डी) जिन लाभभोगियों के बच्चों को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा-शुल्क की छूट विषयक कोई कार्ड/प्रमाण-पत्र जारी करके शिक्षा-शुल्क, पुस्तक एवं हॉस्टल आदि व्यय की पूरी सहायता दी जाती है, उन्हें संस्थान से शैक्षिक सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार शिक्षा संबंधी सारे व्यय को पूरा करती है।

चेक लिस्ट

अ. अनुग्रह धनराशि हेतु आवेदन-पत्र के लियेः

क. मृत घोषित मामलों मेंः-

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन-पत्र
2. मृत घोषित किये जाने का डाक्टरी सर्टिफिकेट।
3. पार्ट-II आवेदन की प्रति सक्षम अधिकारी की संस्तुति हस्ताक्षर/मोहर सहित।
4. घटना का संक्षिप्त विवरण।

ख. स्थाई रूप से अपंग घोषित मामलों मेंः-

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन-पत्र।
2. स्थाई रूप से अपंग घोषित किये जाने का मेडिकल प्रमाण-पत्र।
3. पार्ट-II आदेश की प्रति का सक्षम अधिकारी की संस्तुति हस्ताक्षर/मोहर सहित।
4. संबंधित रिकार्ड आफिसर के द्वारा स्थायी रूप से अपंग घोषित किये जाने का प्रमाण-पत्र जिसमें अपंगता का प्रतिशत एवं संबंधित सैन्य बल कर्मी की सेवानिवृत्ति होने की तिथि अंकित हो।
5. घटना का संक्षिप्त विवरण।

ब. विवाह हेतु आवेदन-पत्र के लियेः-

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन-पत्र।
2. आश्रित जिसका विवाह होना है, का जन्म प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा।
3. विवाह की संभावित तिथि।
4. अन्य स्त्रोतों से इस संबंध में प्राप्त सहायता का विवरण स्वयं द्वारा यदि कोई मिला हो।

**<u>स.	जीवन निर्वाह हेतु आवेदन-पत्र के लियेः-</u>**

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन-पत्र।

2. संस्थान तथा अन्य स्त्रोतों से अब तक प्राप्त की गयी सहायता का वर्षवार विवरण।

3. आश्रितों की संख्या, आयु सहित।

द.	विशेष चिकित्सा हेतु आवेदन-पत्र के लियेः-

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन-पत्र।

2. लाभ भोगी/आश्रित जिसकी चिकित्सा होनी है, का प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेख अधिकारी की संस्तुति हस्ताक्षर/मोहर सहित(जिसमें अन्य स्त्रोतों से इस संबंध में प्राप्त सहायता का विवरण यदि कोई मिला हो, का भी उल्लेख किया जाये)।

3. पार्ट-II आदेश की प्रमाणित प्रति।

4. विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा बीमारी व चिकित्सा पर होने वाले अनुमानित व्यय का आकलन प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)

**प.	वार्षिक शिक्षा अनुदानः-**

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन-पत्र।

2. विद्यार्थी का जन्म प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा।

3. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंक-पत्र की प्रमाणित प्रति।

4. शिक्षा संस्था की प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट संलग्न की जाये।

नोटः-	आवेदन पत्र मुख्यालय मुख्य कमान/महानिदेशक पुलिस/महानिदेशक, पीएसी जैसी स्थिति हो के माध्यम से प्रस्तुत किये जाये।

<u>परिशिष्ट - 22.1</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

(1) <u>अनुग्रह अनुदान/जीवन निर्वाह हेतु प्रार्थन-पत्र</u>

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम (स्पष्ट शब्दों में)..
2. आयु..
3. पूरा पता..
4. बच्चों/आश्रितों की संख्या (पुरुष, महिला और उनकी आयु सहित).......................
5. प्रार्थी/प्रार्थिनी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध..
6. कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम......................................
7. कैज्युअल्टी का दिनांक..

   (अ) कैज्युअल्टी की प्रकृति (मृत्यु/अपगता)

   (ब) अपंगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र सहित)

   (स) कैज्युअल्टी का स्थान-
8. संरक्षक का नाम..

   (अ) व्यवसाय/धन्धे का विवरणः-...

   (ब) मासिक आय...
9. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा कोई मिलिट्री/सिविल पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दें:-.....................
10. क्या प्रार्थी/प्रार्थिनी किसी शिल्प (क्राफ्ट) में प्रशिक्षण प्राप्त करने का/की इच्छुक है?
11. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी को इससे पूर्व भी संस्थान द्वारा अनुग्रह अनुदान हेतु धनराशि स्वीकृत की गई हो तो उसका पूर्ण उल्लेख करें(प्राप्ति का वर्ष दिनांक सहित)..........................
12. कितनी धनराशि की आवश्यकता हैः-...

दिनांक......................... प्रार्थी/प्रार्थिनी का हस्ताक्षर

13. आर्थिक सहायता हेतु सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक की संस्तुति

    (जितनी धनराशि इस मामले में वे देना उचित समझें उसका उल्लेख करें)

सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी
महानिदेशक के हस्ताक्षर मुहर सहित

नोटः- प्रार्थना-पत्र केवल सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक के माध्यम से ही उनकी संस्तुति एवं कालम 1 से 12 तक की प्रविष्टियों की पुष्टि सहित भेजे जायें अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट - 22.2

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

(2) लड़कियों के विवाह हेतु निर्धारित प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम (स्पष्ट शब्दों में)...
2. आयु...
3. पूरा पता..
4. बच्चों/आश्रितों की संख्या (पुरुष, महिला और उनकी आयु सहित).......................
5. प्रार्थी/प्रार्थिनी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध...
6. कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम.....................................
7. कैज्युअल्टी का दिनांक..
   (अ) कैज्युअल्टी की प्रकृति ....
   (ब) मासिक आय..
   (स) कैज्युअल्टी का स्थान-...
8. संरक्षक का नाम...
   (अ) व्यवसाय/धन्धे का विवरणः-..
   (ब) मासिक आय..
9. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा कोई मिलिट्री/सिविल पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका पूर्ण विवरण देंः-..
10. जिस लड़की की शादी की जानी है, उसका नाम..
11. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की प्रति अवश्य संलग्न करें...
12. विवाह की तिथि...
13. क्या प्रार्थिनी को उसकी उक्त लड़की के शादी हेतु उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा कोई सहायता माँगी/स्वीकृत की गई है, यदि हाँ तो उसका उल्लेख करें.........................
14. कितनी धनराशि की आवश्यकता है...
15. क्या संस्थान द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत का भुगतान सामग्री के

रूप में अथवा बचत प्रमाण-पत्रों के रूप में लेना चाहेंगे/चाहेंगी?

अपना विकल्प दें.................................

दिनांक..

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर
सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस
पीएसी महानिदेशक के हस्ताक्षर मुहर सहित

नोटः- जो पत्र उपरोक्त विवरण सहित प्राप्त नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस, पीएसी महानिदेश के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित विवाह की तिथि से कम से कम एक या दो माह पूर्व भेजे जायें ताकि वांछित धनराशि का भुगतान प्रार्थी/प्रार्थिनी की विवाह के पूर्व किया जा सके।

परिशिष्ट - 22.3

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्डफोर्सेज सहायता संस्थान

(3) वार्षिक शिक्षा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)..
2. पिता का नाम..
3. जन्म तिथि..
4. कक्षा एवं वर्ग तथा संस्था का नाम (जिसमें अध्ययनरत हैं).................................
5. पाठ्यक्रम का नाम, वर्ष जिसमें पढ़ रहा है तथा पाठ्यक्रम की अवधि......................
..................................(केवल प्राविधिक छात्रों के लिए)
6. गत परीक्षा पास करने का वर्ष एवं उसमें प्राप्तांक का प्रतिशत................................
7. संरक्षक (यदि पिता न हो) का नाम, व्यवसाय एवं विद्यार्थी से सम्बन्ध......................
8. विवरणः-
   - (अ) कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम............................
   - (ब) कैज्युअल्टी की प्रकृति (मृत्यु/स्थाई अपंगता) (प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें).....................
   - (स) कैज्युअल्टी का स्थान, वर्ष सहित..
9. पिता/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से आय, पेंशन से आय को सम्मिलित करते हुये यदि कोई हो..
10. संरक्षक का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (गाँव, तहसील, नगर तथा जिल सहित) ....
11. शिक्षा सहायता हेतु वांछित धनराशि...
12. विद्यार्थी द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले सहायता का विवरण...........................
13. संस्थान द्वारा पूर्व में इस मामले में भुगतान की गई शिक्षा सहायता का विवरण वर्ष व दिनांक सहित, यदि कोई हो..................................
14. क्या इस मामले में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा शिक्षा-शुल्क की छूट विषयक कोई कार्ड/प्रमाण-पत्र जारी किया गया है?..........................
15. शैक्षिक संस्थान की प्रमाणित प्रगति विवरण की प्रति संलग्न की जाय। प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर जो सूचना दी गई, वह सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक..........................

अभिभावक/विद्यार्थी के हस्ताक्षर

(यदि वह आठवीं कक्षा के ऊपर हो)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनायें संस्था के अभिलेखानुसार सही तथा विद्यार्थी का आचरण उत्तम है। मैं इन्हें सहायता हेतु संस्तुति करता हूँ।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर/मुहर

16. जिला सैनिक पुनर्वास अधिकारी/महानिदेशक की संस्तुति.................................

17. प्रमाणित किया जाता है कि कालम ८ व ९ में अंकित सूचना सही है।

अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

<u>परिशिष्ट - 23</u>

प्रेषक,

श्री नेत राम,

सचिव,

<u>उत्तर प्रदेश शासन।</u>

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 19, जून, 2000

विषयः वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1315/26-2-89/609/78, दिनांकः 31 मार्च 1990 द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997-99) के ग्यारहवें प्रतिवेदन द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों में पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ-3 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र.स.	पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1.	रु. 3049 तक	150/-
2.	रु. 3050 से 5999 तक	200/-
3.	रु. 6000 से अधिक	250/-

2- उक्त के अतिरिक्त शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के विद्यालय/मूक तथा बधिर विद्यालय तथा अन्य विद्यालयों के शारीरिक रुप से अक्षम कोटि के ऐसे प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों/अध्यापिकाओं जिन्हें शासनादेश संख्याः 1316/26-2-89-609/78, के अधीन वाहन भत्ता अनुमन्य है, के मामले में नियमानुसार वाहन भत्ता निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की भी राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र.सं.	पदनाम	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	250/-
2	अध्यापक/अध्यापिका	200/-

3- उक्तानुसार वाहन भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्यभार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग अपने-अपने आय-व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाई में तद्नुसार व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

4- उक्त वाहन भत्ते को अलग से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता नाम से जाना जायेगा।

5- उक्तानुसार वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याःसा(4)-379/दस-2000, दिनांकः 9-6-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(नेत राम)
सचिव।

संख्याः916(1)/65-1-2000 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा(प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्री राज्यपाल के सचिव।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।

7- ब्यूरो ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग।

8- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त व्यय-नियंत्रक अनुभाग-3, वित्त सामान्य अनुभाग-4 एवं वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग (दो प्रतियों में)

9- सार्वजनिक उद्यम विभाग।

10- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु

11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(आर0 के0 सिंह)

विशेष सचिव।

<u>परिशिष्ट - 23.1</u>

संख्याः 137/65-1-2008-380/96

प्रेषक,

बी0एम0मीना,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः12, मई, 2008

विषयः उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 916/65-1-2000, दिनांकः 19 जून 2000 द्वारा शारीरिक रुप से अक्षम(विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ-3 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	रु. 3049 तक	300/-
2	रु. 3050 से 5999 तक	400/-
3	रु. 6000 से अधिक	500/-

2- उक्त के अतिरिक्त शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों/अध्यापिकाओं को उक्त शासनादेश संख्याः 916/65-1-2000, दिनांक 19 जून 2000 के अन्तर्गत अनुमन्य वाहन भत्ता को निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

क्र0 सं0	पदनाम	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	500/-
2	अध्यापक/अध्यापिका	400/-

3- उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्यभार बढ़ेगा, उस सम्बन्धित विभाग अपने-अपने आय- व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक/ प्राथमिक इकाई में तद्नुसार व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

4- उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते को पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याःसा(2)517/दस-2008, दिनांकः 08-05-2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(बी0एम0मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 137/65-1-2008-30/96 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा(प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्री राज्यपाल के सचिव।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।

7- ब्यूरो ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग।

8- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-3, वित्त सामान्य अनुभाग-4 एवं वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग (दो प्रतियों में)।

9- सार्वजनिक उद्यम विभाग।

10- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अवधेश कुमार पाण्डेय)
अनु0 सचिव।

परिशिष्ट - 23.2

संख्या- 1326/65-1-2014-380/96

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विकलांग जन विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2014

विषय : उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या-137/65-1-2008-380/96 दिनांक 12 मई,2008 द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों के अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते का नाम दिया था। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय राजकीय विभागों के विकलांग कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ-4 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ते को पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र.सं.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मई, 2008में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्य करायी गयी दरें (रुपये प्रतिमाह)	दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की संशोधित दरें (रुपये प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	रू0 1800 तक	300.00	450.00
2	रू0 1900 से 2800 तक	400.00	600.00
3	रू0 4200 एवं अधिक	500.00	750.00

2- उक्त के अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय,मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों/अध्यापिकाओं को उक्त शासनादेश संख्या-137/65/1-2008-380/96दिनांक 12 मई, 2008 के अन्तर्गत अनुमन्य वाहन भत्ता को भी निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र.सं.	पदनाम	मई, 2008में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्य करायी गयी दरें (रुपये प्रतिमाह)	दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की संशोधित दरें (रुपये प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका	500.00	750.00
2	अध्यापक/अध्यापिका	400.00	600.00

3- उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग अपने-अपने आय व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक/ प्रमाणिक इकाई में तदनुसार व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1291सा(2)/दस-2014 दिनांक 13 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-

(अनिल कुमार सागर)

सचिव।

संख्या-1326(1)/65-1-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- श्री राज्यपाल के सचिव।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

5- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- व्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज विभाग।

8- वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 एवं वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग (दो प्रतियों में)।

9- सार्वजनिक उद्यम विभाग।

10- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(सुनील कुमार)

उपसचिव।

परिशिष्ट - 24

संख्या-जी-2-1985/दस-2008-339/2008

प्रेषक,

बी0एन0दीक्षित,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 दिनांक 11-दिसम्बर, 2008

विषयः स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिको के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-वे0आ0-2-1313/दस-2008, दिनांकः08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

1. वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0 ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षक/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(23)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रुपये में)

क्र0 सं0	दिनांकः 01.01.96से प्रभावी वेतनमान	दिनांक : 01.01.2006 से लागू वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
	2550.55.2660.60.3200	4440.7440	1300	210
	2610.60.3150.65.3540	4440.7440	1400	
	2650.65.3300.70.4000	4440.7440	1650	
	2750.70.3800.75.4400	5200.20200	1800	
	3050.75.3950.80.4590	5200.20200	1900	
	3200.85.4900	5200.20200	2000	
	4000.100.6000	5200.20200	2400	
	4250.100.5150.125.6400	5200.20200	2800	250
	4500.125.7000	5200.20200	2800	
	4500.125.7250	5200.20200	2800	
	5000.150.8000	9300.34800	4200	400
	5500.175.9000	9300.34800	4200	
	6500.200.10500	9300.34800	4200	
	7450.225.11500	9300.34800	4600	450
	7500.250.12000	9300.34800	4800	500
	8000.275.13500	15600.39100	5400	550
	8550.275.14600	15600.39100	5400	
	1000.325.15200	15600.39100	6600	650
	10650.325.15850	15600.39100	6600	
	12000.375.16500	15600.39100	7600	750
	14300.400.18300	37400.67000	8700	800
	16400.450.20000	37400.67000	8900	900
	18400.500.22400	37400.67000	10000	1000

2. उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः4601/16-11-79-9-153-99, दिनांकः23 फरवरी, 1980 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तथा संशोधित समझे जायेंगे। सम्बन्धित शासनादेशों की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

ह0/-

(बी0एन0दीक्षित)

सचिव।

परिशिष्ट - 24.1

संख्या-वे0आ0-3148/दस-46(एम)/82

प्रेषक,

श्री सत्य प्रकाश गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः अक्टूबर 16, 1982

विषयः- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे0आ0-700/दस-46(एम)/1982 दिनांक 18 फरवरी, 1982 के संदर्भ में कतिपय स्त्रोतों से यह जानकारी चाही गई है कि यदि किसी कर्मचारी ने नये वेतनमान के लिये विकल्प उस तिथि के बाद से चुना है जिस तिथि से उसे स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप एक वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन स्वीकृत किया गया है, तो उसे वैयक्तिक वेतन पुराने वेतनमान में या नए वेतनमान में अनुमन्य वेतन-वृद्धि की दर से मिलेगा। इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने नये वेतनमान के लिये विकल्प उस तिथि से अथवा इसके पूर्व की तिथि से चुन लिया है, जिस तिथि से उसे प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन स्वीकार किया गया है तो उस वैयक्तिक वेतन नए वेतनमान में अनुमन्य वेतन वृद्धि के आधार पर भुगतान किया जायेगा, किन्तु उन मामलों में जिनमें सम्बन्धित कर्मचारी ने नए वेतनमान के लिये विकल्प उस तिथि के बाद की तिथि में चुना है जिस तिथि से उसे प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन स्वीकृत किया गया है, तो उसे स्वीकृत वैयक्तिक वेतन पुराने वेतनमान में अनुमन्य वेतनवृद्धि के आधार पर ही अनुमन्य रहेगा और उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय में यह भी स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग(1979-80) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार

उच्चतर वेतनमानों में कुल परिलब्धियों की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसमें स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप स्वीकृत वैयक्तिक वेतन की धनराशि को भी सम्मिलित माना जायेगा या नहीं। इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप स्वीकृत वैयक्तिक वेतन की धनराशि को कुल परिलब्धियों की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और वह सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी सेवा-निवृत्ति की तिथि तक अलग से मिलती रहेगी।

भवदीय,
ह0/-
(सत्य प्रकाश गुप्ता),
संयुक्त सचिव।

संख्या-वे0आ0-3148(1)/दस-46(एम)/82
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 1, 2 और 3, इलाहाबाद/लखनऊ।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह0/-
रमाशंकर मेहरोत्रा,
विशेष कार्याधिकारी।

पी0एस0यू0पी-ए0पी0-149 सा0 (वित्त) 9-11-82 (2510) 1982-10,000 (हि0)।

<u>परिशिष्ट - 24.2</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
<u>संख्याः12-58-78, दिनांकः मई 11, 1982</u>

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।
2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।

विषयः स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

पुलिस मुख्यालय परिपत्र संख्याः12-58-78, दिनांकः 11-4-80 के क्रम में शासनादेश संख्याःवे0आ0-700/दस-46 (एम)-1982, दिनांकः 18 फरवरी, 1982 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/-
(बी0एल0श्रीवास्तव)
अधीक्षक,
निमित्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/भवन एवं कल्याण/सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ''क्यू'' तथा ''ई'' के गोपनीय सहायक।
2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, अधिकारी अभियन्ता, वित्त एवं लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय।
3- पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय, पुलिस मुख्यालय।
4- पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग एवं विभाग-1, तथा 22 लखनऊ।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट - 24.3

संख्या-वे0आ0-700/दस-46(एम)-1982

प्रेषक,

श्री सत्य प्रकाश गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश। लखनऊः दिनांकः 18 फरवरी, 1982

विषयः- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त पर चिकित्सा अनुभाग-11 द्वारा प्रसारित शासनादेश संख्या-प0क0-4601/16-11-79-9-155-99, दिनांक 23 फरवरी, 1980 में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की, जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, कतिपय शर्तो के अधीन प्रोत्साहन के रूप में एक वेतन-वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से स्वीकृत की गई थी, जिसका लाभ उन्हें भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिले रहने का भी निर्णय उल्लिखित था। तत्पश्चात् द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुउ वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1979 से लागू किये गये हैं, जिनमें वेतन वृद्धि की दरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इस संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि ऐसे दरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इस संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने नये वेतनमानों को चुनने का विकल्प प्रस्तुत किया है, उक्त शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 1980 में उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत वैयक्तिक वेतन अब उनके द्वारा चुने गये वेतनमान में अनुमन्य वेतन-वृद्धि की धनराशि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/-
(सत्य प्रकाश गुप्ता),
संयुक्त सचिव।

संख्या-वे0आ0-700(1)/दस-46(एम)-1982, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 1, 2, 3 इलाहाबाद/लखनऊ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह0/-
रमा शंकर मेहरोत्रा,
विशेष कार्याधिकारी।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 256 सा0 (वित्त) 21-2-82 (3855) 1982-10,000 (हि0)।

परिशिष्ट - 24.4

संख्या-प0क0 460/16-11-79-9-155-79

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त सचिव,

उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 1980

विषयः- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव कुछ समय से शासन के विचाराधीन था। विचारोपरांत राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे सरकारी कर्मचारी जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे का आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम 9 (23 जी) के अन्तर्गत उसकी अगला देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का मौलिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जाय, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा। उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके है, उन्हें भी अन्तिम बार दी गई वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जायेगा जो पूरे सेवा काल तक मिलता रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से लागू समझे जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो या जो ऐसी

कार्यवाहियों को उपेक्षानुसार निलम्बित किया गया हो, जिसे वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति दी गई हो।

2- उत्तर प्रदेश सेवक परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपलब्ध नियमावली 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, उन्हें उक्त सुविधा देय न होगी।

3- इस संबंध में जो व्यय होगा वह उसी लेखाशीर्षक के नाम डाला जायेगा, जिससे संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी उसका वेतन ग्रहण करता है।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 जी-2-217/दस-30, दिनांक 21 फरवारी 1980 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
अशोक कुमार
उप सचिव।

संख्या-प0क0 4601(1)/16-11-79-9/155/79, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(3) श्री राज्यपाल के सचिव।

(4) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।

(5) सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग), नई दिल्ली।

(6) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/-
अशोक कुमार
उप सचिव।

<u>परिशिष्ट - 24.5</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्याः12-58-78, दिनांकः जनवरी 27, 1982

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।

2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।

विषयः परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

पुलिस मुख्यालय परिपत्र संख्याः12-58-78, दिनांकः 4-6-81 के क्रम में शासनादेश संख्या 3/1/1981-कार्मिक-1, दिनांक 1-12-81 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

ह0/-

(बी0एल0 श्रीवास्तव)

अधीक्षक,

निमित्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, हाउसिंग तथा वेलफेयर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय ''क्यू'' तथा ''ई'' के गोपनीय सहायक।

2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय।

3- पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय।

4- पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग। विभाग-1 एवं 22 लखनऊ।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट - 24.6

संख्याः3/1/1981-कार्मिक-1

प्रेषक,

श्री मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव,
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांकः 1 दिसम्बर, 1981

विषयः- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्याः3/1/1981-कार्मिक-1, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह आदेश जारी किये गये थे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले राज्याधीन कर्मचारियों (औद्रयोगिक एवं गैर औद्रयोगिक) जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य (राज्य सरकारी के अधीन कार्यरत) भी सम्मिलित हैं को कतिपय उल्लिखित शर्तो के अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2- इस दिशा में और अधिक प्रेरणा दिये जाने तथा उपर्युक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित वर्तमान आदेशों को और उदार बनाये जाने के प्रश्न पर प्रदेश शासन द्वारा विचार किया गया और सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित आदेशों में निम्नलिखित आशोधन किए जायः-

1- जो सरकारी कर्मचारी पहली बार वैसेकटोमी आपरेशन कराते हैं, उनके मामलें में विशेष आकस्मिक अवकाश की गणना केवल कार्य दिवस (Working days) के

संदर्भ में की जाय। विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना करते समय इय अवधि के बीच पड़ने वाले रविवारों तथा राजपत्रिक अवकाशों को ध्यान में नहीं रखना चाहिये।

2- जो महिला सरकारी कर्मचारी पहला आपरेशन विफल हो जाने के कारण दूसरी बार ट्यूवकटोमी आपरेशन कराती है, उनके मामलें में निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि पहला आपरेशन विफल होने के कारण दूसरा आपरेशन किया गया था, अधिक से अधिक 14 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश पुनः स्वीकृत किया जाय।

3- जिन महिला सरकारी कर्मचारियों ने अन्तरागर्भाशय गर्भ निरोधक (आई0पी0डी0) युक्ति पुनः अपनाई है, उन्हें अन्तरा-गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति के पुनः प्रस्थापन के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

4- वैसेकटोमी/ट्यूबटोमी आपरेशन के बाद उत्पन्न समस्याओं के मामलें में जहाँ अस्पताल में रहना आवश्यक नहीं है, वहाँ विशेष आकस्मिक अवकाश क्रमशः 7/14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं दी जानी चाहिये, क्योंकि ऐसे मामलों में विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि असीमित नहीं हो सकती है।

5- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन नसबन्दी/नस को पुनः जुड़वाने से सम्बन्धित विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले तथा बाद में जोड़ दिया जाए। परन्तु विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अथवा आकस्मिक दोनों ही प्रकार के अवकाशों से पहले जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश से पहले अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले जोड़ा जाना चाहिये न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ। इसी प्रकार विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश अथवा नियमित अवकाश के बाद जोड़ा जाना चाहिये न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ। बीच में पड़ने वाले अवकाशों और/अथवा रविवारों को नियमित अवकाशों से पहले/बाद में, जैसी भी स्थिति हो, जोड़ दिया जाना चाहिये।

3- ये संशोधित अनुदेश न केवल उन मामलों में लागू होंगे जहाँ आपरेशन उक्त अनुदेशों के जारी होने के बाद किया गया हो बल्कि उन मामलों पर भी लाू होंगे जो उक्त अनुदेशों के जारी किए जाने की तिथि को नियमन के लिए विचार किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0/-

मोहन चन्द्र जोशी,

सचिव।

संख्याः3/1/1981(1)-कार्मिक-1, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के सचिव।

(3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(5) मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

ह0/-

मोहन चन्द्र जोशी,

सचिव।

परिशिष्ट - 24.7

संख्याःसा-4-1632/दस-85-604-82

प्रेषक,

जे0पी0सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं,

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 9 अक्टूबर, 1985

विषयः- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड (परिचय-पत्र) धारक सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-628/दस-604/82 दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के अधीन सरकारी को राज्य सरकार के अधीन 15 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की अनवरत सेवा पूर्ण कर चुकने के उपरान्त संपूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार अवकाश यात्रा सुविधा ग्राह्य है। प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से दो बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन कराने वाले लाभार्थियों को ग्रीनकार्ड दिए जाने की एक विस्तृत योजना चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-3258/16-11-85-6(70)/85, दिनांक 5 जुलाई, 1985 के अन्तर्गत तैयार की गयी है।

2- राज्यपाल महोदय ने चिकित्सा अनुभाग-11 द्वारा निर्गत किए उपरोक्त शासनादेश के संदर्भ में यह आदेश प्रदान किये हैं कि चिकित्सा विभाग की उपरोक्त योजना के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड (परिचय-पत्र) धारकों को उनके संपूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। ग्रीन कार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति प्रथम बार उक्त सुविधा सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही अतिरिक्त सुविधा वह प्रथम सुविधा के 4 वर्ष पश्चात किसी भी समय सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं।

3- ग्रीन कार्ड धारकों को अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु अन्य वे समस्त शर्ते/उपलब्ध यथावत् लागू होंगी जो हक उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 1 अप्रैल, 1982 एवं तत्पश्चात समय-समय पर निर्गत किए गये शासनादेशें में निर्धारित की गयी है।

भवदीय,

ह0/-

जे0पी0 सिंह,

सचिव।

संख्याःसा-4-1632(1)/दस-85-604-82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।

(2) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

(3) प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(5) चिकित्सा अनुभाग-11 को उनके शासनादेश संख्या-3258/16-11-85-6(70)-85 दिनांक 5 जुलाई, 1995 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

ह0/-

मोहन चन्द्र जोशी,

सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 126 सा0 वित्त-17-10-85-(2289)-1985-12;000 (प्रो)।

परिशिष्ट - 24.8

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्याः12-58-78, दिनांकः दिसम्बर 3, 1985

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।

2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।

विषयः स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त परिवहन दिया जाना स्पष्टीकरण।

चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश संख्याः5329/16-11-85-9 (155)/79, दिनांक 24-10-85 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

ह0/-

(के0पी0शुक्ला)

पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय,

निमित्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशासन), पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/पुलिस उप महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण/ पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय प्रथम एवं द्वितीय के गोपनीय सहायक।

2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, वित्त एवं लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय।

3- पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय।

4- पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग-1 एवं 22 लखनऊ।

प्रेम/18/22

परिशिष्ट - 24.9

संख्याः5329/16-11-85-9(155)/7

प्रेषक,

श्री ललित श्रीवास्तव,
विशेष सचिव, एवं
परिवार कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- शासन के समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 1985

विषयः- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाना-स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4601/16-11-79-9(155)/79, दिनांक 23-2-80 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा दो बच्चों तक अपना परिवार सीमित रखने वाले सरकारी सेवकों को कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम 9(23)(वी) के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सुविधा दिए जाने का अन्तर्निहित उद्देश्य यह है कि स्वीकृति सरकारी सेवक परिवार नियोजन की विधियों को अपनाते हुए अपना परिवार दो बच्चों तक सीमित रख। ऐसे सरकारी सेवक, जिनके तीसरे बच्चे का जन्म हो गया है और सम्बन्धित सरकारी सेवक के बच्चों की संख्या तीन हो गई है, को प्रश्नगत प्रोत्साहन अनुमन्य नहीं है। अतः ऐसे सरकारी सेवक, जिसे उक्त शासनादेश अन्तर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन

स्वीकृत किया जा चुका है उनके तीसरे बच्चे का जन्म हो पाने पर तीसरे बच्चे के जन्म की तिथि से प्रश्नगत प्रोत्साहन अनुमन्य न रहेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-प0क0-802/16-11-81-9(192)/80 दिनांक 4-4-81 द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र को संशोधित करते हुये पुनरीक्षित घोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है जिसके निष्पादित किये जाने के पश्चात् ही अतिरिक्त प्रोत्साहन की उक्त सुविधा दी जाय।

भवदीय,
ह0/-
(ललित श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्याः5329/16-11-85-9(155)/79

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) श्री राज्यपाल के सचिव।
(4) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(5) सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
(6) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(10) निबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(11) निबंधक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

<u>**घोषणा-पत्र**</u>

(40 वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले सरकारी सेवकों के लिए)

मैं श्री/श्रीमती..घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी वर्तमान आयु.................. वर्ष.....................माह है। इस समय मेरे एक/दो बच्चे हैं और इसके पूर्व मेरे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मेरी पत्नी/मेरे पति जीवित हैं। मैंने अपना अथवा अपनी पत्नी/अपने पति का नसबंदी आपरेशन दिनांक.......................... को करा लिया है। नसबंदी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। यदि इस घोषणा के बाद मेरे किसी कारणवश कोई पुत्र/पुत्री होता है तो उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को सूचित करूँगा।

मेरी पत्नी/मेरे पति, जो सरकारी सेवक है, को प्रश्नगत सुविधा नहीं मिल रही है।

दिनांक हस्ताक्षर---

पदनाम---

विभाग/कार्यालय का नाम---

<u>घोषणा-पत्र</u>

(40 वर्ष से अधिक आयु वाले उन सरकारी सेवकों के लिए जिन्होंने नसबन्दी आपरेशन नहीं कराया हो)

मैं श्री/श्रीमती..घोषणा करता/करती हूँ कि इस समय आयु 40 वर्ष से अधिक अर्थात्..........................वर्ष......................माह है। इस समय मेरे एक/दो बच्चे हैं तथा बच्चे/दूसरे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक अर्थात्.................वर्ष माह है और इसके पूर्व मेरे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मेरी पत्नी/मेरे पति जीवित हैं। मेरी पत्नी/मेरे पति, जो सरकारी सेवक है, को प्रश्नगत सुविधा नहीं मिल रही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र के दिनांक के पश्चात् यदि मेरे कोई पुत्र/पुत्री होगा/होगी तो उसका विवरण मैं अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर-------------------------------

पदनाम--------------------------------

विभाग/कार्यालय का नाम----------------------------------

<u>घोषणा-पत्र</u>

(40 वर्ष से अधिक आयु वाले उन सरकारी सेवकों के लिए जिन्होंने नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो)

मैं श्री/श्रीमती.. घोषणा करता/करती हूँ कि इस समय आयु 40 वर्ष से अधिक अर्थात्.......................... वर्ष माह है। मेरी पत्नी/मेरे पति जीवित हैं इस मैंने एक/दो बच्चे/दूसरे बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम अर्थात्...............वर्ष................माह है और इसके पूर्व मेरे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने अपनी पत्नी/अपने पति का नसबंदी आपरेशन दिनांक................को करा लिया है। नसबंदी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। यदि इस घोषणा पत्र के बाद मेरे किसी कारणवश कोई पुत्र/पुत्री होता है तो उसकी सूचना उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को सूचित करूँगा। मेरे पति/पत्नी, जो सरकारी सेवक है, को प्रश्नगत सुविधा नहीं मिल रही है।

दिनांक

हस्ताक्षर-------------------------------

पदनाम--------------------------------

विभाग/कार्यालय का नाम---------------------------------

प्रेम/23/11

<u>परिशिष्ट - 25</u>

<u>संख्याः-2826/छः-पु-1-11-151/09</u>

प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ : 20 अक्टूबर, 2011

विषय : उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय विभिन्न प्रकार के भत्तों में वृद्धि/अन्य विसंगतियों का निवारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3/क-विविध-2010, दिनांकः 05-05-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय विभिन्न प्रकार के भत्तों में निम्नानुसार वृद्धि/ संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1.पी.ए.सी. एलाउन्स

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य पीएसी भत्ता (प्रतिमाह) रुपयो में	संशोधित पी.ए.सी. भत्ता (प्रतिमाह) रुपयो में
1.	सेनानायक	400	1600
2.	उपसेनानायक/अपरपुलिस अधीक्षक	150	600

3.	सहायक सेनानायक/स्टाफ आफिसर	150	600
4.	शिविरपाल	150	600
5.	दलनायक	100	400
6.	सूबेदार मेजर	60	250
7.	सूबेदार शिविरपाल	60	250
8.	प्लाटून कमाण्डर	50	200
9.	मुख्य आरक्षी	30	150
10.	नायक	40	200
11.	लान्स नायक	30	150
12.	आरक्षी एवं समकक्ष	20	100

2. पोष्टिक आहार भत्ता

क.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता	संशोधित पौष्टिक आहार भत्ता
1.	अपर पुलिस अधीक्षक से उपनिरीक्षक एवं लिपिकीय संवर्ग	550	600
2.	हेडकांस्टेबल/कांस्टेबल	700	750
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	600	650

3. नक्सल क्षेत्र भत्ता

क.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में)	संशोधित भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	उपसेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक	-	4,500
2.	सहायक सेनानायक/पुलिस अधीक्षक	2500	3750

3.	निरीक्षक/उपनिरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर	2000	3000
4.	मुख्य आरक्षी	1000	1500
5.	आरक्षी/आरक्षी चालक	1000	1500
6.	चतुर्थ श्रेणी	800	1200

4. एस.टी.एफ./ए.टी.एस.

क्र.सं.	पदनाम	अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में) प्रतिमाह	संशोधित प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	अपर पुलिस महानिदेशक	-	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
2.	पुलिस महानिरीक्षक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 4500	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
3.	पुलिस उपमहानिरीक्षक	तदैव	वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.7500
4.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	तदैव	वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.7500
5.	अपर पुलिस अधीक्षक	तदैव	वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.7500
6.	पुलिस उपाधीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.7500
7.	निरीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500

8.	उप निरीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.6500
9.	एस.आई.एम.	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.6500
10.	ए.एस.आई.एम.	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.6500
11.	हेड कांस्टेबल (रेडियो)	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.6500
12.	सहायक आपरेटर (रेडियो)	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.6500
13.	हेड कांस्टेबल	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
14.	कांस्टेबल	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
15.	दफ्तरी	तदैव	मूल वेतन का15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500

5. विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.)

क्र.सं.	पदनाम	अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता प्रमिताह	संशोधन विशेष भत्ता प्रतिमाह
1.	अपर पुलिस महानिदेशक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत	मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर परन्त अधिकतम रु. 6,500
2.	पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक	तदैव	तदैव
3.	पुलिस अधीक्षक	तदैव	तदैव
4.	पुलिस उपाधीक्षक	मूल वेतन का 25 प्रतिशत	तदैव
5.	अभियोजन अधिकारी	तदैव	तदैव
6.	सहायक अभियोजन अधिकारी	तदैव	तदैव
7.	निरीक्षक	तदैव	तदैव
8.	उपनिरीक्षक	तदैव	तदैव
9.	एस0आई0(एम)	तदैव	तदैव
10.	ए0एस0आई0(एम)	तदैव	तदैव
11.	कान्स0	तदैव	तदैव
12.	फालोवर	तदैव	तदैव

(6) (i) अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी0 बी0 सी0 आई0 डी0), (ii) भ्रष्टाचार निवारण संगठन (iii) आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग (iv) सतर्कता अधिष्ठान, (v) अभिसूचना विभाग, (vi) सुरक्षा शाखा, (vii) विशेष जाँच शाखाः

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में देय विशेष वेतन (प्रतिमाह)	वर्तमान में देय विशेष सेवा भत्ता प्रतिमाह	अनुमन्य विशेष वेतन/विशेष सेवा भत्ता का योग (प्रतिमाह)	संशोधित विशेष वेतन
1.	पुलिस अधीक्षक	800	-	800	विशेष वेतन एवं विशेष सेवा भत्ता के रूप में अनुमन्य कुल धनराशि के 04 गुना के बराबर विशेष वेतन के नाम से अनुमन्य किया जाता है।
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	500	-	500	
3.	पुलिस अधीक्षक	200	200	400	
4.	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	200	200	400	
5.	अभियोजन अधिकारी	200	200	400	
6.	निरीक्षक नागरिक पुलिस	150	170	320	
7.	उपनिरीक्षक	120	150	270	
8.	निरीक्षक (एम0) गोपन निवंधक	150	170	320	
9.	निरीक्षक (एम0) गोपनीय सहायक	150	170	320	
10.	एस0आई0(एम0) प्रधान लिपिक/व0लि0	120	150	270	
11.	एस0आई0(एम0) स्टेनो	120	150	270	
12.	एस0आई0(एम0) फोटोग्राफर/वीडियोमैन	120	150	270	
13.	एस0आई0(एम0)	30	50	80	
14.	हे0कान्स0ना0पु0	30	50	80	
15.	हे0कान्स0एमटी0	30	50	80	
16.	आरक्षी ना0पु0/स0पु	30	40	70	
17.	आरक्षी चालक	30	40	70	

7. वर्दी अनुरक्षण भत्ता

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी अनुरक्षण भत्ता (रुपयों में)	संशोधित वर्दी अनुरक्षण भत्ता (रुपया में)
1	प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारी	120	300
2	पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी	30	150

8. वर्दी भत्ता

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता (रुपयो में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रुपया में)
1	पुलिस बल के कार्मिक	भर्ती के समय रु. 1500/- एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रु. 1500/-	भर्ती के समय रु. 6000/- एवं प्रत्येक05 वर्ष पर रु. 6,000/-

9. वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता

क.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष (रुपयों में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रुपया में)
1	पुलिस बल के समस्त हेड कांस्टेबल/समतुल्य पद एवं कांस्टेबल/समतुल्य पद	1200/-	भर्ती के समय रु. 4,800/एवं प्रतिवर्ष रु. 1,800/-

10. चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी भत्ता एवं नवीनीकरण भत्ता

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष (रुपयों में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रुपया में)
1	पुलिस बल के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रथम बार रु. 1,000/ तथा प्रतिवर्ष रु. 800/	प्रथम बार रु. 4,000/ एवं प्रतिवर्ष रु. 1200/

11. आरक्षी चालक

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य चालन भत्ता प्रतिवर्ष (रुपयों में)	संशोधित चालन भत्ता प्रतिमाह (रुपया में)
1	आरक्षी चालक	30	300

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 के लेखा शीर्षक '2055-पुलिस आयोजनेत्तर' के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षकों के अधीन सुसंगत मद के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-608/दस-2011, दिनांक 20-10-2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है

ह0/-
भवदीय,
(लीना जौहरी)
सचिव।

संख्याः 2826/छः-पु-1-11-151/09 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. अपर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 (तीन प्रतियों में)/वित्त सामान्य अनुभाग- (तीन प्रतियों में)
4. गृह (पुलिस) अनुभाग-7
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/-
(सुशील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

परिशिष्ट - 25.1

संख्या-2790/6-पु0-7-2011-88/2011

प्रेषक,

जवाहर लाल,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2011

विषयः छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ को आर0ए0एफ0 की तर्ज पर गठित दंगानिरोधी विशिष्ट बल ''रैपिड रिस्पांस फोर्स'' के लिये वर्दी तथा दंगानिरोधी उपकरणों की आवश्यकता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-दो-43-2011, दिनांक 09 जून, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ को आर0ए0एफ0 की भांति गठित दंगानिरोधी विशिष्ट बल ''रैपिड रिस्पांड फोर्स'' के लिये संलग्न तालिका में उल्लिखित वर्दी वस्तुओं के क्रय हेतु रु. 36,61,000/- (रुपये छत्तीस लाख इकसठ हजार मात्र) तथा दंगानिरोधी उपकरणों के क्रय हेतु रु. 99,52,200/- (रुपये निन्यानबे लाख बावन हजार दो सौ मात्र) कुल रु. 1,36,13,200/- (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख तेरह हजार दो सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निम्न शर्तो के अधीन निर्णय लिया गया हैः

(1) वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों/निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय

कि उक्त वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री के क्रय से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन वर्दी वस्तुओं/उपकरणें/सामग्री की आपूर्ति भारत सरकार अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री का प्रोफार्मा इन्वायस प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। क्रय किये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में क्रेता इकाई/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
ह0/-
(जवाहर लाल)
उप सचिव।

संख्या- 2790(1)/6-पु0-7-2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 एवं उत्तरांचल राज्य, इलाहाबाद।
2- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित पुलिस/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इन्दिरा भवन इलाहाबाद।
6- वित्त (ब्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2
7- वित्त(आय-ब्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल हेतु/समायोजन समीक्षा अधिकारी

भवदीय,
ह0/-
(जवाहर लाल)

परिशिष्ट - 25.2

संख्याः 19/2016/2757/6-पु-1-16-151/09

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

विषयः- प्रदेश पुलिस के समस्त अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान में दिये जा रहे पौष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः 12/ए-210-2013, दिनांक 12-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा तात्कालिक प्रभाव से प्रवेश पुलिस के समस्त अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान में दिये जा रहे पौष्टिक आहार भत्ते में रु0 100/- (रुपये सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्षक '2055-पुलिस आयोजेनेत्तर' के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षकों के अधीन सुसंगत मद के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः जी-1-404/दस-2016, दिनांक 28-10-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव।

संख्याः 19/2016/2757(1)6-पु-1-16-151/09 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेख प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 (तीन प्रतियों में)।
4. वित्त सामान्य अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।
5. गृह (पुलिस) अनुभाग-7।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(के0एल0वर्मा)
उप सचिव।

परिशिष्ट - 25.3

संख्याः 1160/6-पु-1-15-151/09

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः27 मई, 2015

विषयः- एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0 में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या डीजी-चार-103(27)-2013, दिनांक 13-03-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से एस0टी0एफ/ए0टी0एस0 में नियक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश संख्याः 2826/छः-पु-1-11-151/09, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के प्रस्तर-1(4) द्वारा देय प्रोत्साहन भत्ते में निम्नानुसार वृद्धि/संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

4-एस0टी0एफ/ए0टी0एस0

क्र.सं.	पदनाम	अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रुपये में)	संशोधित प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रुपये में)
1.	अपर पुलिस महानिदेशक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु0 7500/-	मूल वेतन का 30 प्रतिशत अधिकतम रु0 12.500/-
2.	पुलिस महानिरीक्षक	तदैव	तदैव
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक	तदैव	तदैव
4.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	तदैव	तदैव
5.	अपर पुलिस अधीक्षक	तदैव	तदैव

6.	पुलिस उपाधीक्षक	तदैव	तदैव
7.	निरीक्षक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु0 6500	तदैव
8.	उप निरीक्षक	तदैव	तदैव
9.	एस0आई0(एम)	तदैव	तदैव
10.	ए0एस0आई0(एम)	तदैव	तदैव
11.	हेड कान्स्टेबल (रेडियो)	तदैव	तदैव
12.	सहा0 आपरेटर (रेडियो)	तदैव	तदैव
13.	हेड कान्स्टेबल	तदैव	तदैव
14.	कान्स्टेबल	तदैव	तदैव
15.	दफ्तरी	तदैव	तदैव
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तदैव	तदैव

2- उक्त शासनादेश संख्याः 2826/छः-पु-1-11-151/09, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 में निहित अन्य आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे।

3- उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः जी-1-291/दस-2015, दिनाँक 26-05-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्याः /6-पु-1-15-151/09 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 (तीन प्रतियों में)।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।
5. गृह (पुलिस अनुभाग-7।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(बच्चू लाल)
अनु सचिव।

<u>परिशिष्ट - 25.4</u>

<u>संख्याः 13/2016/1450/पु-1-16-151/2003 टीसी-।</u>

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,

सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 08 अगस्त, 2016

विषयः- उ0प्र0 पुलिस विभाग के समस्त अराजपत्रित कर्मियों (निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं उनके समतुल्य पद तथा उ0प्र0 पुलिस बल में कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों) को अनुमन्य वर्दी भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या दो-40(वर्दी भत्ता)-2016 दिनांक 18.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 पुलिस विभाग के समस्त अराजपत्रित कर्मियों (निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी एवं उनके समतुल्य पद तथा उ0प्र0 पुलिस बल में कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों) को अनुमन्य वर्दी भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों के वर्दी भत्तों/वर्दी प्रतिपूर्ति भत्तों तथा वर्दी अनुरक्षण (धुलाई) भत्तों में निम्नवत् 25 प्रतिशत की वृद्धि निम्नलिखित सारणी में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

वर्दी भत्ता

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता (रुपयों में)	प्रस्तावित सशोधित वर्दी भत्ता (रुपयों में)
1-	पुलिस बल के कार्मिक, (निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहा0उपनिरीक्षक)	भर्ती के समय रू0. 6,000/- एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रू0 6000/-	भर्ती के समय रू0 7,500/- एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रू0 7,500/-
वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता			
2-	पुलिस बल के समस्त हेड कांस्टेबल/समतुल्य पद।	भर्ती के समय प्रथम बार रू0 4,800/- एवं प्रतिवर्ष 1800/-	भर्ती के समय प्रथमबार रू0 6,000/- एवं प्रतिवर्ष रू0 2250/-
3-	पुलिस बल के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।	भर्ती के समय प्रथमबार रू0 4,000/- एवं प्रतिवर्ष रू0 1200/-	भर्ती के समय प्रथमबार रू0 5,000/- एवं प्रतिवर्ष रू0 1500/-
वर्दी अनुरक्षण (धुलाई) भत्ता			
4-	पुलिस बल के अराजपत्रिक पुलिस कर्मी (निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहा0उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल/ कांस्टेबल, समतुल्य पद।	150/-प्रतिमाह	188/- प्रतिमाह
5-	पुलिस बल के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	125/-प्रतिमाह	156/- प्रतिमाह

3- इस सम्बन्ध में आने वाला व्यय अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्षक-2055-पुलिस आयोजनेत्तर, लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं (फायर सर्विस) एवं लेखाशीर्षक-2051-सचिवालय-सामाजिक सेवायें (विशेष जाँच) के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षकों के अधीन सुसंगत मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः G1-223/दस-2016 दिनांकः 25.07.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5- उपरोक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)

सचिव।

संख्याः 13/2016/1450(1)/6-पु-1-16-151/2009 टीसी-।, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/ऑडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 (तीन प्रतियों में)।
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।
6. गृह (पुलिस अनुभाग-7।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अनुराग पटेल)
विशेष सचिव

<u>परिशिष्ट - 25.5</u>

संख्या-553/15-34/14/2004-सी0एक्स0-4

प्रेषक,

कमल सक्सेना,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

गृह (गोपन) अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

विषय : मा0 श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के साथ सम्बद्ध सुरक्षा कर्मियों के ड्रेस कोड भत्ते की दरों को संशोधित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-65/2015/वे0आ0-2-1218(ए)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0 दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के साथ सम्बद्ध सुरक्षा कर्मियों को शासनादेश संख्या-34/14/2004-सी0एक्स0-4 दिनांक 7 फरवरी, 2008 द्वारा स्वीकृत रू 5000/- (पांच हजार मात्र) प्रतिवर्ष सुरक्षा कर्मी ड्रेस कोड भत्ते के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उन्हें रू 10000/-(दस हजार मात्र) प्रतिवर्ष प्रति सुरक्षा कर्मी की दर से ड्रेस कोड भत्ता स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-1671/दस-15 दिनांक 11.12.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कमल सक्सेना)

सचिव।

संख्या-553(1)/15-34/14/2004-सी0एक्स0-4

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
7. कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0, सचिवालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरि राम)

अनु सचिव।

परिशिष्ट - 26

संख्या 1142 पी/छः-पु-6/09-500(56)/98

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार

संयुक्त संचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस अनुभाग-6 लखनऊःदिनांकःजुलाई 02,2009

विषय- पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक के साथ मिलने वाले आर्थिक भत्तों की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युत विषयक शासन के पत्र संख्या जी0आई-15/पी/छः-पु-6-500(56)/98 दिनांक 4.9.2000 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/04/08-पीएमए दिनांक 8 सितम्बर, 2008 की संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त परिपत्र में भारत सरकार द्वारा संस्तुत पुलिस के राजपत्रित व अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 8 सितम्बर,2008 से निम्नांकित बढ़ी हुई दरों पर पदक भत्ते का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैः-

(1)	वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रु. 1500/-प्रतिमाह
(2)	वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रु. 1500/-प्रतिमाह
(3)	वीरता के लिये पुलिस पदक	रु. 900/-प्रतिमाह
(4)	वीरता के लिये पुलिस पदक	रु. 900/-प्रतिमाह

2- इस मद से संबंधित व्यय लेखाशीर्षक ''2055-पुलिस-आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस (मुख्य)-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या जी-1-472/इस 2009 दिनांक 2.7.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-

(राजेन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद

2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

3- गृह (पुलिस) अनुभाग-1/7

4- गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2

5- निदेशक पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

7- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

8- गार्ड बुक।

परिशिष्ट - 26.1

संख्या 1933 पी/छः-पु-6-13-200(56)/98

प्रेषक,

अमृत अभिजात,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ दिनांकः 22 मई, 2014

विषयः पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक के साथ मिलने वाले आर्थिक भत्तों की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1142 पी/छः-पु-6-09-500(56)/98, दिनांक 2 जुलाई, 2009 व पत्र संख्या 1442 पी/छः-पु-6-11-500(56)/98,दिनांक 8 अगस्त,2011 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/09/2011-पीएमए, दिनांक 13 मई, 2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त परिपत्र में भारत सरकार द्वारा संस्तुत पुलिस के राजपत्रित व अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 13 मई, 2013 से निम्नांकित बढ़ी हुई दरों पर पदक भत्ते का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	पदक का नाम	वर्तमान दर पर पदक भत्ता	संशोधित दर पर पदक भत्ता
1	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रू0 1500/- प्रतिमाह	रू03000/-प्रतिमाह
2	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रू0 1500/- प्रतिमाह	रू03000/-प्रतिमाह

3	वीरता के लिए पुलिस पदक	रू0 900/- प्रतिमाह	रू02000/-प्रतिमाह
4	वीरता के लिए पुलिस पदक	रू0 900/- प्रतिमाह	रू02000/-प्रतिमाह

2- इस मद से सम्बन्धित व्यय पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन/भत्तों आदि से संबंधित लेखाशीर्षक के मानक मद 06-अन्य भत्ते से वहन किया जाएगा तथा सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मियों के संबंध में व्यय, अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01 सिविल-101-अधिवर्षता और सेवानिवृत्त भत्ते-03-अधिवर्षता और सेवानिवृत्त भत्ते-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या जी-1-166/दस/2014, दिनांक 27-03-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या 1993 (1)/छ-पु-6-13-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
3- गृह (पुलिस) अनुभाग-1/7
4- गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
7- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
8- प्रबन्धक, यू0पी0 भवन कोषागार, नई दिल्ली।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(आर0पी0सिंह)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - 27

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

संख्याः12/ए-पुलिस सैलरी पैकेज-2016 दिनांकः नवम्बर 22.2016

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उ0प्र0 पुलिस कर्मियों को पी.एस.पी.(पुलिस सैलरी पैकेज) की सुविधा।

उपर्युक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 18.11.2016 को अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच उ0प्र0 पुलिस कर्मियों हेतु 03 वर्ष के लिए एक एम0ओ0यू0 (छायाप्रति संलग्न) किया गया है।

2- उक्त एम0ओ0यू0 के तहत जिन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का पी.एस.पी.(पुलिस सैलरी पैकेज) खाता तथा वेतन का आहरण/वितरण भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से होगा, उन्हें कई सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के बैंक द्वारा प्रदान की जायेंगी। इन सुविधाओं में कतिपय मुख्य सुविधाएं निम्नवत हैः-

- 03 लाख से 10 लाख तक निःशुल्क एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा।
- दो माह के वेतन के बराबर ओवर ड्रा की सुविधा।
- निःशुल्क चेक बुक की सुविधा।
- निःशुल्क इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा।
- निःशुल्क आर0टी0जी0एस0 की सुविधा।
- निःशुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट, लाइफ टाइम यूनिक एकाउण्ट नम्बर, ए0टी0एम, लाकर, डीमेट एकाउण्ट आदि।

  (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण संलग्न एम0ओ0यू0 के संलग्नक-4 में उपलब्ध है।)

3- पी.एस.पी. (पुलिस सैलरी पैकेज) की सुविधा लेने हेतु प्रक्रिया निम्नवत् हैः-

अ. उ0प्र0 पुलिस के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का पूर्व से सैलरी एकाउण्ट भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में है, उन्हें पी.एस.पी. (पुलिस सैलरी पैकेज) की सुविधा लेने

हेतु एम0ओ0यू0 के साथ संलग्न प्रोफार्मा (संलग्नक-1) भरना पड़ेगा। सम्बन्धित जनपद/इकाई के आहरण/वितरण अधिकारी समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिसमें पुलिस कर्मी का नाम, पदनाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, कुल वेतन अंकित कर एम0ओ0यू0 के संलग्नक-1 के प्रोफार्मा के साथ सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में उपलब्ध करायेंगे। जिस पर उक्त सैलरी एकाउण्ट पी.एस.सी. (पुलिस सैलरी पैकेज) एकाउण्ट में बदल जायेगा।

ब. जिन पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का सैलरी एकाउण्ट भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में नहीं है। उन्हें पी.एस.पी.(पुलिस सैलरी पैकेज) का लाभ प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम आहरण वितरण अधिकारी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में नया खाता खुलवायेंगे। खाता खुलने के बाद नाम, पदनाम, खाता संख्या, शाखा का नाम तथा कुल वेतन अंकित कर एम.ओ.यू. के संलग्नक-1 के प्रोफार्मा के साथ सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में उपलब्ध कराने पर उक्त सैलरी एकाउण्ट पी.एस.पी.(पुलिस सैलरी पैकेज) एकाउण्ट में बदल दिया जायेगा।

4- अतएव उपरोक्त सुविधाओं का जनपद/इकाई स्तर पर मासिक सम्मेलन तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार-प्रसार करायें तथा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान कराने हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही कराकर प्रगति की आख्या प्रतिमाह पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उपरोक्त से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सम्बन्धित बैंक शाखा, पुलिस महानिरीक्षक, भ0/क0(सीयूजी नं-9454400156) एवं विशेष कार्याधिकारी, कल्याण(सीयूजी नं- 9454401995), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से सम्पर्क कर सकते हैं। एम0ओ0यू0 को पुलिस की बेवसाइट में डाला गया है, जिसे बेवसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

संलग्नकः एम0ओ0यू0/प्रोफार्मा की प्रतियां।

ह0/-
(बी0पी0 जोगदण्ड)
अपर पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, पुलिस विभाग उ0प्र0।
2. आहरण वितरण अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-13, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-बीस को गार्ड फाइल हेतु (पांच प्रतियों में)।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5. समस्त सी0ए0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

परिशिष्ट - 27.1

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्याः12/ए-पुलिस सैलरी पैकेज-2016 दिनांक : दिसम्बर 07, 2016

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उ0प्र0 पुलिस कर्मियों का पी.एस.पी.(पुलिस सैलरी पैकेज) की सुविधा।

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.11.2016 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, उ0प्र0 लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा हुए एम0ओ0यू0 के आधार पर पुलिस कर्मियों को पी.एस.पी.(पुलिस सैलरी पैकेज) की सुविधा प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2- अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रारूप में कतिपय संशोधन कर दिया गया है।

3- अतएव निदेशानुसार उ0प्र0 पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पी.एस.पी.(पुलिस सैलरी पैकेज) की सुविधा प्रदान करने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, पदनाम, पीएनओ नम्बर, संख्या, शाखा का नाम, कुल वेतन, नामिनी का नाम अंकित कर जिन कर्मियों के खाते भारतीय स्टेट बैंक में पूर्व से हैं तथा जिन कर्मियों के खाते भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाये जाने हैं, की अलग-अलग सूची दो प्रतियों में निम्नांकित प्रारूप में तैयार कराकर हार्ड एवं साफ्ट कापी (सी.डी.में) अविलम्ब पुलिस मुख्यालय भिजवाने का कष्ट करेंः-

क्र0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पीएनओ नम्बर	बैंक शाखा का नाम एवं आई0एफ0 एस0सी0 कोड	कुल वेतन	नामिनी का नाम

ह0/-

(ऋचा सिंह)

विशेष कार्याधिकारी,कल्याण/नोडल अधिकारी,

नि0 पुलिस महानिरीक्षक, भ0/क0,

उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय कैम्प कार्यालय, लखनऊ।
3. श्रीमती अनामिका सिंह, चीफ मैनेजर, नेटवर्क-1, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्थानीय मुख्य कार्यालय, लखनऊ।

परिशिष्ट - 28

सेवानिवृत्त/सेवा के दौरान मृत पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के आश्रित के पक्ष में अवशेष देयों/सहायता से सम्बन्धित चेक लिस्ट।

क्रमांक	अवशेष देयों/सहायता का विवरण	किस स्तर से कार्यवाही होनी है।
1-	पारिवारिक पेंशन	पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
2-	अवशेष वेतन का भुगतान	जनपद/इकाई
3-	उपार्जित अवकाश का भुगतान	जनपद/इकाई
4-	जी0पी0एफ0 धन का भुगतान	जनपद/पुलिस मुख्यालय
5-	जी0पी0एफ0 से सम्बद्ध बीमा का भुगतान	जनपद/पुलिस मुख्यालय
6-	सामूहिक बीमा धन का भुगतान	जनपद/इकाई
7-	असाधारण पेंशन/उपादान	पुलिस मुख्यालय
8-	अनुग्रह धनराशि	पुलिस मुख्यालय/शासन
9-	अनुकम्पा कोष से आर्थिक सहायता	पुलिस मुख्यालय
10-	पुलिस वेलफेयर फण्ड से सहायता	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
11-	उ0प्र0 पुलिस आर्म्ड फोर्सेज/सहायता	शासन संस्थान से सहायता
12-	पुलिस बेनीफिट फण्ड से भुगतान	जनपद/पुलिस मुख्यालय
13-	पुलिस पर्सनल दुर्घटना बीमा का भुगतान	पुलिस मुख्यालय
14-	मृतक आश्रित को सेवायोजित किया जाना	पुलिस मुख्यालय

मद सं0 1 से 6 तक सामान्य सेवानिवृत्ति कर्मचारियों हेतु इसके अतिरिक्त मद संख्या 7 से 14 तक सेवा के दौरान जिन अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होती है, उनके लाभार्थ/देयक।

परिशिष्ट - 29

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद

संख्या : 18/ए-1 (124)-2013 दिनांक : 24-11-2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस विभाग में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रियों के सेवायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश।

अवबत कराना है कि विभिन्न शासनादेशों द्वारा वर्ष 2015 में सरकार द्वारा कतिपय नियमावलियाँ प्रख्यापित की गई है जिनमें यह अंकित किया गया है कि पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो किसी पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थना-पत्र देते है, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जाएगी। इसी क्रम में शासन के पत्र दिनांक : 18.09.2015 द्वारा पुलिस विभाग में मृतक आश्रित भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गये हैं। अतः पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या : 18/ए-1(124)-2013, दिनांक : 22.05.2014 को अतिक्रमित करते हुये अब मृतक आश्रितों के पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर सेवायोजन की कार्यवाही इस पत्र में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में विशेष अपील संख्या : 1069/2014 उ0प्र0 शासन व अन्य बनाम राजसूर्य प्रताप सिंह तथा विशेष अपील संख्या : 356/2012, शिव कुमार दुबे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 18/ए-मू0आ0सेवा0 (निर्देश)-2014 दिनांक 24-09-2015 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

शासनादेश संख्या : 2030/6-पु0-1-15-213/2015, दिनांक : 18.09.2015 में उ0प्र0 पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए है :-

1. पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रूप में सेवायोजन केवल उन्हीं पदों पर किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में पुलिस विभाग की सम्बन्धित नियमावली में इसका प्राविधान होगा।
2. मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रूप में किसी भी पद पर सेवायोजन हेतु किसी अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, शारीरिक दक्षता के मानक, अन्य योग्यताएं व अर्हताएं वही होंगी जो सम्बन्धित नियमावली के अनुसार उस पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी के लिये

आवश्यक होगी किन्तु इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या : 1203/6-पु0 - 10-2000-1200 (8)/98, दिनांक : 01 मई, 2000 के अन्तर्गत शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम् लम्बाई में प्रदान की गयी 02 सेण्टीमीटर की छूट पूर्व की भाँति लागू रहेगी।

3. यदि मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु किसी पद पर आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, उस पद के लिये मृतक आश्रित श्रेणी के निर्धारित पदों से अधिक हो, तो अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जायेगी एवं इस पद के लिये अंतिम चयन सूची उस पद के लिये मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु निर्धारित पदों की संख्या के अनुसार, इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, श्रेष्ठताक्रम के अनुसार बनाई जायेगी।

4. किसी भी अभ्यर्थी का मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप मे किसी पद पर सेवायोजन किये जाने से पूर्व उस पद हेतु यथावश्यक शारीरिक दक्षता परीक्षा, अन्य योग्यताओं की परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन, भर्ती बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

5. किसी भी पद पर मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में भर्ती हेतु किसी भी अभ्यर्थी को नियमानुसार एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा, अगर वह इस हेतु प्रदान किये गये अवसर में किसी भी कारण से, उस पद के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे अन्य किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु ऑफर प्रदान किया जायेगा और यदि वह 03 माह के अन्दर किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि वह पुलिस विभाग में मृतक आश्रित के रूप में किसी भी पद पर सेवायोजन पाने का इच्छुक नहीं है।

6. उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त, शासन द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शेष सभी निर्देश, पूर्व की भाँति लागू रहेंगे।

7. मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन के संबंध में उपरोक्त के अन्तर्गत विस्तृत आदेश, जिसमें इस हेतु कराई जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल होगी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-7 के क्रम में पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के सेवायोजन हेतु निम्न विस्तृत आदेश निर्गत किए जा रहे हैं :-

1. पुलिस विभाग के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

(1) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस

(i) सामान्य प्रक्रिया

पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित

के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद अथवा इकाई, जहाँ पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित जनपद अथवा इकाई द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी। चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर सेवायोजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसका प्रकरण संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सूचनाओं सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ पर समस्त प्रकरण सभी जनपदों/इकाईयों के संकलित किए जाएंगे एवं इसकी संकलित सूची तैयार की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवानियमावली में उल्लिखित उपनिरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप मे उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(iii) लिखित परीक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में

इस पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या से अधिक है तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ट प्रकार की होगी एवं इस परीक्षा में कोई अर्हकारी अंक नहीं होंगे एवं इस परीक्षा को केवल अभ्यर्थियों का श्रेष्ठता कम निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाएगा जिसके आधार पर उनका अन्तिम रूप से चयन किया जा सके। यह परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता/तार्किक परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इस परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम के अनुसार एक सूची (Merit List) बनायी जाएगी। यदि इस श्रेष्ठता सूची में दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो उस दशा में उनकी वरीयता निर्धारित करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

(1) अगर अभ्यर्थी के पास इस पद की सेवा नियमावली के अन्तर्गत कोई अधिमानी अर्हता हो तो नियमावली में अधिमानी अर्हता के दिये गये क्रम के अनुसार।

(2) अगर उसके बाद भी श्रेष्ठता समान हो तो अधिक आयु के अनुसार।

(3) अगर उसके बाद भी श्रेष्ठता समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के क्रम के अनुसार।

(iv) चयन सूची

बोर्ड द्वारा इस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती की जाने वाले पदों की रिक्तियों के सापेक्ष, इस श्रेष्ठता सूची में से श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार, अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित की जाएगी जो इनकी नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0

पी0ए0सी0 के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते है उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित पी0ए0सी0 बटालियन के द्वारा, जहाँ पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एचं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हो किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में

शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भाँति लागू रहेगी। संबंधित पी0ए0सी0 वाहिनी द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कराकर समस्त अभिलेख पी0ए0सी0 मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। पी0ए0सी0 मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

भर्ती बोर्ड उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु उपरोक्त प्रस्तर-1 (1) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार दक्षता मूल्यांकन परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा कराकर मृतक आश्रित भर्ती के प्लाटून कमाण्डर के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को उपलब्ध कराएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही हेतु पी0ए0सी0 मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। दक्षता मूल्यांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली में दिए शारीरिक दक्षता के मानकों के अनुरूप कराई जाएगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। पी0ए0सी0 मुख्यालय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही हेतु इसे प्रेषित करेगा।

(3) फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर

फायर सर्विस के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद अथवा फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा, जहाँ पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित जनपद द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कराकर समस्त अभिलेख फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड

आफिसर के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

भर्ती बोर्ड उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु उपरोक्त प्रस्तर-1 (1) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार दक्षता मूल्यांकन परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा कराकर मृतक आश्रित भर्ती के फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को उपलब्ध कराएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही हेतु फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। दक्षता मूल्यांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली में दिए शारीरिक दक्षता के मानकों के अनुरूप कराई जाएगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। फायर सर्विस मुख्यालय संबंधित प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही हेतु इसे प्रेषित करेगा।

2. पुलिस विभाग के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं सहायक उपनिरीक्षक (लेखा के पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

(1) उप निरीक्षक (गोपनीय)

(i) सामान्य प्रक्रिया

पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते है उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद, पी0ए0सी0 अथवा इकाई, जहाँ पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, शारीरिक मापदण्ड, टंकण एवं आशुलिपि दक्षता एवं अन्य अर्हताएं एवं योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी हेतु किसी अभ्यर्थी 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी। चैकलिस्ट के अनुसार

अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित के रूप में उपरोक्त पदों पर सेवायोजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसका प्रकरण संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सूचनाओं सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं उपरोक्तानुसार तैयार की गयी अभ्यर्थियों की संकलित सूची आवश्यक अभिलेखों सहित पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती को प्रेषित की जाएगी।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों से उनकी दक्षता मूल्यांकन हेतु कम्प्यूटर टंकण व आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जाएगी।

(क) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल होने के मानक वहीं होंगे जो उपरोक्त पद के लिए तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में विद्यमान होंगे। टंकण परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ख) आशुलिपिक परीक्षा

सभी अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल रहते है उनसे आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आशुलिपि परीक्षा में अर्हता के मानक वही होंगे जो तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में विद्यमान होंगे। आशुलिपि परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

अगर उपरोक्त दक्षता मूल्याकंन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(iii) लिखित परीक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों से अधिक हो तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी। लिखित परीक्षा

कराए जाने की प्रक्रिया इस परिपत्र के प्रस्तर-1 (1) में, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु दी गयी प्रक्रिया में कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के अनुसार होगी। उसी उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा मृतक आश्रित भर्ती के उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)

इन दोनों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उपरोक्त दी गयी उप निरीक्षक (गोपनीय) की प्रक्रिया के समान होगी किन्तु इसमें दक्षता मूल्यांकन हेतु सभी अभ्यर्थियों की केवल कम्प्यूटर टंकण परीक्षा करायी जाएगी, कोई आशुलिपिक परीक्षा नहीं करायी जाएगी। कम्प्यूटर टंकण की दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा भी उसी प्रक्रिया के अनुसार करायी जाएगी एवं भर्ती बोर्ड द्वारा दोनों पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची अलग-अलग पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा संबंधित पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होंगी।

(3) पुलिस रेडियो विभाग के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक), कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया।

(1) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)

(i) सामान्य प्रक्रिया

पुलिस रेडियो विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही रेडियो मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित इन पदों की सेवा नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। रेडियो

मुख्यालय द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी। रेडियो मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा, एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु रेडियो मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

(iii) लिखित परीक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों से अधिक हो तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी। लिखित परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया इस परिपत्र के प्रस्तर-1 (1) में, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु दी गयी प्रक्रिया में कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के अनुसार होगी। उसी उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा मृतक आश्रित भर्ती के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही हेतु रेडियो मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से

अधिक नहीं होगी।

(2) कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक

(i) सामान्य प्रक्रिया

पुलिस रेडियों विभाग के मृत पुलिस कर्मियो के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते है उनके सेवायोजन के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष कार्यवाही रेडियो मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। इस सेवायोजन हेतु सामान्य प्रक्रिया उपरोक्त प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद में दी गयी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होगी एवं सभी अभ्यर्थियों की सूची एवं अभिलेख पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाएंगे।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली में उल्लिखित उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की दोनों पदों के लिए अलग-अलग सूची तैयार करेगा जो इन सभी अभ्यर्थियों की उपरोक्त पदों के लिए अन्तिम चयन सूची होगी।

बोर्ड इस चयन सूची को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित करेगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु रेडियो मुख्यालय को भेजेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा।

4. पुलिस विभाग के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

(i) सामान्य प्रक्रिया

मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद/इकाई, आरक्षी पीएसी के संबंध में संबंधित पीएसी वाहिनी, फायरमैन के संबंध में संबन्धित जनपद/फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेवायोजन के संबंध में उनकी शैक्षिक अर्हता, शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता के मानक, अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वही होंगी जो संबन्धित पद पर सीधी भर्ती हेतु तत्समय प्रचलित संबंधित सेवा नियमावली के प्रावधानों में

होंगी किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित जनपद अथवा इकाई द्वारा सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैक लिस्ट के अनुसार सेवायोजन कराए जाने हेतु कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी। चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सूचनाएं पुलिस मुख्यालय/पीएसी मुख्यालय/फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित की जाएंगी। पुलिस विभाग की अजनपदीय शाखा जहाँ आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है, जैसे- सीबीसीआईडी, अभिसूचना, रेलवे, सतर्कता इत्यादि तो इन अजनपदीय शाखाओं द्वारा आरक्षी के पद पर सेवायोजन का प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ से इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। संबंधित मुख्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों की सूची संकलित कर आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को भेजी जाएंगी जो इनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करायेगा।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, संबंधित पद हेतु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में उल्लिखित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की संबंधित पद हेतु अलग-अलग सूची तैयार करेगा। यह सूची इन अभ्यर्थियों की उस पद हेतु घोषित की जाने वाले अन्तिम चयन सूची होगी।

बोर्ड सभी चयन सूचियाँ प्रत्येक पद की अलग-अलग, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजेगा जो इसे संबंधित मुख्यालय को नियुक्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा।

5. पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

मृतक आश्रित के चतुर्थ श्रेणी पद पर सेवायोजन के संबंध में उनकी शैक्षिक अर्हता, न्यूनतम आयु, अन्य अर्हताएं व योग्यताएं तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगी।

जनपदीय पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित के सेवायोजन की कार्यवाही संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

यदि जनपद में रिक्तियाँ उपलब्ध न हों तो आश्रितों के सेवा योजन का प्रस्ताव संबंधित जोनल पुलिस महानिरीक्षक को भेजा जाएगा जो उसका समायोजन जोन के किसी अन्य जनपद में वर्तमान रिक्तियों के सापेक्ष कराएंगे। इसी प्रकार पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों जैसे-पीएसी/सीबीसीआईडी, रेडियो मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, रेलवे इत्यादि द्वारा चतुर्थ श्रेणी पदों पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही उनके स्तर से ही की जाएगी। यदि किसी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियाँ उपलब्ध न हों तो इसका प्रस्ताव इकाई के मुख्यालय को भेजा जाएगा जो अपने स्तर से समायोजन का प्रयास करेंगे।

किन्तु अगर जोन स्तर पर या इकाई मुख्यालय स्तर पर रिक्तियों के सापेक्ष रिक्ति उपलब्ध न हों एवं भर्ती किया जाना सम्भव न हो तो उसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा जहाँ पर इसे रिक्तियों का आंकलन कर किसी जनपद या इकाई में भर्ती हेतु भेजा जाएगा। रिक्तियों की गणना करते समय आगामी सम्भावित रिक्तियों को नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि संबंधित कार्यालय में वर्तमान में रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन की कार्यवाही की जाएगी।

6. सामान्य निर्देश

(1) प्रायः यह देखा जा रहा है कि इकाइयों में मृत कर्मियों के आश्रित इकाई में उपलब्ध पद की रिक्ति के समक्ष सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र न देकर अपनी स्वेच्छानुसार इच्छित पद पर सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं। सेवा हेतु उपयुक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रिक्तियों के दृष्टिगत और सम्बन्धित इकाई में ही ऐसा सेवायोजन यथासम्भव नियमानुसार किया जाना चाहिए। मृतक आश्रित को अधिकार नहीं है कि किसी पद विशेष पर नियुक्ति के लिये दावा कर सके। यदि मृतक आश्रित पर विशेष पर नियुक्ति का अनुरोध का दावा करता भी है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अनुरोध/दावे को मानने के लिये बाध्य नहीं है। उसे नियमावली में प्राविधानों के विहित शर्तो को पूरा करने पर उपयुक्त पद पर सेवायोजन प्रदान करने का निर्णय ले लेना चाहिये। यदि आश्रित द्वारा नियुक्ति का आफर नहीं स्वीकार किया जाता है तो नियमों के आगे कोई बाध्यता नहीं रह जाती है।

अतः पी0ए0सी0 के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियमतः पी0ए0सी0 में विद्यमान पद प्लाटून कमाण्डर/आरक्षी के पद पर, फायर सर्विस में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को फायर सर्विस विभाग के फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर/फायरमैन के पद पर तथा रेडियो विभाग के मृत पुलिस कर्मियो के आश्रितों को नियमतः प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक), कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पद पर नियमानुसार सेवायोजन कराया जाए एवं शेष कर्मियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश पुलिस के उपनिरीक्षक/आरक्षी पुलिस के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार करायी जाए, किन्तु अगर प्रकरण महिला अभ्यर्थी का है, तो चूँकि पीएसी में महिला प्लाटून कमाण्डर/आरक्षी तथा फायर सर्विस में महिला फायर स्टेशन

सेकण्ड आफिसर/फायरमैन के पद नहीं है अतः ऐसी स्थिति में मृत कर्मी की महिला आश्रित को उपनिरीक्षक/आरक्षी पुलिस के पद पर सेवायोजन दिये जाने हेतु उसका प्रस्ताव सम्बन्धित मुख्यालय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में किसी भी पद पर भर्ती हेतु केवल एक अवसर प्रदान किया जायेगा। अगर वह इस अवसर में सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे उस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हेतु अयोग्य माना जायेगा एवं इसके उपरान्त उसे केवल इस पद से निम्न श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा। संबंधित कार्यालय द्वारा इस संबंध में पत्र, उस पद की प्रक्रिया की समाप्ति, जिसमें वह असफल घोषित हुआ है, के 02 माह के अन्दर अवश्य भेजा जाएगा। अगर वह कोई आवेदन नहीं देता है तो प्रथम पत्र के 2 माह के बाद एक दूसरा पत्र भी उसे संबंधित कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा। यदि वह दूसरे पत्र के 03 माह के अन्दर किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वह पुलिस विभाग में किसी पद पर सेवायोजन पाने का इच्छुक नहीं है।

(3) भर्ती बोर्ड चाहे तो मृतक आश्रित भर्ती के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु, जिसमें लिखित परीक्षा कराई जानी हो, तो वह विभिन्न पदों के लिए एक साथ एक ही अथवा अलग-अलग लिखित परीक्षा करवा सकता है। अगर एक से अधिक पदों के लिए एक साथ एक ही लिखित परीक्षा कराई जाती है तो अलग-अलग पदों की अंको के आधार पर श्रेष्ठता सूची अलग-अलग बनाई जाएगी।

(4) मृतक आश्रित भर्ती के ऐसे समस्त प्रकरण जिनके सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड से कार्यवाही करायी जानी है , उनके समस्त अभिलेख सम्बन्धित मुख्यालय पर पदवार संकलित कर रखे जायेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी अभिलेख नियमानुसार पूर्ण है। इन प्रकरणों को अलग-अलग पुलिस मुख्यालय अथवा भर्ती बोर्ड नहीं भेजा जायेगा, बल्कि सम्बन्धित मुख्यालय पर संकलित कर रखा जायेगा एवं मृतक आश्रित के रूप में किसी भी पद की भर्ती हेतु उस पद के सभी प्रकरणों की संकलित सूचना पुलिस मुख्यालय द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समकक्ष पदों की भर्ती के समस्त प्रकरण सभी मुख्यालयों से एक साथ भर्ती बोर्ड को प्रेषित किये जा सकें।

7. मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा अभिलेखीकरण व सत्यापन

(1) मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर पुलिस प्रभारी अपने हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मुहर लगाकर दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। मृतक आश्रित का प्रार्थना पत्र किसी भी हालत में कार्यालय के किसी सहायक अथवा प्रधान लिपिक द्वारा नहीं

लिया जायेगा। आश्रित द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के प्रारूप संलग्न है।

(2) पुलिस मुख्यालय द्वारा लिपिक संवर्ग की पद विषयक दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही कराने के उपरान्त सफल मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही पूर्व में की जा रही थी। विगत में पुलिस विभाग में लिपिक संवर्ग में नियतन के सापेक्ष अधिक कर्मी नियुक्त हो जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या : 2046/छः-पु0-1-06-650 (59) 02, दिनांक : 08.05.2006 द्वारा पुलिस विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है, जो वर्तमान में लागू है।

(3) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में मृतक आश्रित द्वारा माँगे गये पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा विस्तृत नोट शीट पत्रावली पर तैयार की जायेगी जिस पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक सहित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी हस्ताक्षर बनायेंगे। नोटशीट का प्रारूप संलग्न है।

(4) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितों के जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा। सभी सत्यापन आख्यायें प्रस्ताव के साथ मूलरूप में संलग्न की जायेंगी जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई की पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थायी अभिलेख होगा।

(5) पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थायी निवास (यदि कोई हो) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जाँच कराई जायेगी। जाँच आख्या प्रस्ताव के साथ मूलरूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(6) मृत पुलिस कर्मी को सेवायोजन दिये जाने के सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं0 : 18/ए-मृ0आ0सेवा0 (निर्देश)-2014 दिनांक 24-09-2015 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन पाने का हकदार है अथवा नहीं।

(7) पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व पदनाम की मुहर के साथ अंकित किया जायेगा।

(8) मृतक आश्रित के सेवायोजन का प्रस्ताव इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक

अथवा इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी (जो किसी भी परिस्थिति में निरीक्षक स्तर से कम का नहीं होगा), ही लेकर सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में जाकर दाखिल करायेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी ले जायेंगे कि उन्हें सेवायोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राधिकार पत्र में भेजे जाने वाले प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर, सम्बन्धित इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर अवश्य ले जायेंगे। अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव लाने वाले अधिकारी प्रस्ताव का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(9) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

(10) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी से सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखी जायेगी, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जायेगा। यह स्थायी अभिलेख होगा।

(11) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पत्र पर कार्यालय प्रमुख का नाम व पदनाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(12) जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा अजनपदीय इकाईयों के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जनपद/इकाई के निरीक्षण के समय मृतक आश्रितों के सेवायोजन से सम्बन्धित वरीयता रजिस्टर एवं स्थायी रजिस्टर तथा सेवायोजन से सम्बन्धित अभिलेखों को भी गम्भीरता से चेक किया जायेगा।

(13) मृतक आश्रितों के प्रार्थना पत्र के विवरण की प्रविष्टि एक मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर बनाकर की जायेगी जिसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय द्वारा अंकित की जायेगी तथा हस्ताक्षर/नाम व पदनाम की मुहर अंकित की जायेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि वही मानी जायेगी जिस दिनांक को सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी द्वारा मृतक आश्रित के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर के दिन अंकित किया गया है। रजिस्टर में मृतक आश्रितों का विवरण अंकित करते समय क्रमांक के कालम में कोई गैप न रहे। अधिकारी इसे समय-समय पर चेक करते रहेंगे। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत् होगा :-

मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर का प्रारूप

क्र0सं0	आश्रित का नाम	मृतक कर्मी का नाम	मृतक कर्मी का पद	प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर का दिनांक
1	2	3	4	5	6

(14) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किये जाने हेतु एक मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर का भी रख-रखाव कार्यालय द्वारा किया जायेगा जिसका प्रारूप निम्नवत् होगा :-

मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर का प्रारूप

क्र0 सं0	स्व0 पुलिसकर्मी का पी0एन0ओ0 नम्बर	स्व0 पुलिसकर्मी का नाम व पद	मृतक आश्रित का नाम	मृत्यु का दिनांक	सेवायोजन हेतु प्रथम प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	आवेदित पद	पताः- स्थायी/ अस्थायी/ दूरभाष नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8

8. मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर की प्रक्रिया

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही :-

प्रार्थना पत्र 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त होते ही आश्रित जिस पद के लिये अर्हता रखता है और वहाँ रिक्ति उपलब्ध है तो उसे अतिशीघ्र (15 दिन के अन्दर) मृतक के स्थायी पते एवं मृतक आश्रित द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से उस पद के लिये औपचारिक आफर देकर सभी वाँछित प्रपत्र प्रदान किये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित को सेवायोजन हेतु विभाग द्वारा अवसर (ऑफर) दिया गया है। प्रकरण अनावश्यक लम्बित न रखें अन्यथा विभाग द्वारा आफर नहीं दिये जाने पर अभ्यर्थी अपनी नई शिक्षा प्राप्त कर नये पद पर दावा करने लगते है और अनावश्यक विवाद पैदा होते है। प्रत्येक दशा में प्राप्त प्रस्ताव एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय। अन्यथा सम्बन्धित लिपिक के विरूद्ध प्रतिकूल मन्तब्य बनाते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब हो रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा।

जनपद/इकाई प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आश्रित से आवेदन पत्र प्राप्त होने के

पश्चात् स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्य उनकी आयु, कर्मी पर निर्भरता तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर सदस्यों के किसी अन्य श्रोत से आय के साथ कुटुम्ब के सदस्यों की अचल सम्पत्ति एवं उससे होने वाली आय को ध्यान में रखते हुये इस विषय में स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुये सेवायोजन के सम्बन्ध में निर्णय लेने पर विचार किया जाये। यदि सेवायोजन जनपद/इकाई स्तर से दिया जाना है तो अधिकतम 6 माह में सेवायोजन प्रदान कर दिया जाय। अन्य दशा में एक माह के अन्दर प्रस्ताव तैयार कराकर सम्बन्धित को प्रेषित किया जाय ताकि 6 माह में आश्रित के सवायोजन की कार्यवाही मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा सके।

सेवायोजन हेतु मृतक आश्रित के सेवायोजन के पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि मृतक आश्रित द्वारा मृत कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र दिया गया है तथा माँगे गये पद हेतु सभी प्रकार से अर्ह है एवं उस पद हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु एवं शैक्षिक अर्हता मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण किया हो। यदि मृतक आश्रित द्वारा माँगे गये पद हेतु सम्पूर्ण अर्हतायें मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करता है तथा उस पद पर रिक्ति है, तो उसके सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते है तो उस कार्यालय का प्रधान (Head of office) उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन करके ही प्रस्ताव तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे।

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही का विवरण

पुलिस विभाग के मृत कर्मी की मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु जनपद/इकाई के प्रभारी 37 बिन्दुओं का प्रस्ताव तैयार करायेंगे। चेकलिस्ट/प्रस्ताव का प्रारूप निम्नवत् है :-

1	मृत सरकारी सेवक नाम	....
2	मृत सरकारी सेवक का पदनाम	....
3	मृत सरकारी सेवक का मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम	....
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	परिशिष्ट...........

5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	....
6	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार (तदर्थ/नियमित/स्थाई/अस्थाई/आकस्मिक)	....
7	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण-पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)	....
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण	
9	मृत सरकारी सेवक, मृत्यु के समय डियुटी पर था अथवा अवकाश पर	....
10.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम................आयु नाम................आयु नाम................आयु
11.	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ हो तो पत्नियों के नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)	नाम................आयु नाम................आयु
12.	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यों वयस्क/अवयस्क दोनों का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अंकित होगा सम्मिलित हो, से सम्बन्धित शपथ-पत्र (प्रारूप-क)	परिशिष्ट..................
13.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों के वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट.................. परिशिष्ट....................
14.	इस आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन के प्रस्ताव के लिये प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नहीं पाया गया है। पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय)	सदस्यों के नाम की सूची परिशिष्ट.................. पेंशन भाग दो की प्रमाणित परिशिष्ट.....................

15.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ-पत्र/सहमति जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के पक्ष में (प्रारूप-ख)	परिशिष्ट................... परिशिष्ट...................
16.	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0 की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	.... परिशिष्ट...................
17.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों द्वारा सेवायोजन की माँग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करें।	....
18.	इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें।	....
19.	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप-घ)	.... परिशिष्ट...................
20.	मृत सरकारी सेवक के घर के पते पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जाँच आख्या की मूल प्रति जिसमें मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नहीं किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यों की वैवाहिक स्थिति तथा आय का श्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र	परिशिष्ट................... अनुलग्नक- अनुलग्नक- अनुलग्नक-
21.	मृतक आश्रित का नाम	....
22.	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद् अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दों में।	....
23.	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	....

24.	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ-पत्र जिन्हें सेवायोजन हेतु नामित किया गया है (प्रारूप-ग)	परिशिष्ट.....................
25.	मृतक आश्रित का प्रार्थना-पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु, अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	प्रार्थनापत्र परिशिष्ट...... परिशिष्ट.... परिशिष्ट..... .... परिशिष्ट.....................
26.	शैक्षिक प्रमाण-पत्रों/अंक तालिकाओं का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय से एवं हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या	मा0शि0बोर्ड- परिशिष्ट... विश्वविद्यालय परिशिष्ट... जि0वि0नि0 परिशिष्ट...
27.	मृतक आश्रित अभ्यर्थी की सम्बन्धित पद विषयक प्रचलित नियमावली के अनुसार यदि कोई अधिमानी अर्हता हो तो उसका उल्लेख किया जाय।	1........................... 2........................... 3............................
28.	मृतकं आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप में संलग्न की जायेगी।	स्थाई पते पर परिशिष्ट................... अस्थाई पते पर परिशिष्ट................... अभि0मुख्यालय परिशिष्ट....................
29.	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः माह से पुराना न हो	1-राजपत्रित अधिकारी का नाम........................ परिशिष्ट................... 2- राजपत्रित अधिकारी का नाम........................ परिशिष्ट....................
30.	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नाम..............आयु

31.	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय घोषण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय कि :- 1- यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है ? 2- यदि पूर्व में सेवारत रहा हो ? 3- यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो ? 4- यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो ?	.... परिशिष्ट..................
32.	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण-पत्र पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा)	1-प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी नाम......................... परिशिष्ट...................
33.	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः माह से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
34.	मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक की समिति द्वारा जाँचा गया हो एवं संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो)	<table><tr><td>ऊँचाई</td><td>सीना फुलाने पर</td><td>सीना बिना फुलाये</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>
35 36.	मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जो छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत नियम-10 के अन्तर्गत प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र (Certificate of fitness for Government service See Rules-10 of fundamental Rules) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये ''मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर'' में अंकित कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप-च)	.... स्थाई रजिस्टर का पृष्ठ संख्या............ क्रम संख्या............. प्रमाण-पत्र परिशिष्ट.......

37.	इस आशय का प्रमाण-पत्र की उपरोक्त क्रम सं0 01 से लेकर क्रम संख्या-35 तक अंकित सभी प्रविष्टियों को मेरे द्वारा भँली भाँति जाँच कर लिया गया है जो सूचनायें अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा माँगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है। (अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुये संस्तुति की जायेगी)	....

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मृतक आश्रित से सम्बन्धित सूचना मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में अंकन कराया जायेगा। मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर में मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर खोले जाने का अंकन होगा। मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में प्रत्येक मृतक आश्रित की पत्रावली खोले जाने का अंकन होगा।

9. मृत के 05 वर्ष के उपरान्त की प्रक्रिया

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के उपरान्त प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर स्व0 कर्मी की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के पश्चात् विलम्ब से दिये गये आवेदन पत्र में विलम्ब का औचित्य पूर्ण कारण सहित प्रमाण पत्र आश्रित द्वारा दिये जाने पर शासन के पत्र संख्या : 1230/6-पु0-10-2014-1200 (78)/2015, दिनांक : 01.07.2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या : 18/ए-6 रिट (मेरठ)/2015, दिनांक : 23.07.2015 के अनुसार मृतक कर्मी के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अनुमन्य 05 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे प्रकरण जो 05 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त के हों, का गम्भीरता से परीक्षण करते हुए विलम्ब से दिये गये आवेदन के औचित्यपूर्ण कारणों एवं मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति दर्शाते हुए पूर्ण प्रस्ताव 23 बिन्दुओं में वांछित सूचनाओं सहित 05 वर्ष की समय-सीमा में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन के विचारार्थ भेजे जाने हेतु पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। समय सीमा में छूट हेतु 23 बिन्दुओं की चेकलिस्ट/प्रस्ताव का प्रारूप निम्नवत् है :-

1.	मृतक कर्मचारी का नाम	....
2.	मृतक कर्मचारी का पद	....
3.	मृत्यु के समय तैनाती का विवरण	....
4.	मृत्यु के समय कर्मचारी की आयु	वर्ष........माह........दिन.......
5.	मृत्यु का कारण, पूर्ण विवरण एवं संस्तुति सहित/मृतक कर्मचारी अवकाश पर था अथवा ड्यूटी पर? मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित	....
6.	क्या मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई?	....
7.	क्या मृत्यु के समय कर्मचारी की पत्नी/पति किसी सेवायोजन में थे? यदि हाँ तो उसका विवरण	....
8.	कर्मचारी के आश्रितों का नाम/सम्बन्ध	....
9.	परिवार के अन्य आय के श्रोत/व्यवसाय/उपलब्ध भूमि का विवरण	....
10.	कर्मचारी के आश्रितों को प्राप्त होने वाली पेंशन का विवरण (साधारण/असाधारण)	....
11.	समस्त श्रोतों से परिवार की मासिक आय का विवरण	....
12.	सेवायोजन हेतु आवेदन आश्रित का नाम व मृतक से सम्बन्ध	....
13.	सेवायोजन हेतु आवेदित पद का नाम	....
14.	यदि कर्मचारी की पत्नी/पति को सेवायोजित नहीं किया गया तो उसका विवरण	....
15.	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर सेवायोजन हेतु आवेदन न प्रस्तुत करने का कारण, पूर्ण औचित्य सहित	....

16.	परिवार की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि परिवार के निर्वाह हेतु अभी भी शासकीय अनुकम्पा की आवश्यकता है?	....
17.	अब तक परिवार के निर्वाह की क्या व्यवस्था थी?	....
18.	समय-सीमा में छूट हेतु विभागाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुति, पूर्ण औचित्य सहित	....
19.	मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु सब प्रकार से अर्ह होने के उपरान्त प्रथम बार प्रार्थना पत्र देने की तिथि	....
20.	स्व0 कर्मचारी की जन्मतिथि स्व0 कर्मचारी की भर्ती की तिथि स्व0 कर्मचारी की मृत्यु की तिथि (स्व0 कर्मचारी की चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न की जाय)	....
21.	सेवायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों जैसे मृत्यु के समय से अब तक परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार प्रकार, परिवार की कृषि पर निर्भरता तथा मृतक आश्रित पर आने वाले दायित्वों एवं सभी श्रोतों से प्राप्त परिवार की आय (इन्कम) आदि का भी संज्ञान लेते हुए सेवायोजन के प्रत्यावेदन में विचार किया जाना चाहिए।	....
22.	यह भी देखा जाय कि मृतक आश्रित द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण क्या रहा है? क्या यह औचित्यपूर्ण है?	....
23.	प्रकरण का परीक्षण करते हुए इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाय कि पारिवारिक दायित्वों के मद्देनजर कार्मिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या आवेदन पत्र प्राप्त करने के दिनांक तक तंग/कमजोर हुई थी?	....

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

10- मृतक आश्रितों को नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व पुलिस द्वारा ''**बारकोड**'' युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा। कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी ''**बारकोड**'' एवं फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूलरूप से प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा चरित्र सत्यापन इत्यादि कराने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ-पत्र जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, दो प्रतियों में लेंगे, जिसमें स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम, मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

जनपदीय/अजनपदीय शाखाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में वे हैं, से नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन लेंगे।

मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख सादे ''**फुलस्केप पेपर**'' पर निर्धारित प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा जिसका प्रारूप संलग्न है।

11- मृतक आश्रित को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह परिपत्र कार्यालय की गार्ड फाइल में स्थाई रूप से रखा जायेगा।

12- उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों को वहां तक अतिक्रमित समझा जाये, जहाँ तक इस परिपत्र से विरोधाभाषी हो।

13- उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

ह0/-
(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वहीं</u>

प्रतिलिपिःविशेष सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-10, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिःपुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

<u>संख्या तथा दिनांक वहीं</u>

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
6. समस्त विशेष कार्याधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
7. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को पाँच प्रतियों गजट कराने एवं गार्ड फाइल पर रखने हेतु।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
9. समस्त गोपनीय सहायक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

<u>परिशिष्ट-1</u>

मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप

<u>(सेवायोजन हेतु नामित आश्रित द्वारा</u>

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक,

................परिक्षेत्र।

द्वाराः- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,

जनपद/इकाई.........................

(यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0

अथवा एस0आई0(एम) आशुलिपिक के पद

हेतु आवेदन करता है तो)

<u>अथवा</u>

सेवा में,

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,

जनपद/इकाई.........................

(यदि आश्रित कान्स0 ना0पु0 अथवा

चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो)

विषयः स्व0...................के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहन...........

को..........के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे पति स्व0....................जो जनपद/इकाई................ में........................ के पद पर नियुक्त थे, की मृत्यु दिनांकः...............को................. (मृत्यु का कारण).....................के कारण हो गयी है।

2. अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे पुत्र/पुत्री............................. जिसकी शैक्षिक योग्यता.................है, एवं शारीरिक अर्हता ऊंचाई..........सें0मी0 है, को उ0नि0ना0पु0, एस0आई0(एम)/आशुलिपिक, कान्स0, चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में उसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र की छायाप्रतियां संलग्न की जा रही हैं। स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्यों का ब्यौरा प्रमाण पत्रों के साथ निम्नवत् हैः-

क्र0 स0	कुटुम्ब के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्मतिथि के आधार पर आयु	वैवाहिक स्थिति	अचल सम्पत्ति का विवरण	सदस्य का व्यवसाय	कुटुम्ब के सदस्यों की मासिक आय (रूपये में)		
							कृषि से	पेंशन से	अन्य श्रोतों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
कुटुम्ब की कुल आय विभिन्न श्रोतों से (रूपयों में)									
कुटुम्ब की कुल आय (रूपयों में) (मासिक आय का 12 गुना)									
कुटुम्ब की विभिन्न आयों का योग-कुल वार्षिक आय									

प्रार्थिनी :-
हस्ताक्षर/दिनांक
(नाम...................................)
पत्नी स्व0 ....
निवास का स्थायी तथा अस्थायी
पता..

नोटः-

1. आवेदन पत्र, जिस पद पर नियुक्ति अभिलिखित है, उस पद से सम्बन्धित अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0 अथवा एस0आई0(एम) आशुलिपिक के पद हेतु आवेदन करता है तो पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को प्रार्थना-पत्र सम्बोधित करेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। यदि आश्रित कान्स0 अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो उस कार्यालय के प्रधान जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था को आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा।

2. स्व0 कर्मी की मृत्यु से 05 वर्ष के उपरान्त दिये गये आवेदन पत्र पर विलम्ब के कारण और उसके समर्थन में न्यायोचित अभिलेख एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आश्रित की होगी।

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय।

कृपया जनपद/इकाई ....के .... के पद पर नियुक्त रहे स्व0 ....के आश्रित पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री .... को पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में .... के पद पर सेवायोजित किये जाने विषयक क्रमांक-( ) पर रखे प्रस्ताव का अवलोकन करें।

2. प्रश्नगत मामले में अवगत कराना है कि स्व0 .... की दिनांकः............को मृत्यु हुई है। इनके आश्रित पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री .... को पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में ....के पद पर सेवायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी पात्रता/अर्हता का विवरण निम्नवत् अंकित हैः-

1. आश्रित का नाम ....
2. मृतक कर्मी का नाम ....
3. गृह जनपद/अस्थायी जनपद ....
4. मृत्यु के समय मृत कर्मी की नियुक्ति का स्थान ....
5. मृतक कर्मी की भर्ती की तिथि ....
6. मृतक कर्मी की मृत्यु की तिथि ....
7. मृतक आश्रित की शिक्षा ....
8. मृतक आश्रित की जाति/उपजाति ....
9. मृतक आश्रित की जन्मतिथि ....
10. मृतक आश्रित का मृतक कर्मी से सम्बन्ध ....
11. ऊँचाई ....से0मी0
12. सीने की माप बिना फुलाये- ....से0मी0
13. सीने की माप फुलाने पर- ....से0मी0
14. प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र का क्रमांक ....
15. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र का क्रमांक ....
16. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र का क्रमांक- ....
17. आश्रित के सम्बन्ध में समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र का क्रमांक- ....
18. शैक्षिक प्रमाण-पत्र की सत्यापन आख्या का क्रमांक- ....
19. आश्रित के सम्बन्ध में उसके गृह जनपद/अस्थायी जनपद/अभिसूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिया गया चरित्र एवं आचरण की सत्यापन रिपोर्ट का क्रमांक-...........

20. गृह जनपद/अस्थायी जनपद से करायी गयी क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या का क्रमांक-..........

21. मृतक आश्रित द्वारा दिया गया शपथ पत्र का क्रमांक- ....

22. मृतक आश्रित द्वारा दिया गया प्रथम प्रार्थना पत्र का क्रमांक- ....

23. स्व0 कर्मी के पति/पत्नी/अन्य सदस्यों द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि वह किसे सेवायोजन का लाभ दिलाना चाहते हैं, का क्रमांक- ....

24. स्व0 कर्मी के पारिवारिक सदस्यों की प्रमाणित सूची का क्रमांक- ....

25. स्व0 कर्मी के किसी भी मृतक आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है और सेवायोजन का प्रथम प्रकरण होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र ''घ'' का क्रमांक- ....

26. स्व0 कर्मी के मृतक आश्रित के रूप में भेजा गया सेवायोजन का प्रस्ताव सत्य होने व उसका जनपद में रखे गये स्थायी रजिस्टर में अंकन होने का प्रमाण-पत्र ''च '' का क्रमांक ....

27. पीपीओ निर्गत हुआ है अथवा नहीं यदि हां तो क्रमांक ....

28. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सेवायोजन प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन के प्रमाण-पत्र का क्रमांक ....

29. पेंशन अनुभाग की आख्या का क्रमांक- ....

30. चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति का क्रमांक- ....

3- गृह जनपद/अस्थायी जनपद के पुलिस उपाधीक्षक से कराई गयी जांच आख्या दिनांकित .... तथा आश्रित द्वारा दिये गये शपथ पत्र से यह विदित होता है कि आश्रित.................... स्व0 पुलिस कर्मी के आश्रित की श्रेणी में आता है तथा इस मृत पुलिस कर्मी के किसी आश्रित को अब तक मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान नहीं किया गया है।

4- उक्त मृतक आश्रित श्री ....पुत्र स्व0 ....की हाई स्कूल, इण्टर/स्नातक की शिक्षा का सत्यापन बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय से करा लिया गया है। उनकी प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त मृतक आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें उनके कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार ही जारी की गयी हैं।

5- शासन ने शासनादेश संख्याः 146/छः-पु0-10-2008-1200(173)/2007 दिनांक 24-01-2008 द्वारा पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में आश्रितों की चयन प्रक्रिया को पूलप्रुफ बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्याः18/ए-1(5)/2008 दिनांक 24-02-2008 निर्गत कर दिया गया है।

6- कृपया रिट याचिका संख्याः11505/2006 अवनीश कुमार बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा फर्जी मृतक आश्रितों के प्रकरणों को संज्ञान में लेकर अपने आदेश दिनांक 21.4.2006 में निम्न 04 बिन्दुओं पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन प्रकरणों की जांच के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश के दृष्टिगत जनपद ....से स्व0 ....के

क्र0सं0	विवरण	निष्कर्ष	पुष्टि के समर्थन में अभिलेखों
1	आश्रित के माता/पिता/पति पुलिस विभाग में नियुक्त रहें अथवा नहीं?	1-विभाग-चार (पेंशन) अनुभाग की आख्या दिनांक..............के अनुसार स्व0 कर्मी की मृत्यु दिनांक.................को जनपद/इकाई.............में हुई है। 2-कर्मी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है इसकी पेंशन भुगतानादेश जनपद.............से निर्गत किया गया है। जनपद.........के अनुसार स्व0 कर्मी की दिनांक...........को जनपद........में हुई है।	1-अनुभाग-चार का आख्या दिनांक.............पत्रावली का (क्रमांक-) 2-कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है इसकी पेंशन जिला से निर्गत की गयी है पेंशन भुगतानादेश जनपद ....की आख्या .... पत्रावली का (क्रमांक-)
2	मृतक आश्रित के माता/पिता/पति जीवित है, अथवा नहीं?	1-स्व0 कर्मी का मृत्यु प्रमाण-पत्र 2-क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन का प्रमाण-पत्र 3-पेंशन अनुभाग की आख्या	1-स्व0 कर्मी का मृत्यु प्रमाण-पत्र पत्रावली का क्रमांक .... 2-भौतिक सत्यापन का प्रमाण-पत्र पत्रावली का क्रमांक.......................... 3-पेंशन अनुभाग-चार की आख्या पत्रावली का क्रमांक ....
3	मृतक कर्मी के एक से अधिक आश्रितों को सेवायोजन का लाभ दिया गया है अथवा नहीं?	1-जनपद.........................के क्षेत्राधिकारी.......................श्री .... द्वारा दिनांक ....को प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय दिया गया भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र 2-वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक.........द्वारा दिया गया	1-क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र पत्रावली का क्रमांक...................................... 2-वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र-घ पत्रावली का क्रमांक...................................... 3-क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या पत्रावली का क्रमांक............. 4-चरित्र पंजिका प्रथम पृष्ठ.................
4	मृतक आश्रित द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रमाण पत्र सही है अथवा नहीं?	1-जनपद से राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक...........से पुष्टि है। 2-शैक्षिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक-......... द्वारा कराया गया है	1-क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र पत्रावली का क्रमांक............. 2-(क)माध्यमिक शिक्षा परिषद की सत्यापन आख्या पत्रावली का क्रमांक............... (ग)जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सत्यापन आख्या पत्रावली का क्रमाक ....

7. उपर्युक्तानुसार प्रकरण के परीक्षण से तथा उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर पाया गया है कि स्व0......................की मृत्यु जनपद ....में .... के पद पर नियुक्ति के दौरान दिनांक ....को हुई तथा इसी जनपद के क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय श्री .... द्वारा सेवायोजन का भौतिक सत्यापन दिनांक ....को किया गया है।

8. मृतक आश्रित श्री/कु0/श्रीमती ....द्वारा सेवायोजन हेतु प्रथम बार दिनांक ....को प्रार्थना-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर यह प्रकरण पांच वर्ष की समय सीमा के अन्तर्गत है।

9. यदि मान्य हो तो स्व.................................के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी.............. को...............के पद पर रिक्त पदों के सापेक्ष सेवायोजित किये जाने हेतु अनुमोदित करें ताकि आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश निर्गत किया जा सके तथा निर्गत आदेश की एक प्रति प्रतिसार निरीक्षक को उपलब्ध कराकर हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने हेतु निर्देशित कर दिया जाय।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकाई-------------------------------- के पत्र संख्या------------------------- दिनांक -------------------------के माध्यम से प्रेषित स्व0--जिनकी मृत्यु दिनांक--------------------- को सेवाकाल में हुई है, के आश्रित श्री -----------------------को-------------------------- के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित जनपद/इकाई ----------------------- से ही प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रो का परीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इकाई के स्व0 कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है। यह प्रकरण फर्जी नहीं है एवं मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षा एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की सत्यता की पुष्टि क्रमशः जिला विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है। इसके पूर्व इस स्व0 कर्मी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनामः-

कार्यालय का नामः-

(राजपत्रित अधिकारी का नाम/पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक------------को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

<u>प्रारूप-''क''</u>

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियाँ तथा पुत्रों) द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र <u>का प्रारूप।</u>

1. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरा नाम..................पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0..................निवासी-ग्राम-........................पो0-..................... थाना-..............जनपद-................का/की निवासी/निवासिनी हूँ।

2. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरे पति/पिता/पत्नी स्व0............... पुलिस विभाग में (पद के नाम का उल्लेख करें) पद पर जनपद-...............में थाना-.......... या कार्यालय................में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक........... को................ (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी हो अंकित करें) हो चुकी है।

3. यह कि मेरे पति/पत्नी/पिता स्व0............................के कुटुम्ब में निम्नलिखित वयस्क/अवयस्क सदस्य हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	नाम	आयु	शिक्षा	व्यवसाय	विवाहित/अविवाहित	स्व0 कर्मी से सम्बन्ध

4. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल शनद के अनुसार जो भी हो) अंकित करें..............है। समस्त श्रोतों से प्राप्त की गयी (मेरी मासिक आय रूपया..............है तथा वार्षिक आय रूपया...............है। मेरी शादी वर्ष.............में हुई। मेरे पति/पत्नी का नाम.................है।

5. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी/पिता के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई (नाम) श्री/कुमारी...............को पुलिस विभाग में पद.................पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

6. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि (मृतक आश्रित का नाम) श्रीमती/श्री/ कुमारी.....................स्व0.........................के वारिस हैं।

7. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मृतक स्व0.................के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गयी है।

8. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है। यदि असत्य पाया गया हो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी, मुझे मान्य होगी।

9. यह कि उपरोक्त बयानहलफी की धारा-1 से 8 तक मेरे निजी ज्ञान से सब सत्य है। कुछ असत्य नहीं है एवं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथी/शपथिनी के हस्ताक्षर

प्रारूप-''ख''

मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र/सहमति पत्र जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हों, का प्रारूप।

1. यह कि मैं शपथी/शपथिनी बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरा नाम............. पुत्र/पुत्री/पत्नीस्व0...........................निवासी-ग्राम-............................ पो0-.....................थाना...............जनपद-.....................का/की निवासी/निवासिनी हूँ और शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ।

2. यह कि शपथी/शपथिनी जन्म से भारतीय नागरिक है।

3. यह कि शपथी/शपथिनी के कुटुम्ब में निम्नलिखित सभी सदस्य (सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री/भाई/बहन (नाम)............को पुलिस विभाग के पद...............पर सेवायोजन कराना चाहते हैं।

4. यह कि शपथी/शपथिनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है।

5. यह कि शपथी/शपथिनी सहित परिवार के किसी भी सदस्य को श्री/श्रीमती/कुमारी.......... को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इनकी शैक्षिक योग्यता..............है।

6. यह कि प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथी/शपथिनी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-''घ''

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस विभाग के कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

यह मृतक स्व0...........................के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी पद................पर सेवायोजित किये जाने का प्रथम प्रकरण है। यह प्रकरण सत्य है। मेरे द्वारा पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है।

दिनांक..................

(नाम एवं हस्ताक्षर)

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय

प्रधान के हस्ताक्षर तथा नाम की मुहर लगाई जाय।

प्रारूप-(ग)

आवेदक का शपथ पत्र

शपथी का नवीनतम फोटोग्राफ नोटरी द्वारा सत्यापित

समक्ष,

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

मैं.....................................उम्र लगभग......................वर्ष.............. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... निवासी..................... थाना......................जनपद.............................अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ/करती हूँः-

(1) यह कि मैं स्व0..........................का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित बिधवा पुत्री हूँ। जो मृत्यु से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस में.....................पद पर स्थान.........................पर कार्यरत थे।

(2) यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में पद.......................पर नियुक्ति हेतु जिला/इकाई............................से एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ। इस पद हेतु यदि मुझे अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम् स्तर के अनुकूल नहीं पाया जाता है तो मैं अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ।

(3) यह कि शपथी के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना (इन्वेस्टिगेशन)/मामला न्यायालय में लम्बित है।

(4) यह कि शपथी किसी राष्ट्रविरोधी, राजनैतिक पार्टी/संगठन का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ/रही हूँ।

(5) यह कि शपथी कभी अपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(6) यह कि शपथी को कभी किसी अपराधिक मामले में पुलिस द्वारा चालान नहीं किया गया है।

(7) यह कि आवेदन पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात किसी भी समय असत्य पायी जाय तथा किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाये तथा मुझे विधिक दण्ड दिया जाये।

(8) यह कि शपथी आवेदन पत्र भरने के 10 वर्ष पूर्व तक किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है।

(9) यह कि शपथी के विरुद्ध जो अपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं या जिसमें शपथी चालान किया गया था, जो विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस हैं, उनका विवरण निम्नवत् हैः-

(यदि कोई हो तो विवरण अंकित करें अथवा नहीं तो सूचना शून्य अंकित की जाय)

....

....

....

(10) यह कि यदि शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जॉय तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जावे तथा विधिक दण्ड दिया जावे।

(11) मैं.................पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0.....................प्रमाणित करता हूँ कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम में कभी भी सेवा से पदच्युत नहीं किया गया हूँ।

(12) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि केन्द्रिय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं हूँ।

(13) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार के किसी आश्रित को) जिसमें मैं भी शामिल हूँ) पुलिस विभाग में कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मैं....................उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के प्रस्तर.................में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। इस शपथ-पत्र के प्रस्तर...........में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं। इस शपथ पत्र में उल्लिखित प्रस्तर................के तथ्य विधिक सलाह पर आधारित हैं और जिन्हें मैं विश्वास

करता/करती हूँ कि वे भी सत्य हैं। इसका कोई भी अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता के हस्ताक्षर

अभिसाक्षी/शपथकर्ता का निशान अंगूठा

आज दिनांक....................को पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला............ प्रांगण में अभिसाक्ष्य द्वारा सत्यापित किया गया।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर

<u>प्रमाण-पत्र</u>

पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में भर्ती के अधीन जनपद/इकाई..................स्व....................के आश्रित श्री..............को मृतक आश्रित के रूप में................के पद पर सेवायोजन हेतु शारीरिक नाप जोख का विवरण निम्नवत् हैः-

लम्बाई....................सें0मी0

<u>सीने की माप (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)</u>

सीना बिना फुलाये......................सें0मी0

सीना फुलाने पर........................सें0मी0

<u>वजन (महिला अभ्यिर्थियों के लिये)</u>

वजन......................कि0ग्राम

प्रतिसार निरीक्षक के हस्ताक्षर	**पुलिस उपाधीक्षक के हस्ताक्षर**	**अपर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर**
नाम.........................	**नाम.............................**	**नाम.............................**
(पदनाम की मुहर)	**(पदनाम की मुहर)**	**(पदनाम की मुहर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम/पदनाम की मुहर)

परिशिष्ट-''च''

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप के कालम-01 से 37 तक अंकित सम्पूर्ण सूचनाओं का मेरे द्वारा भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनायें एवं संलग्न प्रपत्र पूर्णतः सत्य हैं तथा आवेदक मांगे गये पद की योग्यता रखता है व इस प्रकरण का कार्यालय में रखे स्थायी रजिस्टर के क्रमांक............पर अंकित कर दिया गया है।

दिनांक...............

(नाम एवं हस्ताक्षर)

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय

प्रधान के हस्ताक्षर तथा नाम की मुहर लगाई जाय।

(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाला शपथ पत्र)

शपथ पत्र का प्रारूप-2

शपथी का नवीनतम फोटोग्राफ नोटरी द्वारा सत्यापित

नाम.................उम्र...........वर्ष..........पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0.......................
निवासी..........................थाना................जनपद.................का शपथ पत्र।

मैं...........उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ/करती हूँः-

(1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।

(2) यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध में नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(3) यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ नहीं किया गया है।

(4) यह कि शपथ पत्र के प्रस्तर-01से 03 तक में अंकित कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता के हस्ताक्षर